लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

तेरहवां सत्र

Thirteenth Session

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं

Vol. LI Contains Nos. 31 to 40

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

23 LSS/75—1.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 33, मंगलवार, 15 अप्रैल, 1975/25 चैत्र, 1897 (शक)

No. 33, Tuesday, April 15, 1975/25 Chaitra, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नकाल को निलम्बित किये जाने के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Suspension of Question Hour	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	2
तारांकित प्रश्न संख्या 628, 629, 631, 634, 637 और 638	Starred Questions Nos. 628, 629, 631, 634, 637 and 638	2
प्रश्नों के लिखत उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	21
तारांकित प्रश्न संख्या 630, 632, 633, 636 और 639 से 647	Starred Questions Nos. 630, 632, 633, 636 and 639 to 647 . . .	21
अतारांकित प्रश्न संख्या 6078 से 6097, 6099 से 6108, 6110 से 6114, 6116 से 6228, 6231 से 6235 और 6237 से 6277	Unstarred Questions Nos. 6078 to 6097, 6099, to 6108, 6110 to 6114, 6116 to 6228, 6231 to 6235 and 6237 to 6277	27
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table . . .	148
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	149
बिहार के नवादा जिले में हरिजनों के मकानों को जलाया जाना तथा उनके बच्चों की कथित हत्या	Reported burning of houses of Harijans and murder of their children in Navada, Bihar	149
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	149
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin .	149
सदस्य की गिरफ्तारी (श्री महादीपक सिंह शाक्य)	Arrest of Member . . . . . (Shri Maha Deepak Singh Shakya)	151
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee. . . .	152
70 वां और 71 वां प्रतिवेदन	Seventieth and Seventy-first Reports	152

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + Marked above the name of a Member indicated that the Question was acutally asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGE
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from Sittings of the House . .	152
20 वां प्रतिवेदन	Twentieth Report .	252
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee .	152
143 वां प्रतिवेदन	Hundred and Forty-third Report	152
सघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित	Government of Union Territories (Amendment) Bill-Introduced . .	153
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377 . .	153
नागालैंड में सुरक्षा बल की हिरासत में दो व्यक्तियों की कथित मृत्यु	Reported death of two persons in custody of Security Forces in Nagaland	153
अनुदानों की मांगें, 1975-76	Demands for Grants, 1975-76 .	154
कृषि और सिंचाई मंत्रालय	Ministry of Agriculture and Irrigation	154
श्री राम गोपाल तिवारी	Shri R.G. Tewari . . .	154
श्री चिरंजीब झा	Shri Chiranjib Jha	154
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai .	155
श्री डी० पी० जदेजा	Shri D.P. Jedeja . .	155
श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल	Shri Shrikrishna Agrawal	156
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia	156
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	157
विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs	161
श्री नुरुल हुडा	Shri Noorul Huda .	162
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh .	168
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee .	169
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	170
श्री माधव राव सिंधिया	Shri Madhavrao Scindia	171
श्री बी० एन० नायक	Shri B.N. Naik	173
श्री वी० मायावन	Shri V. Mayavan . .	174
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh .	176
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	177
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	179
गुजरात में चुनाव, आपात स्थिति तथा मांसुका के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Election in Gujarat, Emergency and Misa . . .	180
श्रीमति इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi .	180

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 15 अप्रैल, 1975/25 चैत्र, 1897 (शक)

Tuesday, April 15, 1975/*Chaitra* 25, 1897 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**]
[**Mr. Speaker in the Chair**]

प्रश्न काल को निलम्बित किए जाने के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re. SUSPENSION OF QUESTION HOUR

अध्यक्ष महोदय : श्री जनेश्वर मिश्र, आपने प्रश्न काल निलम्बित करने की सूचना देकर बहुत बुरी प्रक्रिया स्थापित की है।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): Kindly listen to me why I have done that seven persons have been shot down by the police in Orissa in connexion with procurement. In view of the situation arising therefrom, we want the Question Hour to be suspended so that this matter could be discussed.

Mr. Speaker: It is a State Subject and the Centre has nothing to do here.

Shri Janeshwar Misra: The States are procuring foodgrains under Centre's direction and they are resorting to firing on the public......**(Interruption)**

Mr. Speaker: This is a very bad practice. Please sit down. By tabling a motion for the suspension of Question Hour over a matter which is not related to the centre you are setting a new practice which is not good. Why it should be suspended when the subject matter is a State Subject ? You should have sought suspension of the Question Hour on an issue which is under Parliamentary Competence. This is a State matter.

Shri Janeshwar Misra: This procurement policy was finalised in the meeting of Central Ministers and State Chief Ministers and people lost their life in pursuance of that policy. Is it fair ?

Mr. Speaker: Only such matters can be raised here as are the concern of Parliament. I do not want to listen to anything more.

Shri Janeshwar Misra: Why no attention is paid to the firing incident involving many farmers in Orissa.

Mr. Speaker: It is highly improper that you have stated delivering a speech by taking this suspension notice.

उड़ीसा में शान्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की नहीं है। आप मेरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। प्रश्न काल स्थगित करने के पक्ष में सदस्य 'हां' बोलें।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां' ।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विरुद्ध हैं, वे 'नहीं' बोलें ।

अनेक माननीय सदस्य : 'नहीं' ।

अध्यक्ष महोदय : बहुमत इस प्रस्ताव के विरुद्ध है । अतः यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

Shri Janeshwar Misra: We have also tabled an adjournment motion on this.

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न लेंगे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही

*628. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारियों द्वारा "नियमानुसार कार्य करो" आन्दोलन के बारे में 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 260 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारियों की मांगों पर कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मांग पर अब तक की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों की सात मांगों में से केवल एक मांग पर, कि निरीक्षकों को भंडार के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाये, अन्तिम विनिश्चय करना शेष है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Chandrika Prasad: Sir, from the reply it appears that six demands have been accepted but I want to know what are they and what steps have been taken by Government to implement them ?

श्री बूटा सिंह : वे मांगे हैं : उन्हें ट्रेफिक कंट्रोलरों की तकनीकी श्रेणियों के समकक्ष माना जाये । सभी कर्मचायिों की ड्यूटी 8 घंटे की हो और यह भर्ती विनियम के घंटों के अन्तर्गत संकेत और दूर संचार स्टाफ को 'निरन्तर' घोषित करके किया जा सकता है । क्योंकि वर्तमान कर्मचारी अपर्याप्त हैं अतः और कर्मचारी दिए जायें ।

They should be given 'busting point allowance, for the time spent.

इंस्पेक्टरों को स्टोर कीपर नियुक्त करके इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाये । सभी सिगनल कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट किए जायें । सभी सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों को गर्म और ठंड़ी पूरी वर्दियां दी जायें । सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को बातचीत की सुविधाएं दी जायें ।

Shri Chandrika Prasad: What is being done to implement them ?

श्री बूटा सिंह : जैसाकि मैं बता चूका हूं केवल स्टोर संभालने संबंधी मांग पर ही निर्णय नहीं हुआ है । शेष सभी मांगों पर निर्णय हो चुका है और वे क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।

Shri Chandrika Prasad: The Ministry had assumed that this demand would be considered within six months but 1½ years are already over. How long will it take.

Shri Buta Singh: We have left it to each Railway because it is rather complicated. Since it is not in the interest of the country or Railways to leave small and costly equipment with storekeepers, more time is being taken.

श्री समर मुखर्जी : क्या यह सच है कि 30 दिसम्बर, 1973 को सिग्नल और दूर-संचार स्टाफ के नेताओं के साथ हुई बैठक में काफी चर्चा के बाद कोई समझौता हुआ था यद्यपि वह लिखित नहीं था। मैं उक्त समझौते की तिथि और मुद्दे तथा उक्त बैठक में भाग लेने वाले नेताओं और मंत्री का नाम भी जानना चाहता हूं।

श्री बूटा सिंह : मैं उक्त नेताओं के नाम नहीं बता सकूंगा। जैसा मैंने बताया कर्मचारी संघ के नेताओं और मंत्री द्वारा समझौते के कई प्रयासों के बाद यह समझौता हो पाया है और यह क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है, और पूरी रूपरेखा देना संभव नहीं है क्योंकि इसमें सभी रेलवे जोन संबद्ध हैं और जिन मुद्दों पर सहमति हुई है उन्हें लागू किया जा रहा है।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, from the reply it is clear that out of the seven demands six have been accepted and one demand is still under consideration. But I want to draw Government's attention towards a very distressing factor. Yesterday I was coming from Gaya to Delhi and these very employees went on a lightning strike resulting in detention of Bombay Mail, Ranchi Express and Kalka Mail from 3.00 to 8.00 A.M. due to which passengers had to suffer a lot. This staff indulged in mischief also and D.M. and police had to be called and the latter had to use force also and some arrests were also made. This is the latest incident in which many trains were detained at the outer signal for as long as seven hours. I want to know the action proposed to be taken by Government against such employees ?

The Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi): We have not yet received any information about this incident. We will look into this grave incident and drastic action would be taken against those employees found responsible therefor.

Shri Dinen Bhattacharya: They have not been paid......**(Interruption)**

श्री एस० एम० बनर्जी : : क्या कसौटी की मांग पर समझौता हो गया है? इंस्पैक्टरों को अधिक जिम्मेदारियों से राहत देने के बारे में मांग क्या पूरी की जाएगी ? मंत्री महोदय ने कहा है कि केवल इसी मांग को पूरा नहीं किया गया है। क्या इसके क्रियान्वयन में विलम्ब हो गया है और यदि हां, तो क्यों ? और यह मांग कब तक पूरी की जाएगी ?

श्री बूटा सिंह : इस कसौटी के बारे में निर्णय किया गया है कि आई० आर० सी० एस० की कसौटी के आधार पर दिया गया स्टाफ अपर्याप्त है और नई कसौटी बनाए जाने तक इसे तो क्रियान्वित कर दिया जाए। अतः निर्णय किया गया है कि आई० आर० सी० एस० उप-समिति द्वारा निश्चित कसौटी का अनुमोदन नहीं किया गया। कर्मचारी-संख्या वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित की जाती है और आवश्यकतानुसार इसका पुर्नरीक्षण किया जाता है। मूल उत्तर के अनुसार यह निरन्तर प्रक्रिया है और जहां कहीं और जब कभी आवश्यकता पड़ती है, इस श्रेणी के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। साफ बात तो यह है कि रेलवे के अन्य मशीनी कर्मचारियों पर जो कसौटी लागू होती है वह इन पर लागू करना कठिन है।

श्री एस० एम० बनर्जी : स्टोर संबंधी जिम्मेदारी के बारे में क्या हुआ ?

श्री बूटा सिंह : जैसा कि मैं बता चुका हूं, यह मांग विचाराधीन है, परन्तु इस समय यह कहना ठीक नहीं है कि इंस्पैक्टरों को इस कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा ।

Shri R. S. Pandey: As pointed out by Shri Shankar Dayal Singh that due to lightening strike by this staff trains were detained and passengers suffered and it was hoped that under Shri Tripathi, Railways will show better performance, I am concerned that he was not informed of this incident which shows that the efficiency has declined. Whose responsibility is this ? Whether he would take action against those also who have not sent this information to him ?

Mr. Speaker: This is a speech rather than a question.

Shri Kamlapati Tripathi: I am thankful to both Shri Singh and Shri Pandey.

श्री पी० एम० मेहता : हम अकसर 'नियमानुसार काम करो' आंदोलन की बात सुनते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि रेल प्रशासन इसका विरोधी क्यों है ? क्या यह गलत है ? क्या यह प्रशासन के हितों के विरुद्ध है ? क्या कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार काम करना आपत्तिजनक है ?

श्री बूटा सिंह : यदि रेल मार्ग संरक्षण स्टाफ और गाड़ियां चलाने संबंधी स्टाफ को नियमानुसार काम करने को कहा जाये तो मेरा विश्वास है कि कोई रेल मंत्री रेलगाड़ियां नहीं चलवा पाएगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तब आप नियम बदल दें...... **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि नियमों का पालन न किया जाए । यहां हमें यह देखना है कि परिरक्षण स्टाफ किस प्रकार का काम करता है । रेल-गाड़ियां चलाने के लिए तीन श्रेणियों के कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है । एक है निरन्तर कर्मचारी—जिनकी ड्यूटी आठ घंटे की होती है और वे शिफ्टों में काम करते हैं । दूसरे मुख्यत: रुक-रुक कर काम करने वाले हैं जिनकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है । तीसरी श्रेणी "एक्टेंडिड टाइप" कहलाती है, जैसे पम्प चलाने वाले । उनकी ड्यूटी निश्चित अन्तराल के बाद पम्प चलाना है । शेष समय में वह आराम करता है या उपकरणों की देखभाल करता है । परिरक्षण स्टाफ, सिग्नलर्स और दूर संचार कर्मचारी मुख्य स्टेशन के सामने तैनात किये जाते हैं । यदि बीच के किसी छोटे स्टेशन पर कुछ गड़बड़ी होती है तो उन्हें वहां भेज दिया जाता है यद्यपि उनकी ड्यूटी पूरी हो चुकी होती है और उन्हें भत्ते आदि दिए जाते हैं । परन्तु यदि वे कहें कि 'हम वहां नहीं जाएंगे' तो वहां खड़ी गाड़ी का क्या होगा ? इस संदर्भ में नियमों का अक्षरश: पालन कठिन ही होता है ।

Booking office near Delhi Junction

*629. **Shri Hemendra Singh Banera:**
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of the Members of Parliament who have supported the allotment of a 400 yard plot of railway land near Delhi Junction to the son of a former Member of Parliament for opening a booking office there;

(b) the names of the other booking offices situated at a little distance from this plot and the distance of each of them from it;

(c) whether the suggestion for utilising it for the purposes of metropolitan transport was also considered;

(d) if so, the decision taken keeping in view the interest of the public and the criteria for taking decision in this regard; and

(e) in case no decision has been taken in this regard, the time by which it will be taken ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) एक भूतपूर्व संसद् सदस्य के पुत्र एवं अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति को बुकिंग एजेंसी चलाने के लिए सर्वथा मानवीयता एवं अनुकम्पा के आधार पर कुछ अवधि के लिए पट्टे पर दिल्ली जंकशन के नजदीक भूमि का एक प्लाट अलाट करने के लिए कुछ हरिजन संसद् सदस्य तत्कालीन रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र से मिले थे, क्योंकि संबंधित प्लाट बेकार पड़ा था और रेलवे को तत्काल उसकी जरूरत नहीं थी ।

(ख) संबंधित प्लाट के नजदीक स्थित अन्य बुकिंग कार्यालय और इससे उनकी दूरी इस प्रकार है :

(1) दिल्ली जं०	लगभग 1 किलोमीटर
(2) दिल्ली चांदनी चौक नगर बुकिंग एजेन्सी	लगभग 1.6 किलोमीटर
(3) दिल्ली सब्जीमंडी नगर बुकिंग एजेंसी	लगभग 1.6 किलोमीटर
(4) दिल्ली सदर बाजार नगर बुकिंग एजेन्सी	लगभग 1.6 किलोमीटर

(ग), (घ) और (ङ) चूंकि संबंधित प्लाट का उपयोग काफी समय तक महानगर परिवहन परियोजना द्वारा किये जाने की संभावना नहीं थी, इसलिए सार्वजनिक हित में यह निर्णय किया गया कि इस प्लाट को उस समय तक के लिए अनुसूचित जाति के एक गरीब सदस्य को अलाट कर दिया जाय जब तक रेलवे को उसकी जरूरत न पड़े और इस के लिए यह स्पष्ट वचन ले लिया जाये कि एक महीने के नोटिस पर खाली भूमि का कब्जा रेलवे को दे दिया जायेगा । लेकिन जिस व्यक्ति को यह भूमि अलाट की गयी थी वह रेलवे द्वारा रखी गयी शर्तों पर बुकिंग एजेंसी चलाने की स्थिति में नहीं था और इसलिए यह अलाटमेंट अब रद्द कर दिया गया है ।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि उन्होंने सौदे को रद्द करके अच्छा किया है । जहां तक हरिजनों का संबंध है, हम उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक हैं । लेकिन हरिजनों के नाम पर अन्य उद्देश्यों के लिए लाभ उठाना हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। मैं जानना चाहता हूं कि परिवहन सदस्य तथा अध्यक्ष ने किस प्रेरणा से यह शीघ्र निर्णय किया ?

श्री बूटा सिंह : मैं प्रश्न समझ नहीं पाया । क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय ने सौदा रद्द क्यों किया ?

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य की बात फिर से सुनें । हो सकता है जो आपने सुना है वह सही न हो ।

श्री बूटा सिंह : इसलिए मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि इसे रद्द नहीं किया गया । मैं उन्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं ।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : विवरण में कहा गया है कि यह रद्द कर दिया गया है, लेकिन यह स्वीकृति मिलने के बाद रद्द किया गया। चिन्ता का मुख्य विषय यह है कि किस प्रकार के सौदे की अनुमति दी गई, कैसे और क्या निर्णय किया गया ।

श्री बूटा सिंह : आवेदक ने निर्माण कार्य नहीं किया बल्कि काम शुरू करने में असमर्थता प्रकट की और अन्ततः आवंटन रद्द कर दिया गया । आवंटन करने के कारणों का उल्लेख विवरण में किया गया है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: My second question has not been replied so categorically as the first one. May I know the reason why the objection made by the General Manager was set aside and plot was allotted at concessional rate for opening a new booking office. If he says that it was brought to our notice and then the allotment was cancelled, his reply could be satisfactory. But on the other hand he says that the party did not come forward and hence the allotment was cancelled. I would like to know what were the objections made by the General Manager and which public interest was involved for which the land was allotted ?

Shri Buta Singh: It is clear from the answer that the conditions which will laid by the Northern Railway for giving the agency were not fulfilled and that is why the allotment was cancelled. So far as the question of reason for sanctioning the allotment is concerned, I can quote the statement made by former hon. Railway Minister.

"There is overcrowding at the booking office at Delhi Station. A number of M.Ps. have spoken to me in this behalf. The applicant is a Scheduled Caste. In view of this, I am inclined to agree to his request for an agency."

Shri Atal Bihari Vajpayee: In his statement he has accepted that booking office of Delhi Main, Chandni Chowk and Subzi Mandi is at the distance of 1, 1.6 and 1.6 Kilometers respectively. Is it the only way to help poor by allowing him to open new booking office within the area of one Kilometer ?

Shri Buta Singh : It was considered by Shri Mishra at that time. What can I say ?

Shri Md. Jamilurrahman: Answers given by the hon. Minister are satisfactory. Our Constitution clearly lays down that Harijans and Adivasis will be given full assistance and concessions and we are also committed to do so. May I know why strict rules have been made for Harijans and Adivasis not to open railway booking office at shorter distance than the existing booking offices keeping in view the congestion in the booking offices ? I would like to know whether amendment will be made in the rules of Railway Board so as to facilitate Harijans and Adivasis to open booking office ?

The Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi): This is an old question and has been replied by the former Railway Minister. What is the use of raising an old question time and again ?

Shri Md. Jamilurrahman : I would like to draw your attention towards the last part of the statement which says, "A booking agency on the terms and conditions laid down by the railway and hence the allotment has been concelled." Rules were so strict that the party could not fulfil the terms and conditions.

Shri Kamlapati Tripathi: Leave it now, it has been discussed.

रेल गाड़ियों में सफाई की योजना

*631. **श्री गजाधर माझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चलती रेलगाड़ियों में सफाई की तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को और अधिक सुविधायें देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) प्रारम्भ स्टेशनों तथा मंडल मुख्यालयों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों के सवारी डिब्बों में बिजली, यांत्रिक तथा स्वच्छता फिटिंगों की जांच करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा 10–4–1975 को फिलहाल तीन माह के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है ताकि त्रुटियों को वहीं ठीक किया जा सके।

इस अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भ स्टेशनों पर रेकों को सभी तरह से दुरुस्त कर दिया जाता है और धुलाई लाइनों पर ही उनकी जांच और निरीक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि डिब्बों की सफाई-धुलाई भली प्रकार हो जाये और पानी की टंकियां धुलाई लाइनों पर ही भर दी जायें। जब रेक साइडिंग में खड़े होते हैं, तो उनकी डाइनुमा पट्टियों, बैटरियों और बिजली फिटिंगों की और भी ऐसा ही ध्यान दिया जाता है।

इसी प्रकार मंडल मुख्यालयों में सम्बद्ध अधिकारी, यांत्रिक, बिजली आदि विभागों के पर्यवेक्षकों की सहायता से मंडल मुख्यालयों से गुजरने वाली गाड़ियों के वहां पहुंचने पर उनकी जांच करता है और चलने के दौरान पायी गयी त्रुटियों को अनुमत समय के भीतर ही दूर करता है ताकि गाड़ियों के समय पालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री गदाधर साहा : दूसरे दर्जे के डिब्बों में अधिक भीड़भाड़ के कारण पेय जल तथा खाने-पीने की चीजों के मिलने में कठिनाई होती है। क्या सरकार का विचार दूसरे दर्जे के यात्रियों को पेय जल तथा खाने-पीने की चीजें उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करने का है?

श्री बूटा सिंह : यह सच है कि इस समय दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए पेय जल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सुविधाएं देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री धामनकर : विवरण में कहा गया है कि 10–4–75 को एक विशेष अभियान चलाया गया था। लेकिन मुझे संदेह है कि विवरण में उल्लिखित कार्यों को सही ढंग से नहीं किया गया है और न ही कमियों को तत्काल मौके पर दूर करने के लिए कुछ किया गया है।

जहां तक पश्चिम रेलवे का सम्बन्ध है, डिब्बे में घुसते ही सीटों पर कोयले के कण दिखाई देते हैं और सीटों की सफाई के लिए झाड़न की जरूरत पड़ती है। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करने से पूर्व गाड़ी को साफ किया जा सकता है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि डिब्बों को अच्छी तरह साफ किया जाए और बल्बों को सही प्रकार चैक किया जाए? शौचालय में बिल्कुल रोशनी नहीं होती।

श्री बूटा सिंह : विवरण से पता चलता है कि सभी रेलवे में दो दिन पूर्व विशेष अभियान शुरू किया गया है। पश्चिम रेलवे से भी सम्पर्क स्थापित किया जाएगा और यदि कोई कमी पाई गई तो सुविधा एवं स्वच्छता सम्बन्धी अभियान को जारी रखने के लिए कहा जाएगा। यह सच है कि प्रत्येक टर्मिनल पर गाड़ी की सफाई-धुलाई की जाती है। अब हम इस ओर ध्यान देंगे कि पश्चिम रेलवे भी इसी प्रणाली को अपनाए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में कहा है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा 10–4–75 को विशेष अभियान शुरु किया गया। पूर्वी रेलवे के दूसरे दर्जे के तीन-टीयर में आठ यात्रियों के लिए 3 पंखे होते थे परन्तु अब घटाकर एक-एक पंखा कर दिया गया है। मैं 12–4–75 को 81 अप से यात्रा कर रहा था। रेलवे ने वातानुकूलित डिब्बे में दो-टीयर प्रणाली शुरू की है। पूरी गाड़ी में पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी और दूसरे दर्जे के यात्रियों की

कठिनाइयों को दूर करेगी? गत वर्ष, सरकार ने यात्री किरायों में वृद्धि कर दी लेकिन यात्रियों की सुविधाओं में कमी की जा रही है। यात्रियों को पेश आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है?

श्री बूटा सिंह : जहां तक बिजली के पंखे लगाने का सम्बन्ध है, गर्मी का मौसम आज से शुरू हुआ है। इसलिए, यदि पूर्वी रेलवे में कोई कमी है, तो उन्हें कमी को दूर करने के लिए कहा जाएगा। पूर्वी रेलवे को दूसरे दर्जे में पर्याप्त पंखे उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। जहां तक वातानुकूलित डिब्बे के 2–टीयर में पेय जल सुविधा प्रदान करने का सम्बन्ध है, हम पेय जल की व्यवस्था करने के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न करेंगे।

Shri R. G. Tiwari: Even on the stations where cleaning facilities are available, cleaning employees do not work unless and until they are forced to do so. They do not listen to Station Master. I would like to know the steps being taken in this regard ?

Unauthorised occupancy in the First Class Compartments causes insecurity and uncomfort to the other passengers. What steps are being taken to check this ?

Catering standard has also lowered down. Causing inconvenience to passengers. Not only the stuff is sub-standard but also no care is taken towards sanitation. Things are not available from outside. I would like to know from the hon. Minister the steps being taken in this regard ?

Shri Buta Singh: Special drive will continue for 3 months. Senior officer of the Division has been made exclusive incharge for this purpose. A senior officer is deputed for check up throughout the running of the train and its maintenance.

So far as the question of catering is concerned, we have received a number of complaints. New system of 'Pick up Ready made Food' is being experimented on Western and other Railways. Positive reports have been received and if the system proves good, it will be adopted by all the Railways.

It is a fact that there is unauthorised occupancy especially on the washing side of First Class Compartments. As I have already stated that we have issued instructions to R.P.F. that coaches should be locked in washing line so that passengers could not occupy it before the train arrives at platform.

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय द्वारा रेलवे बोर्ड के कार्यकरण की तेजी से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किये जाने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह भी पता लगाया है कि रेल डिब्बों को साफ करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण शर्त यह है कि रेलवे बोर्ड को साफ किया जाये? जब तक ऊपर पड़ा रेत साफ नहीं होगा, रेल डिब्बे साफ नहीं रखे जा सकते हैं। क्या एक शर्त यह भी नहीं है कि जब तक जनता अथवा यात्रियों के लिए पंखों और पानी की उचित व्यवस्था नहीं की जायेगी रेलवे बोर्ड के लिए भी पानी, कूलर, पंखों की व्यवस्था नहीं होगी? क्या एक शर्त यह भी नहीं है कि अधिकारियों को जलपान गृहों से निर्मुक्त भाव से राशन लेने पर रोक लगाने से ही रेल डिब्बों में सफाई की व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है?

श्री बूटा सिंह : जहां तक रेल भवन का सम्बन्ध है देश के अखबारों ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की है कि यह देश में अत्यन्त साफ कार्यालय है........।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे मंत्री महोदय की जानकारी पर बहुत अफसोस है।

श्री बूटा सिंह : जहां तक अन्य सुझावों का सम्बन्ध है रेलवे बोर्ड और उसके कार्यकरण के बारे में माननीय सदस्य के विचार सुविदित हैं। इन सुझावों पर वास्तव में ध्यान दिया जायेगा।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे मंत्री महोदय से सहानुभूति है।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री समर गुह : रेल मंत्री महोदय सफाई के प्रतीक मालूम होते हैं।

But it is unfortunate that bathrooms and lavatories on small stations, excepting principal stations and in trains other than Rajdhani Express and Delux ones are very dirty and stinking and there is no provision of water there. May I know whether a special Cell will be created in all the Zones to ensure cleanliness there and to look into all these matters?

Mr. Speaker: Will you educate the public how to use them?

Shri Kamlapati Tripathi: We will consider your suggestion. I agree with your opinion that they keep dirty. I have myself seen while travelling that they are very dirty. The persons employed there do not keep them clean inspite of repeated requests being made to them. Now-a-days the position is that because of the support of political leaders no action dare be taken against them.

Shri Samar Guha: You have not said about the special cell.

Shri Kamlapati Tripathi: I have said that you have given a very good suggestion and I shall look into it.

Mr. Speaker: He always gives good suggestion.

श्री माधुर्य हाल्दार : मैं पूर्व रेलवे की स्यालदाह डिविजन की गाड़ियों से अक्सर यात्रा करता रहता हूं। वहां सफाई केवल प्राकृतिक रूप से ही होती है। इसके अतिरिक्त वहां गाड़ियों में रोशनी व पंखे तो हैं ही नहीं तथा 30 प्रतिशत बैठने के स्थान भी नहीं हैं फिर भी केवल मात्र सफाई तक ही सीमित रहूंगा। सफाई के लिए केवल 2 मास के विशेष अभियान के बजाये इसे वर्ष भर क्यों नहीं लागू रखा जाता?

श्री बूटा सिंह : यह फिटिंग तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने पूर्व रेलवे विशेषकर सियाल्दाह डिविजन का उल्लेख किया है। वहां कठिनाई यह है कि यात्रियों के लिए जो व्यवस्था की जाती है उस सभी की चोरी हो जाती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 80 प्रतिशत फिटिंगों की चोरी केवल पूर्वी जोन में ही होती है। यह खेदजनक बात है और मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि रेलवे प्रशासन को सहयोग दें। (**व्यवधान**)।

निर्बन्धात्मक व्यापार समझौता पंजीयक द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के पास दायर मामले

*634. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्बन्धात्मक व्यापार समझौतों के पंजीयक ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के समक्ष 28 मामले दायर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन मामलों के कम्पनी-वार ब्यौरे क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) तथा (ख) हां, श्रीमान्‌जी रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार अनुबन्ध ने 31-10-74 तक, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37(1) के साथ पठित धारा 10(क)(3) के अन्तर्गत जांच के लिये, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के पास 28 आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे।

सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

विवरण

31 अक्तूबर, 1974 तक रजिस्ट्रार, निबन्धनकारी व्यापारी अनुबंध ने एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को जांच एवं रिपोर्ट के लिए 28 मामले निर्देशित किये थे। संभवतः प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट 28 संख्या इस अवधि से संबंधित है।

2. अनुलग्नक में, उपक्रमों के नाम, उपक्रमों द्वारा निरत रहन के लिये आरोपित निबन्धनकारी व्यापार प्रथाओं की प्रकृति, एवं वह तारीख, जिसको रजिस्ट्रार ने आयोग को निर्देश किया था, दिए गए हैं। इन 28 मामलों में से आयोग ने अब तक 9 का निपटान कर दिया है एवं शेष 19 आयोग के पास जांच के अनेक उपक्रमों पर हैं।

3. 1 जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक की अवधि के मध्य एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 10 के अन्यर्गत एकाधिकार निबंधनकारी प्रथा व्यापार तथा आयोग द्वारा या तो इसको प्रस्तुत किये गये परिवाद के आधार पर अथवा रजिस्ट्रा निबंधकारी व्यापार अनुबंध द्वारा आवेदन पर, या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर की गई निबन्धनकारी व्यापार प्रथा जांजों के ब्यौरे युक्त एक व्यख्यात्मक विवरण-पत्र, दिनांक 24 मार्च, 1975 को सदन में अतराकित प्रश्न संख्या 3818 के अनुसरण में, इस के पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

अनुलग्नक

एकाधिकार एवं निबधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष 7-11-74 तक, एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 10(क) (3) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अनुबन्ध द्वारा प्रस्तुत किये गये मामलों के ब्यौरे

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन-पत्र की तारीख	निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं की प्रकृति
1	2	3	4
1.	इन्चेक टायर्स तथा 7 अन्य (1) प्रीमियर टायर्स लि० (2) मद्रास रबड फैक्ट्री लि० (3) इन्डिया टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इन्डिया) प्रा० लि० (4) डनलप इन्डिया लि० (5) गुडईयर इन्डिया लि० (6) फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इन्डिया) लि० (7) कीट टायर्स आफ इन्डिया लि०	23-12-71	इन कम्पनियों द्वारा आटोमोटिव टायर उद्योग के सदस्यों के लिए समान्य आचरण संहिता के नाम से पुकारा जाने वाला एक सामान्य अनुबंध दिया गया था, जिसमें साथ साथ प्राविधान है कि इन सम्बन्धित कम्पनियों को अपने माल को विक्रेता के रूप में, केवल उनके मध्य तय हुई कीमतों पर अथवा उनके मध्य हुये निबन्धनों एवं प्रतिबंधों पर ही बेचना हैं।

1	2	3	4
2.	दि ग्रामोफोन कम्पनी ग्राफ इन्डिया लिमिटेड	21-4-72	फिल्म उत्पादकों तथा कलाकारों पर क्षेत्रीय बन्धन, ग्रन्यन्य व्यवहार, पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण, तथा ग्रनुचित ग्रवरोधन
3.	हिन्दुस्तान पिलकिन्गटन ग्लास वर्क्स लि० कलकत्ता तथा दो ग्रन्य (1) विन्डो ग्लास लि० (2) एसोसियेटेड पैट्रन्ड एण्ड वायर्ड ग्लास (प्रा०) लि०	16-5-72	साझी बाजार व्यवस्था, तय हुई निश्चित मूल्यों (एक सम) का संधारण, बाजार बंटवारा
4.	बंगाल पाटरीज लि०, एवं ग्रलाईड डिस्ट्रीब्युटर्स एण्ड कम्पनी दिल्ली	30-8-72	क्षेत्रीय निवंधन, ग्रनन्य व्यवहार, समनुदान सुविधायें, कटौती ग्रादि देना पुनर्विक्रिया मूल्य संधारण
5.	बड़ौदा रैयन कारपोरेशन एवं 7 ग्रन्य (1) सेन्चुरीरेयन (2) इन्डियन रेयन कारपोरेशन लि० (3) जे० के० रेयन (4) केसोराम रेयन (5) नैशनल रैयन कारपोरेशन लि० (6) साउथ इन्डिया विस्कोस लि० (7) ट्रावणकोर रैयन्स लि०	22-9-72	साझा मूल्य नियत करना, उत्पादन को समिति ग्रथवा रोकते या बंधन लगाते हुए साझा वितरण ग्रपनाना, ग्रन्यों को छोड़कर चयन किये गये ग्राहकों के साथ ग्रधिमानीय व्यवहार ग्रादि
6.	पोलीडोर ग्राफ इन्डिया लि० बम्बई	28-11-72	क्षेत्रीय निबंधन, समनुदान, सुविधायें तथा कटौती ग्रादि देना, एवं पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण
7.	ग्रशोक लेलैंड लि० मद्रास	26-3-75	क्षेत्रीय निबंधन, ग्रनन्य व्यवहार, एवं पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण
8.	टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं० लि० बम्बई	23-1-74	क्षेत्रीय निबंधन, ग्रनन्य व्यवहार, एवं पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण
9.	केरोना साहू लि० बम्बई	16-2-74	क्षेत्रीय निबंधन, पूर्णरेखा प्रवत्त रहना समनुदान सुविधायें कटौटी ग्रादि देना एवं पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण
10.	बाटा इन्डिया लि० कलकत्ता	22-2-74	पूर्ण रेखा प्रवत्त रहना, समनुदान सुविधायें तथा कटौती ग्रादि देना, एवं पुनर्विक्रिय

1	2	3	4
			मूल्य संधारण पूर्तिकर्ताओं (लघु मापक निर्माण कर्त्ताओं) से केवल कम्पनी को ही जूतों की पूर्ति करने की अपेक्षा करना, उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने से रोकना, अतिरिक्त मात्रा को केवल कम्पनी द्वारा निश्चित मूल्य पर बेचने की अपेक्षा करना।
11.	ऊषा सेल्स (प्रा०) लि० दिल्ली	19-6-74	क्षेत्रीय निबंधन तथा अनन्य व्यवहार
12.	टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड बम्बई	27-6-74	क्षेत्रीयि निबंधन, पूर्ण रेखा प्रवत्त रहना, समनुदान, बट्टा, सुविधायें, कटौती आदि देना, अनन्य व्यवहार तथा पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण
13.	सेन्ट्रोन इन्डस्ट्रियल अलाइन्स (प्रा०) लि० बम्बई	29-6-74	अनन्य व्यवहार जिन व्यक्तियों को माल बेचा जाता है, अथवा जिन से माल खरीदा जाता है, पर निबंधन, रेजर ब्लेड निर्माण-कर्त्ताओं के लिये नियोजन अथवा मशीनरी देने पर बंधन लगना।
14.	रैलिस इन्यिया लि० एवं रेली वुल्फ लि०	13-9-74	क्षेत्रीय निबंधन, विक्रियों को सीमित कर देना पूर्ण रेखा प्रवत्त रहना, उन व्यक्तियों, जिनको माल बेचा जाता है, तथा जिनसे माल खरीद जाता है, पर निबंधन लगाना, समनुदान, कटौती आदि देना, पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण।
15.	कलर चीम लि० तथा 3 अन्य (1) चीका लिमिटेड (2) हाइस्ट डाइजं एण्ड कैमिकल्स लि० (3) इन्डोकेम प्रा० लि०	27/30-9-74	क्षेत्रीय निबंधन बाजार का साझा हिस्सा आपस में तै हुए ग्राहकों को माल बेचना, बिक्री को सीमित कर देना, पूर्ण रेखा प्रवत्त रहना, जिन व्यक्तियों को माल बेचा जाता है अथवा जिनसे माल खरीदा जाता है पर निबंधन लगाना, अनन्य व्यवहार, एवं पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण।
16.	स्वदेशी मिल्स कम्पनी लिमिटेड तथा 3 अन्य (1) अहमदाबाद अडवान्स मिल्स लि०	5-10-74	क्षेत्रीय निबंधन अनन्य व्यवहार पूर्ण रेखा प्रवत्त रहना, एवं पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण।

1	2	3	4
	(2) टाटा मिल्स लि० (3) सेन्ट्रल इन्डिया स्पीनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०		
17.	यूनियन कार्बाइड ग्राफ इण्डिया लिमिटेड	24–3–73	पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण, एवं विक्रेताग्रों को उपहार देना।
18.	हिन्द लैम्प्स लि० तथा 9 ग्रन्य (1) फिलिप्स इण्डिया लि० (2) जी०ई०सी० ग्राफ इण्डिया लि० (3) क्राम्पटन ग्रीव्ज लि० (4) मेजडा लैम्प कम्पनी लि० (5) बजाज इलैक्ट्रीकल्स लि० (6) एन० बी० फिलिप्स ग्लाईलेम पैन फैब्रीकन ग्राफ एन्धोविन, हालैण्ड (7) जी०ई० सी० कम्पनी लि०, ब्रिटेन (8) क्रापटन पार्किन्सन लि०, यार्क (9) मैजडा लैम्प कम्पनी लि०, ब्रिटेन	17–8–74	उन व्यक्तियों, जिन्हें माल बेचा जाता है, ग्रथवा जिनसे माल खरीदा जाता है पर निबंधन मूल्यों को साझे में निश्चित करना, उत्पाद एवं पूर्ति पर निबंधन लगाना किसी विशिष्ट प्रकार के ढंग, मशीनरी तथा माल निर्माण के विधायन की सेवा मुक्ति पर नियंत्रण।
19.	ईलैक्ट्रिक लैम्प मैन्युफैक्चरर्स (इन्डिया) प्रा० लि० तथा 8 ग्रन्य (1) फिलिप्स इन्डिया लि० (2) जी० ई० सी० ग्राफ इन्डिया लि० (3) क्राम्पटन ग्रीव्स लि० (4) मैजडा लैम्पस लि० (5) एन० वी० फिलिप्स ग्लाई लैम्पैन फैब्रीकन ग्राफ एन्धोविन, हालैंड (6) जी० ई० सी० कम्पनी लि०, लंदन (7) क्राप्टन पार्किन्सन लि०, यार्क (8) माजडा लैम्प कम्पनी लि०, ब्रिटेन	17-8-74	—यथोपरि—
20.	मैसूर किलोस्कर, लि० तथा 3 ग्रन्य (1) महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० (2) बेटेली बाय एण्ड कं०प्रा० लि० (3) मशीन टुल्स इन्डिया लि०	13-9-74	माल के उत्पाद/संभरण पर निबंधन, ग्रन्य व्यवहार, समनुदान, कटौती ग्रादि देना, उन व्यक्तियों, जिन्हें माल बेचा जाता है, ग्रथवा जिनसे माल खरीदा जाता है, पर निबंधन, तथा पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण ।

23 LSS/75—2.

1	2	3	4
21.	इन्टरनैशनल इन्स्ट्रूमैंटस प्रा०, लि० तथा 4 अन्य (1) इनके ऐसोसियेट्स प्रा०, लि० (2) प्रीमियर आटो इलैक्ट्रिक प्रा०, लि० (3) मदर्न मैर्कन्टाइल कारपोरेशन (4) हावड़ा मोटर कम्पनी प्रा०, लि०	16-9-74	क्षेत्रीय निबंधन, पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण उन व्यक्तियों, जिनको माल बेचा जाता है, अथवा जिनसे माल खरीद जाता है पर बंधन लगाना, अन्य व्यवहार समनुदान, कटौती आदि देना मूल्यों का साझा निधारण बिक्री सीमित करना तथा पूर्ण रेखा प्रवृत्त रहना।
22.	बैल्डीज लि०	23-10-74	समनुदान, कटौती आदि देना, पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण, एवं ग्राहकों के साथ व्यवहार में भेदभाव रखना ।
23.	टाटा कैमीकल्स	31-10-74	क्षेत्रीय निबंधन, समनुदान, कटौती आदि देना, पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण एवं अन्य व्यवहार ।
24.	मोदी यार्न	31-10-74	क्षेत्रीय निबंधन, बिक्री को सीमित करना, पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण, समनुदान कटौती आदि देना ।
25.	केडेवरी - फ्राई इन्डिया, लि०	17-5-72	अनन्य व्यवहार, एवं पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण ।
26.	नैशनल टोबैको कम्पनी आफ इन्डिया, लि०	22-5-72	क्षेत्रीय निबंधन, अनन्य व्यवहार, एवं पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण ।
27.	ग्रीज-वैकर्ट साबू लि०	28-7-72	समनुदान, बट्टा, कटौती आदि देना, एवं पुनर्विक्रिय मूल्य संधारण ।
28.	अमेरिकन यूनीवर्सल इलैक्ट्रिक कं०, लि०	20-9-72	क्षेत्रीय निबंधन, समनुदान, बटटा, कटौती आदि देना एवं पुर्नविक्रिय मूल्य संधारण ।

टिप्पणीः—(1) क्रम सं० 1 से 16—एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा जांच प्रवर्तमान थी ।

(2) क्रम सं० 17 से 24—एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा 31-10-74 तक जांच प्रारम्भ नहीं की गई थी ।

(3) क्रम सं० 25 से 28—आयोग ने जांच के पश्चात् अन्तिम आदेश पारित कर दिये (केवल क्रम सं० 28 के मामले को छोड़कर, जिसके आदेश 1-11-74 को पारित किये गये थे ।)

श्री शक्ति कुमार सरकार : निर्बन्धकारी व्यापार प्रथाओं की प्रकृति के बारे में दिए गए अधिकांश उत्तर स्पष्ट नहीं हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 'क्षेत्रीय प्रतिबन्ध' तथा अनन्य 'व्यवहार' का, जिनका वक्तव्य में लगभग सभी उपक्रमों के मामले में उल्लेख किया गया है ? क्या मंत्री महोदय हमारी सुविधा के लिए इसे स्पष्ट करेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : ये तो निर्माताओं और वितरकों के बीच के मामले हैं । जब वे क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाते हैं कि कोई किसी विशेष क्षेत्र के बाहर विक्रय नहीं करेगा या वे यह कहते हैं कि आप अमुक निर्माताओं के सामान के अतिरिक्त किसी अन्य निर्माता का सामान नहीं बेचेंगे, तो हम इसे अनन्य व्यवहार कहते हैं ।

श्री शक्ति कुमार सरकार : एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया देश भर में वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा उद्योगों के विकास के लिए एकाधिकार गृहों पर प्रतिबन्ध लगाता है । लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को छोड़कर कुछ राज्य सरकारों को उचित छूट दी गई है । क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल में उद्योग के विकास तथा विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है जैसा कि कुछ दिन पहले वाणिज्य मण्डल में मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया था ?

श्री बेदव्रत बरुआ : हमने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक एकाधिकार गृहों से प्राप्त आवेदन पत्रों का सम्बन्ध है उन पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वक्तव्य में केवल उन्हीं 28 मामलों का उल्लेख है जो 31 अक्तूबर तक आयोग के पास भेजे गये थे । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन 28 मामलों के अतिरिक्त आयोग ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसे की गई सीधी शिकायतों के आधार पर आयोग द्वारा कितने मामलों पर विचार किया जा रहा है क्योंकि मुझे पता चला है कि ये सभी 28 मामले पंजीयक द्वारा दिए गये आवेदन पत्रों के आधार पर ही हैं । मुझे ऐसे किसी मामले का पता नहीं है जो स्वयं के प्रस्ताव पर या आयोग को की गई सीधी शिकायतों के आधार पर है । क्या 1974 के दौरान ऐसा कोई मामला आया था और यदि हां, तो आयोग द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या उसे की गई शिकायतों के आधार पर कितने मामलों पर विचार किया गया था ।

दूसरे, अपने वक्तव्य में आपने कहा है कि जांच करने के बाद ही अन्तिम आदेश दिए जाते हैं । मान लो कि अन्तिम आदेश में इन कम्पनियों या किसी कम्पनी को निर्बन्धकारी व्यापार प्रथाओं का दोषी बताया जाता है और यदि उन्हें ऐसी प्रथा बन्द करने का आदेश दिया जाता है लेकिन वह ऐसा करने से इन्कार करती है तो वर्तमान अधिनियम में इसका क्या उपाय है, उस कम्पनी को क्या दण्ड दिया जा सकता है या इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी को जो निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया की दोषी पाई गई है क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री बेदव्रत बरुआ : माननीय सदस्य को कुछ अग्रिम सूचना देनी चाहिए । हमने 31 अक्तूबर तक 28 मामले भेजे हैं । पंजीयक ने फरवरी के अन्त तक 36 मामले दर्ज किए थे । एकाधिकार आयोग द्वारा कुल 49 मामलों पर विचार किया जा रहा है । इससे स्पष्ट है कि 13 मामले या तो स्वयं के प्रस्ताव के आधार पर हैं या शिकायतों के आधार पर हैं । इन 13 मामलों का मेरे पास कोई विस्तृत विवरण नहीं है ।

माननीय सदस्य के अन्य प्रश्न के बारे में, जबकि एकाधिकार आयोग द्वारा अन्तिम आदेश दिए जाते हैं, और यदि कोई कम्पनी अन्तिम आदेशों का पालन नहीं करती है, तो अधिनियम में 6 महीने के कारागार या 5,000 रुपये तक जुर्माना करने की व्यवस्था है । अब तक सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां कि किसी कम्पनी ने आयोग के आदेश का उल्लंघन किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उत्तर स्पष्ट नहीं है । उनके कहने का यह अर्थ है कि जिन मामलों में किसी कम्पनी को किसी विशेष निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रिया बन्द करने के आदेश दिए गये हैं उन सभी मामलों में उस आदेश का पालन किया गया है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : जी हां, मेरी इतनी ही सूचना है । यदि किसी ने आदेश का पालन नहीं किया है तो मैं अचानक कुछ नहीं कह सकता । सरकार या आयोग के ध्यान में आदेश उल्लंघन का कोई मामला नहीं आया है । (व्यवधान) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इसका अभिप्राय यह है कि आयोग के आदेशों के फलस्वरूप निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रियाएं बन्द कर दी गई है ? चोरी-छुपे व्यापार क्या है ? सारा देश इसे जानता है ।

श्री एच० आर० गोखले : यहां चोरी-छुपा कोई मामला नहीं है । कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत दो दिन के भीतर कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है । जब स्वयं के प्रस्ताव पर या पंजीयक की शिकायत पर या उपभोक्ताओं की शिकायत पर कोई मामला दर्ज किया जाना है तो एकाधिकार निर्बन्धकारी और व्यापार प्रक्रियाएं आयोग इन शिकायतों की जांच करता है मानों कि यह इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधीकरण है । जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रत्येक समझौता पंजीकृत किया जाना होता है । और समझौते को पंजीकृत न किया जाना भी अपराध है । हजारों समझौते पहले ही पंजीकृत किये जा चुके हैं और उनकी जांच हो रही है । जिन समझौतों की जांच पूरी हो गई है उनके सम्बन्ध में यदि एकाधिकार आयोग के पास शिकायतें की गई हैं तो उनके दो निष्कर्ष निकल सकते हैं । एक सम्पूर्ण समझौता ही खराब है । इसका यह तात्पर्य है कि यह निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा है । उसे समाप्त करने या रोकने के आदेश जारी किए जा सकते हैं अर्थात् इस समझौते को लागू नहीं करो । यदि इस आदेश के जारी होने के बाद समझौता लागू किया जाता है, तो यह अपराध है और मुकदमा चलाया जा सकता है । दूसरे सम्पूर्ण समझौते को 'समाप्त तथा उस पर रोक' नहीं लगाई जाती, लेकिन एकाधिकार आयोग यह कह सकता है कि समझौते का अमुक अनुच्छेद निर्बन्धात्मक है और इसे इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए और तभी समझौते को लागू किया जा सकता है । यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाये तो यह अपराध है और इसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है । जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है अब तक 9 मामले निपटा दिये गए हैं । इन 9 मामलों में या तो 'सीज एण्ड डेसिस्ट' के आदेश या समझौते में संशोधन करने के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है । अतः यहां मुकदमा चलाने का प्रश्न नहीं उठता । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि भविष्य में यदि एकाधिकार आयोग द्वारा जांच पूरी किए जाने के बाद आदेश के उल्लंघन किए जाने का पता चला तो मुकदमा चलाया जायेगा ।

श्री बी० के० दास चौधरी : श्री इन्द्रजीत गुप्त का प्रश्न है कि कौन से 9 मामले निपटाये गये हैं । हमें इसका वक्तव्य से पता नहीं चला है । क्योंकि वहां निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा की प्रकृति संक्षेप में दी गई है । मद एक में टायर कम्पनियों का मामला है जिन्होंने अपना एक न्यास या दल

बनाया है । उनके विक्रय मूल्य वही होंगे जो वे आपस में सहमत होकर निर्धारित करेंगे । ऐसी ही स्थिति लैम्प कम्पनियों तथा अन्य कम्पनियों की है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग के ध्यान में लायी गयी है कि ये मामले 1971 से अनिर्णीत पड़े हैं ? आयोग को इन विवादों को हल करने में कितना समय लेगा और यह इन कम्पनियों को अपना न्यास या दल बनाने तथा टायरों के मूल्य बढ़ाने और अधिकतम मुनाफा कमाने की कब तक अनुमति देता रहेगा ? लेम्प कम्पनी तथा ग्रामोफोन कम्पनी का भी ऐसा ही मामला है । इतना अधिक समय क्यों नष्ट किया गया और इन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है ?

श्री बेदव्रत बरूआ : जहां तक निर्बन्धकारी प्रथाओं का सम्बन्ध है, आयोग को पूर्ण शक्ति प्राप्त है और सरकार उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । कार्यवाहियां सिविल प्रक्रिया संहिता पर आधारित हैं । इसने समय लगाया है और हमने भी इस पर ध्यान दिया है । लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

जहां तक 9 मामलों का सम्बन्ध है मैं उनका ब्यौरा दे सकता हूं जहां कि मामले निपटाये गये हैं । उनमें से एक है हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स ।

श्री एच० आर० गोखले : आप केवल क्रम संख्या ही दें ।

श्री बेदव्रत बरूआ : मद संख्या 3, 9, 15, 17, 24, 25, 26, 27 और 28 के मामले निपटा दिये गये हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि इस विधान की महत्ता का सरकार तथा एकाधिकार आयोग को पूर्ण ज्ञान है । कृपया आप निर्बन्धकारी व्यापार प्रक्रियाओं की, जिसके बारे में शिकायतें की गई हैं, प्रकृति की जांच करें । 1971 से जांच अनिर्णीत पड़ी है । यह कहना बहुत आसान है कि आयोग को अपनी प्रक्रिया का स्वयं निश्चय करना चाहिए और वह कितना समय लेगा । क्या आयोग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ? गत 1971 और 1972 से अवैध प्रक्रियाएं निरन्तर चल रही हैं ।1971-72 से ये गैर-कानूनी प्रक्रियायें चल रही हैं और 4 वर्षों से ये लम्बित पड़ी हुई हैं । किस गति से मामले का निर्णय किया जायेगा, यह निर्णय करना आयोग का काम है क्योंकि रजिस्ट्रार ने इन आपत्तिजनक तथ गैर-कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में प्रथम दृष्टया मामला बनाया है । अर्थ-व्यवस्था तथा देश को इससे हानि हो रही है और सरकार कहती है कि आयोग निर्णय करेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री एच आर० गोखले :विलम्ब का कारण यह नहीं है कि एकाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कम है । वास्तव में हमारा अनुभव यह है कि वे अब निर्बन्धकारी व्यापार के अधिकाधिक मामले अपने हाथ में ले रहे हैं । उनके पास मामलों तथा समझौतों को निपटाने के लिए काफी समय है । इन मामलों की तीव्रता से जांच की जाती है और शिकायतें दर्ज की जा रही हैं । माननीय सदस्य स्वयं अच्छे वकील हैं । विलम्ब का यही मुख्य कारण है । जिस मामले पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है, उसमें पहले साक्ष्य लिया जाता है, फिर अन्तरिम चरण होता है, पक्ष उच्च न्यायालय जाते हैं और स्थगन आदेश प्राप्त करते हैं फिर अन्तिम आदेश होता है और फिर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील होती है । ये सभी विलम्ब के कारण हैं ।

श्री मोहन धारिया :आपकी अनुमति से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

सरकार ने यह कानून देश में बढ़ती हुई एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को समाप्त करने तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं को बन्द करने के लिए लागू किया था । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा उठाये गए कदम प्रभावी सिद्ध नहीं हुए ? और यह सुनिश्चित करने के लिए, यह कानून प्रभावी ढंग से लागू हो मंत्रालय क्या कर रहा है ? एकाधिकारी बढ़ रहे हैं । प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं पनप रही हैं और सरकार द्वारा दिए गए सभी आश्वासन दिन-प्रतिदिन निरर्थक सिद्ध हो रहे हैं । क्या माननीय मंत्री सभा में आश्वासन देंगे कि वह तत्काल कदम उठायेंगे ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं इस सभा तथा राज्य सभा में भी कह चुका हूं कि अधिनियम में कुछ त्रुटियां हैं जो कभी-कभी बाधक बन जाती हैं । अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने की बात से मैं सहमत हूं । इसलिए अधिनियम में संशोधन करने के लिए हम एक विधेयक ला रहे हैं । उद्यमों को अलग करने के लिए हमें अधिनियम में कठिनाई होती है, इसलिए हम अधिनियम की धारा 27 को संशोधित करने के लिए हम एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ।

मैं इस आशय से अक्षमता की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं एकाधिकार आयोग को इन मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए नहीं कह सकता । वास्तविकता यह है कि हम उनसे बार-बार अनुरोध कर रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूं वे बहुत ही प्रभावी ढंग से इन मामलों को निपटा रहे हैं । किन्तु जहां कहीं न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया सामने आती है तो हम असहाय हो जाते हैं क्योंकि न्यायालय बीच में आ जाते हैं और एकाधिकार आयोग के समक्ष चल रही कार्यवाहियों को रोक देते हैं ।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने लिए कि अधिनियम के उपबन्ध पूरी तरह कार्यान्वित हों, भरसक प्रयास करेंगे ।

Disposal of Assets by Burmah Shell to Dealers

*** 637. Shri Shrikrishna Agrawal :**

Shrimati Roza Vidya Dhar Deshpande:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether the Burmah Shell are disposing of its property and asking its dealers to purchase equipment like tanks and pipes on the threat of with-holding the supply of petrol and petroleum products;

(b) whether Government have made an assessment of the assets of the company;

(c) what is the present stage of negotiations of its take-over by Government; and

(d) whether Government had issued directions to the company not to dispose of its assets and facilities till the negotiations for its take-over are completed ? if so, the facts thereof ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकार ने इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं कि बर्मा शैल कम्पनी द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों पर टैंक, पाइप आदि

जैसे सुविधाओं की खरीद करने के लिए कम्पनी अपने डीलरों पर दवाब डाल रही है । सरकार ने बर्मा शैल से इस मामले के बारे में पूछा है । उनको सलाह दी गई है कि उन्होंने अपने डीलरों के साथ कोई संविदा समाप्त नहीं किया है । अथवा सप्लाई को निलम्बित नहीं किया है क्योंकि फुटकर पम्पों पर स्थापित सुविधाओं तथा परिसम्पत्तियों को लेने के डीलर इच्छुक नहीं थे । बर्मा शैल ने आगे सूचित किया है कि वे एक पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं । जिसके अनुसार पार्टी की स्वेच्छा से दी गई स्वीकृति को बिक्री करने से पूर्व ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) और (ग) इस स्तर पर विचार-विमर्श के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है ।

(घ) सरकार ने बर्मा शैल को सलाह दी है कि वे अपने परिसम्पत्तियों और सुविधाओं को बेचने अथवा उनका निपटान, विशेषकर इस समय जबकि विचार-विमर्श चालू है, न करें ।

Shri Shrikrishna Agrawal: Mr. Speakeı first of all I want to submit that I gave the notice of this Question in Hindi but the reply has been given in English and it is regrettable that Shri Malviya read the reply in English.

Mr. Speaker: Have you followed his ıeply.

Shri Shrikrishna Agrawal: Yes Sir, I have. I want to know whether Government propose to take over Burmah Shell ?

Shri K. D. Malviya: As I have said Government is considering the question to take over this Company and as soon as any decision is taken the House will be informed accordingly.

श्री राजा कुलकर्णी : क्या सरकार को कुकिंग गैस के सम्बन्ध में भी बर्मा शैल के डीलरों से कोई अभ्यावेदन मिला है और क्या इस गैस की डीलरशिप को बेचने के सम्बन्ध में बर्मा शैल के अधिकारियों द्वारा सरकार पर डाले गए दबाव सम्बन्धी अभ्यावेदन का अध्ययन कर लिया गया है ?

श्री के०डी० मालवीय : श्रीमान्, गैस-एल० पी० जी० के सम्बन्ध में पेट्रोलियम डीलर्ज एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है किन्तु यह सही है कि पेट्रोलियम डीलर्ज एसोसिएशन ने सरकार के पास अभ्यावेदन भेजा है किन्तु बर्मा शैल को कहा गया है कि वह अपनी सम्पत्ति न बेचे ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने अभी उत्तर दिया है कि बर्मा शैल को अनुदेश दिया गया है कि वे अपनी सम्पत्ति न बेचें । मैं जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि, वे अपनी सम्पत्ति या आस्तियां न बेचें, क्या कोई सूचना दी गई है या कुछ प्रभावी कदम उठाये गए हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार पूरी तरह सतर्क है कि बर्मा शैल अपनी सम्पत्ति न बेचे । किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि सम्पत्ति बर्मा शैल की है । हम केवल इतना कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा न करने की सलाह दें ।

राष्ट्रीयकरण या किसी अन्य व्यवस्था के बारे में बर्मा शैल से बातचीत चल रही है और इसलिए हमने उन्हें सलाह दी है कि जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती वे अपनी सम्पत्ति न बेचें ।

श्री समर गुह : सम्पत्ति के मालिक की हमेशा ही यह प्रवृत्ति रहती है कि वह राष्ट्रीयकरण से पहले अपनी सम्पत्ति बेच डाले ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिये ।

श्री समर गुह : आपने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : आप जानते ही हैं कि इस मामले पर सरकार की सलाह की उपेक्षा करने के क्या परिमाण होंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ने उन्हें अपनी सम्पत्ति न बेचने की सलाह दी है । किन्तु हमारा अतीत का अनुभव यह है कि ऐसी कम्पनियों ने पहले ही आधी सम्पत्ति ठिकाने लगा दी । सरकार इसे रोक नहीं पाई । बर्मा शैल को अपनी सम्पत्ति न बेचने की सलाह देने के अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने और क्या उपाय किए हैं । क्या मामला पुलिस अधिकारियों या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है जो कि जांच करके सम्पत्तियों की सूचियां तैयार करे ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे अपनी सम्पत्ति न बेच पाएं ।

लिमिटेड कम्पनी के संगठन और कार्य को गैर-पूंजीवादी बनाने की कार्यवाही

*638. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिमिटेड कम्पनी के नैगय स्वरुप को समाजवादी समाज के लक्ष्यों को पूरा करने वाला बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) लिमिटेड कम्पनी के गठन और कार्य को गैर-पूंजीवादी बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध जिसमें संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्तों के समाविष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उल्लिखित अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है किसी अन्य विधायी उपायों की तरह, कार्यान्वित करती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के यथा संशोधित 1974 के संशोधन अधिनियम, द्वारा उपबन्ध इस प्रकार से बनाए गए हैं कि समाज की समाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के व्यापारिक संचक्र के पालन करने की नैगम पद्धति को सुनिश्चित किया जाये ।

(ख) "लिमिटेड कम्पनी" की संकल्पना बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के हित में समाज के औद्योगिक संगठन हेतु पूंजी के बड़े समूह को समर्थ करने के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत की गई है । कानून व्यापारिक उपक्रम को यह सुनिश्चित करने की दिशा में परिचालित करता है कि यह उस प्रक्रिया में नहीं हो जो लोकहित के विरुद्ध न हो । केन्द्रीय सरकार उसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रदत्त किये गए विशेषतः प्रबन्धकीय पारिश्रमिक और नियुक्तियों, अन्तःनिगम ऋण और निवेश तथा व्यापारिक उद्यमों के संयुक्त स्टाक पद्धति में अन्तर्निहित पूंजीतंत्रीय अहित को कम करने सम्बन्धी कार्यों को करती है ।

श्री बी० बी० नायक : श्रीमान, आपकी अनुमति से .....

अध्यक्ष महोदय : कृपया अनुपूरक प्रश्न इतना लम्बा मत पूछिये । केवल एक मिनट रह गया है । आप आधे मिनट में इसे पूछ डालिये ।

श्री बी० बी० नायक : क्या मंत्री महोदय ने भारतीय न्यासिता के सम्बन्ध में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के गैर-सरकारी विधेयक को पढ़ा है, जिसमें उन्होंने एक सुझाव दिया है कि न्यासिता के गांधी-वादी सिद्धान्त के अनुसार किसी कम्पनी को स्वेच्छा से न्यासी बनने के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए । यह अच्छा विधेयक है, अन्य बातों पर चर्चा विधेयक पर चर्चा के दौरान हो सकती है । क्या आप इस बात से सहमत हैं ?

श्री बेदव्रत बरूआ : मैं विधेयक को देखे बिना कुछ नहीं कह सकता कि विधेयक कैसा है ।

श्री बी० बी० नायक : क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री बेदव्रत बरुआ : अवश्य ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली से राजकोट-जामनगर तक सीधी रेलगाड़ी

*630. **श्री एन० आर वेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में दिल्ली से राजकोट-जामनगर तक के लिये सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं । यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के अलावा मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता के अभाव में और दिल्ली स्टेशन पर अपेक्षित टर्मिनल सुविधाएं न होने के कारण दिल्ली और राजकोट/जामनगर के बीच एक सीधी गाड़ी का चलाया जाना परि-चालनिक दृष्टि से भी व्यावहारिक नहीं है ।

ऐनहाईड्रोकस एमोनिया का उत्पादन करने वाले एकक

*632. **श्री प्रियरंजन दास मंशी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में ऐनहाईड्रोकस एमोनिया का उत्पादन कितने एककों में होता है, उनके नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उनके वास्तविक उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ख) उन एककों के नाम क्या हैं जो ऐनहाईड्रोकस एमोनिया बनाने में विलायक नेफ्था अथवा कोयला या दोनों के मिश्रण का उपयोग करते हैं और एमोनिया के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत कोयले/विलायक नेफ्था पर आधारित होता है; और

(ग) विलायक नेफ्था अथवा कोयले से बनने वाली एमोनिया गैस की उत्पादन लागत क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9419/75]

कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 5 और 6 को छोटा करने का प्रस्ताव

*633. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 5 और 6 को छोटा करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम की अनुसूची 5 को छोटा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जहां तक अनुसूची 6 का सम्बन्ध है, मात्रा मूलक सूचना के प्रस्तुतीकरण के विषय में 1973 में यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम के भाग 2 की अनुसूची 6 के उपबन्धों के अनुपालन करने में, निर्यात अभिस्थापना को शामिल करते हुए काफी कम्पनियों ने कठिनाइयां अभिव्यक्त की हैं । ये अभ्यावेदन सरकार की परीक्षान्तर्गत है ।

Stalls and Trolleys in Bombay Division

*636. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether departmental stalls and trolleys are being run at several stations of Bombay Division of Western and Central Railways:

(b) if so, whether contracts have been given to private contractors also for running stalls at those stations;

(c) whether some Members of Parliament have made complaints about large scale irregularities being committed by the contractors in both the Divisions; and

(d) if so, the nature of the complaints made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) Yes, Sir.

(d) The complaints were regarding subletting, non-allotment of contract to co-operative societies and certain contractors showing less sales.

दिल्ली को महानगरों के साथ जोड़ने वाली विशेष रेल गाड़ियां

*639. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को देश के महानगरों से जोड़ने के लिये पहले की अपेक्षा शीघ्र पहुंचने वाली विशेष रेल सेवायें आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सामान्य द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए अधिक स्थान सुनिश्चित करने हेतु कौन से विशेष उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां । अगली गर्मियों में यातायात की अतिरिक्त भीड़ की ढुलाई करने के लिए नयी दिल्ली और मद्रास के बीच लगभग 13 जोड़ी छुट्टी स्पेशल गाड़ियां, नयी दिल्ली होकर बम्बई सेन्ट्रल और जम्मू तवी के बीच 7 जोड़ी गाड़ियां और बम्बई सेन्ट्रल और नयी दिल्ली के बीच दो जोड़ी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है, बशर्ते इनके लिए यातायात उपलब्ध हो । नयी दिल्ली-मद्रास और बम्बई सेन्ट्रल-जम्मू तवी स्पेशल गाड़ियां सप्ताह में एक बार चलायी जायेंगी । ये सभी स्पेशल गाड़ियां डीजल इंजनों से चलायी जायेंगी और बंधे-बंधाये समय पर चलेंगी ।

(ग) इन स्पेशल गाड़ियों में दूसरा दर्जा एवं सामानयान तथा ब्रेकयान के अलावा प्रत्येक में दूसरे दर्जे के 9 सवारी डिब्बे होंगे ।

वर्ष 1975-76 कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

*640. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1975-76 के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कर्नाटक में उक्त संयंत्र किस-किस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे और इनके लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) रामागुण्डम, तालचर और कोरबा में तीन वृहदाकार कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र इस समय कार्यान्वियनाधीन हैं । इनमें से प्रत्येक संयंत्र की प्रति वर्ष 228,000 मी० टन नाइट्रोजन का निर्माण करने की क्षमता होगी और प्रति वर्ष हर एक को लगभग 1 मिलियन मी० टन कोयले की आवश्यकता होगी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में कोयले पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने के लिए उर्वरक कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं है ।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष 160,000 मी० टन नाइट्रोजन का निर्माण करने की क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र की संरचना की अन्तिम अवस्था में है । यह प्रायोजना फीड स्टाक के रूप में नेफ्था पर आधारित है । इस प्रायोजना पर लगभग 68 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

पटना स्टेशन पर बिना-टिकट यात्रा करने वालों को रोकने के लिए किये गये उपाय

*641. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों को जाने से रोकने के लिये अतिरिक्त उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या पटना से पूरे तीस मील तक अप और डाउन रेलवे लाइन के साथ-साथ विशेष रुकावटी जंगले (बैरीकेड) लगाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फाटकों पर टिकट जांच कर्मचारियों को तैनात करके टिकटों की जांच करने के सामान्य उपायों के अलावा कोई अन्य उपाय रेलों द्वारा नहीं किये गये हैं ।

(ख) रेलों द्वारा इस तरह की कोई विशेष बाड़ नहीं लगायी गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गंधक के तेजाब का आयात

*642. **श्री चौधरी दलीप सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय गंधक के तेजाब के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है तथा यदि सलादीपुरा पाइराइट परियोजना के सर्वेक्षण की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये तो इसकी कितनी बचत हो सकने का सरकार का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : जब वाणिज्यिक श्रेणी की सलफ्यूरिक ऐसिड का आयात नहीं किया जाता है तब सलफ्यूरिक एसिड का निर्माण करने के लिए अपेक्षित सल्फर का देश में आयात किया जाता है । पाइराइट्स फोस्फेट एण्ड केमिकल्स लि० द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार सलादीपुर के पाइराइट्स भण्डारों से प्रतिवर्ष 6 लाख मी० टन का निर्माण करने की क्षमता वाले सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र को चालू रखा जा सकता है ।

6 लाख मी० टन प्रति वर्ष सलफ्यूरिक एसिड का निर्माण करने के लिए अपेक्षित सल्फर के वर्तमान व्यय के अनुसार सलफ्यूरिक एसिड का निर्माण करने के वास्ते सल्फर के बजाय पाइराइट्स के इस्तेमाल से बचत होने वाली विदेशी मुद्रा लगभग 15 करोड़ रुपये होगी ।

मैसर्स मर्क शार्प एंड डोह्मे को कच्चा माल आयात करने के लिए अनुमति देना

*643. **श्री के०एम० 'मधुकर'** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मर्क शार्प एण्ड डोह्मे, एक बिदेशी कम्पनी को फार्म्यूलेशन बनाने के काम में प्रयोग होने वाले आधारभूत कच्चे माल का आयात अपनी मुख्य कम्पनी (प्रिंसिपल) से करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा कारण क्या हैं; और

(ग) क्या किसी भी भारतीय कम्पनी का इन वस्तुओं का निर्माण करने का प्रस्ताव था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मैसर्स एम० एस० डी० (इण्डिया) मेथिल डोपा और इण्डो मेथमिन अर्थात एलडोमेट और इनोसिड

कैफ़्लस के सबसे बड़े निर्माता हैं । इन दोनों प्रपुंज औषधों का आयात 1973-74 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया गया था । मैसर्स मर्कशाप और धोमें ने सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रचलित रुपये क्षेत्र से इन दो प्रपुंज औषधों के आयात को स्वीकार नहीं किया कि इस मामले में इन कारणों से वह सिर्फ अपनी मुख्य फर्मों द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों का प्रयोग करेगी । बहुत से चिकित्सकों ने इनकी फर्मों और इनकी पर्याप्त उपलब्धता का महत्व के सम्बन्ध में लिखा है ऊपरलिखित दो आवश्यक जीवन रक्षक औषधों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने इन औषधों की कुछ मात्रा को मैसर्स मर्कशार्प और डोहमें की मुख्य फर्मों से जरे संयुक्त राज्य अमरीका में स्थित है आयात करना स्वीकार कर लिया है इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लि० को किसी प्रकार के मिथाइल डोपा और इण्डो मेथासिन के सूत्रयोगों के निर्माण करनें के लिए कहा गया है जो जून 1975 तक उपलब्ध हो जायेंगे । राज्य व्यापार निगम हंगरी से मिथाइल डोपा और आई०डी०पी०एल० तथा अन्यों के लिए पोलैण्ड से इण्डो मेथासिन आयात करेगा केवल मैसर्स एम० एस० डी० की मुख्य फर्मों से काम-चलाऊ व्यवस्था के रूप में अन्तरिम अवधि के लिए थोड़ी मात्रा का आयात किए जाने की अनुमति दी गई है । आई० डी० पी० एल० के और औषध उद्योगों के भारतीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई थी ताकि वे इन दो औषधों के सूत्रयोगों को तैयार करें ।

(ग) प्रपुंज औषध और उनके सूत्रयोगों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है :—

I. मिथाइल डोपा	1. मैसर्स सुनीता लेबोरेटरीज
	2. आई० डी० पी० एल०
	3. मैसर्स थेमिस केमिकल्स लि०
II. इण्डो मेथासिन	1. आई० डी० पी० एल०
	2. थेमिस केमिकल्स लि०

डी० बी० के० रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण कार्य

*644. **श्री के० प्रधानी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० बी० के० रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस कार्य पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस खण्ड पर बिजलीकरण के काम की प्रगति 30 प्रतिशत हुई है ।

(ख) इसे 1977-78 में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

(ग) 31-3-1975 तक लगभग 10.8 करोड़ रुपये खर्च हुए ।

औषधियों के ब्राण्ड नामों को समाप्त करने के बारे में भेषज (फर्मास्युटिकल्स) संगठनों की प्रतिक्रिया

*645. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज उद्योग के शक्तिशाली क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले तीन संगठनों ने हाथी समिति की सिफारिशों के अनुसार 13 औषधियों के ब्राण्ड नामों को समाप्त करने के विरुद्ध रोष प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके तर्क क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति की "आवश्यक औषधों तथा आम घरेलू दवाइयों को आम जनता" विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता, को उपलब्ध कराने सम्बन्धी उपायों के बारे में रिपोर्ट, जिसमें ब्राण्ड नामों का जातीय नामों से प्रतिस्थापन का कार्य भी सम्मिलित है, 4 मार्च, 1975 को सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी गई थी।

अपना निर्णय देते समय समिति ने इण्डियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चरर एसोसियेशन, आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल्ज़ प्रोड्यूसर्स आफ इण्डिया, आल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, आदि सहित, समस्त सम्बन्धितों द्वारा ब्राण्ड नामों के जातीय नामों से प्रतिस्थापन के बारे में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखा था।

इस समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ब्राण्ड नामों के उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए, हाथी समिति ने प्रतिष्ठित चिकित्सकों के एक पैनल की स्थापना की थी तथा इस समिति ने उस पैनल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को मोटे रूप में स्वीकार कर लिया है हाल ही में देश में उनके अभिसम्मेलन हुए थे जिनमें प्रतिष्ठित चिकित्सकों तथा समाज सेवकों ने भाग लिया था और इसमें भी ब्राण्ड नामों का चरणबद्ध रूप में उन्मूलन करने का समर्थन किया गया था।

Office Bearers of INTUC—led Union treated on duty though absent

*646. **Shri Madhavrao Scindia :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Railway circular appearing in the newspapers published from Bombay in which it has been stated by the Personnel Officer of Matunga Railway Workshop that the railway employees who are the office-bearers of the INTUC Union may be treated on duty for the day on which they were absent; and

(b) the full facts thereof and the action taken against the officer responsible for adopting discriminatory policy in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) Four employees, two of them Shop Superintendents and two other subordinate staff, were kept on special duty by the then Dy. Chief Mechanical Engineer Matunga Workshops during May 1974 strike. Their duty was to contact staff and ward off any fear amongst staff due to intimidation. The period for which their services were utilised by the Administration had, therefore, to be treated as on duty as a special case. It happened that these employees belonged to INTUC but it has also to be said that they came forward for this purpose, in spite of the tense situation prevailing at that time.

रेलवे यार्डों में होने वाली अपराध घटनाओं के कारण हानि

*647. **श्री के० चिक्कलिंगैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में वर्षवार रेलवे यार्डों पर होने वाली अपराध घटनाओं, जिनमें चोरी भी शामिल है, के कारण सरकार को कितनी राशि की हानि उठानी पड़ी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : यार्डों में चोरियों सहित अपराध की घटनाओं के कारण रेलों को वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः 9.54, 9.13 और 9.84 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल विकास के लिए मुख्य मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल

6078. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के तत्कालीन राज्यपाल श्री बी० के० नेहरू के नेतृत्व में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमण्डल 1973 में कभी प्रधान मंत्री से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने उक्त प्रतिनिधिमण्डल को पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल विकास के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा उस क्षेत्र की रेल तथा अन्य संचार आवश्यकताओं के बारे में सर्वांगीण सर्वेक्षण करने का आश्वासन दिया था और कहा था कि परियोजना लागत का अनुमान लगाया जायेगा तथा राशि उपलब्ध की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या अभी तक कोई सर्वेक्षण कराया गया है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या परियोजनाएं ली गई हैं और वर्ष 1975-76 के बजट में इन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) 13 सितम्बर, 1973 को नयी दिल्ली में प्रधान मंत्री के साथ हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक के लिये गये निर्णय के अनुसरण में रेलों के उत्तर पूर्वी परिषद् की लागत पर निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण शुरू किये हैं । ये सर्वेक्षण अभी पूरे किये जाने हैं ।

1. पंचरत्नघाट-दुधनयी-दारनगीरी,
2. गौहाटी-बर्नीहाट,
3. लालाघाट-सैरंग,
4. रंगपाड़ा बालीपाड़ा-भालुकपुंग,
5. टिपलिंग-इटानगर,
6. मुरकोंगसेलेक-पासीघाट,
7. गौहाटी-दुधनयी ।

सर्वेक्षण रिपोर्टों के मिल जाने और उनकी जांच कर लेने के बाद इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा ।

औषधियों के कच्चे माल के मूल्यों को कम करने का प्रस्ताव

6079. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा पूल मूल्यों पर अथवा सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेची जाने वाली कुछ औषधियों के कच्चे माल के मूल्यों को

कम करने का है; यदि हां, तो इन उत्पादों के नाम क्या हैं; इनके वर्तमान मूल्य क्या हैं और मूल्यों में प्रस्तावित कमी/वृद्धि क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या आयातित माल के मूल्यों के बारे में राज्य व्यापार निगम ने उनके मंत्रालय की अवज्ञा की है और गलतबयानी की है तथा उसके सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय क्षेत्र के लिये मूल्य नियंत्रण हटाने का है जैसा कि कारों, वनस्पति तेल और अन्य उत्पादों के मामले में किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित की वितरित प्रपुंज औषधों/औषध मध्यवर्ती पदार्थों के मूल्य आयात की निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं और निवेदित मूल्य राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त किये जाते हैं । आगामी वित्तीय वर्ष के लिये औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों के मूल्यों को निर्धारित करते समय, वास्तविक रूप से आयातित माल के प्रेषण के मूल्यों से उत्पन्न होने वाले अन्तरों को ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । इन औषध निर्माण एककों को जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनको अपने सूत्रयोगों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करने के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता से पहले ही 6-6-74 से छूट दे दी गई है ।

पंजाब को डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई

6080. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब को गत तिमाही के दौरान डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सप्लाई की गई उक्त मात्रा पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) जी हां । पंजाब राज्य की पिछली तिमाही में, मिट्टी के तेल की पूर्ति निम्न प्रकार की गई है :—

जनवरी 1975	5,324
फरवरी 1975	6,825
*मार्च 1975	3,501

डीजल तेल का आवंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता । फिर भी पंजाब को की गई सप्लाई, साधारण मांग को पूरा करने के लिये काफी है ।

*केवल 15 मार्च तक

राज्यवार आधार पर डीज़ल आयल को कोई आबंटन नहीं किया जाता है । सामान्य मांग को पूरा करने के लिए पंजाब को सप्लाई पर्याप्त मात्रा में की जाती है पंजाब को मिट्टी के तेल का आबंटन अन्य सब राज्य के लिए अनुसरण की जाने वाली नीति के अनुसार नवम्बर, 1974 से किया जाता है । इस अवधि के दौरान पंजाब में इन उत्पादों की कमी के बारे में कोई गम्भीर शिकायत नहीं मिली है ।

भारतीय रेलवे में सहायक अधिकारियों की नियुक्ति

6081. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग के अतिरिक्त अन्य अस्थायी सहायक अधिकारियों को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (श्रेणी एक) में नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या कार्मिक विभाग के अतिरिक्त इन अस्थायी सहायक कर्मचारियों ने कभी कार्मिक विभाग में काम किया है;

(ग) क्या कार्मिक विभाग में इतनी ही सेवावधि अथवा अस्थायी सहायक अधिकारियों से अधिक सेवावधि वाले सहायक कार्मिक अधिकारियों (श्रेणी दो) को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (श्रेणी एक) संवर्ग में नियुक्त करने पर भी विचार किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सहायक कार्मिक अधिकारियों (श्रेणी दो) के अनुभव और विशिष्ट योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (श्रेणी एक) में खपाने का एक प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ अस्थायी अधिकारियों ने कार्मिक विभाग में काम किया है ।

(ग) और (घ) भारतीय रेलवे कार्मिक विभाग की श्रेणी I में, पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे में, समाहित करने के लिए सहायक कार्मिक अधिकारियों (श्रेणी II) के मामलों पर भी विचार किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सार्बिटाल का मूल्य तथा उसका वितरण

6082. **श्री शशि भूषण**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी द्वारा निर्मित सार्बिटाल का बिक्री मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया है;

(ख) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी द्वारा इस उत्पाद का वितरण तथा इसकी बिक्री किस आधार पर की जाती है;

(ग) क्या, जबकि इस उत्पाद का बाजार मूल्य 14 रुपये से 16 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसकी बिक्री 8 रुपये प्रति किलोग्राम पर की जा रही है; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, पिम्परी के सम्बद्ध उच्च अधिकारियों को उनकी असफलताओं के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

23 LSS/75—3.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कम्पनी ने सार्विटोल पर आधारित अपने उत्पादों के बिक्री मूल्य लागत मूल्यों एवं मैसर्स साराभाई एम० केमिकल्स जो कि एक मात्र देशी निर्माता हैं, द्वारा प्रस्तुत की गई दरों के आधार पर निर्धारित किए हैं।

(ख) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड अपने सार्विटोल वास्तविक उपयोग करने वालों को सीधी बिक्री कर देते हैं।

(ग) एच० ए० एल० के सार्विटोल के समय-समय पर बिक्री मूल्य निम्नलिखित है:—

अवधि	मूल्य प्रति कि० ग्रा०
जून 1973	600 रुपये
फरवरी 1974	800 रुपये
मार्च 1974	1100 रुपये
जून 1974	1200 रुपये

इन मूल्यों में पैकिंग और बिक्री कर सम्मिलित नहीं हैं।

(घ) कम्पनी के निदेशक मण्डल ने उत्पादन में कमी के कारणों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। कम्पनी ने उत्पादन तथा इंजीनियरिंग सेवा मुख्यों को उनकी सेवाओं की शर्तों के अनुसार 14-10-74 से सेवा से हटा दिया है। नये प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए भी कार्यवाही की गई है परन्तु इन कार्यवाहियों का सार्विटोल की बिक्री के साथ सम्बन्ध नहीं है।

SC/ST employees working in Railway Workshops in Madhya Pradesh

+6033. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway (Loco) Workshops in Madhya Pradesh and the locations thereof ;

(b) the number of employees working in each of the Workshop ; and

(c) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in each of the workshop ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) There is no Railway (Loco) Workshop situated in Madhya Pradesh. However, there is one Railway Wagon Repair Workshop located at Raipur in Madhya Pradesh.

(b) The number of employees in this workshop is 1553.

(c) Out of this total of 1553 nos. 217 are Scheduled Caste and 72 Scheduled Tribe employees.

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा अस्वीकृत शल्यक्रिया संबंधी उपकरणों की नीलामी

6084. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के मुख्य बिक्री प्रबन्धक ने मद्रास में बड़ी

संख्या में रद्द किये गये शल्य क्रिया तथा अन्य संबंधित उपकरणों की नीलामी करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री किये जाने वाले प्रत्येक उपकरण की संख्या क्या है; और

(ग) अस्वीकृत उपकरणों को सस्ते मूल्यों पर बाजार में उपलब्ध न होने देने के लिये, जो न केवल अनेक व्यक्तियों का जीवन खतरे में डाल देंगे अपितु इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की किस्म नियंत्रण की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचायेंगे, क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हाल ही में आई०डी०पी०एल० द्वारा, वाणिज्य उपकरण जो 8 वर्षों से ऊपर शल्य उपकरण संयंत्र मद्रास में एकत्र हो रहे थे के साथ साथ अर्ध-तैयार और बहुत संख्या में बहिष्कृत उपकरण के नीलाम के लिए निर्णय लिया गया था। तदनुरूप नीलाम का नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

(ख) प्रस्तावित नीलाम के उपकरण आदि की श्रेणी और मात्राएं नीचे दी गई है :—

	संख्या
(1) द्वितीय तथा वाणिज्य कोटि उपकरण	54,649
(2) *अर्ध तैयार उपकरण तथा विभिन्न चरणों में घटक, जैसे—फोरजिंगम, मशीनरी ग्रांइडिंग आदि	274,811
(3) वहिष्कृत उपकरण तथा घटक . . .	914,882

(ग) प्रस्तावित नीलामी का आयोजन करते समय कम्पनी द्वारा निम्नलिखित निवारक कदम उठाए गए थे :—

(1) ऐसे उपकरण जो फिर काम में लाए जा सकते है और या तो निर्यात आर्डर अथवा देशी आर्डर को पूरा करने के लिए बेचे जा सकते हैं, नीलामी सूची में शामिल नहीं थे;

(2) ऐसे उपकरण जिन पर आई डी पी एल की टिकट छाप थी और जाली के रूप में बाजार में बेचे जाते है या आई डी पी एल उपकरणों के प्रति स्थापित उपकरण सूची में शामिल नहीं थे।

(3) देशी मार्किट में आई डी पी एल द्वारा बेचे गए सभी उपकरणों पर आई डी पी एल की छाप लगी हुई है और तब बेचे जाते हैं जब कम्पनी के मात्रा नियंत्रण विंग द्वारा यथा प्रमाणित है। चूंकि उपकरण जो नीलाम किए जा रहे थे वे निर्माण के विभिन्न स्तरों पर बहिष्कृत थे और उन पर आई डी पी एल की छाप नहीं थी उ... आई डी पी एल के बदले हुए उपकरणों के रूप में बेचे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) न्यूनतम मूल्य कम्पनी के वित्तीय प्रभाग द्वारा निर्धारित किए गए थे, जो उपकरण कोटि नियंत्रण द्वारा बिना तैयार और वहिष्कृत पड़े थे के प्रत्येक स्तर पर कार्य विषय को ध्यान में रख कर कम्पनी को अच्छा लाभ देने को सुनिश्चित करेंगे।

*इन विषयों की नीलामी वजन द्वारा ढेर में की जाएगी।

बालासोर-नीलगिरी रेलवे लाईन पर यात्री यातायात

6085. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि स्टोर चिप ले जाने के लिए बालासोर और नीलगिरी के बीच एक रेलवे लाइन विद्यमान है; और

(ख) क्या उस लाइन पर स्थानीय यात्री रेलगाड़ी चलाना संभव है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में यात्री यातायात होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। यह केवल एक इंजीनियरी साइडिंग है।

(ख) जी नहीं, नीलगिरी साइडिंग यात्री यातायात के लिए नहीं खुला है।

Advertisements to Newspapers in Hindi and English

6086. **Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the number of advertisements given to the various newspapers on behalf of the various departments, offices and corporations of his Ministry during last year ;

(b) the number of advertisement s out of them in English and in Hindi; and

(c) the reasons for which the advertisements given in English were not given in Hindi and the decision taken in regard to the action to be taken by Government in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

उद्योगो की पूंजी पर बी०आई०सी०पी० द्वारा अपनाये गये मानदंड

6087. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी उद्योगों के लिए लगाई गई पूंजी पर बी०आई०सी०पी० द्वारा विचार किया जाता है, यदि हां, तो हाथी समिति ने शेयरहोल्डर पूंजी को आधार के रूप में क्यों माना है ;

(ख) हाथी समिति में मूल्यों संबंधी पत्र किसने प्रस्तुत किया है और क्या यह सच है कि इसी अधिकारी ने विदेशी इक्विटी पूंजी को अपनी अधिकार में लेने का विरोध किया है;

(ग) क्या विदेशी क्षेत्र के पक्ष में समिति की रिपोर्ट को अनुकूल बनाने के लिए ही इन नौकरशाह अधिकारियों को हाथी समिति पर नामांकित किया गया था; और

(घ) क्या सरकार का विचार आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए कम से कम पहले पांच वर्षों के लिए अधिक खपत की जाने वाली औषधियों के मूल्यों के लिए लगाई गई पूंजी को अपनाने और बल्क ड्रग निर्माताओं को खुली छूट देने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सरकार ने औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की थी और सरकार इस पर विचार कर रही है।

(ग) जी नहीं।

सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों की विधवा आश्रित माता तथा बहिनों के लिये पास

6088. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री माता, पिता एवं आश्रित बहनों के लिये पासों के बारे में 25 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति पश्चात् दिये गये पासों में बिधवा/आश्रित माता तथा बहिनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 'परिवार' पद का अभिप्राय पत्नी तथा बच्चों से है और "आश्रित" से विधवा/आश्रित मां, बहिनें और भाई अभिप्रेत हैं। सेवा के दौरान पास परिवार और आश्रित सदस्यों के लिए दिये जाते हैं जबकि सेवानिवृत्ति के बाद पास केवल परिवार के सदस्यों के लिए दिये जाते हैं। यह नियम लम्बे अरसे से लागू है और मौजूदा नियमों में किसी प्रकार के उदारीकरण का औचित्य नहीं है।

वर्ष 1975 के दौरान द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना और उनमें पदोन्नतियां

6089. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने कलेंडर वर्ष 1975 के प्रथम दो महीनों में द्वितीय श्रेणी के किन्हीं दो पदों का दर्जा बढ़ाया और उनमें पदोन्नतियां कीं;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में रेलवे बोर्ड और आर०डी०एस०ओ०, डी०एल०डब्ल्यू०, सी०एल० डब्ल्यू० तथा आई०सी०एफ० में जोनवार किन-किन तथा कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया;

(ग) संदर्भाधीन अवधि में उपर्युक्त निर्दिष्ट यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट में इन पदों का दर्जा बढ़ाये जाने और इनमें पदोन्नति किये जाने के कारण वेतन बिल में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) क्या इस अवधि के दौरान तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में भी पदों का कोई दर्जा बढ़ाया गया या उनमें पदोन्नतियां की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) संबंधित अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे में मण्डल अधीक्षक के एक पद को और पश्चिम रेलवे में संख्यान अधिकारी के एक पद को क्रमशः वरिष्ठ और कनिष्ठ प्रशासी ग्रेडों में प्रवर्तित करने का विनिश्चय किया गया है। लेकिन संख्यान अधिकारी का पद अभी भी भरा नहीं गया है।

(ग) उपर्युक्त दो ग्रेडों के संबंध में 'वेतन के मध्यमान' में अंतर क्रमशः 350 रुपये और 400 रुपये है और, इस लिए, वेतन बिल में मामूली सी वृद्धि हुई है।

(घ) जी नहीं।

आयात किये गये कल पुर्जो की तुलना में स्वदेशी कल पुर्जो का स्तर और कार्यकरण

6090. **श्री भाऊ साहब धामनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल डिब्बों के कल पुर्जों, विद्युत चालित रेलों के कल पुर्जों, सिगनल और दूर-संचार उपकरणों सहित रेल विभाग द्वारा प्रति वर्ष खरीदे जाने वाले भण्डार में आयात किये जाने वाले कल पुर्जों और उपकरणों की तुलना में स्वदेशी सामान की मात्रा की वर्तमान प्रतिशतता कितनी है और उनका मूल्य कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे विभिन्न कल पुर्जों की इस बारे में तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) क्वालिटी और कार्यकरण की दृष्टि से आयातित कल पुर्जों और उपकरणों की तुलना में स्वदेशी कल पुर्जों का स्तर कैसा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1973-74 में चल स्टाक के पुर्जों, बिजली कर्षण की मदों सहित बिजली भंडार, सिगनल तथा दूर संचार उपस्कर की खरीद में आयातित मदों के मुकाबले देशी मदों की मात्रा 72.98 प्रतिशत थी और आयातित सामग्री 27.02 प्रतिशत। देशी पुर्जों का मूल्य 110.28 करोड़ रुपये था और आयातित का 41.17 करोड़ रुपये।

(ख) 1971-72 से लेकर 1973-74 तक कुल खरीद में देशी पुर्जों का प्रतिशत इस प्रकार था :—

पुर्जे	1971-72	1972-73	1973-74
(1) चल स्टाक के पुर्जे, बिजली कर्षण की मदों सहित बिजली भंडार	72.67	70.28	70.78
(2) सिगनल तथा दूर-संचार भंडार . . .	86.5	85.2	96.7

(ग) देश में विकसित पुर्जे आमतौर पर मुकाबले के हैं और अच्छा काम दे रहे हैं लेकिन देशी उत्पादन प्रक्रिया में हमेशा प्रारंभिक कठिनाई होती है जो कि सभी देशी प्रयासों में सामान्य रूप से पायी जाती है और जिसका सामना प्रारंभिक चरणों में करना ही पड़ता है।

दिल्ली मेन स्टेशन पर एक व्यक्ति का गाड़ी के नीचे आ जाना

6091. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1975 में दिल्ली मेन स्टेशन पर एक युवक रेल पटरी पार करते समय गाड़ी के नीचे आकर मर गया था;

(ख) वर्ष 1972, 1973 और 1974 में सब रेलों में इस प्रकार की अलग-अलग कितनी-कितनी घटनाएं हुईं; और

(ग) क्या दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को कोई मुआवजा अथवा अनुग्रह-पूर्वक अनुदान दिया जाता है और यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निर्माताओं के पास वैगनों का स्टाक

6092. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 13 वैगन निर्माता एककों के पास वैगनों का इस समय कितना स्टाक है ;

(ख) रेलवे ने कितने वैगन लिये हैं;

(ग) रेलवे से प्राप्त क्रयादेशों के आधार पर कितने वैगनों का निर्माण किया गया है; और

(घ) वर्तमान स्टाक के संबंध में वैगनों के अन्य खरीदारों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा दिये गये आर्डरों/ठेकों की तुलना में, 1-4-1975 को माल-डिब्बा निर्माताओं के पास लगभग 506 माल-डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) का स्टाक था।

(ख) 1-4-74 से 31-3-75 तक की अवधि के दौरान, रेलों ने लगभग 9287 माल-डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) लिये।

(ग) 1-4-74 से 31-3-75 की अवधि के दौरान, लगभग 9793 माल-डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) का निर्माण किया गया।

(घ) रेल मंत्रालय ही एक मात्र खरीदार है।

आयातित कीटनाशक दवाओं का मूल्य तथा उनकी मात्रा

6093. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 के दौरान कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की कीटनाशक दवाओं का आयात किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : कीटनाशियों का वर्ष 1974-75 में 20,000 मी० टन के अनुसार आयात किए जाने का अनुमान है। जिसका मूल्य 2500 लाख रुपये है।

आसनसोल (पूर्व रेलवे) के टी०टी० आई० की गिरफ्तारी

6094. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए०डी०सी०सी० के महासचिव को जो कि पूर्व रेलवे के आसनसोल में एक टी०टी० आई० हैं, गत रेल हड़ताल से ठीक पहले आसुंका के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया था और वह अभी भी जेल में हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) रेल हड़ताल के संदर्भ में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गयी वह रेल कर्मचारी के रूप में उनकी गतिविधियों के लिए की गयी, चाहे वे किसी भी यूनियन या एसोसिएशन के प्रति निष्ठावान रहे हों। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के एक चल टिकट परीक्षक को 8 अप्रैल, 1974 से आंसुका के अंतर्गत हिरासत में रखा गया था और वह अभी भी हिरासत में है।

Labour disputes pending in High Courts and Supreme Court

†6095. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Phool Chand Verma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narendra Singh :
Shri Hemedra Singh Banera :
Shri Jagannathrao Joshi :
Shri R.V. Swaminathan :

Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of labour disputes pending in the various High Courts and in Supreme Court during the last three years, year-wise;

(b) since when the oldest case is pending in each of the High Courts;

(c) whether special benches are being constituted in the various High Courts and in the Supreme Court to expedite the disposal of labour disputes; and

(d) if not, the steps being taken to dispose of these cases expeditiously ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नई औषधियों के विकास के लिये अनुसंधान एकक

6096. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम लोगों के लिये नई औषधियों का बिकास करने के लिये कुल कितने अनुसंधान एकक स्थापित किये गये हैं और उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) क्या शोध छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की प्रक्रिया में तत्काल आधार पर परिवर्तन करने का भी बिचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है और पंजाब में उस प्रकार के कितने एकक स्थापित किये जाने हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान तथा विकास संयंत्रों की सूची दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन अनुसंधान तथा विकास संयंत्रों के अलावा सी०एस०आई०आर० के अधीन केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है। कुछ प्रमुख अनुसंधान संयंत्रों द्वारा वहन किया गया मूल खर्चा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	संयंत्र का नाम		मूल खर्चा
1.	आई० डी०पी०एल०-ए०बी०पी० ऋषिकेश		90.83 लाख रुपये (31-3-74 तक)
	एस० डी० पी० हैदराबाद		32.85 लाख रुपये (31-3-74 तक)
2.	सीबाजीजी आफ इंडिया लि०		310 लाख रुपये (31-12-74 तक)
3.	हैस्ट	1971	30.34 लाख रुपये
		1972	4.60 लाख रुपये
		1973	9.30 लाख रुपये
4.	साराभाई		लागू नहीं
5.	एच०ए०एल०		32.30 लाख रुपये (31-3-74 तक)

(ख) ऐसी कोई योजना इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) इस समय, पंजाब राज्य में किसी अनुसंधान तथा विकास संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेनबाक्सी प्रयोगशालाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त अनुसंधान तथा विकास संयंत्र है, वे पंजाब में अपने मोहाली स्थित संयंत्र में विभिन्न औषधों के लिए प्रयोगिक संयंत्र पर अध्ययन कर रहे हैं।

विवरण

क्र०सं०	फर्म का नाम तथा पता
1.	बंगाल इम्यूनिटी रीसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता।
2.	कैमिकल इण्डस्ट्रीज एण्ड फार्मास्यूटीकल लैबोरेटरीज़, बम्बई।
3.	सीवा गीगी आफ इण्डिया, बम्बई।
4.	डेज मेडीकल स्टोर्स (निर्माण) प्राइवेट लि० बम्बई।
5.	दी फेयरडील कारपोरेशन (पी०) लि० बम्बई।
6.	गिलैक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लि० बम्बई।
7.	हैस्ट फार्मास्यूटीकल लि० बम्बई।
8.	इण्डिया डेटोनेटर्स लि० हैदराबाद।
9.	विटमन लेबोरेटरीज, थाना।
10.	आर्गेनन इण्डिया लि० कलकत्ता।

क्रम सं०	विवरण
11.	रेनबाक्सी लेबोरेटरीज़ (पी०) लि० नई दिल्ली।
12.	रेपटाकोज ब्रेट एण्ड को लि० बम्बई।
13.	रिचार्ड्सन हिन्दुस्तान लि० थाना।
14.	सैंडोज इण्डिया लि० बम्बई।
15.	साराभाई एम कैमिकल्स प्राइवेट लि० बड़ौदा।
16.	साराभाई रीसर्च सेंटर बड़ौदा।
17.	सरले (इण्डिया) लि०, थाना।
18.	सीनवियोटिक्स लि० बड़ौदा।
19.	यूनीकैम लेबोरेटरीज, बम्बई।
20.	वीथ लेबोरेटरीज़ लि० बम्बई।
21.	आई डी पी एल (सिंथेटिक ड्रग्स) हैदराबाद।
22.	रेलिज इण्डिया लि० बम्बई।
23.	आई डी पी एल (ऐंटीबायोटिक प्लांट) वीरभाद्रा ऋषिकेश।
24.	सुमीता लेबोरेटरीज (पी) लि० इंदौर।
25.	एलेम्बिक कैमिकल वर्क्स को० लि० बड़ौदा।
26.	काडिला लेबोरेटरीज मनीनगर अहमदाबाद।
27.	चौगूली एण्ड को० (हिन्द) प्राइवेट लि० बम्बई।
28.	बूट्स को० (इण्डिया) लि० बम्बई।
29.	कलकत्ता कैमिकल को० लि० कलकत्ता।
30.	दाई-इची करकारिया लि० बम्बई।
31.	अहूरा कैमिकल्स प्राडक्ट्स (पी०) लि० बम्बई।
32.	केमीसिन (पी०) लि० बम्बई।
33.	हाफकिन इन्स्टीट्यूट, बम्बई।

हिन्दुस्तान लीवर के डालडा संयंत्र की मैसर्स पेरुमल एजेन्सीज लिमिटेड द्वारा खरीद

6097. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि राज्य मंत्री ने सभा में दो बार यह बताया है कि मैसर्स पेरुमल एजेंसीज लिमिटेड त्रिची स्थित हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के डालडा संयंत्र को खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के बोर्ड के निदेशकों के नाम क्या हैं और इस कम्पनी में उनकी कितनी-कितनी इक्विटी पूंजी है; और

(ग) क्या मैसर्स पेरुमल एजेंसीज के कुछ प्रमुख व्यक्तियों का संबंध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों से है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) मांगी गई सूचना, कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये गये अपेक्षित अभिलेखों से प्राप्त नहीं होगी।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि

6099. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य से लोक सभा के सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) पांचवें साधारण निर्वाचन के बाद गठित होने वाली लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी; और

(ग) सरकार यह संख्या कब निश्चित करेगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क)

राज्य का नाम	सदस्यों की संख्या में वृद्धि
बिहार	1
महाराष्ट्र	3
पश्चिम बंगाल	2
आन्ध्र प्रदेश	1
मध्य प्रदेश	3
कर्नाटक	1
गुजरात	2
राजस्थान	2
उड़ीसा	1
केरल	1
हरियाणा	1

(ख) लोक सभा के लिए अगला साधारण निर्वाचन छठवां साधारण निर्वाचन होगा और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की कुल संख्या 549 होगी।

(ग) लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा अवधारित किया जा चुका है।

बम्बई हाई से बम्बई शहर को गैस की सप्लाई

6100. **श्री शंकर राव सामन्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से बम्बई शहर को पाइप से प्राकृतिक गैस सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह गैस कब तक उपलब्ध कराई जा सकती है, कितनी मात्रा में और किन-किन कामों में लाया जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) जी नहीं, बम्बई हाई क्षेत्र से जो गैस उपलब्ध होने वाली है उस की लगभग वास्तविक मात्रा का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन

6101. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :**

श्री सप्रभाई मेहता :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने केन्द्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि जिन विधान सभाओं के लिये निर्वाचन वर्ष 1975 में होने हैं, वे लोक सभा निर्वाचनों के साथ वर्ष 1976 में किये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वर्ष 1975 में खर्च होने वाली भारी धनराशि की बचत हो जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने यह सुझाव मान लिया है; और

(घ) वर्ष 1975 में कितनी विधान सभाओं के निर्वाचन होने की आशा है और ये निर्वाचन संभवत: कब होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन सितम्बर-अक्तूबर, 1975 में कराया जाना नियत है।

गुजरात विधान सभा के लिए निर्वाचन 7 जून, 1975 के आसपास होंगे।

सोवियत तेल विशेषज्ञ द्वारा तटदूर तेल भंडारों के लिये एक संस्थान की स्थापना का सुझाव

6102. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत तेल विशेषज्ञ प्रोफेसर कलिमिन ने सुझाव दिया है कि तटदूर तेल भण्डारों के अध्ययन तथा विदोहन के लिए एक विशेष संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान रेलवे में हुई चोरियां

6103. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेलवे में होने वाली चोरी की घटनाओं में भारी वृद्धि हो गई है;

(ख) 1974-75 में हुई उक्त घटनायें वर्ष 1973-74 तथा 1972-73 में हुई घटनाओं की तुलना में कम या अधिक है तथा इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ग) रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से संगठित गिरोहों द्वारा की जाने वाली इन चोरियों और छुट-पुट चोरियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। 1974 के दौरान रेलों पर चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) चोरी और उठाईगिरी (सील ठीक-ठाक रहने वाले मालडिब्बों से चोरियों और उठाईगिरी की घटनाओं को मिलाकर) के जिन मामलों की रिपोर्ट की गयी उनकी संख्या तथा इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	चोरियों और उठाईगीरी के उन मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गयी	इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य
1972-73	44,116	1,64,48,519
1973-74	42,825	2,50,44,782
1974-75 . . (अप्रैल 74 से दिसम्बर 74 तक)	41,300	2,96,97,379

(ग) रेलों पर चोरियों और उठाईगिरी की घटनाओं की रोक-थाम के लिए अपनाये जा रहे परम्परागत उपायों के अलावा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत खूंखार एवं कुख्यात अपराधियों और चुरायी गयी संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों को नजर बंद करना।

(2) पूर्व रेलवे के गया-गोमो खंड पर चोरी और उठाईगिरी की घटनाएं रोकने के लिए अभी हाल में एक विशेष अभियान संगठित किया गया।

(3) अन्य रेलों के अत्यधिक भेद्य खंडों पर भी इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है।

हाथी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन

6104. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री पी० गंगादेव :

श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाथी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन 7 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिवेदन के अनुसार सारे औषध उद्योग के उत्पादन एवं मूल्य फार्मूले में परिवर्तन करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकार द्वारा, औषध और भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई थी, और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

अण्डमान और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तेल के लिए सर्वेक्षण

6105. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी फर्म द्वारा किये गये प्रारंभिक सर्वेक्षण से अण्डमान और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में मिलने वाले तेल के संकेत मिले है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी खोज के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) और (ख) अण्डमान के तट से दुर अथवा निकट किसी अमेरिकन फर्म ने कार्य नहीं किया है। जिस अमेरिकन फर्म समूह के

साथ कच्छ के अपतट क्षेत्र में तेल अन्वेषण की संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं उस समूह ने अपतटीय कच्छ क्षेत्र में भूभौतिकीय सर्वेक्षणों को किया है। उपलब्ध सामग्री समझी/तैयार की जा रही है। इस कार्य के पूरा हो जाने पर ही व्यधन कुओं के संबंध में निर्णय किया जा सकता है।

वर्ष 1974-75 के दौरान चोरी और वैगनों को तोड़ने आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

6106. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान रेलवे में चोरी तथा वैगनों के तोड़ने के आरोप में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) वर्ष 1973-74 और 1972-73 के आंकड़ों की तुलना में इन आंकड़ों की क्या स्थिति है; और

(ग) गिरफ्तार किये गये उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही को गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 तथा वर्ष 1974-75 के प्रथम 9 महीनों में भारतीय रेलों पर बुक किये गये परेषणों को चोरी और उठाईगिरी (जिनमें माल डिब्बे तोड़ कर चोरी करना भी शामिल है) के लिए गिरफ्तार किये व्यक्तियों की संख्या नीचे बताई गयी है :—

वर्ष	बुक किये गये परेषणों की चोरी और उठाईगिरी के लिए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1972-73	1636
1973-74	1483
1974-75 . . . . . . (अप्रैल, 74 से दिसम्बर 74 तक)	1278

(ग) प्रत्येक मामले में उपलब्ध साक्ष्यानुसार सभी गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ या तो मुकदमा चलाया गया था या विभागीय कार्रवाई की गयी थी।

प्लास्टिक उद्योगों के लिए कुछ पेट्रोरसायनों की कमी

6107. **श्री हरी सिंह :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पेट्रो-रसायनों की कमी के कारण देश में प्लास्टिक उद्योगों के उत्पादन में कमी ई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) और (ख) अब से कुछ समय तक थर्मो प्लास्टिक रेजिनो (पी०वी०सी० कम घनत्व वाली पोलिथिलीन, उच्च घनत्व वाली पोलिथिलीन और पोलिएस्टररेन) की कोई कमी नहीं है ।

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों से आय

6108. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक निश्चित दूरी के लिए द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे से होने वाली आय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बे के स्थान पर द्वितीय श्रेणी के अधिक सवारी डिब्बे लगाकर अधिक भीड़-भाड़ वाली रेलगाड़ियों की दूसरे श्रेणियों के यात्रियों को ले जाने की क्षमता में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली से मद्रास तक के बीच, 2185 किलोमीटर की दूरी की यात्रा के लिए दूसरे दर्जे के मानक डिब्बे और पहले दर्जे के मानक डिब्बे के मूल किरायों से होने वाली तुलनात्मक आमदनी इस प्रकार हैं :—

	रुपये
पहला दर्जा	6852.00
दूसरा दर्जा	5904.00

(ख) सभी लोकप्रिय गाड़ियों में पहले दर्जे की जगहों के लिए भी भारी मांग है और जिन सेवाओं के लिए मांग होती है उनकी व्यवस्था रेलों को करनी पड़ती है । इसलिए पहले दर्जे के सवारी डिब्बों के बदले दूसरे दर्जे के डिब्बे चलाना वांछनीय नहीं समझा जाता । तथापि अलग अलग दर्जों की जगहों पर निगाह रखी जाती है और जब कभी व्यावहारिक तथा उचित होता है पहले दर्जे के डिब्बों के स्थान पर दूसरे दर्जे के डिब्बे लगाये जाते हैं ।

कालटेक्स के सरकारीकरण के बारे में निर्णय

6110. **श्री पुरुषोत्त काकोडकर :**

श्रीमती रोजाविद्याधर देशपांडे :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कालटेक्स को अपने नियंत्रण में लेने का अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) काल्टेक्स के साथ बातचीत चल रही है। इस बारे में कोई ब्यौरा देना जनहित में ठीक नहीं होगा।

गुजरात राज्य को माल डिब्बों का आबंटन

6111. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार को दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के महीनों में आबंटित किये गये रेलवे माल डिब्बों की संख्या बहुत कम थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने माल डिब्बे आबंटित किये गये;

(ग) क्या माल डिब्बों की बहुत कमी थी। जिसके परिणामस्वरूप सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल्दी-जल्दी खाद्यान्न नहीं पहुंच सका; और

(घ) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य में केन्द्रीय सरकार से माल डिब्बों के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया था जिससे प्रभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न की सप्लाई की जा सके तथा फरवरी, 1975 में कितने अधिक माल डिब्बों का आबंटन किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपने उपभोग के लिए फार्मूलेशन बनाने वाली विदेशी कम्पनियां

6112. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांशतः विदेशी कंपनियां फार्मूलेशन बना रही हैं और वे जितनी "बल्क," औषधियों का उत्पादन करती हैं उनका अपने फार्मूलेशनों में उपयोग कर लेती हैं;

(ख) क्या विकास के 20 वर्षों के पश्चात् ही कुछ भारतीय कम्पनियां अब उस प्रकार के फार्मूलेशन बनाने की स्थिति में हैं जैसे हमारे देश में प्रारम्भ में कार्य करने वाली कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा बनाये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहनों की रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूत्रयोगों एवं प्रपुंज औषधों के उत्पादन में अधिक विदेशी शेयर पूंजी वाली कम्पनियों के शेयर क्रमशः लगभग 45% तथा 33% है। कुछ विदेशी कम्पनियां कुछ औषधों के अपने उत्पादन के एक भाग की सप्लाई स्वेच्छा से अथवा औद्योगिक लाइसेंस में लागू शर्तों के अनुसार दूसरे उत्पादकों को भी कर रही है।

(ख) और (ग) देश में औषध उद्योग ने तीव्रता से प्रगति की है। सभी किस्मों के सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए प्रोद्योगिकी देश में उपलब्ध है। कुछ भारतीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद विदेशी

कम्पनियों के उत्पादित उत्पादों के समान अच्छे हैं । सरकार ने उद्योग के भारतीय क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये है :—

(i) उत्पादक योजनाओं की स्वीकृती देने में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को तरजीह दी जाती है।

(ii) सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्रपुंज औषधों की बढ़ती संख्या का उत्पादन ।

(iii) जब तक प्रपुंज औषधों के उत्पादन के साथ विदेशी फर्मों को सम्बद्ध नहीं किया जाता इन्हें सामान्यतया सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए सामान्यतया औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाते है ।

(iv) विदेशी कम्पनियों को कहा जाता है कि वे अधिक मूल स्तरों से प्रपुंज औषधों का उत्पादन करें तथा देश में असम्बद्ध सूत्रयोगों को अपने प्रपुंज औषधों से उत्पादन का उपयुक्त भाग को उपलब्ध कराये । इस शर्त पर उन्हें क्षमता का विस्तार करने अथवा नये कार्यकलापों को हाथ में लेने की अनुमति दी जा रही है ।

(v) प्रपुंज औषधों तथा मध्यवर्ती पदार्थों के अधिक संख्या का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है जो अंतः प्रपुंज औषधों तथा औषध मध्यवर्ती पदार्थों के कुल आयात कर 60% से अधिक है ।

(vi) भारतीय शेयर होल्डिंग में तदनूरूपी वृद्धि के साथ विदेशी साम्य पुंजी साझेदारी में तब उत्तरोत्तर कमी लागू की जाती है जब उन्हें अपने उत्पादक कार्यकलपों में विस्तार करने की अनुमति दी जाती है ।

(vii) समस्त गैर-आवासियों, भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों तथा उन भारतीय कम्पनियों जिनमें 40% से अधिक गैर-आवासियों के शेयर हैं, को नये तथा वर्तमान कार्यकलापों आदि को चलाने के लिए नई शाखाओं को खोलने हेतु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुमति लेनी होती है ।

श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध एवं भेषज उद्योग समिति ने औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच की है जिसमें औषध उद्योग के शीघ्र विकास, विशेषकर भारतीय तथा लघु उद्योग क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पाद सम्मिलित है । समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल 1975 को प्राप्त हो गई है तथा सरकार के विचाराधीन है ।

खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में निष्ठावान रेलवे कर्मचारियों के अवकाश का नियमित किया जाना

6113. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में कुछ निष्ठावान रेल कर्मचारियों को, जो बीमारी अथवा अपरिहार्य कारणों से गत मई की हड़ताल के दौरान कुछ दिन कार्य करने के पश्चात् विभाग से छुट्टी लेकर अवकाश पर रहे, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य लाभों से वंचित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विशिष्ट कारण हैं तथा उक्त अवधि के उनके अवकाश को नियमित करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के भद्रक रेलवे स्टेशन पर ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारियों की अनुपस्थिति को नियमों के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया है । जो कर्मचारी हड़ताल की अवधि में 3 दिन से अधिक छुट्टी पर रहे या बीमारी के कारण रेलवे के चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर अनुपस्थित रहे उन्हें उन कर्मचारियों के लिए मंजूर किये गये लाभ नहीं दिये गये हैं जो इस प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार हड़ताल के दौरान अपनी ड्यूटी पर डटे रहे थे ।

(ग) एक विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया**] **देखिए संख्या एल० टी०** 9420/75 जिसमें भद्रक रेलवे स्टेशन के उन कर्मचारियों की संख्या तथा नाम दिये गये है जिन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया ।

यूनाइटिड प्रविन्सेज कर्मशियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता

6114. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा यूनाइटेड प्राविन्सेज कर्मशियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता को बन्द करने का आदेश कब दिया गया था और उस न्यायालय से सम्बद्ध सरकारी परिसमापक को कम्पनी का परिसमापक कब नियुक्त किया गया था ;

(ख) परिसमापक के पूर्व उस कम्पनी की प्रत्येक श्रेणी के आस्तियों का कुल मूल्य कितना था;

(ग) क्या यह सच है कि मारूती हैवी व्हीकल्स लिमिटेड ने इस कम्पनी का नियंत्रण अपने में हाथ में ले लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा इसका नियंत्रण अपने हाथ में लिये जाने का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ): (क) कम्पनी नामशः मैसर्स यूनाइटिड प्रोविन्सेज कर्मशियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश द्वारा बन्द किये जाने का आदेश 4-6-1968 को दिया गया था और न्यायालय से सम्बद्ध सरकारी समापक को परिसमापक नियुक्त किया गया ।

(ख) कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों ने कम्पनी की परिसमपत्तियों आदि का बन्द किये जाने की तिथि तक का उल्लेख करते हुए कार्यों का विवरण सरकारी समापक को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । सरकारी समापक द्वारा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

(ग) तथा (घ): सरकारी समापक के पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 456 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में कम्पनी की परिसम्पत्तियां न्यायालय के अभिरक्षण में होनी या समझी जानी चाहिए इसलिए उस स्थिति में कोई परिवर्तन सरकारी समापक के माध्यम से बन्द करने वाले न्यायलय को आवेदन पत्र दिये जाने के बगैर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया है ।

श्री आर० एन० गोयनका तथा उनसे सम्बद्ध कम्पनियों के विरुद्ध जांच तथा उनके विरुद्ध निलम्बित मामले

6116. **श्री भोगेन्द्र झा: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री इण्डियन ऐक्सप्रेस और आन्ध्र प्रभा समाचार पत्र समूह के विरुद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के बारे में 18 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री आर० एन० गोयनका तथा उनसे सम्बद्ध कम्पनियों के विरुद्ध अन्य किन किन मामलों में जांच चल रही है अथवा लम्बित हैं और उनके शीघ्र निपटान के लिए क्या किया जा रहा है ; और

(ख) नेशनल कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के मामले में जांच कब से चल रही है, और असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और जांच को एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लि० के अतिरिक्त एक्सप्रेस समूह की निम्नांकित कम्पनियों का, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया था:—

1. आर्के इन्वैस्टमैंट्स प्रा० लि०
2. एअर लाइन्स एण्ड होटल्स केटेरर्स (मद्रास) प्रा० लि०
3. एके इन्वैस्टमैंट्स प्रा० लि०
4. एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्रा० लि०
5. इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०
6. इण्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्रा० लि०
7. नेशनल कम्पनी लि०

निरीक्षणों द्वारा प्रकट हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 के तकनीकी उल्लंघनों के लिये कम्पनियों के साथ सम्पर्क किया जा रहा है । निरीक्षण के आधार पर क्रम सं० 4 तथा 6 पर वर्णित कम्पनियों से यह मांग करते हुए कम्पनी अधिनियम, की धारा 408 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये गये थे कि सरकारी निदेशक क्यों नहीं नियुक्त किये जाने चाहिए । कथित कम्पनियों ने मद्रास उच्च न्यायालय में लिखित याचिकायें दायर कर दी हैं, जो अनिर्णीत हैं ।

(ख) नेशनल कम्पनी लि० से सम्बन्धित मामला, जिसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है, 14-2-1970 को पंजीकृत किया गया था । यह जांच अपराधियों द्वारा प्रस्तुत की गई बहुत सी याचिकाओं पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत अन्तरिम रोकादेश के कारण 1970 के वर्ष की समाप्ति पर स्थगित कर दी गई थी, यह केवल 17-12-1973 के पश्चात् पुनः चालू की जा सकी थी जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने आगे जांच का रोकादेश प्रदान करने से निषेध कर दिया था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच निकट भविष्य में पूर्ण होने की सूचना है ।

इंडिया पेट्रो-कैमिकल्स द्वारा जाइलीन के मूल्य में कमी

6117. **श्री झारखण्डे राय : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या बड़ौदा के निकट स्थित इंडियन पैट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन ने जाइलीन के मूल्य में कमी की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी०माझी): (क) इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के एरोमैटिक्स प्लांट को प्रति वर्ष 21,000 मीटरी टन आर्थोजाइलीन और 2,500 मीटरी टन मिश्रित जाइलीन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंसीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त इस संयंत्र की डी एम टी मेंकेप्टिव परिवर्तन करने हेतु प्रतिवर्ष 17,17,000 मीटरी टन पैराजाइलीन उत्पादन करने की क्षमता है।

आई०पी०सी०एल० ने 16-3-1975 से मिश्रित जाइलीनो के विक्रय मूल्य 5,500 रुपये प्रति मीटरी टन से 3,250 रुपये प्रति मीटरी टन कर दिए हैं।

(ख) मिश्रित जाइलीनों के विक्रय मूल्यों को कम करने के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:—

(1) मिश्रिति जाइलीनों को टोल्यून जैसे उत्पादों जिनके मूल्य 3000 रु० प्रति मीटरी टन हैं, से प्रतियोगिता करनी होती है।

(2) मिश्रित जाइलीनो के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आ जाने से, इस के प्रति प्राप्ति लागत में काफी गिरावट आ गई है उपरोक्त तथ्यों के कारण आई०पी०सी०एल० के मिश्रित जाइलीनों को उठाने में पर्याप्त कमी हो गई थी। यह आशा की जाती है कि आई०पी०सी० एल० द्वारा मिश्रित जाइलीनो के मूल्य कम कर दिए जाने से इस उत्पाद की बिक्री में सुधार हो जाएगा।

अशोधित तेल का पता लगाने के लिए खोदे गये कुंए

6118. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1975 के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में अशोधित तेल और गैस का पता लगाने के लिए कितने कुंए खोदे गये;

(ख) कितने कुओं में तेल और गैस पाई गई;

(ग) छिद्रण कार्य के लिए किन विदेशी मशीनों का उपयोग किया गया; और

(घ) क्या उक्त विदेशी मशीनें उपहार के रूप में प्राप्त हुई थीं अथवा उन्हें खरीदा गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) फरवरी, 1975 के अन्त तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1,163 कुओं की खुदाई की जिनमें से 685 कुओं में तेल या गैस पाया गया था। आइल इंडिया लि० ने मार्च 1975 के अन्त तक, 349 कुओं की खुदाई की। इनमें से 268 कुओं में गैस अथवा तेल पाया गया था।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग व्यधन प्रचालन के लिए रिगों के निम्नलिखित प्रकारों का प्रयोग करता है ।

1. बी०यू०–75, 3 डी, 5 डी (रशियन)

2. 5एल डी, 4 एल डी, 2 डी एच (रोमानियन)

3. नेट–55, नेट–45 (यू०एस०ए०)

4. एच–2500–इडेको (इटेलियन)

5. सागर सम्राट (जापान द्वारा तैयार मर्क्यूरी टाइप जैक–अप ड्रिल जहाज़)

आइल इंडिया लि० अपने व्यधन प्रचालकों के लिए रिगों के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करता है ।

1. एफ ई आई, एफ ई 2 (स्टीम रिगस)

2. नेट 130, नेट 1320 एम (डिजिल रिगस)

(घ) ये सभी खरीद किए गए थे ।

Railway employees involved in thefts of Railway Goods during 1973 and 1974

+6119. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of Railway employees caught red handed while committing theft or helping those committing theft of Railway goods during the years 1973 and 1974, separately, and the value of the goods recovered from them and action taken against them, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कोयले पर आधारित उर्वरक सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण

6120. **श्री शरद यादव : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले पर आधारित उर्वरक संबंधी अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि यूरिया का मूल्य कच्चे तेल की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा है;

(ग) क्या यह सच है कि एक एकक में उत्पादित यूरिया के एक चौथाई का निर्यात करने पर इस यूरिया का उत्पादन करने के लिए कच्चा तेल बनाने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो उर्वरक उत्पादन के संबंध में भी सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी नहीं । यह विचार है कि तर्क संगत एवं अन्य बातों के आधार पर इसके बाद उर्वरक संयंत्रों को यथा संभव कोयले पर आधारित किया जाना चाहिए ।

(ख) से (घ) चूंकि अभी तक आयात द्वारा उर्वरक की देशीय आवश्यकता को पूरा किया जाता है अतः उर्वरक के उत्पादन हेतु अपेक्षित संभरण सामग्री के आयात के भुगतान हेतु उर्वरक के निर्यात करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक उत्पादन के संबंध में सरकार की नीति कार्यरत एककों के कार्यकरण तथा अतिरिक्त क्षमता को स्थापित करने के माध्यम से देशीय उत्पादन को अधिकतम करना है जिससे उर्वरक के आयात पर यथासंभव सीमा तक देश की निर्भरता को कम किया जा सके । सरकार का यह भी विचार है कि संभरण सामग्री का विविधकरण किया जाय जिससे देश में उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग को अधिकतम किया जा सके ।

फिरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के पदोन्नति क्रम का उल्लंघन

6121. **श्री राजदेव सिंह : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन के कुछ भागों में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की तैनाती के मामले में पदोन्नति क्रम का उल्लंघन किया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके कारण समस्त डिवीजन में व्यापक और गंभीर असंतोष व्याप्त है, और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर संघ, फिरोजपुर मंडल (गैर-मान्यताप्राप्त) ने एक सहायक स्टेशन मास्टर ग्रेड 455-700 रु० (सं०वे०) को स्टेशन मास्टर के रूप में ग्रेड 455-700 रु० (सं०वे०) में तैनात करने के विरोध में अभ्यावेदन दिया है । यह मामला पदोन्नति की सारणि के संशोधन से संबंधित है जो कि स्टेशन मास्टरों, सहायक स्टेशन मास्टरों के अधिकृत वेतनमानों अर्थात 250-380 रु० और 335-425 रु० को मिलाकर 455-700 रु० का संशोधित वेतनमान बना देने के कारण आवश्यक हो गया है । यह प्रश्न विचाराधीन है और मान्यताप्राप्त संघों से परामर्श करने के बाद इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

मैसर्स रेलिज इण्डिया लिमिटेड की आरम्भिक तथा वर्तमान इक्विटी

6122. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रेलिज इंडिया लिमिटेड की आरंभिक इक्विटी, वर्तमान इक्विटी क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनका कुल बिक्री उत्पादन, कुल लाभ तथा शुद्ध लाभ कितना था,

(ख) इन फर्मों के पास हमारे देश में औषधियों के विपणन के लिए कौन से औद्योगिक लाइसेंस अनापत्ति पत्र तथा अनुमति पत्र है;

(ग) क्या मैसर्स बोहरिंगर नोल, सीरले इंडिया, सी०ई० फुलफोर्ड तथा अन्य विदेशी फर्मों का इस कंपनी के साथ वितरण संबंधी तथा अन्य परस्पर संबंध है, यदि हां, तो व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं तथा उसकी शर्तें क्या हैं,

(घ) क्या यह फर्म इन विदेशी फर्मों के साथ निर्यात आयात के मामले में राशि से अधिक के, राशि से कम के बीजक बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ङ) इन अनियमितताओं के लिए इस फर्म के विरुद्ध सरकार का विचार कौन सी दंडात्मक कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) रैलिज इंडिया लि० के गत तीन वर्षों की मूल साम्य पूंजी, वर्तमान साम्य पूंजी कुल बिक्री पर शुद्ध लाभ निम्नलिखित है:—

(रु० लाखों में)

मूल साम्य पूंजी	वर्तमान पद्यत पूंजी	कुल बिक्री								
		1971-72			1972-73			1973-74		
		औषध	गैर औषध	कुल	औषध	गैर औषध	कुल	औषध	गैर औषध	कुल
225	225	431	4879	5310	477	5519	5096	633	5698	6331

कुल लाभ			शुद्ध लाभ		
1971	1972	1973	1971	1972	1973
138.34	156.20	249.13	53.84	54.67	95.13

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों/अनुमति पत्रों आदि की पूरी जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

क्रम सं०	औद्योगिक लाइसेंस सं० और तिथि	निर्माण कीमत	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4
1.	एल/22/173/63 कैमि० 3 दि० 11-11-63	एन्टासिड गोलियां एरोसल सप्रेवैन्डेज	120 लाख 90 हजार सं०
2.	एल/22/174/63 कै० 3 दि० 13-11-63	मल्टी विटामिन मिनरल के साथ ड्रैजीज एमीटेन एच सी एल इन्जैक्शन बी बी 60 एम जी/एम एल	120 लाख 30 एमजी/एम एल 14,400 × आई एम आई एम्पुल्स 72,000 औक्सरल एम्पूल्स

1	2	3	4
		एमीटीन और व्योमूत आयोडीन गोलियां (6.60 एम एल)	72 लाख
3.	एल/22/48/60 कै० 3 दि० 12-1-61	एन्टीग्रस्थमैटीक गोलियां	72 लाख गोलियां
4.	एल/22/52/61 कै० 3 दि० 23-5-73	पाक्रिनोल गोलियां	120 लाख गोलियां
5.	एल/22/एन-54/58 दि० 4-9-58	डिथीयाल कार्बामजाइन सिट्रेट की गोलियां (ट्रेडमार्क फिलौरीसाइड)	72 मीलियन (50 एम जी प्रत्येक)
6.	एल 22/71/61 कै० 3 दि० 1-5-61	एन्टीएकेटिक प्रिपेशन गोलियां के रूप में तैयार करना।	6 लाख
7.	एल/22/97/61 कै० 3 दि० 8-9-64	विटामिन बी कोम्पलैक्स ड्रेजीज विटामिन सी के साथ	240 लाख
8.	एल/22/72/61 कैमि० 3 दि० 1-5-61	टी सी एफ रिजोरपीन गोलियां (0.1 एम जी)	7 लाख गोलियां
		टी सी एफ रिसोरपीन गोलियां (0.25 एम जी)	14 लाख गोलियां
9.	एल/22/305/66 कै० 3 दि० 8-6-66	एन्टी टूबरकुलर गोलियां	240 लाख
		एनलजैसीक क्रीम	3,84,000 × 15 ग्राम्स 96,000 × 30 ग्राम्स
10.	एल/22/34/60 कै० 3 दि० 24-11-60	जूलक्स (लैक्जेटीव कोन्टेनिंग कैसेन्ड्राहरनोल)	36 लाख प्रतिवर्ष
11.	एल/22/128/62/ कै० 3 दि० 24-8-62	नियोफैरीलैक्सलिवर एक्सट्रेक्ट ओयनमैनट	2,04,000 लिटर 24000 कि०ग्रा०
12.	एल/22/110/62 कै० 3 दि० 7-3-62	विटामिन बी कोम्पलैक्स कम विटामिन सीइ जैक्शन एम एल एम्पूल्स के म्योजिट पैकिंग	एम्पूल नं० 1 24 लाख एम्पूल नं० 2 24 लाख
13.	एल/22/327/67 कैमि० 3 दि० 3-3-67	रोकेडिन गोलियां	120,00,000 (120 लाख गोलियां)

पंजीकृत प्रमाण पत्र

14.	आर/22/32/ दिनांक 6-10-1952 और पत्र सं० एस 900 आईए(V)आर 61 दिनांक 30-10-61 व्यापार और औद्योगिक मंत्रालय	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल	

Petitions relating to 1971 elections to Lok Sabha

†6123. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of election petitions relating to the elections to Lok Sabha held in 1971 still pending in various High Courts, and

(b) the number of election petitions relating to the elections held in 1971 completely disposed of so far and the names of the candidates who have been debarred from contesting elections along with the period thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) Three.

(b) 51 election petitions, relating to the General Elections to Lok Sabha held in 1971, have been disposed of so far by the various High Courts and the Supreme Court on appeal. Only, one candidate Shri Amar Nath Chawla, elected to the Lok Sabha from 6-Sadar Parliamentary Constituency of the Union Territory of Delhi has been debarred from contesting election for a period of six years w.e.f. 3-10-1974, the date of the judgment of the Supreme Court, on account of the Commission of a corrupt practice under section 123(6) of the Representation of the People Act, 1951.

मालाबार जिले के स्टेशनों पर परिवहन सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता

6124. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालाबार जिले में रेलवे स्टेशनों से मछली, पान के पत्तों और इमारती लकड़ी की ढुलाई संबंधी सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केरल राज्य के मालाबार जिले में स्थिति रेलवे स्टेशनों से मछली, पान के पत्ते और इमारती लकड़ी के परिवहन के लिए प्रयाप्त सुविधाएं मौजूद हैं। क्षेत्रीय रेल प्रशासन भी इन प्रबंधों की आवधिक समीक्षा करता है और उक्त यातायात की शीघ्र ढुलाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

कटिहार में ठेके पर खान-पान व्यवस्था के स्थान पर विभागीय व्यवस्था लागू करना

6125. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार में ठेके पर खान-पान व्यवस्था के स्थान पर विभागीय व्यवस्था लागू करने के लिए अनुदेश दे दिये गये थे; और यदि हां, तो पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा उन अनुदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया;

(ख) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में रेल अधिकारियों द्वारा विभागीय खान-पान संस्थानों के साथ सौतेला व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं और ठेकेदारों को अवांछनीय लाभ देने के लिए उन्हें क्यों समर्थन दिया जा रहा है;

(ग) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बार-बार मांग किये जाने के बावजूद ठेके पर खान-पान व्यवस्था संबंधी करारों की अवधि क्यों बढ़ायी जा रही है; और

(घ) निचले स्तर पर खान-पान ठेका करार 15 दिसम्बर, 1973 को क्यों बढ़ाया गया और 19 दिसम्बर, 1973 से विभागीय व्यवस्था क्यों बन्द की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । लेकिन पुनर्विचार के बाद अनुदेश वापिस ले लिये गये थे ।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में खान-पान विभाग के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है और ठेकेदारों को अवांछनीय लाभ देने का कोई मामला अभी तक नोटिस में नहीं आया है ।

(ग) और (घ) ठेके वाले खान-पान की व्यवस्था का विस्तार केवल ऐसे स्थानों पर किया जा रहा है जहां विभाग इसे चलाने में असमर्थ है या हानि में चल रहा है । अन्य सभी स्थानों पर वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दे दी गयी है । तद्नुसार, लोअर हाफ्लांग स्टेशन पर ठेके की अवधि बढ़ा दी गयी थी ।

मेल, एक्सप्रेस और डीलक्स रेल गाड़ियों की सुविधाएं

6126. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता प्राप्ति के 27 वर्ष बाद भी मेल, एक्सप्रेस, डीलक्स रेल सेवाएं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली जैसे केवल बड़े शहरों के लिए ही उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के अन्य भागों में जैसे बिहार में चम्पारन के लिये उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध करने हेतु कोई योजना बना रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । किन्तु बिहार के चम्पारन क्षेत्र में 27/28 चम्पारन, पटना, एक्सप्रेस गाड़ी पहले से ही चल रही है ।

कुछ औषधियों के मूल्यों में कमी करने का प्रस्ताव

6127. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशिष्ट औषधियों जैसे "सल्फा ड्रग्स" और "एन्टीबायोटिक्स ड्रग्स" के मूल्य घटाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषधों और भेषजों के लिए एक समिति गठित की थी जिसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ यह सम्मिलित था :

"उपभोक्ताओं के लिए औषध मूल्यों को कम करने के लिए अब तक किए गए उपायों का निरीक्षण करना, और मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के लिए जो उपाय आवश्यक हों उन उपायों की सिफारिश करना,"

समिति की रिपोर्ट सरकार को 6 अप्रेल, 1975 को प्राप्त हुई। आवश्यक औषधों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने आदि के प्रश्नों पर अन्य सिफारिशों के साथ ही विचार किया जाएगा।

इसी बीच सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र एवं इंडियन मैडिकल एसौसिएशन के साथ सस्ते औषधों एवं इसे प्राप्त करने हेतु क्षमता आरक्षण की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए बैठकें की गई हैं।

कम्पनी सेक्रेट्रीशिप में दो साल का पोस्ट डिप्लोमा

6128. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा, निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, के कम्पनी सेक्रेट्रीशिप में दो साल के पोस्ट डिप्लोमा की, 7 मार्च, 1975 को भारत सरकार विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना में श्रेणी 'ए' के अन्तर्गत कम्पनी सेक्रेट्रीशिप के लिए विहित अर्हता के रूप में असावधानीपूर्वक उपेक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या छात्रों की निराशा को दूर करने तथा प्राधिकारियों के साथ उनके संघर्ष और झगड़े से बचने के लिए श्रेणी 'ए' के अन्तर्गत 'कम्पनी सेक्रेट्री' की विहित अर्हता के रूप में उक्त पोस्ट डिप्लोमा के बारे में आगे एक और अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) 25 लाख रु० या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी रखने वाली कम्पनी के सचिव की नियुक्ति के लिए, केवल योग्यता, जिसको सरकार ने मान्यता देने का निर्णय किया था वह भारत के कम्पनी सचिव संस्थान (इंस्टीट्युट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया) की मेंबरशिप थी, क्योंकि यह संस्थान भारत सरकार द्वारा विशेषतः बड़ी कम्पनियों में उचित समप्रावीण्यता के अध्ययन और सचिव संबन्धी कार्यों के निर्बहन हेतु विशेष रूप से अपेक्षित विशिष्ट विशेषज्ञता पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए गठित किया गया था। प्रश्न में संदर्भित डिप्लोमा को विभाग की सूचना में नहीं लाया गया था इसलिए इस विभाग की दिनांक 7-3-75 की अधिसूचना द्वारा योग्यता निर्धारित करते समय इसको किसी भी वर्ग में सम्मिलित करने के लिए उसके गुणों पर विचार नहीं किया जा सका। अभी कम्पनी सचिव (पोस्ट डिप्लोमा) छात्र संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

उदयपुर में रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों के सामान की तलाशी

6129. **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर सिटी स्टेशन के बाहर रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों का सामान "चैक" किया जाता है और यात्रियों को परेशान किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे पुलिस को इस प्रकार के कोई निर्देश दिये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय तेल शोधक कारखानों में बम्बई हाई से उत्पादित कच्चे तेल को शोधित करने की उपयुक्तता

6130. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रहीं कुछ अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने यह अफवाह फैलाई है कि बम्बई हाई में मिला कच्चा तेल भारत के किसी भी तेल शोधक कारखाने में शोधित करने के लिए अनुपयुक्त है और उन्होंने इसके निर्यात के लिए सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विशेषज्ञों द्वारा दिये जा रहे इस वक्तव्य का कोई आधार है ; और

(ग) क्या कोयली स्थित तेल शोधक कारखाना बम्बई हाई में अब उपलब्ध कच्चे तेल को शोधित करने में सक्षम है और यदि हां, तो इस संबन्ध में तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) दिनांक 18-3-1975 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि बम्बई हाई का अशोधित कच्चा तेल भारत के किसी भी शोधनशाला में परिष्करण हेतु उपयुक्त नहीं है तथा इसके निर्यात के बारे में सुझाव भी दिया गया था।

(ख) और (ग) बम्बई हाई संरचना के 2 कूपों से अब तक प्राप्त किए गए अशोधित कच्चे तेल के विश्लेषण से यह पता चला है कि यह अशोधित कच्चा तेल अंकलेश्वर कच्चे तेल के समान है और इसे कोयली शोधनशाला में प्रक्रियान्वित किया जा सकता है । अन्य शोधनशालाओं में, केवल मात्र बम्बई हाई के अशोधित कच्चे तेल को प्रक्रियान्वित करने के लिए, संयंत्रों में तुलनात्मक रूप में परिवर्तन और सुधार करने होंगे बम्बई हाई से प्राप्त अशोधित कच्चे तेल का इष्टतम उपयोग का प्रश्न इस समय सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है । क्षेत्र की पूर्ण रूप रेखा बना लेने तथा और अधिक ब्यौरे प्राप्त करने से पूर्व, वर्तमान स्थिति में तेल के परिष्करण संबन्धी योजनाओं को अधिक रूप देना असामायिक होगा ।

रेल वर्कशापों/गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा माल डिब्बे बनाना

6131. **श्री सरजू पांडे : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल वर्कशापों में प्रतिवर्ष कितने माल डिब्बे बनाये जाते हैं और गैर-सरकारी कम्पनियों जैसे इंडियन स्टेन्डर्ड वैगन और बर्न एंड कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों द्वारा कितने माल डिब्बे रेलों की सप्लाई किये जाते हैं ;

(ख) वर्ष 1974-75 और 1975-76 में सभी रेलों के लिए कुल कितने माल डिब्बों की आवश्यकता होगी ;

(ग) कितने माल डिब्बों का निर्यात किया जाता है ; और

(घ) भारतीय रेलों और गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा कितने माल डिब्बों का निर्यात किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) माल डिब्बों के निर्माण के संबन्ध में उद्योग/रेल कारखानों की वार्षिक संस्थापित क्षमता निम्नलिखित है :—

(चौपहियों के हिसाब से)

उद्योग	30,625
रेल कारखाने	2,000
जोड़ . .	32,625

(ख) रेलों के लिए अपेक्षित माल डिब्बों का हिसाब प्रत्येक योजना की समूची अवधि के लिए लगाया जाता है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार माल यातायात संभालने के लिए भारतीय रेलों की 1,00,000 माल डिब्बों की आवश्यता होगी ।

(ख) और (ग) भारतीय रेलें माल डिब्बों का निर्यात नहीं करती ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औषधियों की आवश्यकता और उत्पादन

6132. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औषधियों की आवश्यकता और उत्पादन ढांचे का कोई अध्ययन किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा स्थापित औषध और भेषज के कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना की अवधि के दौरान विभिन्न औषधों का अनुमान लगाया है । मुख्य मदों के नाम, मांग आदि के अनुमानों के बारे में ब्यौरे हर साल उद्योगों के लिए 1974-75 के वास्ते मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योग मंत्रालय और सिविल सप्लाई द्वारा प्रकाशित किए जाते और उसकी एक प्रति संसद् की लाइब्रेरी में भी उपलब्ध होती है ।

रक्षित प्रयोजनों के लिए मूल औषधियां बनाने वाले गैर-सरकारी एकक

6133. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की उन फर्मों के नाम क्या हैं जो रक्षित प्रयोजनों के लिये और अन्य फर्मों को खुदरा रूप से बेचने के लिये बड़ी मात्रा में मूल औषधियां बनाती हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों से ऐसी औषधियों का उनके द्वारा कितना उत्पादन हुआ और यह उनके कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों में भी वही औषधियां बनाई जाती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनके मूल्य गैर-सरकारी एककों के मूल्यों की तुलना में कितने न्यूनाधिक हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

रेल कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं

6134. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन रेल कर्मचारियों को पिछली रेल हड़ताल के कारण बर्खास्त कर दिया गया था, या सेवा से हटा दिया गया था, उन्होंने रेल बोर्ड और विभिन्न रेल प्रशासनों के विरुद्ध न्यायालयों में रिट याचिकाओं सहित कितने मामले दायर किये हैं; और

(ख) रेलवे बोर्ड और विभिन्न रेल प्रशासनों ने इस संबन्ध में वकीलों को दी गई राशि सहित कुल कितना खर्च किया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायैगी।

गत तीन वर्षों में पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में पंजीकृत की गई कम्पनियां

6135. **श्री टुना उरांव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो में पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार और वर्षवार कितनी कम्पनियां पंजीकृत की गई ;

(ख) उसी अवधि में राज्यवार और वर्षवार कितनी कम्पनियां बंद हुई ; और

(ग) उक्त अवधि में राज्यवार और वर्षवार कितनी कम्पनियों ने अपने पंजीकृत कार्यालय अन्य राज्यों को स्थानान्तरित किये, उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) गत तीन वर्षों, अर्थात् 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के मध्य पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	कम्पनियों की संख्या		
	1971-72	1972-73	1973-74
आसाम	35	26	66
बिहार	39	54	120
मेघालय	1	2	10
उड़ीसा	20	14	24
पश्चिमी बंगाल	337	445	582
त्रिपुरा	—	—	2
मणिपुर	1	—	1
नागालैंड	1	8	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
मिजोराम	—	—	—
योग	434	549	805

(ख) उपरोक्त अवधि के मध्य पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में या तो परिसमापित होकर, अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत उन्मूलित हो जाने पर, कार्य करना बन्द कर देने वाली, हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है:—

राज्य	कम्पनियों की संख्या		
	1971-72	1972-73	1973-74
आसाम (मेघालय सहित)	3	16	9
बिहार	7	14	13
उड़ीसा	1	4	17
पश्चिमी बंगाल	69	68	78
त्रिपुरा	—	1	1
मणिपुर	—	—	1
नागालैंड	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
मिजोराम	—	—	—
योग	80	103	119

(ग) उसी अवधि के मध्य, पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों से अपने पंजीकृत कार्यालय दूसरे राज्यों को स्थानान्तरित कर दिये जाने की सूचनायुक्त, हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है:—

राज्य	कम्पनियों की संख्या		
	1971-72	1972-73	1973-74
आसाम	—	1	—
बिहार	2	—	—
मेघालय	—	—	—
उड़ीसा .	—	—	—
पश्चिमी बंगाल	19	16	9
त्रिपुरा	—	—	—
मणिपुर	—	—	—
नागालैंड .	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
मिजोराम	—	—	—
योग . . .	21	17	9

अपने वर्तमान राज्य की स्थिति सहित इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 9421/75]

गोहाना पानीपत रेलवे लाइन का निर्माण

6136. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में गोहाना से पानीपत तक रेलवे लाइन के शेष भाग के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फरवरी, 1975 के अन्त तक कुल मिलाकर वास्तविक 15 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) आशा है, यह लाइन 31-3-1977 तक पूरी हो जायेगी ।

(ग) अनुमान है इस परियोजना पर 2.28 करोड़ की लागत आयेगी ।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी का निदेशक-मंडल

6137. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एंड कम्पनी कलकत्ता ने अपने निदेशक मंडल का पुनर्गठन करने के लिये सरकार की स्वीकृति मांगी है ;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा प्रस्तावित किये गये नामों में अपने निदेशक-मंडल में नियुक्ति के लिये कोई ऐसा एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति हैं जिसके विरुद्ध कर अपवंचन और काले धन को जमा करने के बारे में जांच पड़ताल चल रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित नये निदेशकों में उन विभिन्न कम्पनियों के कई उच्च कार्यकारी अधिकारी हैं जो पहले बर्ड एंड कम्पनी की मैनेजिंग एजेंसी के अन्तर्गत आती थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं श्रीमान् जी। कम्पनी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन हेतु केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।

(ख) से (घ) उत्पन्न नहीं होता ।

धर्मनगर-अगरतला क्षेत्र लाइन के लिये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

6138. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाईन बनाने के लिये आरम्भ किये गये कार्य का तिथिवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन लाईनों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) धर्मनगर से अगरतला तक 153.00 किलोमीटर लम्बी नयी मीटर लाइन के लिए 1969-70 में किये गये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षणों से मालूम हुआ था कि इस परियोजना पर 45.30 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यह बहुत अधिक लाभप्रद रहेगी जिस से छठे वर्ष में घाटे वाला प्रतिफल (—) 1.47 प्रतिशत प्राप्त होगा। इस परियोजना के संबन्ध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

धर्मनगर–कुमारघाट रेलवे सम्पर्क लाइन निर्माण का प्रस्ताव 1974-75 में किया गया था बशर्ते उत्तर पूर्वी परिषद् इस निर्माण कार्य की लागत वहन करे । अभी तक उत्तर पूर्वी परिषद् इस निर्माण कार्य की लागत वहन करने के लिये सहमत नहीं हुई है । अतः काम शुरू नहीं किया जा सका ।

ठेकेदारों द्वारा कलकत्ता में भूमिगत रेल पर कार्य करने से इंकार किया जाना

6139. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के निर्माण में लगे ठेकेदारों ने देश में प्रत्येक वस्तु की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि के कारण पुरानी दरों पर कार्य करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) क्या विदेशी सहयोगकर्ता भी कुछ शर्तों में परिवर्तन करना चाहते हैं ;

(ग) इस वृद्धि के कारण लागत संबन्धी मूल प्राक्कलन तथा वर्तमान प्राक्कलन के बीच कितना अन्तर है ;

(घ) क्या कार्य निष्पादन में विलम्ब सरकार की गलती के कारण हैं ; और

(ङ) इस भूमिगत रेलवे का निर्माण कब पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) रूसी सहयोग की शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) 1973-74 को मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण मूल स्वीकृत खर्च में लगभग 9.1 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

(घ) देश की वर्तमान आर्थिक कठिनाई के कारण निर्माण की गति धीमी पड़ गयी है ।

(ङ) काम पूरा होने की लक्ष्य तिथि के संबन्ध में अभी पुनरीक्षा की जा रही है ।

Coal loaded wagons for Bangle Manufacturing Units of Ferozabad, Agra Division (U.P.)

†6140. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of coal loaded wagons allotted every month to Bangle Manufacturing units of Ferozabad in Agra District (U.P.); and

(b) the names of above units/firms to whom wagons were allotted during the last one year together with the number of wagons allotted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) While sponsoring the requirement of coal of individual consumer/Unit at Ferozabad, the State Government does not mention whether the consumer/Unit is engaged in the manufacture of bangles or other glass products. As such, it has not been possible for the Railways to identify allotments against bangle manufacturing units and others.

(b) Does not arise.

बिरला कम्पनी समूह की चार कम्पनियों को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस

6141. **श्री मधु लिमये :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिरला कम्पनी समूह की चार कम्पनिययों के जिनको 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गए हैं और जिन्होंने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपना पंजीकरण नहीं करवा रखा, उनके मारुति लिमिटेड में कितने-कितने शेयर हैं ;

(ख) क्या इन कम्पनियों अथवा दत्त प्रतिवेदन में उल्लिखित किसी अन्य बिरला कम्पनी ने मारुति लिमिटेड में कोई राशि जमा कराई है, डीलर-डिपाजिट राशि जमा की है अथवा किसी अन्य प्रकार से धनराशि जमा की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संवन्धी व्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हवाला चार कम्पनियों से है, नामशः (1) उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (2) दरभंगा मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड (3) सरन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड और (4) चम्पारन मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति (दत्त समिति) में बिड़ला समूह की कम्पनियों से संबन्धित प्रदर्शित की गई है तथा जिन्होंने सप्रतिरोध किया है कि वे बिड़ला घराने से संवन्धित है । मारुति लिमिटेड में इन चार कम्पनियों की प्रत्येक के शेयर धारण की सीमा के संबन्ध में सूचना, 28-9-1974 तक नवीनतम प्राप्त सूचना के अनुसार नीचे दी जाती है:—

कम्पनी का नाम	10 रु० प्रत्येक के साम्य शेयर धारण की संख्या	धारित शेयरों का मूल्य (रु०)	मारुति लिमिटेड की कुल प्रदत्त पूंजी में धारित शेयरों का प्रतिशत
1. उत्तर प्रदेश ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	40,000	4,00,000	2.2
2. दरभंगा मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड	30,000	3,00,000	1.6
3. सरन ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड .	20,000	2,00,000	1.1
4. चम्पारन मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड	10,000	1,00,000	0.5
	योग ..	.. ..	5.4 प्रतिशत

(ख) तथा (ग) 31-3-74 तक की, मैसर्स मारुति लिमिटेड के नवीनतम तुलनपत्र में कम्पनी के पास जमा ब्याज सहित बिक्रेता जमा के रूप में 2,18,91,042 रु० की राशि प्रदर्शित की गई है। बैंकों से अलग स्त्रोतों से अप्रतिभूत ऋण 46,54,215 रु० है। तुलनपत्र में कोई अन्य जमा प्रदर्शित नहीं है। कम्पनियों या व्यक्तियों जिन्होंने कम्पनी में राशि जमा की है, के नाम, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत वार्षिक लेखाओं में प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। इसलिए वह सूचना कि क्या विशेष रूप से संदर्भित 4 बिड़ला कम्पनियों या कोई अन्य बिड़ला कम्पनी ने मारुति लिमिटेड में कोई राशि जमा की है, कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत वार्षिक लेखाओं में उपलब्ध नहीं है।

बोंगाई गांव में तेल शोधन शाला और पेट्रोकमिकल उद्योग समूह का निर्माण

6142. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वोंगाई गांव (आसाम) में तेल शोधनशाला और पेट्रोकेमिकल उद्योग समूह का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ;

(ख) इसके कब तक पूर्ण किये जाने की संभावना है ; और

(ग) उद्योग समूह की कुल लागत का अनुमान क्या है और इसकी क्षमता क्या होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) सूत्रयोग के विस्तृत कार्यकलापों के बाद प्रायोजना पर सिविल निर्माण का कार्य 1974 के अन्तिम तिमाही में जारी किया गया था।

(ख) उनके निश्चित निर्माण कार्यक्रमों के अनुसार शोधनशाला की 1976-77 में आरम्भ होने की सम्भावना है। पेट्रोरसायन संयंत्र का 1978-79 में आरम्भ होना निश्चित था परन्तु अब संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रायोजना की स्वीकृत अनुमानित लागत 81.10 करोड़ रुपये थी। बाद में प्रायोजना के लिए कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए 29 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च हेतु लागत की स्वीकृति दी गई है। मूल्यों में सामान्य वृद्धि और प्रायोजना के बढ़ने की गुंजाइश के कारण भी अनुमानित लागत बढ़ जाने की संभावना है। प्रायोजना के लिए संशोधित अनुमानित लागत, प्रायोजना के प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है।

शोधनशाला और पेट्रों रसायन भागों की क्षमताएं इस प्रकार है:——

1.	शोधनशाला	1 मिलियन मैट्रिक मी० टन प्रतिवर्ष अशोधित तेल।
2.	पेट्रोरसायन	विशेष वाईल पाइन्ट नैफ्था के प्रतिवर्ष 80,000 मी० टन।
3.	डी०एम०टी०	लगभग 30,000 मी० टन।

कम्पनियों को नई औषधियों के उत्पादन के लिये दिये गये लाइसेंस

6143. **श्री वयालर रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन कम्पनियों अथवा फर्मो को गत तीन वर्षों में नई औषधियों का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे और प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और किन किन फर्मों ने क्षमता का विस्तार करने की अनुमति और नया उत्पादन प्रारम्भ करने की अनुमति का उपयोग नहीं किया है और प्रत्येक इस प्रकार के मामले के क्या कारण हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) कम्पनियों के नाम जिनकों नये प्रपुंज औषधों के निर्माण पहले से उत्पादित प्रपुंज औषधों के विस्तार के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे। लाईसेंसीकृत क्षमता, क्या उत्पादन प्रारम्भ किया गया हैं अथवा नहीं और उत्पादन आरम्भ न करने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9422/75]**

कोयले के तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की बैठक

6144. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले को तेजी से एक स्थान से दूसरे पर ले जाने के बारे में कार्यवाही करने के लिये रेलवे और कोयला खान प्राधिकरण और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबन्धकों और श्रमिकों की बैठक बुलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो बैठक कब तक होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Topics selected for bringing out Law Books in Hindi during the Fourth Plan

+ 6145. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether 37 topics had been selected for bringing out Law Books in Hindi during the Fourth Plan period; and

(b) if so, the reasons for delay in bringing them out ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) On the recommendations of the Hindi Advisory Committee of this Ministry, 37 subjects were selected for getting original law text books written in Hindi by selected authors. This scheme of publication of law text books is not , however, included in the Plan.

(b) The progress made under the scheme is as under :

Complete manuscripts on eleven subjects were received of which six were approved for publication. Three of them are being written and two have been rejected. Out of six approved manuscripts, three are in the final stages of printing. They are expected to be published before the commencement of the next academic session. The remaining three are being edited before these are rent to the press.

Books on 24 subjects (including three which are being re-written) are in different stages of writing with the authors and authors for books on seven subjects (including two which have been rejected) are still to be selected.

As the authors selected for writing these books are eminent persons and otherwise busy, they have taken more time in writing the books than originally anticipated.

Efforts are, however, being made to expedite the publications.

तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग की कावेरी तटदूर घाटी में तेल की खोज करने के बारे में योजना

6146. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग की कावेरी तटदूर घाटी में तेल की खोज करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग ने उसके लिए किसी विदेशी कम्पनी के साथ बातचीत की है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) कावेरी ग्रप-तटीय थालौद में तेल ग्रन्वेषण के लिए कुछ विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

इस संबन्ध में कोई भी ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है ।

जनता ग्रौर ग्रन्य नहाने के साबुन के बीच ग्रन्तर

6147. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, टाटा बन्धुग्रों ग्रौर ग्रन्य कम्पनियों द्वारा बनाये जा रहे जनता साबुन ग्रौर ग्रन्य टायलट साबुनों के बीच क्या ग्रन्तर है, ग्रौर

(ख) इनकी कीमतें किस ग्राधार पर निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) "जनता" नहाने के साबुन में बचत वाली पैकिंग सहित कुल वस्तु सामग्री 65 प्रतिशत ग्रौर कम खुशबू होती है । ग्रन्य नहाने के साबुनों में ग्रधिक कुल बसा सामग्री, ग्रधिक खुशबू ग्रौर ग्रधिक चित्ताकर्षक पैकिंग होती है

(ख) निर्माताग्रों ने प्रति 100 ग्राम की टिकिया 1.00 रुपये से 1.05 रु० के मूल्य पर जनता नहाने के साबुन का विपणन कार्य हाथ में लिया है । साबुन के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं था । तथापि संगठित क्षेत्र द्वारा निर्मित भंडारी कार्बोलिक ग्रौर मानक श्रेणी वाले नहाने के साबुनों पर सितम्बर, 1974 तक ग्रनौपचारिक मूल्य नियंत्रण था । किस प्रकार उद्योग ऐसे साबुनों के मूल्यों में वृद्धि करने से पूर्व सरकार की ग्रनुमति लिया करते थे 'जनता' नहाने के साबुनों का उत्पादन करने का कार्य ग्रौर गत तीन सालों में ग्रच्छे स्तर तक इस्टतम उत्पादन करने का कार्य हाथ में लेने के बाद उद्योग पर से 19-9-1974 को ग्रनौपचारिक नियंत्रण उठा लिया था ।

उलटाडांगा में हुई रेल दुर्घटना के बारे में जांच रिपोर्ट

6148. **श्री रानेन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उलटाडांगा स्टेशन में हुई रेल दुर्घटना, जिसमें अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई थीं, के बारे में जांच रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्ष की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दुर्घटना के बारे में कोई विशिष्ट पुलिस जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो निष्कर्ष की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के अनंतिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने किसी विशेष पुलिस जांच के आदेश दिये थे अथवा नहीं, इसके बारे में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य रेलवे की कुछ गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या

6149. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे की 3 अप, 4 डाउन, और 28 अप गाड़ियों में इलाहाबाद और बम्बई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की पिछली गणना के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) अत्याधिक भीड़-भाड़ को देखते हुए क्या रेलवे का उपरोक्त मार्गों पर अधिक गाड़ियां चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संगलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9423/75]**

(ख) मार्ग वर्ती खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता तथा बम्बई/दादर और इलाहाबाद में टर्मिनल संबन्धी सुविधाओं के अभाव में एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

गुजरात में भावनगर-तारापोर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

6150. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भावनगर-तारापोर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य अब पूरा हो गया है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नई लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का है;

(ख) यदि सर्वेक्षण कार्य अभी तक चल रहा है तो यह कब तक पूरा हो जायेगा,

(ग) क्या सरकार का विचार इस नई लाइन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देने का है विशेष रूप से गुजरात में वर्तमान कमी और सूखे की स्थिति को देखते हुए जिसके कारण राहत और अभाव संबन्धी कार्यों को तत्काल प्रारम्भ करने की आवश्यकता हो गई है, और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है और संभावना है कि अगस्त, 1975 तक यह पूरा हो जायेगा। सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने तथा रिपोर्टें प्राप्त हो जाने के बाद इस लाईन के निर्माण के प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा। सूखे की वर्तमान स्थिति के दौरान इस परियोजना को शुरू करना तब तक संभव न हो सकेगा, जब तक कि नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए योजना में निर्धारित राशि काफी बढ़ा न दी जाये।

मैसर्स राजकोट कोल एण्ड कोक मर्चेन्टस एसोसियेशन राजकोट से अभ्यावेदन

6151. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स राजकोट कोल एंड कोक मर्चेन्टस एसोसियेशन राजकोट से 'ब्रीज कोक' और 'पर्ल कोक' की भाड़ा व्यवस्था के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस संबन्ध में कुछ संसद सदस्यों ने भी रेल मंत्रालय को पत्र लिखे हैं ; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक इस संबन्ध में संसद सदस्यों की ओर से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ग) राजकोट कोयला और कोक व्यापारिक संघ द्वारा ब्रीज कोक और पर्ल कोक के वर्तमान वर्गीकरण में कमी करने के लिये कियें गये अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

New Trains started during 1974-75

†6152. **Shri B.S. Chowhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of new trains started in 1974-75, zone-wise;

(b) the number of trains cancelled during this period zone-wise; and

(c) the reasons for cancellation of these trains?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh):

(a)

New trains introduced	Existing trains extended	Railways
2	4	Northern.
2	1	South Central.
2	—	Eastern & North-East Frontier.
–	6	North-Eastern.

(b) & (c). Daily average number of trains cancelled zone-wise during 1974-75 (upto February, 75) due to Railwaymen strike, shortage of coal and water, public agitations etc. is as under:—

Railway	Daily average number of trains cancelled (in pairs).
Central	5.0
North-Eastern	53.0
South Central	19.0
Eastern	20.0
Western	67.0
South-Eastern	2.0
Southern	148.0
Northern	67.0
North-East Frontier	20.0

तेल शोधक कारखानों की क्षमता

6153. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी और आयातित अशोधित तेल का शोधन करने के लिए इस समय देश में कुल कितनी शोधन क्षमता है,

(ख) सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं तथा उनकी पृथक-पृथक तेल शोधन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या अगले कुछ वर्षों के दौरान वर्तमान तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव या योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तेल शोधनशालावार प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सामान्य परिचालन स्तर पर आधारित देश में विद्यमान शोधनशाला की क्षमता (सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में) लगभग 27 मिलियन मी० टन है जिसमें हल्दिया शोधनशाला (जिसका ईंधन भाग जनवरी 1975 में चालू हुआ था) और दो विदेशी तेल कम्पनियां और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की अतिरिक्त क्षमता जिसका उनके द्वारा दावा किया गया, को सविस्तार नीचे दिया गया है:—

सरकारी क्षेत्र	(क्षमता मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष)
गोहाटी शोधनशाला	0.80
कोयाली शोधनशाला	3.80
बरौनी शोधनशाला	3.00
मद्रास शोधन शाला	2.65
कोचीन शोधनशाला	3.30
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला	3.50
हल्दिया शोधनशाला	2.50
गैर-सरकारी :	(क्षमता मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष)
दिगबोई शोधनशाला	0.50
बर्मा शैल शोधनशाला	5.25
काल्टेक्स शोधनशाला	1.55
जोड़	26.85

(ग) और (घ) विद्यमान शोधनशाला क्षमता में वृद्धि करने के लिए पांचवीं योजना में निम्नलिखित प्रायोजनाओं को शामिल किया गया है और उनको कार्यान्वित किया जा रहा है ।

	(क्षमता मिलियन मी० टन में प्रति-वर्ष)
1. बोगई गांव शोधनशाला . .	1
2. मथुरा शोधनशाला	6
3. कोयाली शोधनशाला विस्तार	3
जोड़	10

केरल में रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और उनका विस्तार

6154. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कुछ रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और उनका विस्तार किये जाने की आवश्यकता है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए चालू वर्ष के दौरान धन की व्यवस्था की है, और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यातायात के वर्तमान स्तर पर के लिए केरल के रेलवे स्टेशनों का बहुत अधिक विस्तार करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(ख) और (ग) स्टेशनों पर अनुरक्षण और मरम्मत, यात्री सुविधाओं और मामूली परिवर्धन एवं परिवर्तन संबन्धी काम के लिए हर वर्ष धन की व्यवस्था की जाती है । इसी तरह की व्यवस्था इस वर्ष भी की गयी है । धन का आवंटन रेलवे-वार किया जाता है और अलग-अलग राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता ।

मुनाफे के आधार पर लाभांश का सामान्य राजस्व को भुगतान

6155. **श्री वरके जार्ज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य राजस्व में लाभांश के भुगतान करने से रेलवे की विशुद्ध आय का बहुत बड़ा अंश चला जाता है,

(ख) क्या सरकार के पास लाभांश को अर्जित मुनाफे तथा रेलवे की वित्तीय आवश्यकताओं से संबन्ध करने की कोई योजना विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलों की शुद्ध ग्रामदनी या बचत का हिसाब, सामान्य राजस्व को किये जाने वाले भुगतान को लेखे में लेने के बाद ही लगाया जाता है। उक्त भुगतान सामान्य राजकोष से रेलों को मिलने वाली पूंजी पर ब्याज के रूप में होता है। इसे रेलों की शुद्ध ग्रामदनी से निकासी समझने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में सउदी अरब के तेल मंत्री के साथ विचार विमर्श

6156. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब के पैट्रोलियम मंत्री श्री शेख अहमद जकी यमनी ने हाल में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान सऊदी अरब से भारत में (15 लाख मीट्रिक टन से ऊपर) अशोधित तेल की सप्लाई को बढ़ाने के प्रश्न पर उनके साथ चर्चा की गई थी, यदि हां तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या उसके साथ हुई चर्चा में यह निर्णय किया गया था कि एक संयुक्त भारत सऊदी आर्थिक सहयोग आयोग की स्थापना की जाये, यदि हां, तो विचाराधीन आयोग की मुख्य बातें और कृत्य क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इसका निर्णय उनके दौरे के दौरान नहीं किया गया था। तथापि अमोनिया कारपोरेशन को तीव्रतर बनाने के लिये सउदी अरबिया के साथ एक संयुक्त समिति की स्थापना करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मंगलौर हसन मीटर गेज लाईन का ब्राडगेज लाइन में बदला जाना

6157. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर हसन मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने का कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस लाइन को तिपतूर तक बढ़ाकर (100 मील से कम) और तिपतूर व बंगलौर के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलकर इसे (कर्नाटक) राज्य की राजधानी से जोड़ा जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण मंगलौर-बंगलौर लाइन को लाभकर बनाने के लिये तिपतूर होते हुए मंगलौर हसन लाइन बंगलौर तक के विस्तार का सर्वेक्षण करवाने का है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) हसन-मंगलौर रेल लाइन का निर्माण मीटर ग्रामान लाइन के रूप में बड़े ग्रामान की ग्रवसंरचना पर किया जा रहा है ताकि बाद में यातायात का ग्रौचित्य होने पर ग्रासानी से बड़े ग्रामान में परिवर्तित किया जा सके। फिलहाल, इस लाइन को बड़े ग्रामान में बदलने या तिपतूर के रास्ते मंगलौर तक उसके विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड में स्टाक का जमा हो जाना

6158. **श्री ग्रार० एन० वर्मन** : क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड में बड़ी मात्रा में स्टाक जमा हो गया है;

(ख) क्या दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री में भारी कमी होने के कारण कम्पनी भीषण ग्रार्थिक संकट में ग्रा गई है ग्रौर केन्द्रीय सरकार से सहायता का ग्रनुरोध किया है;

(ग) क्या वित्तीय संकट के कारण दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड ग्रपने कर्मचारियों को वेतन भी वितरित नहीं कर सकी है; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान एण्टिवायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के दो वरिष्ठ ग्रधिकारियों की सेवाग्रों को समाप्त किया जाना

6159. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दूस्तान एण्टीवायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में दो वरिष्ठ ग्रधिकारियों की सेवायें ग्रनुशासनहीनता ग्रौर कदाचार के ग्राधार पर समाप्त कर दी गई हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) ग्रौर (ख) उत्पादन ग्रौर लाभ के रुख में कमी को देखते हुए कम्पनी के निदेशक-मण्डल ने निम्नलिखित विषयों की चर्चा करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की। "विशेषकर कर्मचारियों के कार्य के संदर्भ में उत्पादन, इंजीनियरी ग्रौर माल प्रबन्धक विभागों की कार्य प्रणाली की जांच करना ग्रौर गिरावटों के लिये जिम्मेदारी निश्चित करना यथा सम्भव शीघ्र समिति की बैठक होगी ग्रौर लगभग 30 दिन के ग्रन्दर-ग्रन्दर वह ग्रपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ग्रौर नई दिल्ली में ग्रायात बैठक बुलाना ग्रावश्यक समझा गया तो प्रबन्ध निदेशक इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

ग्रन्य बातों के ग्रलावा समिति के निष्कर्षों पर निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं :—

(1) जब उत्पादन ग्रौर इंजीनियरी सेवाग्रों के प्रमुखों को ग्रपनी जिम्मेदारीयों के निभाने ग्रौर जिम्मेदारी लेने का ग्रभाव पाया जाता है तो समिनि भी जागरुक है कि कम्पनी के तकनीकि परिवालनों के ग्रपर्याप्त कार्यों के लिये केवल ग्रधिकारियों की ग्रसफलता ही कारण नहीं हो सकती है।

(2) सभी स्तर पर अनुशासन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और अपराधों और जिम्मेदारी से भागने वाले अधिकारियों और आपरेटरों तथा अन्य कामगरों को शीघ्र दण्डित किया जाना चाहिये।

(3) निम्नलिखित की स्थापना करने के लिये तत्काल प्रौद्योगिकी सैल की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है :––(क) अनुकूलतम क्षमता का उपयोग करने के लिये प्रोटोक्ल (ख) कार्य की निगरानी (ग) निष्पाद्य और लक्ष्य कार्यकुशलता का उद्देश्य, (घ) सामग्री शेषों और बैच आपरेशनों के लिये शीट प्रवाह, सामग्री पत्रों उपकरण विशिस्टियों तथा अपने कर्तव्यों, (ङ) उपचार कार्यों के लिये सिफारिश करना।

(4) जिस कार्यकारी दल ने पेन्सिलिन का उत्पादन किया था उसने प्रदर्शन करके दिखलाया है कि कार्य कुलशता का अनुकुलतम लक्ष्य के प्रोटोकल में यथा निर्धारित उत्पादन/प्रक्रिया पैरा मीटरों का यथावत् रूप में पालन कर विद्यमान स्थिति के अधीन संयंत्र में निषपाध किये जाने की आवश्यकता है। है। चूंकि उत्पादन विभाग कार्य कुशलताओं के इन अनुकूल लक्ष्यों को बनाये रखने के लिये योग्य नहीं रहा है, समिति इस असफलता के लिये उत्पादन कर्मचारियों को जिम्मेदार मानती है और विशेष रूप से उत्पादन अधीक्षक को जिम्मेदारी ठहराती है जिस पर इस विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है।

अतः निद्रेशक मण्डल द्वारा नियुक्ति समिति उत्पादन और लाभ में कमी होने के लिए अनेक कारणों को मानती है जिसमें बुरा प्रबन्ध अनुशासन की कमी और संयंत्रों के कुशल परिचालन से सम्बन्धित समस्याएं हैं ।

निदेशक मण्डल द्वारा जिस समिति का अनुसमर्थन किया गया था उसकी सिफारिशों के आधार पर दो पदाधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं थी। समिति की अन्य सिफारिशें कार्यान्वियनाधीन हैं।

कम्पनियों के कार्यों के बारे में जांच

6160. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने अलकाली एण्ड कैमिकल्स, कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, इमकेमेक्स, कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स इण्डिया लिमिटेड आफ इण्डिया एक्सप्लोसिस लिमिटेड, अतुल प्रोडक्स लिमिटेड, हिन्दूस्तान लीवर लिमिटेड, फिलिप्स कार्बन लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, सैन्डोज, डन्लप लिमिटेड, इण्डिया, बंयर, बूट्स, एब्बजो एब्बोट लेबोरेटरी लिमिटेड, एग्लो-फ्रेंच कम्पनी लिमिटेड, मेरैक, शार्प एण्ड धोम, सिनेमाइड, ग्लैक्सों लेबोरेटरीज, फ़िजर, पार्के डेविस, सीबर, पोलीफाइन, एलब्राइट, जर्मन रीमाइटव के कार्यों के बारे में जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच की मुख्य बातें क्या थीं और एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की इस सम्बन्ध में सिफारिशें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के शब्दों में आयोग केवल प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं या एकाधिकारिक व्यापार प्रथा में किसी उपक्रम द्वारा निरत होने के आरोपों में जांच संस्थित कर सकता है ना कि किसी उपक्रम के कार्यों में देखभाल के लिए ।

तथापि, आयोग ने नीचे उल्लेखानुसार उनके द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में निरत होने के आरोपों के विषय में अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और डनलप इण्डिया लिमिटेड के विरुद्ध जांच संस्थित की है। ये जांच अभिवचन के स्तर पर हैं :—

इन उपक्रमों द्वारा निरत होने की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं के विवरण नीचे दिये जाते हैं :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं की प्रकृति
1.	अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 33 (1) के खण्ड (क) (छ) और (ण) के उपबन्धों को प्रभावित करते हुए एकमात्र व्यापारिता, उन व्यक्तियों, जिनसे माल खरीदा जाता है को प्रतिबन्धित करना, उन शर्तों पर बेचना जो प्रतियोगिता का निरस्त करेगी और निकासी को सीमित, प्रतिबन्धित और रोकेगी।
2.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	जांच का नोटिस उन व्यापारिक प्रथाओं से संबंधित है जो प्रगट या कम्पनी द्वारा उत्पादित उपभोक्ता माल की आपूर्ति और वितरण में प्रतियोगिता का निवारण विकृत या प्रतिबन्धित करते हुए प्रभावी करने की संभावना रखती हैं तथा कीमत के चालन को आस-पास लाना एवं माल की अपूर्ति के दबाव को इस प्रकार प्रभावित करना जो उपभोक्ता पर अन्यायपूर्ण लागत या प्रतिबन्ध थोपता है, तथा लोकहित के विपरीत है।
3.	डनलप (इण्डिया) लिमिटेड और अन्य 7 टायर कम्पनियां	इन कम्पनियों द्वारा आटोमोटिव टायर इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के आचरण की साधारण संहिता कहे जाने वाले सामान्य अनुबन्ध, जिसमें साथ-साथ इसकी भी व्यवस्था है, कि ये कम्पनियां एक विक्रेता के रुप में केवल उस मूल्य या शर्त या व्यवस्थाओं में माल बेचने की अधिकारी है, किया गया था

मैसर्स सी० ई० फलफोर्ड एण्ड कंपनी द्वारा की गई अनियमितताएं

6161. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड एण्ड कम्पनी को अपने सूत्र (फारम्यूलेशन) हमारे देश में बेचने हेतु प्राथमिकता देने के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त पत्रों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय ने इस फर्म में अनुचित रुचि दिखाई थी तथा सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हां तो यह शिकायतें किस प्रकार की हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सरकार का विचार इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जिससे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम तथा अधिसूचनाओं का उल्लंघन किया है और अपने पत्रों में गलत तथ्य दिए हैं; और

(घ) प्रशासनिक मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार ने सी० ई० फुलफोर्ड एण्ड कम्पनी के बारे में क्या राय दी है?

पेंट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार द्वारा प्राप्त पत्रों में यह कहा गया है कि मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड लि०, 100 प्रतिशत विदेशी कम्पनी, अवैद्य तथा अप्राधिकृत सूत्रयोग कार्यकलाप में लगी हुई है। यह भी कहा गया है कम्पनी उनके द्वारा बाजार में बेचे गए जेन्टामाइसीन सूत्रयोगों के लिए बहुत अधिक मूल्य ले रहे हैं।

(ख) और (ग) कम्पनी ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने आवेदन पत्र में जो 13-9-74 को प्राप्त हुआ था निम्नलिखित विषयों के उत्पादन के लिए आवेदन पत्र दिया है :—

क्र० सं०	विषय	वार्षिक क्षमता
1.	जेंटामाइसिन सल्फेट	1,000 कि०ग्रा०
2.	टैबलेट्स	360 मिलियन
3.	इंजेक्शन	8,100 लिटर
4.	आइन्टमेंट तथा क्रीम	25,000 कि०ग्रा०
5.	सोल्यूशन्स	11,000 लिटर
6.	कैप्सूलस्	5,000 मिलियन

उपर्युक्त आवेदन पत्र पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है यद्यपि लाइसेंसिंग समिति ने एक बार प्रस्ताव पर विचार किया था।

(घ) कम्पनी को कहा गया है उन्होंने 1 (डी एण्ड आर) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत सी० ओ० बी० लाइसेंस क्यों नहीं लिया है, उसके कारण बताए। प्राप्त उत्तर के आधार पर कम्पनी के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है अथवा नहीं, के प्रश्न की जांच की जा रही है। जेंटामाइसीन इंजेक्शन के अधिक मूल्यों के बारे में औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत 10-2-75 से उत्पाद का मूल्य प्रति 2 एम एल वैल 31.79 रुपये से प्रति 2 एम एल वैल 24.11 रुपये तक कम किया गया था। खाद्य तथा औषध प्रशासन महाराष्ट्र के आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि इन आदेशों के पालन को सुनिश्चित करें।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड में एन्टीबायोटिक के उत्पादन में सुधार करने के लिये कार्यवाही

6162. **श्री भालजी भाई राव जी भाई परमार** : क्या **पेंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के ऋषिकेश तथा पूना स्थित संयंत्रों में एन्टीबायोटिक्स के उत्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या मैसर्स फाइजर 'स्टेन्स' सम्बन्धी अपने प्रस्तावों की स्वीकृति के लिये नौकरशाहों के माध्यम से दबाव डाल रहा है, उनके प्रस्ताव की मुख्य वातें क्या हैं तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार 3 मीटरी टन अनिरिक्त ग्रौक्सीटेट्रा-साइक्लीन उत्पादन राज्य व्यापार निगम के पक्ष में छोड़ने के लिए मैसर्स फाइजर को निदेश देने का है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ, ऐंटीबायोटिक्स संयंत्र, ऋषिकेश के कार्य को देखने के लिये सरकार द्वारा जून 1973 में एक तकनीकी समिति स्थापित की गई थी :—

(i) आई० डी० पी० एल० के ऐंटीबायोटिक्स संयंत्र ऋषिकेश में विभिन्न ऐंटीबायोटिक्स के लिये स्थापित क्षमताओं और स्थापित क्षमताओं के उपयोग को निर्धारित करना ।

(ii) अपर्याप्त उत्पादों के लिए जिम्मेदार पहलुओं और विभिन्न ऐंटीबायोटिक्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब तक उठाए गए प्रभावशाली उपायों को निर्धारित करना ।

(iii) संयंत्र के सम्पूर्ण आर्थिक सुधार और उत्पादन बढ़ाने के लिये किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना ।

समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1973 में प्रस्तुत की थी । इस रिपोर्ट में इस संयंत्र के कार्य निष्पादन में सुधार के लिये प्रस्तावी निष्कर्ष निहित है और इस में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :—

1. शिल्पवैज्ञानिक-क्षमता
2. शिल्पविज्ञान/लगाई गई प्रक्रिया ।
3. कोटि नियन्त्रण ।
4. अनुरक्षण ।
5. लाभदायकता ।
6. संगठनात्मक स्थापना ।
7. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
8. कार्मिक नीति ।
9. श्रमिकों के लिए सुविधाएं ।
10. उत्पादन प्रोत्साहन योजना आदि ।

अप्रैल 1974 में सरकार ने रिपोर्ट की अपेक्षित जांच करने के बाद, आई डी पी एल के प्रबन्ध को रिपोर्ट के कार्यन्वयन के लिये अनुदेश जारी किये हैं । सरकार के अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आई० डी० पी० एल० के प्रबन्धक द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

उपर्युक्त के अलावा श्रमिकों के संघ के कुछ पुराने अनिर्णित मामले पूरे किए गए हैं और आशा की जाती है कि संयंत्र के प्रचालन में कार्यकुशलता बढ़ जाएगी । ऐंटीबायोटिक्स संयंत्र, ऋषिकेश के क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादों के उत्पादनों के सुधारने के लिये ठीक शिल्पविज्ञान और स्ट्रेनों को प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

एच० ए० एल० के बारे में कम्पनी ने अधिक, उत्पादन करने वाले नए स्ट्रेन जारी किए थे जो मैसर्स ग्लैक्सों से स्ट्रेपटोमाइसिन के उत्पादन के लिये निःशुल्क प्राप्त किए गए थे। यह स्ट्रेन सितम्बर 1974 में स्थायी किया गया था। उन्होंने अपने अनुसंधान तथा विकास संयंत्र द्वारा विकसित प्रक्रिया के जरिए डेक्स्ट्रोन से स्टार्च में भी बदला है। इन दोनों उपायों से इन विषयों के उत्पादन में सुधार हुआ है। पेंसिलिन के बारे में मैसर्स टोयो-जोजो जापान से पेंसिलिन के लिये अधिक उत्पादन करने वाली स्ट्रेन खरीदने के लिये विदेशी सहयोग हेतु एच० ए० एल० का प्रस्ताव, हाल ही में, स्वीकृत किया गया है। इसके जारी होने से पेंसिलिन का उत्पादन बढ़ जाएगा। इन उपायों के अलावा, कम्पनी के बोर्ड ने जनवरी 1974 में समिति गठित की थी जो इंजीनियरी तथा सामग्री प्रबन्ध विभाग के उत्पादन के कार्य और विशेष रूप में कार्मिकों के कार्य की जांच करेगी और कमी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कम्पनी द्वारा मुख्य इंजीनियर और अधीक्षक, उत्पादन की सेवाएं समाप्त की गई हैं। समिति की अन्य सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) और (ग) टैट्रासाइक्लिन तथा आक्सीटेट्रा-साइक्लिन के उत्पादन में सुधार के लिए मैसर्स फिजर द्वारा प्रोद्योगिकी प्रस्ताव और आई डी पी एल द्वारा निःशुल्क डाक्सी साइकिलिन का निर्माण उनकी (i) आक्सीटेट्रासाइकलिन के लिये उनकी अधिक क्षमता को नियमित करना और (ii) डाक्सी-साइकलिन के प्रतिवर्ष 5 मी० टन के उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने, प्रार्थना के संदर्भ में है।

सरकार हाथी समिति की रिपोर्ट, जो हाल ही में प्राप्त हुई है की सम्पूर्णता सिफारिशों की ध्यान में रख कर, प्रस्ताव पर ध्यान देगी।

कुछ विदेशी औषधि फर्मों द्वारा राशि से अधिक ले बीजक बनाये जाने के बारे मे शिकायतें

6163. **श्री भालजी भाई राव जी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डोमेथासीन, मेथलडोपा साइप्रोहेप्टाडीन, प्रेनिलोमाइन लाक्टेट तथा फर्सीमाइड के विपणन के लिये विदेशी फर्मों अर्थात एम० एस० डी० तथा होचस्ट द्वारा राशि से अधिक के बीजक बनाये जाने के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय को अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) सरकार ने इन मदों को 'कैनालाइज' करने के बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या यह सच है कि इन फर्मों सहित विदेशी फर्मों ने अपने प्रतिनिधियों को यह आदेश दिया कि यह देखें कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय बाजार में उक्त उत्पादों की कृत्रिम कमी पैदा हो जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) इस बात की सूचना सरकार को दे दी गई है कि यद्यपि इण्डोमैथासिन, साइप्रोहेप्टाडीन, प्रेनीलोमाइन लेक्टेट, फ्रूसीमाईड के सी० आई० एफ० मूल्य विश्व की मण्डी में पर्याप्त मात्रा में गिर चुके हैं, मैसर्स एम० एस० डी० तथा होचस्ट इन्हें अपनी प्रमुख कम्पनियों से अधिक मूल्यों पर आयात करते हैं। मैथाइल डोपा के बारे में कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली।

इण्डोमैथासीन, फरसेमाईड, प्रेनीलेमाइन लेक्टेट और मैथाईल टोपा का अयात वर्ष 1973-74 से एस० टी० सी० के माध्यम से सरणीबद्ध कर दिया गया था । साईप्रोहेप्टाडीन का आयात थोड़ी मात्रा में होने के कारण इसका सरणीबद्ध करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) साइप्रोहैप्टाडीन और फ्रूसीमाइड की कमी के बारे में कोई समाचार नहीं मिला । तथापि प्रेनीलेमाइन लक्टेट की 1974 के अंत में विदेशी सप्लायर्ज से विलम्ब में भुक्तान के कारण अस्थाई रूप से कमी अवश्य हो गई थी । तथापि अब इसकी सप्लाई सामान्य है ।

मैसर्स मर्क शार्प एण्ड धोमें देश में इण्डोमैथासीन और मैथाईल डोपा के सब से बड़े सूत्रयोग निर्माता हैं। कम्पनी ने एस० टी० सी० द्वारा रुया क्षेत्र से आयात किये गये माल लेने से अनिच्छा व्यक्त की । इस से इन औषधों की कमी हो गई और बहुत-से सुप्रसिद्ध डाक्टरों ने ऐसे जीवन-रक्षक औषधों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि के लिये मंत्रालय को लिखा । मैसर्स एम० एस० डी० द्वारा निर्मित इण्डोमैथासीन और एलडोमेंट सूत्रयोगों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने एम० एस० डी० (यू० एस० ए०) से एस० टी० सी० के माध्यम से थोड़ी मात्रा में आयात करने की छूट दे दी है किन्तु इन औषधों के औसत मूल्य उन मूल्यों की तुलना में वही होने चाहिए जिन पर यह औषध रुपया स्रोतों से उपलब्ध हैं । आई० डी० पी० एल० को इन औषधों के सूत्रयोगों के निर्माण के लिए कहा गया है और उनके उत्पादन की जून 1975 के अंत से पहले प्राप्त होने की संभावना है।

मैसर्स जापफरी मैन्नर्स द्वारा बेंजाइथीन पैनिसिलीन का उत्पादन

6164. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जापफरी मैन्नर्स द्वारा प्रति वर्ष 6 मीट्रिक टन से अधिक बेंजाइथीन पैनिसिलीन का उत्पादन किया जाता है और यह उत्पादन मैसर्स जान वैथ ब्रादर्स लिमिटेड को 'फार्म्यूलेशन्ज' बनाने के लिये दे दिया जाता है और यही 'फार्म्यूलेशन्ज' मैसर्स जापफरी मैन्नर्स को दोबारा देश में बिक्री के लिये दे दिये जाते है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी शर्तों की मुख्य बातें क्या है ; और क्या उन्हें इसके लिये सरकार की अनुमति प्राप्त है ;

(ग) क्या बेंजाइथीन पेनिसिलीन इन विदेशी फर्मों के लिये अत्याधिक लाभ देने वाला मद है और इसके मूल्य पर गत दो वर्षों से विचार किया जा रहा है । यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने बेंजाइथीन पेनिसिलीन 'जी' का मूल्य तथा उसके ऐसी ही अन्य 'फार्म्यूलेशनें का मूल्य दो हाजार रुपये से घटा कर तेरह सौ रुपये प्रति किलो-ग्राम करने का निर्णय कर लिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यौरो (बी आई० सी० पी०) द्वारा यह फाइल निर्णयाधीन रख दी गई है यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

कार्मिक विभाग में वरिष्ठ वेतनमान पदों पर पदोन्नति के लिए आरक्षण कोटा

6165. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के कार्मिक विभाग में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से श्रेणी एक पदों (जूनियर स्केल) पर सीधी नियुक्ति की निर्धारित प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या कार्मिक विभाग में वरिष्ठ वेतनमान पदों पर नियुक्ति के लिये सीधी नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो दिनांक 27 नवम्बर, 1972 का गृह कार्य मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 27/2/72 ई० एस० टी० (एस० सी० टी०) में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्मिक विभाग में वरिष्ठ वेतनमान पदों पर पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत का आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के लिये $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत कोटा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को दे दिया गया है ;

(घ) उपर्युक्त आदेशों के जारी किये जाने के बाद वरिष्ठ वेतनमान पदों पर रेलवे जोनवार पदोन्नति ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और 1 अप्रैल, 1973 को ऐसे अधिकारियों की रेलवे जोनवार संख्या कितनी थी जो वरिष्ठ वेतनमान पदों पर पदोन्नति के योग्य थे लेकिन उनकी पदोन्नति के मामले पर विचार नहीं किया गया तथा ऐसा करने के क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इस समय भारतीय रेलों पर कार्मिक शाखा के लिये श्रेणी I की सेवा नहीं है; भारतीय रेलों पर कार्मिक विभाग में श्रेणी I के पदों का नियतन इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा, यांत्रिक इंजिनियरों की भारतीय रेल सेवा, भारतीय रेल यातायात सेवा और भारतीय रेल लेखा सेवा के लिये किया जाता है और इन सेवाओं में प्रतिवर्ष कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी I) स्तर पर होने वाली रिक्तियों के $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत तक सीधी भर्ती की जाती है। इन विभागों में वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर सीधी भर्ती नहीं की जाती।

(ग) इन सभी सेवाओं में रिक्तियों के $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत तक सीधी भर्ती होती है इस लिये कार्मिक विभाग के दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के पत्र में दी गयी हिदायतें लागू नहीं होतीं, क्योंकि ये हिदायतें केवल उन्हीं ग्रेडों और सेवाओं पर लागू होती हैं जहां सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। फिर भी, इन सभी सेवाओं में सीधे भर्ती किये गये श्रेणी I (कनिष्ठ वेतनमान) के अधिकारी, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी भी शामिल हैं, कनिष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, अपने आप और साथ ही साथ वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नत कर दिये जाते हैं। कार्मिक शाखा के वरिष्ठ वेतनमान के पदों के लिये जहां सीधे भर्ती किये गये कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, अन्य लोगों के साथ-साथ कार्मिक शाखा के श्रेणी II के अधिकारियों के बारे में विधिवत् प्रवरण के आधार पर, स्थानापन्न पदोन्नति के लिये विचार किया जाता है। ऐसे प्रवरण संघ लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किये जाते हैं। गृह मंत्रालय की 27-11-1972 की हिदायतें प्रवरण द्वारा की गयी पदोन्नतियों पर लागू नहीं होतीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा विटामिन सी का उत्पादन

6166. **श्री शशि भूषण** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश की मांग को पूरा करने के लिये विटामिन 'सी' का उत्पादन करने हेतु हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी का संयंत्र 31 मार्च, 1975 को चालू किया गया था और वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 में वहां पर विटामिन सी का कितना उत्पादन हुआ है और कितना बेचा गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जी हां, विटामिन सी का निर्माण करने के लिए चालू किए संयंत्र में, मध्यवर्ती पदार्थ, सोर्बिटल का भी उत्पादन किया जाता है । वर्ष 1973-74 और 1974-75 में एच० ए० एल० द्वारा सोर्बिटल और विटामिन सी का उत्पादन और बिक्री निम्नलिखित थी :—

	1973-74		1974-75	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
सोर्बिटल (मीटन)	67	39	185	105
विटामिन 'सी' प्रपुंज कि० ग्रा०	85	——	परीक्षणात्मकाधीन 400 और परीक्षित और स्वीकृत 510	——
विटामिन सी गोलियां लाख	——	——	9.57	5.36

विदेशी कम्पनियों द्वारा मामलों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को भेजने के विरुद्ध रोकादेश लेना

6167. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी कम्पनी, अथवा उसकी गौण कम्पनी अथवा भारत में काम कर रही उनकी किसी शाखा ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को निर्देशित अपने मामलों के विरुद्ध न्यायालयों से रोकादेश प्राप्त किये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार मुकदमे बाजी में विलम्ब को रोकने के लिये निर्देश का संशोधन करने अथवा कोई नया निर्देश जारी करने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमान् जी। जैसाकि 17 दिसम्बर, 1974 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 4897 के भाग (ख) के उत्तर में कहा था कि धारा 31 के अन्तर्गत आयोग को भेजे गये तीन संदर्भों के विषय में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष केडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड और कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के सम्बन्ध में कार्यवाहियां दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई थीं। ये मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में अब अनिर्णीत हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

Educational Facilities to Railway Employees in Railway Colonies in Madhya Pradesh (Central Railway)

†6168. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the educational facilities provided to Railway employees in railway colonies in various Divisions of Central Railway in Madhya Pradesh: and

(b) the main characteristics of the schools in each railway colony?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) & (b) Apart from educational facilities in the cities, following Railway Schools have been provided in Railway colonies at Bhusawal, Nagpur, Jhansi and Jabalpur Divisions of Central Railway in Madhya Pradesh.

Name of the Division	Middle Schools		Primary Schools	
	No.	Medium of instruction	No.	Medium of instruction
Bhusawal	1	Hindi	5	Hindi
Nagpur	Nil		2	Hindi
Jhansi	Nil		3	Hindi
			1	English
Jabalpur .	Nil		8	Hindi

Limited Companies in Madhya Pradesh which Failed to Furnish Statements during the last three years

†6169. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of the limited Companies in Madhya Pradesh which did not furnish their statements by the dates prescribed therefor by Government during the last three years and against whom no action has been taken; and

(b) the names thereof and the nature of the charges against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Re-instatement of Railway Employees working in Madhya Pradesh

†6170. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether all the suspended and dismissed Railway employees in Madhya Pradesh State against whom there were no charges have neen reinstated; and

(b) if so, the number of such employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b) The information about reinstatement of railway employees is not maintained State-wise but Railway wise. The position on the Central, S.E. and Western Railways which pass through the State of M.P. and some other States is given below:—

	Central	S.E.	Western
	(As on 5-4-1975)		
(i) No. of railway employees dismissed/removed from service or whose services were terminated . .	1701	2108	3507
(a) No. taken back to service	1557	1618	3360
(b) No. still out of service .	144	490	147
(ii) No. of employees suspended	984	1935	3431
(a) No. of employees whose suspension orders have been revoked	967	1820	3421
(b) No. of employees still under suspension .	17	115	10

शल्य चिकित्सा संबंधी औजारों का निर्माण करने वाली फर्में

6171. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली फर्मों सहित उन फर्मों के नाम क्या हैं जो भारत में शल्य चिकित्सा तथा सम्बद्ध औजारों का निर्माण करती हैं ;

(ख) विदेशी सहयोग वाली फर्मों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले सम्बन्धी करार का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक फर्म के मामले में कितनी हानि हुई तथा कितना लाभ हुआ ; और

(घ) प्रत्येक फर्म के उत्पादों/औजारों के तुलनात्मक गुणों की मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) शल्य उपकरण (इलैक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्करों के अलावा) के निर्माण के लिये डी० जी० टी० डी० की सूची पर रखे गये संयंत्रों के बारे में सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है । विदेशी सहयोग के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे है और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ग) प्रत्येक फर्मों द्वारा लाभ अथवा हानि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) उत्पादों/उपकरणों की कोटि के बारे में वास्तविक उपभोक्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उपकरणों की कोटि का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	संयंत्र का नाम	निर्माण का विषय	विदेशी सहयोग यदि कोई हो तो उसका स्वरूप
1.	मैसर्स इलप्रोइण्टरनेशनल लि०, पूना	प्रचालन टैबलेट्स स्टेरलाइजर्स तथा प्रचालन थियेटरलाइट्स	तकनीकी तथा वित्तीय
2.	मैसर्स स्कार्टम लि०, फरीदाबाद	प्रचालन टैब्लेट्स	
3.	आई डी० पी० एल०	शल्य उपकरणों के विभिन्न प्रकार	यू० एस० एस० आर० की सरकार के साथ तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग
4.	मैसर्स इण्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता	ऐनेस्थेइया उपकरण	तकनीकी तथा वित्तीय
5.	मैसर्स केहरम्जीकल एण्ड अलाइड प्राडक्टस प्राइवेट लि०	सूचर नीडिल्स	—
6.	इस्कोमेड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०	सूचर नीडिल्स	—
7.	फिल्पस इण्डिया लि०	प्रचालन थियेटर लाइट्स स्टेरेलाइजर्स आदि	तकनीकी तथा वित्तीय

डी०बी०के० लाइनों पर यात्री तथा प्राइवेट माल गाड़ियां चलाने का निर्णय

6172. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष सरकार ने 15 अगस्त, 1974 से डी० बी० के० रेलवे लाइन पर यात्री तथा प्राइवेट माल गाड़िया चलाने का निर्णय लिया था ;

(ख) निर्धारित तिथि पर इन गाड़ियों के चलाने को स्थगित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस लाइन पर इस कार्य के लिये कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) एक सवारी/मिलिजुली गाड़ी चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहा है लेकिन खण्डीय क्षमता और साधनों के अभाव में इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

(ग) जी नहीं।

कोरापुट तथा बस्तर जिलों की सेवा के लिए वैकल्पिक रेल लाइन

6173. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्रमशः कोरापुट और बस्तर जिलों की सेवा के लिये एक वैकल्पिक रेल लाइन बनाने के बारे में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या पीछे भी इस पर कोई विचार किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) खनिज पदार्थों के परिपूर्ण इन पिछड़े क्षेत्रों की सेवा के लिये सरकार की योजना क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कोरापुट और बस्तर जिलों में गाड़ी सेवा चालू करने के लिये ढल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम अभी हाल में पूरा हुआ है और रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । सर्वेक्षण रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि 241 कि० मी० लम्बी इस परियोजना पर 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे और डिस्काउन्टेड केश फलो तकनीक के अनुसार भाप कर्षण से 7.84 प्रतिशत और डीजल कर्षण से 7.97 प्रतिशत का प्रतिफल मिलेगा । इसलिये यह लाइन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है । रिपोर्ट की जांच हो जाने के बाद धन की उपलब्धता को देखते हुए इस लाइन के निर्माण के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

पेरूंगुजी हाल्ट से आय में वृद्धि

6174. **श्री वयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पेरूंगुजी रेलवे हाल्ट से आय में और भी वृद्धि हुई है जिससे उक्त हाल्ट को फलैग स्टेशन में बदलने का औचित्य सिद्ध होता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं अथवा करने का इरादा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पेरूंगुजी गाड़ी हाल्ट से होने वाली आमदनी पिछले तीन वर्षों से कम होती जा रही है जो इस प्रकार है :

1972-73	43,460 रु०
1973-74	38,544 रु०
1974-75 (फरवरी, 1975 तक)	28,746 रु०

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बेरोजगार स्नातकों को डीलरशिप का आबंटन

6175. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार स्नातकों व 'अंडर ग्रेजुएटों' को उर्वरकों की डीलरशिप देने की सरकार की कोई नीति है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को निदेश दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है । कुछ उर्वरक एकक डीलर की नियुक्ति के लिए यथा-सम्भव सीमा तक बेरोजगार स्नातकों को प्राथमिकता देते हैं ।

उड़ीसा के पूर्वी तट पर तथा तट से दूर छिद्रणकार्य

6176. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उड़ीसा के पूर्वी तट पर तथा तट-दूर छिद्रण-कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) उड़ीसा–पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र से तेल की प्राप्ति के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अनुमान क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) से (ग) हाइड्रोकार्बन्स के लिए उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में अब तक किए गये सर्वेक्षणों से अन्वेषी खनन के लिये किसी उपयुक्त संरचना की विद्यमानता का पता नही लगा है ।

पश्चिम बंगाल के तट-दूर महाद्वीपीय मस्त तट क्षेत्रों और उड़ीसा के कुछ भागों के अन्वेषण के ठेके कार्ल्सवर्ग-नेटोमाण ग्रुप को दिये गये । ठेके पर दिये गये क्षेत्र का प्रारंभिक भूकम्पीय सर्वेक्षण पूरा हो गया है । सर्वेक्षण से संरचानात्मक सम्भाव्यती का पता लग गया है। विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण भी हाथ में ले लिया गया है । और इन सर्वक्षण से प्राप्त विवरण को तैयार करने और उसकी व्याख्या करने के बाद ही कुएं खोदने के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा । उड़ीसा के तट-दूर बाकी अपतटीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अपने सर्वेक्षण पोत, जो शीघ्र ही भारतीय समुद्र में पहुंचने वाला है, की सहायता से किया जायेगा । इसलिये उड़ीसा के तट-दूर अपतटीय क्षेत्रों में तेल को संभावना का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है ।

गाड़ियों में बिना टिकट प्रवेश के लिये जुर्माना

6177. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में बिना टिकट प्रवेश के लिये न्यूनतम जुर्माना 10 रुपये है और क्या इससे उन वास्तविक यात्रियों को भारी कठिनाई होती है जो टिकट प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं ; और

(ख) क्या सरकार एक रुपया जुर्माना करने वाली वही पुरानी प्रक्रिया फिर से लागू करने अथवा गार्ड का प्रमाणपत्र लागू करने के बारे में विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यह ठीक है कि बिना टिकट यात्रा के लिये न्यूनतम जुर्माना 10 रुपया है । यह एक निवारक व्यवस्था है और इससे कोई कठिनाई नहीं पैदा होती

क्योंकि इससे उन वास्तविक यात्रियों से जुर्माना नहीं लिया जाता जो टिकट तो नहीं ले पाये हों लेकिन जिन्होंने यात्रा की अनुमति का प्रमाण पत्र गार्ड से ले रखा हो।

(ख) 10 रुपये के न्यूनतम जुर्माना में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गार्ड का प्रमाण पत्र देने की प्रणाली पहले से ही मौजूद है।

उर्वरक तथा औद्योगिक परियोजनाओं में बिड़ला बन्धुओं की परिसम्पत्ति

6178. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक परियोजनाओं तथा औद्योगिक परियोजनाओं में बिड़ला बन्धुओं की कुल परिसम्पत्ति कितनी है ;

(ख) वर्ष 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 में देश में उर्वरक परियोजनाओं में टाटा, डालमिया तथा जैन, ग्रुप की कुल कितनी परिसम्पत्ति थी ; और

(ग) इन ग्रुपों ने उक्त अवधि में अपनी कम्पनियों में कुल कितना लाभ अर्जित किया ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) फरवरी, 1973 से लागू परिशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति को ध्यान में रखते हुए, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत वे उपक्रम जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में बिड़ला गृह के अन्तर्गत प्रदर्शित कम्पनियों की सूची में चित्रित किये गये थे या जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की शर्तों में इस प्रकार के उपक्रमों से उनका अन्त :सम्बन्धित होना स्वीकार किया गया है, बिड़ला कम्पनियों के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार के 52 उपक्रमों की कुल परिसम्पत्ति जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत 31-10-74 को पंजीकृत थे तथा उनका कर से पूर्व 1972 और 1973 वर्षों में कुल लाभ निम्न प्रकार था :—

	1972	1973
	(करोड़ रु०)	(करोड़ रु०)
कुल परिसम्पत्ति . . .	585.79	643.16
कुल लाभ	43.59	44.80

पूर्वोक्त आंकड़ों में जूरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड का ब्यौरा भी सम्मिलित है, जो उर्वरक विनिर्माण-कर्त्ता एकाकी वृहदर उपक्रम के रूप में, उस समूह के अन्य उपक्रमों के साथ अन्त: सम्बन्ध स्वीकार न करते पंजीकृत है, तथा इसको औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सूची में भी चित्रित नहीं किया गया

था। पूर्वोक्त कम्पनी ही केवल एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उस समूह की कम्पनी है, जो उर्वरक के उत्पादन में विहित है, और उसकी परिसम्पत्तियां तथा लाभ 1972 और 1973 के वर्षों में निम्न प्रकार थे :—

	1972	1973
	(करोड़ रु०)	(करोड़ रु०)
परिसम्पत्तियां	52.58	52.58
लाभ	हानि	हानि

जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको इससे पहले बिड़ला कम्पनियों की सूची में चिन्हित किया गया था, का भी एक एकक है जो उर्वरक का विनिर्माण करता है किन्तु न तो यह कम्पनी एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत की गई है और ना ही उसके उर्वरक संयंत्र की अलग से परिसम्पत्तियां उपलब्ध हैं।

(2) टाटा, और साहू जैन समूह प्रत्येक की केवल एक कम्पनी उर्वरक विनिर्माण में लगी पाई गई है। अलग अलग यंत्रों हेतु परिसम्पत्तियां और लाभों के आंकड़े सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। कर से पूर्व दो कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियां और उनके लाभ 1972 और 1973 वर्षों हेतु निम्न प्रकार थे :—

	1972	1973
	(करोड़ रु०)	(करोड़ रु०)
न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लि० (साहू जैन समूह)		
कुल परिसम्पत्तियां	14.89	14.92
लाभ . . .	1.70	हानि
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टाटा समूह)		
कुल परिसम्पत्तियां	206.75	216.79
लाभ	11.97	5.52

एक्स-ग्रेन शाप कर्मचारियों की वरिष्ठता

6179. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री दक्षिण मध्य रेलवे के एक्सग्रेन शाप विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता और वेतन के बारे में 3 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2985 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए इस बीच 1 फरवरी, 1975 से आदेश जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या उक्त आदेश 16 अक्तूबर, 1952 के एक्स-ग्रेन शाप कर्मचारियों की वरिष्ठता सम्बन्धी आदेश में निहित आदेश के सिद्धान्तों को पूरा करने में असफल रहा है चूंकि भविष्य में पदोन्नतियों के

मामलों में ही केवल उनकी वरिष्टता पुनः स्थापित की जायेगी और उन्हें बकाया मंजूरी देने से इन्कार किया जाता है ;

(ग) क्या निर्णय और आदेशों के बीच भी एक वर्ष की अवधि में अनेक रेलवे जोनों में अनेक कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं होता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आदेश निर्णय के अनुसार है।

(ग) जी नहीं । केवल विधिवत रूप से चुने गये उन्हीं उम्मीदवारों या वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है जो पदोन्नति के लिये उपयुक्त थे ।

(घ) जी नहीं ।

औषध निर्माताओं द्वारा कच्चे माल के आयात की नीति

6180. **श्री खेमचन्द भाई चावडा :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों की आयात नीति में ऐसा संशोधन किया जा रहा है जिससे औषधि निर्माता पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल आयात कर सकें ताकि देश में औषधियों की कमी न हो ;

(ख) क्या गत वर्ष एक अन्तरमंत्रालीय बैठक में यह निर्णय किया गया था कि औषधि निर्माताओं से यह कहा जाय कि वे आवश्यक/जीवन रक्षक औषधियों के लिए अपेक्षित कच्चे माल की मात्रा बताते हुये तकनीकी विकास के महानिदेशक से आवेदन करें । यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार जीवन-रक्षक और दैनिक उपयोग की औषधियों की कमी दूर करना और इन औषधियों का व्यापार करने के लिये भारतीय क्षेत्र को पूरी छूट देना चाहती है, यदि हां, तो सरकार का विचार उन्हें क्या-क्या सुविधायें देने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) आई टी सी नीति 1975-76 के अन्तर्गत औषध तथा भेषज "चयन उद्योग" की सूची में शामिल किए गए हैं और चयन उद्योग के संयंत्रों को आयात लाइसेंस निम्नलिखित आधारों पर दिए जाएंगे :—

(i) 1974-75 के दौरान आयातित कच्चे माल की वास्तविक खपत का सी आई एफ मूल्य, अथवा

(ii) 1974-75 के दौरान संयंत्र द्वारा प्राप्त वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस का मूल्य, जो भी कम हो।

(iii) निर्यात निष्पादन/विस्तार के लिये कच्चे माल की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिये अनुपूरक हेतु आवेदनपत्रों पर भी डी० जी० टी० डी० की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

लघु उद्योग संयंत्रों को आयात लाइसेंस निम्नलिखित आधार पर दिए जाएंगे : (i) 1974-75 की अवधि के दौरान आयातित कच्चे माल की वास्तविक खपत का सी आई एफ मूल्य (ii) उस अवधि के लिये संयंत्र द्वारा प्राप्त वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस का मूल्य, जो भी कम हो, इसके अलावा ऐसे अधिकारों का 10 प्रतिशत।

(ख) अक्तूबर 1974 में हुई अन्त-विभागीय बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस पर मूल्य प्रतिबन्ध में छूट दी जा सकती है और बढ़ाए हुए मूल्य पर, यदि संबंधित औषध उत्पादन करने वाली कम्पनी अपेक्षित ब्यौरे के साथ, आयातों की अनिवार्यता पर आधारित डी जी टी डी को आवेदन पत्र देती है, तो मूल्यों में वृद्धि पर ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार यह भी स्वीकार किया गया था कि रुपये में भुगतान करने वाले क्षेत्रों से 50 प्रतिशत के आयात होने चाहिये के प्रतिबन्धन पर पर्याप्त रूप में छूट दी जा सकती है यदि डी जी टी डी संतुष्ट है कि ऐसे क्षेत्रों से अपेक्षित मात्रा में संबंधित विषय उपलब्ध नहीं है। इन सभी विषयों का हाथी समिति की सम्पूर्ण सिफारिशों को ध्यान रख कर पुनरीक्षण किया जाएगा।

(ग) सरकार ने औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति गठित की थी जिसके अन्य बातों के साथ-साथ विचारार्थ निम्नलिखित हैं :— (i) औषध उद्योग की तीव्र गति से विकास करने की सिफारिश करना और विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र की सिफारिश करना है। समिति अपनी सिफारिश करते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि उद्योग का क्षेत्रीय फैलाव संतुलित हो, और

(ii) आम जनता के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आम घरेलू उपचारों और आवश्यक औषधों की व्यवस्था करने के लिए उपायों की सिफारिश करना। समिति की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को 6-4-75 को प्राप्त हुई थी और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

बीकानेर डिवीजन में नल कूप लगाने के लिए ठेका पद्धति

6181. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने बीकानेर डिवीजन में नलकूप लगाने के लिये ठेका पद्धति अपनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो पहले प्रचलित विभागीय पद्धति के स्थान पर ठेका पद्धति को प्राथमिकता देने का निर्णय किस तिथि को किया गया तथा यह निर्णय किस स्तर पर किया गया;

(ग) क्या ठेकेदारों की सेवाएं लेने का निर्णय उत्तर रेलवे प्रशासन के जल विभाग की असफलता का द्योतक नहीं है;

(घ) इस निर्णय के लेने के बाद भी जल विभाग को बनाये रखने का औचित्य क्या है; और

(ङ) इस समय कितने नलकूप लगाये जा रहे हैं तथा उस उद्देश्य के लिये प्रशासन ने कुल कितने मूल्य का ठेका दिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ठेकेदारों के जरिये कोई नलकूप नहीं लगाया जा रहा है। फिलहाल, लालगढ़ में राजस्थान सरकार के भूगत जल विभाग द्वारा 1.05 लाख रुपये की लागत से एक नल कूप लगाया जा रहा है।

अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर तथा उप-मुख्य इंजीनियर (उत्तर रेलवे) के पद

6182. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में 31 मार्च, 1973, 31 मार्च, 1974 और 31 मार्च, 1975 को अतिरिक्त मुख्य इंजीनियरों और उप-मुख्य इंजीनियरों के कितने पद थे;

(ख) 31 मार्च, 1973 के पश्चात् मजूरी बिल में प्रत्येक आगामी वर्ष में कुल कितनी धनराशि की वृद्धि हुई; और

(ग) अतिरिक्त पद बनाने अथवा पदोन्नति देने का औचित्य क्या है और इससे व्यय में कितनी धनराशि की वृद्धि होगी?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विचाराधीन पदों की संख्या नीचे दी गई है :—

	अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर	उप-मुख्य इंजीनियर
31-3-1973	—	15
31-3-1974	5	24
31-3-1975	6	24

(ख) वेतन बिल की रकम में कुल वृद्धि इस प्रकार है :—

31-3-1974	लगभग 23,000 रुपये
31-3-1975	लगभग 68,000 रुपये

(वर्ष 1973-74 के दौरान, अधिकांश पदों को केवल कुछ महीनों के लिये प्रवर्तित किया गया था जबकि 1974-75 के दौरान ये पद पूरे वर्ष पर प्रवर्तित रहे)

(ग) कार्य भार और उत्तरदायित्व के कारण अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया या वर्तमान पदों का दर्जा बढ़ाया गया।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

6183. **श्री गजाधर माझी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के बारे में सरकार ने कोई पहल की है;

(ख) क्या इस प्रकार की परियोजनाओं के लिये देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां। कोयले पर आधारित 3 उर्वरक संयंत्र, अर्थात् रामागुण्डम (आ० प्र०) तालचर (उड़ीसा) तथा कोरबा (म० प्र०) में एक एक, निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों पर है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में रासायनिक उद्योग समूह (केमिकल काम्पलेक्स) की स्थापना

6184. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से मध्य प्रदेश में चूना पत्थर और कोयले पर आधारित रासायनिक उद्योग समूह स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं तो उसे स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) : चूना पत्थर, कोयला, लवण आदि जैसे कच्चे माल के उपयोग पर आधारित, कैल्शियम कार्बाईड, विनाइल क्लोराइड एवं पी० वी० सी०, विनाइल एसीटेट, सोडा ऐश जो पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से संबंधित है, जैसे रसायनों के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश में यूनिटों की स्थापना हेतु कुछ प्रस्ताव पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान, प्राप्त हुए हैं। पी०वी०सी० के प्रति वर्ष 6,800 मी० टन और मैथानोल के प्रति वर्ष 20,000 मी० टन के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश में उपक्रमों की स्थापना हेतु हाल ही में आशय पत्र जारी किये गये हैं। विनाइल एसीटेट मोनोमर के निर्माण के लिये प्राइवेट पार्टियों के कुछ प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं।

Preparation of Balance Sheets by Certain Companies

†5185. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether M/s. J.B. Mangharam, & Co., Gwalior, M/s. J.B. Mangharam & Co., Hyderabad, M/s. Jeewan Foods, Hyderabad, M/s. Mangharam & Sons, Bangalore and M/s. International Foods, Hyderabad have not prepared any kind of balance sheets since their set up and if so, when the balance sheets of each of them were prepared and the years to which they related; and

(b) whether they had to suffer many times for not preparing balance sheets with the main object of bungling of crores of rupees and if so, whether Government propose to enquire into all these cases at an early date so that all facts are brought to the fore?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) M/s. J.B. Mangharam & Co., Gwalior, M/s. J.B. Mangharam & Co., Hyderabad, M/s. Jeewan Foods, Hyderabad, M/s. Mangharam & Sons Bangalore and M/s International Foods, Hyderabad are not Companies registered under the Companies Act,. 1956 and therefor the question of preparation of balance sheets and filing them with the Registrar of Companies does not arise.

(b) Does not arise.

विदेशी औषध कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ

6186. **श्री राम हैडाउ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री विदेशी औषध फर्मों द्वारा अपने-अपने देशों को भेजी गई राशि के बारे में 25 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4813 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रेताओं से विदेशी औषध कम्पनियां अत्यधिक लाभ कमा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्ष-वार विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों ने कुल कितना लाभ कमाया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) औषधों के मूल्यों औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत सांविधिक रूप में नियंत्रित किये जाते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अधिक लाभ को कम करने की व्यवस्था है, बताये गये आदेश में कराधान से पूर्व कुल बिक्री का 15 प्रतिशत अधिकतम कुल लाभ की भी व्यवस्था है तथा अधिक लाभ होने की दिशा में, अधिक राशि को अलग विधि में जमा किया जायेगा और इस का उपयोग लाभांश देने के लिये नहीं किया जायेगा इस निधि का उपयोग सरकार द्वारा आदेश में निर्धारित कार्यों के लिये सरकार की पूर्व अनुमति से किया जायेगा।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा उपार्जित क्रम के बारे में 25 मार्च, 1975 को लोक सभा अ०प्र०सं० 4774 के उत्तर में बताया गया है।

कुछ रसायनिक कच्चे माल का स्वदेशी उत्पादन

6187. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हमारे देश में रसायनिक कच्चे माल अर्थात् नैफिथनिक एसिड/सोडियम नैफियनेट-भेड़-बकरी की चरबी (मटनटेलो), आयोडीन मेथनौल के उत्पादन की मात्रा राज्यवार क्या है और ऐसे औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जहां इनका उत्पादन होता है ;

(ख) इस देश में अब तक आयात किये गये इन रसायनों की मात्रा क्या है और गत तीन वर्षों में जिन देशों से ये रसायन आयात किये गये थे उनके नाम क्या हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों को स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार के इस कच्चे माल के वितरण की प्रक्रिया क्या है और गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को इसकी कितनी मात्रा आवंटित की गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मई, 1974 की हड़ताल के बाद सिगनल और टेलीकाम्युनिकेशन कर्मचारियों को बहाली

6188. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की हड़ताल के पश्चात् श्रेणीवार और जोनवार कुल कितने सिगनल और टेलीकाम्युनिकेशन कर्मचारी बर्खास्त किये गये थे या सेवा से निकाले गये थे या हटाये गये थे;

(ख) सिगनल और टेलीकाम्युनिकेशन विभाग में ऐसे कर्मचारी कुल कितने हैं जिन्हें वापस काम पर बुला लिया गया है और ऐसे कर्मचारी भी कितने हैं जिन्हें अभी तक काम पर नहीं बुलाया गया है;

(ग) सिगनल और टेलीकाम्युनिकेशन के कुल कितने कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ या आपराधिक आरोप है परन्तु अभी तक उन्हें काम पर नहीं बुलाया गया है; और

(घ) सिगनल और टेलीकाम्युनिकेशन विभाग के ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं तथा उनकी सूची क्या है जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़ और हिंसा के मुकदमे चल रहे हैं और क्या उन सभी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जा रही है या कुछ मामले ऐसे थे जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ऐसे मामलों से सम्बद्ध कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने के संबंध में प्रशासन की क्या नीति है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) कोटिवार ब्यौरा नहीं रखा गया है, इसलिये वह उपलब्ध नहीं है। लेकिन एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-9424/75] जिसमें क्षेत्रवार स्थिति बताई गई है ।

23 LSS/75—7

भिन्न-भिन्न जोनल रेलवे के दूरसंचार कर्मचारियों को संदर्भ पुस्तकों की सप्लाई

6189. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर, पश्चिम, मध्य, दक्षिण, दक्षिण मध्य और पूर्वोत्तर रेल में, जोनवार, डिवीजनवार और ग्रेडवार, कुल कितने इलैक्ट्रिकल सिगनल मेंटेनर, मेकेनिकल सिगनल मेंटनर, एसिस्टेंट सिगनल इंसपेक्टर, सिगनल इंस्पेक्टर हैं;

(ख) भाग (क) में निर्दिष्ट कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को सिगनल इंजीनियरिंग मैनुअल, जेनेरल एण्ड सब्सडियरी रूल बुक तथा अन्य सन्दर्भ पुस्तकें दी जाती है जैसा कि स्वीकार्य है; और

(ग) संबंधित कर्मचारियों को टेलीकम्युनिकेशन मैनुअल कब तक दिये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अनुबन्ध 'क' में दिये गये अनुसार। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9425/75]**

(ख) अनुबन्ध 'ख' में दिये गये अनुसार **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी 9425/75]**

(ग) दूर संचार नियमावली इस समय छप रही है और आशा है कि अक्तूबर, 1975 तक कर्मचारियों को मिल जायेगी।

गत दो वर्षों के दौरान गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते हुए मरने वाले व्यक्ति

6190. **श्री गजाधर माझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान रेलवे के प्रत्येक जोन में अत्यधिक भीड़ वाली गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते हुए दुर्घटनाओं के कारण कितने यात्री मरे;

(ख) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या यात्रियों को, विशेषकर मेलों और त्योहारों के समय, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में गाड़ियों और डिब्बों की व्यवस्था की जाती है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भीड़-भाड़ के कारण ही सदैव ऐसा नहीं होता कि यात्री गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते हैं। यद्यपि कभी-कभी गाड़ियों में भीड़ नहीं होती फिर भी, नवयुवक अपनी बहादुरी दिखाने के लिये, चावल की तस्करी करने वाले तथा बिना-टिकट

यात्री गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते हैं। गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते समय 1973-74 और 1974-75 के दौरान मारे गये व्यक्तियों की क्षेत्रवार संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	1973-74 और 1974-75 (जनवरी 1975 तक) के दौरान मारे गये व्यक्तियों की संख्या
मध्य	कोई नहीं।
पूर्व	3
उत्तर	5
पूर्वोत्तर	11
पूर्वोत्तर सीमा	20
दक्षिण	कोई नहीं।
दक्षिण पूर्व	कोई नहीं।
दक्षिण मध्य	कोई नहीं।
पश्चिम	5
	44

(ख) कर्मचारियों को हिदायतें दी हुई हैं कि जब यात्रियों को छत पर यात्रा करते पाया जाये, तो गाड़ी न चलायें और यदि समझा-बुझाकर अथवा विवश करके उन्हें छत से उतारने के लिये किये गये प्रयास असफल रहें, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाये। मेले और त्योहारों के अवसर पर रेलवे पुलिस द्वारा तथा टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों द्वारा विशेष जांच की जाती है।

गाड़ियों की छतों पर यात्रा करने संबंधी खतरे के बारे में लाउड-स्पीकर इत्यादि के माध्यम से यात्रियों को सूचित करने के लिये प्रचार अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा।

(ग) यात्रियों की जरूरतों को, विशेषकर मेले और अन्य त्यौहारों के अवसरों पर, पूरा करने के लिये, उपलब्ध साधनों के भीतर, जहां तक संभव हो, विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं और गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं।

जयन्त विटामिन्स का बन्द होना

6191. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री वसंत साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्त विटामिन्स ने बड़ी मात्रा में स्टाक के जमा हो जाने के कारण विटामिन 'सी' का 150 टन की क्षमता वाला अपना संयंत्र बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संयंत्र के बन्द होने के कारणों की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या निष्कर्ष निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) से (घ) जयन्त विटामिन्स के विटामिन 'सी' संयंत्र के बन्द होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। तथापि जयन्त विटामिन्स ने अपने उत्पाद विटामिन 'सी' के मूल्य को सरकार द्वारा पहले निर्धारित करने की मांग को स्वीकार करने का आग्रह किया है। अधिक मूल्य के लिये मैसर्स जयन्त विटामिन्स द्वारा दिया गया कारण यह था कि उनका संयंत्र नया होने के कारण प्लांट और मशीनरी की लागत मैसर्स साराभाई एम० कैमिकल्स जिसको 10 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था के प्लांट और मशीनरी की लागत से, अत्यधिक है। उनके आवेदन पर बी०आई०सी०पी० के परामर्श से विचार किया गया था और उन यूनिटों के संबंध में जिन्होंने 31 मार्च, 1973 के बाद प्रथम बार इस प्रपुंज औषध का उत्पादन प्रारंभ किया था विटामिन 'सी' के लिये 116.34 रुपये प्रति किलो ग्राम का अधिक मूल्य 21-3-75 को अधिसूचित किया गया था। राज्य वार व्यापार निगम से, इसके अपने स्टाक में से वास्तविक उपयोग कर्त्ताओं को विटामिन 'सी' की सप्लाई करने और मैसर्स जयन्त विटामिन्स लि० सहित देशीय निर्माताओं के उत्पादन से अनुपातिक प्रेषण आदेश जारी करने के लिये आवेदन किया गया है।

पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में तेल की खोज

6192. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में आरम्भ किये गये तेल की खोज के कार्य की स्थान-वार तथा तारीख-वार मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इन स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर निरन्तर प्रयास नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो खुदाई के प्रयास समय-समय पर छोड़ दिये जाने के स्थान-वार और तारीख-वार क्या कारण हैं; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (घ) राज्य-वार विस्तृत स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :—

1. आसाम : इस क्षेत्र में भूभौतिकीय सर्वेक्षण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1957 में आरम्भ किये गये थे। आसाम के सिवसागर, लखीमपुर, कछार, नवगंगा दारांग, पिफिर पहाड़ियों और कामरूप जिलों में गुरुत्वाकर्षक और भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं। 1959 में भूगर्भीय मानचित्रण

प्रारम्भ किया गया था और जारी रखा जा रहा है। भूगर्भीय सर्वेक्षणों अर्थात् डिसांगमुख (1959) रुद्रां-सागर (1960) लकवालखमानी (1963), टूक (1964), दिखोमुख (1967), गैलेकी (1968), नगिनीजान (1968), नाजिरा (1968), बोरहोला (1969), बनमाली (1970), अंगूरी (1970) चाराली (1973) मारियानी (1973) और दंरगांव (1973) द्वारा चित्रित संरचनाओं पर अन्वेषी, खनन हाथ में लिया गया था। रुद्रासागर, लकवा-लखीमपुर, गैलेकी, बोरहोला, अंगूरी और चाराली में तेल पाया गया है। डिमागमुख (1960) ट्रपोक (1966), दिखोमुख (1974) नगनीजान (1969), नाजिरा (1971), पारियानी (1974) और डेरगांव (1973) में और खनन कार्यबन्द कर दिया गया था क्योंकि उनको सूखा पाया गया था। वनमाली संरचना पर तकनीकी कठिनाइयों के परिणामस्वरूप खनन कार्य बन्द कर दिया गया था। अब तक जांच किये गये 14 संरचनाओं से में 6 में तेल विद्यमानता के संकेत मिले है। इन 6 में से 2 विकास स्तर पर है और अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण और विकास कार्य जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त पांच नई संरचनायें अर्थात् देमालगांव, जोरहार, लक्ष्मीजान, हल्दीवाड़ी और अंगूरी, चारगोला और मासिमपुर के चारों ओर संरचनाओं को भी खनन के लिये हाथ में लिया जायेगा।

नाहरकटिया और मोरान पर अपने दो तेल क्षेत्रों के संसाधनों का विकास करने और विस्तार को प्रमाणित करने के अतिरिक्त ओ० आई० एल० में टेंगाखार, नागाजान, जोराजान और टाराजान पर पिछले 5 वर्षों के दौरान गहन अन्वेषण कार्य को हाथ में लिया है।

2. नागालैण्ड: कोहिमा जिले में गुरुत्वा कर्षक सर्वेक्षण किये गये है। चालू योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र में भूकम्पीय पार्टी को लगाया जायेगा। आसाम में वोरहोला और गैलिकी संरचनाओं के कुछ भाग नागालैण्ड तक फैले हुए है। वोरहोला में एक कुआ खोदा गया है और उसमें तेल मिला है। इस क्षेत्र में भूगर्भीय मानचित्रण को जारी रखने के अतिरिक्त चालू योजना अवधि के दौरान वारसिला और तिरुहिला संरचनाओं को भी व्यधन किये जाने की योजना बनाई गई है।

3. मनीपुर: प्रारंभिक भूगर्भीय अन्वेषण से पता चला है कि यह क्षेत्र हितकारी नहीं है।

4. मेघालय: एक संरचना अर्थात् वाधमारा की जांच की गई और इसे सूखा पाया गया। काशीमारा, गोवीनाथकिला, देवाली और अगरतोली संरचनाओं को खनन के लिये हाथ में लेने का प्रस्ताव किया गया है।

5. अरुणाचल प्रदेश: चालू योजना अवधि के दौरान राज्य में भूगर्भीय मानचित्रण को जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है। त्रिगू में अन्वेषी कार्यकलाप के गहन किये जाने है।

ओ० आई० एल० ने खरसाम में अन्वेषी खनन कार्य हाथ में ले लिया है।

6. मिजोराम: चालू योजना अवधि के दौरान भूभौतिकीय रेखांकन कार्य जारी रखने का प्रस्ताव है।

7. त्रिपुरा: तल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने क्षेत्र में 20 संरचनाओं का चित्रण किया। 1964—68 के दौरान वारामुरा एन्टीक्लाइन का मानचित्रण किया गया था। तकनीकी कठिनाइयों के परिणामस्वरूप 2813 मीटर की गहराई पर 4500 मी० की प्रायोजित गहराई के साथ एक कुए के व्यधन कार्य को समाप्त करना पड़ा था। इस कुए में अनेक गैस संरतर प्राप्त हुए जिसका इस समय परीक्षण हो रहा है। गैस भण्डारों का मूल्यांकन करने के लिये इस संरचना पर कुछ और अधिक कुए

खोदे जायेंगे। इसके अतिरिक्त तिचना, गोजलिया तथा रोखिया पर भी अन्वेषण व्यधन कार्य हेतु भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विना मानचित्रण वाले अन्य संरचनाओं पर भूभौतिकीय सर्वेक्षण जारी रहेंगे।

8. पश्चिम बंगाल: तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम दिनाजपुर, मालदैव, बर्दवान बाडिया, हावड़ा, 24 परगना, मिदनापुर और बकुरा जिलों में यूगुरत्वा-चुम्बकीय तथा भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये। भूकम्पीय सर्वेक्षणों से वकतलुला एवं ग्लसी के समीप कुछ संरचनाओं पर रेखांकन कार्य करना पड़ा। चालू योजना अवधि के दौरान इन संरचनाओं पर व्यधन कार्य करने का विचार है। योजना अवधि के पूर्वाध के दौरान किये जाने वाले भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों को भी व्यधन कार्य हेतु लिया गया।

9. उड़ीसा: उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में अभी तक किये गये हाइड्रोकार्बन हेतु सर्वेक्षणों से अन्वेषण व्यधन के लिये कोई उपयुक्त संरचना होने की सूचना नहीं मिली।

10. बिहार: वर्ष 1956 में उत्तरी बिहार में किये गये एक वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण से हिमालय के पादगिरी की ओर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर ढलते हुए आधार के ऊपर तक कछार आवरण के नीचे तलछट के एक बड़े अनुक्रम का पता लगा है। 1961-62 के दौरान इस क्षेत्र में एक भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया गया था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बिहार में बहुत बड़ी संख्या में गुरुवाकर्षक और भूकम्पीय सर्वेक्षण किये हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर दो कुएं खोदे गये जो राक्सौल और रावता प्रत्येक में एक एक है। राक्सौल कुंआ 4901 मीटर की गहराई पर 1963-64 के दौरान खोदा गया और परीक्षण पश्चात् इसको सूखा हुआ पाया गया और जून, 1964 में इसको छोड़ दिया गया। रावता पर स्थित कुएं को 2857 मीटर की गहराई तक 1964-65 के दौरान खोदा गया। इसको भी सूखा हुआ पाया गया और मई, 1965 में छोड़ दिया गया।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में रेलवे लाइनों संबंधी तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

6193. **श्री शक्ति कुमार सरकार:**
श्री दुना उरांव

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में रेलवे लाइनों के लिये अब तक किये गये तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षणों का लाइन वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों में इन तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर शुरू किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिपोर्टों के आधार पर कौन-कौन सी लाइनें बिछाई जा रही हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9426/75]

पश्चिम बंगाल में कंपनियों द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालयों का स्थानान्तरण

6194. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जो वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक के दौरान अपने पंजीकृत कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में ले गये हैं; और

(ख) ये कार्यालय किन-किन स्थानों पर ले जाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल राज्य से अपने पंजीकृत कार्यालयों को अन्य राज्यों को वर्ष 1971-72 में 19, वर्ष 1972-73 में 16, और वर्ष 1973-74 में 9 कंपनियों द्वारा स्थानान्तरण किया जाना सूचित किया गया था। इन कंपनियों के नाम और जिनमें इन्होंने स्थानान्तरण किया है, उन राज्यों के नाम संलग्न विवरण पत्र में दिये जाते हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9427/75]

कलकत्ता ट्यूब रेलवे और हावड़ा—अम्ता रेलवे के लिये वर्ष 1974-75 में आरंभ किया गया कार्य

6195. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में कलकत्ता ट्यूब रेलवे और हावड़ा—अम्ता रेलवे के लिये आरम्भ किये गये काम और पूरे किये गये काम का ब्यौरा क्या है तथा इन रेलवे के कामों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) इन दोनों लाइनों की परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान वर्षवार, पूरे किये जाने वाले काम और खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन दोनों परियोजनाओं में आज तक कितना काम पूरा किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कलकत्ता ट्यूब रेलवे

(क) वर्ष 1974-75 में खण्ड-1 और खण्ड-2 में निर्माण का काम चल रहा था। इस पर 6 करोड़ रुपये की रकम खर्च हुई।

(ख) इन दो परियोजनाओं की खास-खास बातें इस प्रकार हैं :—

मार्ग निर्धारण	दम दम—टालीगंज
लंबाई	16.5 किलोमीटर
लागत	250 करोड़ रुपये (1973-74 के मूल्य स्तर पर)

यातायात	13 लाख यात्री प्रतिदिन
चुनी गयी प्रणाली	750 वोल्ट तीसरी रेल करेंट क्लेक्शन पर बड़ी लाइन विद्युतीकृत गाड़ी सेवा
निर्माण की अवधि	मूल अनुमान 7 वर्ष--अब इसे संशोधित किया जा रहा है।
एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा समय	32 मिनट

(ग) पांचवीं योजना की अवधि में इस परियोजना की प्रगति और उस पर होने वाला खर्च वर्षानुवर्ष उपलब्ध होने वाली रकम पर निर्भर करेगा और इसकी समीक्षा की जा रही है।

(घ) समग्र प्रगति 6 प्रतिशत हुई है।

II हावड़ा-आमता रेलवे

(क) और (घ) हावड़ा-आमता रेल सम्पर्क पर अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

(ख) 73.53 किलोमीटर लंबी बडी रेल लाइन पर 12.16 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें जमीन की लागत शामिल नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपने खर्च पर जमीन देने का प्रस्ताव किया है। इस परियोजना के अलाभप्रद होने की संभावना है।

(ग) यदि समय पर पर्याप्त धन उपलब्ध हुआ, तो आशा है कि यह परियोजना 1-4-1979 तक पूरी हो जायेगी। 1975-76 में इस परियोजना के लिये 50 लाख रुपये की रकम नियत की गई है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अनुवर्ती वर्षों में रकम का आवंटन इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें अवधि कुल मिलाकर कितना धन उपलब्ध होता है।

Tea Stalls Functions in Bombay Division

6196. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names under which the allottees of the tea stalls functioning at present at various stations of Bombay Division in Central and Western Railways have been running the tea stalls since the allotment till date;

(b) whether they have been changing their firms and partnership from time to time and if so, the number of times each contractor changed them and the main reasons therefor;

(c) whether there are several such instances in which the original contractors have dissociated themselves from the firms and partnership and if so, the number of such instances; and

(d) whether the contractors were given contracts only on the basis of merit and if so why the contracts were not cancelled on their dissociation and the number and names of such contractors as have given up the contracts and have taken up some other work?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the Shaba.

Programme to set up a Caustic Soda Plant

6197. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri K. Mallanna:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to set up a caustic soda plant in the Country in public-private or joint sector during 1975-76; and

(b) if so, whether a licence or letter of intent have been issued to anybody for this purpose and the original estimated cost of the project?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi): (a) & (b) Besides thirty caustic soda plants already in production in the country, industrial licences and letters of intent have been issued for effecting expansion of 17 existing units and establishment of 28 new units. The schemes are in various stages of implementation. For furnishing the required information regarding the estimated cost of project it is necessary to know the specific project the Hon'ble Members have in mind.

Increase in Establishment Expenditure of Railway Ministry

6198. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there has been greater increase in the establishment expenditure than in the development expenditure of his Ministry during the last two years;

(b) if so, the percentage of increase, separately; and

(c) the reasons for the increase?

The Dy. Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b) The term "Establishment", has been taken to mean, the staff, falling under Grant 4–Administration, Grant 6—Operating Staff and Grant 10—Welfare Staff. The "Development" expenditure is the expenditure, incurred on the Railway Development Programme and incorporates expenditure falling under Grant 13-Open Line Works (Revenue), Grant 14-Construction of New Lines-Capital and Depreciation Reserve Fund and Grant 15-Open Line Works-Capital, Depreciation Reserve Fund and Development Fund. The percentages of increase in expenditure under "Establishment expenditure" and "Development Expenditure", during the last two years i.e. 1972-73 and 1973-74 are as under:—

	Establishment expenditure	Development expenditure (excluding M.T.Ps.)
Percentage of increase in expenditure during 1972-73 over 1971-72	4.74%	12.80%
Percentage of increase in expenditure during 1973-74 over 1972-73	11.67%	8.73%

(c) The percentage of increase in Development expenditure during 1972-73 over 1971-72 was more, than the percentage of increase in expenditure under establishment expenditure.

In 1973-74 while the establishment expenditure increased by 11.67% over 1972-73, due mainly to implementation of recommendations of the Third Pay Commission and payment of 4 slabs of additional Dearness Allowance, the development expenditure decreased by 8.73% over 1972-73 mainly due to the difficult ways and means position of the Government of India.

पिछड़े क्षेत्रों में निर्माणाधीन नई रेल लाइनें

6199. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े क्षेत्रों में कौन-कौन सी नई रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं,

(ख) इन निर्माणाधीन लाईनों की स्वीकृति लम्बाई कितनी है,

(ग) रेलवे की दृष्टि से गैर पिछड़े क्षेत्रों में कौन-कौन सी रेल लाईनें निर्माणाधीन हैं, और

(घ) इन निर्माणाधीन रेल लाईनों की स्वीकृत लम्बाई कितनी है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9428/75]**

अत्यधिक खपत की आवश्यक औषधियां

6200. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अत्यधिक खपत के लिये अपेक्षित आवश्यक औषधियों की मात्रा का औषधिवार वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में इन औषधियों का, औषधिवार, कितनी मात्रा में आयात होता है; और

(ग) इन औषधियों का केन्द्रीय तथा राज्य के सरकारी क्षेत्रों में कितनी मात्रा में उत्पादन होता है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति ने "आवश्यक औषधों और आम घरेलू दवाइयों को आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उपबंध कराने" हेतु 117 औषध सूत्रयोगों की है जिनका देश में व्यापक रूप में उत्पादन किया जाना चाहिए। 4 मार्च, 1975 को इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी गई थी तथा इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

सूत्रयोगों के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण प्रपंज औषधों के नाम, उनकी अनुमानित मांग, आयात, उत्पादन हेतु स्वीकृत किए गए एकक, गत तीन वर्षों का वास्तविक उत्पादन दर्शाने वाला, एक विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9429/75]

मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान

6201. **श्री के० लकप्पा:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उनके मंत्रालय की देख-रेख में जो सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं उनके नाम और अन्य ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक में कितनी पूंजी लगाई गई हैं?

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र की पूंजी के कुल स्टाक में से यह पूंजी निवेश कितने प्रतिशत हैं;

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी अतिरिक्त पूंजी निवेश की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) से (घ) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र उद्यमों के नाम की 31-3-1974 को दीर्घावधि ऋण और साम्य पूंजी के रूप में इन उद्यमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा लगायी गई राशि और पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान परिकल्पित परिव्यय से युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-9430/75]

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

चौथी योजना में स्थापित किए गये कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

6202. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र, राज्यवार, कहां-कहां स्थापित किये और उनके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक संयंत्र के लिए अब तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई है तथा कितनी-कितनी राशि खर्च हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रामागुण्डम (आ० प्र०) तालचर (उड़ीसा) और कोरबा (म० प्र०) में स्थित प्रत्येक कोयले पर आधारित तीन उर्वरक संयंत्र जिन का कार्य चौथी योजना की अवधि के दौरान पूर्ण करने के लिए हाथ में लिया गया था वे संरचना की विभिन्न अवस्था में हैं । प्रत्येक संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष 4,95,000 मी० टन यूरिया (2,28,000 मी० टन नाइट्रोजन के समकक्ष) का उत्पादन करने की है और हर संयंत्र के लिए एक मिलियन मी० टन कोयले की वार्षिक आवश्यकता होगी ।

(ख) फरवरी, 1975 के अन्त तक स्वीकृत व्यय विद्यमान अनुमानित लागत और तीन प्रायोजनाओं पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

प्रायोजना	स्वीकृत व्यय	अनुमानित व्यय	व्यय (फरवरी 1975 के अन्त तक)
रामागुण्डम .	71.18	137.30	91.15
तालचर .	70.49	142.69	93.97
कोरबा .	18.25	150.00	4.68

डी० बी० के० रेलवे लाइन पर विद्युतचालित मालगाड़ी

6203. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० बी० के० रेलवे लाईन पर विद्युतचालित मालगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये गाड़ियां संभवतः कब चलेंगी;

(ग) क्या इससे समय तथा धन की बचत होगी; और

(घ) प्रत्येक चक्कर में किस दर से समय तथा धन की बचत होगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1977–78

(ग) जी हां।

(घ) डीज़ल गाड़ियों की तुलना में बिजली गाड़ियों का चालत समय 12 से 15 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है और डीज़ल कर्षण की अपेक्षा बिजलीकरण से 15 प्रतिशत प्रतिलाभ मिलने की आशा है।

दक्षिण रलवे में होने वाली परिक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग

6204. **श्री एस० एम० मुरूगनन्तम :**
श्रीमती पावती कृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण रेलवे के 200 से अधिक कर्मचारियों से दक्षिण रेलवे में होने वाली परीक्षाओं में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग, रेलवे सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में केवल हिन्दी के प्रयोग और अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की आवश्यकता के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनसे प्राप्त उत्तर क्या है तथा उनका सार क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय कुछ समय पहले क्षेत्रीय रेलों द्वारा परिपत्रित प्रश्नावली के प्रश्न 13 से है जिसमें रेलों पर हिन्दी के क्रमिक प्रयोग के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे पत्रकारों, कार्यालय कर्मचारियों, व्यापारियों, विधायकों आदि जैसे 200 व्यक्तियों की राय मांगी गयी थी।

संबंधित प्रश्न नीचे उद्धृत किया जाता है:—

"क्या आप को इस बात की जानकारी है कि रेल विभाग में भर्ती विभिन्न रेल सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है ? क्या आप समझते हैं कि परीक्षा का माध्यम हिन्दी कर दिये जाने से आप के राज्य/नगर के उम्मीदवारों में से प्रतिभावान उम्मीदवारों को छांटना सरल होगा ?"

इस संबंध में दक्षिण रेलवे के 13 सेवारत कर्मचारियों के विचार भी प्राप्त हुए हैं जिसमें कहा गया है कि 'प्रतिभा का बेहतर निर्णय केवल उसकी भाषा के माध्य से किया जा सकता है जिसमें प्रार्थी ने विषय का अध्ययन किया है'।

'बाम्बे हाई' में पायें गये कच्चे तेल की किस्म

6205. **श्री शकरराव सावन्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बाम्बे हाई' में पाया गया कच्चा तेल हल्की किस्म का है और इसलिए हमारे अधिकांश तेल-शोधक कारखाने के लिए उपयुक्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार का विचार इसका उपयोग किस प्रकार करने का है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) बम्बई हाई संरचना में व्यधन किए गए प्रथम 2 कूपों के कच्चे तेल के नमूनों का परीक्षण करने पर यह कच्चा तेल अंकलेश्वर कच्चे तेल की तुलना में हल्की किस्म का पाया गया है। क्यों कि कोयाली शोधनशाला को छोड़ कर हमारी अधिकतर शोधनशालाओं की रूप-रेखा मध्यम गुरुत्व के कच्चे तेलों को प्रक्रियान्वित करने के लिए बनाई गई है इसलिए इन शोधनशालाओं द्वारा केवल मात्र बम्बई हाई कच्चे तेल को क्रियान्वित करने के लिए इन में तुलनात्मक रूप में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता होगी। तथापि वर्तमान शोधनशालाओं में अन्य कच्चे तेलों के साथ मिश्रित बम्बई हाई कच्चे तेल को शोधनशाला में किसी विशेष सुधार किए बिना भी प्रक्रियान्वित किया जा सकता है। क्षेत्र की पूर्ण रूप-रेखा बना लेने तथा और अधिक ब्यौरे प्राप्त करने से पूर्व, वर्तमान स्थिति में इस कच्चे तेल के परि-करण संबंधी योजनाओं को अन्तिम रूप देना असामयिक होगा।

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में भूमिगत रेलवे परियोजनाओं को स्थगित करने की मांग

6206. **श्री शंकरराव सावंत** :

श्री लकप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में भूमिगत रेलवे परियोजनाओं की लागत के मोटे अनुमान क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि जनता की ओर से यह मांग बढ़ती जा रही है कि पिछड़े क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूरी हो जाने तक इन खर्चीली भूमिगत रेलवे परियोजनाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) व्यापक द्रुत परिवहन प्रणालियों की स्थूल लागत इस प्रकार है :—

(क) कलकत्ता 16.5 कि० मी० दम दम-टाली गंज लाइन—250 करोड़ रुपये।
बम्बई गलियारे 6.34 कि० मी०—159 करोड़ रुपये।
गलियारे 7.26 कि० मी० 400—450 करोड़ रुपये।
मद्रास लगभग 16.5 कि० मी० अनुमान तैयार किया जा रहा है।
दिल्ली लगभग 48 कि० मी० अनुमान तैयार किया जा रहा है।

(ख) महानगरों में उत्पन्न परिवहन सम्बन्धी कठिन समस्याओं के समाधान के लिए रहने वाली जोरदार और तात्कालिक मांग के बावजूद हाल में इस प्रकार कुछ विवाद उठे थे।

(ग) महानगरों में तेजी से बढ़ रही परिवहन सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के लिए इन नगरों में व्यापक द्रुत परिवहन सुविधाओं का विकास करना आवश्यक समझा जाता है। इसलिए योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए रकम की व्यवस्था करने के अलावा इन परियोजनाओं के लिए परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

तमिलनाडु के सुखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की ढुलाई

6207. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है कि राज्य को अधिक रेल सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों की ढुलाई में सहायता मिले;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे विभाग कहां तक सहायता करने के लिये सहमत हो गया है,

(ग) क्या स्थिति का मुकाबला करने के लिये राज्य को अधिक माल-डिब्बे दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो फरवरी और मार्च, 1975 में राज्य को कुल कितने माल-डिब्बे आवंटित किए गए ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संबंधित रेलों को इस बात की आवश्यक हिदायतें जारी की गयी हैं कि मांग-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राथमिकता श्रेणी 'ग' के अंतर्गत माल-डिब्बों की सप्लाई की जाये। उन्हें यह भी कहा गया है कि इसके संचलन पर विशेष निगाह रखी जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी निकासी शीघ्र हो रही है।

(ग) मांग के अनुसार माल-डिब्बों की सप्लाई शीघ्रतापूर्वक की जा रही है।

(घ) फरवरी और मार्च, 1975 की अवधि में तमिलनाडु के विभिन्न गंतव्य स्टेशनों के लिए, सरकारी लेखे में, बड़ी लाइन के 1098 और मीटर लाइन के 2978 माल डिब्बों के खाद्यान्न का लदान किया गया।

तमिलनाडु राज्य में रेल कर्मचारियों की सेवा में बहाली

6208. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में अब भी हड़ताल के दौरान मुअत्तिल किये गये ऐसे बहुत से रेल कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें अब तक काम पर वापस न लेने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (घ) रेल कर्मचारियों को नौकरी पर फिर से बहाल करने की सूचना राज्यवार नहीं बल्कि रेलवेवार रखी जाती है। दक्षिण रेलवे पर, जो कि तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में होकर जाती है, अभी केवल 22 कर्मचारी निलम्बित हैं। ये कर्मचारी तोड़फोड़ के दो मामलों में शामिल थे और उन पर अदालत में मुकदमें चल रहे थे जिनका निर्णय उनके पक्ष में हो गया है। उनका निलम्बन समाप्त करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा अदालत के फैसले के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

तमिलनाडु में नई रेलवे लाइनें

6209. **श्री आर वी० स्वामीनाथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने तमिलनाडु राज्य में नई रेलवे लाइनों का निर्माण आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य ने इस सम्बन्ध में रेलवे को सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(घ) वर्ष 1976 से आगे कौन-कौन सी नई रेलवे लाइनों पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) रेलवे विकास की कल्पना किसी राज्य या क्षेत्र की दृष्टि से नहीं, बल्कि व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए की जाती है। फिर भी, निम्नलिखित रेलवे लाइन, जो आंशिक रूप से तामिलनाडु राज्य में पड़ती है, पहले से ही बनायी जा रही है। नागर कोईल के रास्ते तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी तक शाखा लाइन सहित तिरुवनन्तपुरम से तिरुनेलवेलि तक बड़ी लाइन।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अलग-अलग निर्माण कार्य के लिए कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गयी है। फिर भी, इस काम पर पांचवीं योजना में 10.33 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

(ग) तामिलनाडु सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(घ) 1975-76 के बाद रेलवे से सम्बन्धित लाइनों के निर्माण कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

वर्ष 1975-76 के दौरान रेल लाइनों का विद्युतीकरण

6210. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 के दौरान विद्युतीकृत होने वाली रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आशा है कि 1975-76 के दौरान निम्नलिखित रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो जायेगा :—

1. दुर्गाचक-हल्दिया खंड (पांसकुड़ा-हल्दिया बिजलीकरण योजना के भाग के रूप में)।
2. टुंडला-गाजियाबाद खंड (टुंडला-दिल्ली बिजलीकरण योजना के भाग के रूप में)।

राष्ट्रीय रेयन निगम

6211. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रेयन निगम के निदेशक मंडल के निदेशकों के नाम क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय रेयन निगम के निदेशक मंडल में सरकारी निदेशकों के नाम क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त (क) भाग में निर्दिष्ट निदेशक किन-किन ग्रुपों तथा पार्टियों से सम्बन्धित हैं तथा उनका कार्यकाल कितना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के अभिलेखों के अनुसार, नेशनल रेयन कारपोरेशन के वर्तमान निदेशकों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

1. श्री शान्तनू नानीभाई देसाई
2. श्री देवजी रतनसी
3. डाक्टर सीसरे रोसी
4. श्री रतिलाल दामोदर शाह
5. श्री पोपटलाल छगनलाल कपाडिया
6. श्री सुधीर निमजीभाई कपाडिया
7. श्री मोहन लाल छगन लाल कपाडिया
8. श्री भवत प्रसाद रावजी भाई पटेल
9. श्री किशोर एल० राहेजा
10. श्री शननजय मणिलाल पारिख
11. श्री चम्पक लाल जमनेदास शाह
12. श्री चन्द्रकान्त एम० मेहता

(ख) इस समय इस कम्पनी के निदेशक मंडल में कोई सरकारी निदेशक नहीं है ।

(ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र के कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों में इन समूह और पार्टियों का, जिमसे पूर्वोक्त निदेशक सम्बद्ध हैं, के विवरणों का उल्लेख नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 255 और 284 के उपबन्धों के अधीन, निदेशक का कार्य-काल कम्पनी के संस्था अन्तर्नियम द्वारा शासित किया जाता है ।

मैसर्स कोहेनूर मिल्स बम्बई द्वारा की गई अनियमिततायें

6212. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोहेनूर मिल्स, बम्बई तथा इसके निदेशकों द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं का स्वरूप क्या है; और

(ख) उक्त मिल तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेतव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) मैं० कोहिनूर मिल्स लिमिटेड की लेखा-बहियों का, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के उपबन्धों के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया था । कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के कोई उल्लंघन दृष्टि-गोचर नहीं हुए थे । तथापि, 1971 एवं 1972 के लेखाओं में संदेहयुक्त ऋणों के लिए प्राविधान न होना, तथा कुछ नियोजनों के मूल्यांकन में संभव ह्रास, जो दृष्टिगोचर हुए, पर कार्यवाही की जा रही है।

अनिवार्य औषधियों में मुनाफाखोरी और उनकी जमाखोरी को रोकने के लिए कार्यवाही

6213. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्तरों पर, विशेषकर खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा अनिवार्य औषधियों में मुनाफोखोरी करने और उनकी जमाखोरी को समाप्त करने का उनके मंत्रालय का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पिछली तिमाही के दौरान इस बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औषधों के मूल्यों पर औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अंतर्गत सांविधिक नियंत्रण है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि कोई भी फुटकर विक्रेता किसी संयोग को किसी ग्राहक को उस सूत्रयोग के सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों से अधिक मूल्य पर नहीं बेचेगा । यह व्यवस्था करने के लिए कि कोई भी फुटकर विक्रेता किसी सूत्रयोग को किसी ग्राहक को केन्द्रीय सरकार द्वारा

23 LSS/75—8

उसके अनुमोदित सूचीगत मूल्यों या सूत्रयोगों के आवरण पर दिये मूल्यों, में इन से जो भी कम हो, से अधिक मूल्यों पर न बेच सकने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) 1970 की संबंधित व्यवस्थाओं को 7 मार्च, 1975 के ज्ञापन द्वारा संशोधित किया गया है । यह व्यवस्था 1 मई, 1975 से लागू होगी ।

हाथी समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हो गई है । इस समिति की विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, औषध (मूल्यनियंत्रण आदेश) 1970 को संशोधित किया जाएगा ताकि यदि इस आदेश में विद्यमान कमियों, यदि कोई हों, को दूर किया जा सके ।

अशोधित तेल के आयात के लिए सऊदी अरब के साथ नया करार

6214. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री अनादि चरण दास :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सऊदी अरब के साथ कोई नया दीर्घावधि सौदा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सौदे की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नये सौदे के अन्तर्गत भारत को कुल कितना अशोधित तेल सप्लाई किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रो रिफाईनरीज़ लिमिटेड की लघु उर्वरक एकक योजना

6215. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री अनादिचरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साल भर पहले पेट्रो-रिफाइनरीज़ लिमिटेड द्वारा बनाई गई लघु उर्वरक एकक योजना सफल नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कुछ राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साहप्रद नहीं रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) विभिन्न इन्जीनियरिंग संगठनों द्वारा बनाये गये दानेदार एन पी के उर्वरकों के उत्पादन करने के लिए अनेक ग्रेन्यूलियेशन (दानेदार) प्लांट देश के विभिन्न भागों में पहले से कार्य कर रहे हैं। ये संयंत्र प्लांट एवं न्यूट्रियन्ट्स (प्लांट एवं पोषक तत्व) युक्त विभिन्न कच्चे माल को मिलाने, उनके बाद के दाने एवं ठोस पदार्थों पर आधारित हैं । मैसर्स पैट्रो-रिफाइनर्स लि० ने भी ऐसे संयंत्र प्रस्तुत किये हैं तथा दावा किया है कि दानेदार उत्पादों को तैयार करने में जैविक खाद को सम्मिलित किया जा सकता

है। जैसा कि अन्य ग्रैन्यूलियेशन संयंत्र के सम्बन्ध में बताई गई मुख्य कच्चा माल अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, राक फास्फेट तथा यूरिया है तथा उपयुक्त समिश्रण से ग्रेड में परिवर्तन सम्भव है। चूंकि ऐसे एककों में दाने बनाने के लिए अपेक्षित उर्वरक विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये आवंटन से प्राप्त किया जाता है, अतः ग्रेन्यूलियेशन संयंत्र की सफलता के लिये राज्य सरकार की सहायता आवश्यक है।

तटदूर खुदाई के लिए भारत-फ्रांस समझौता

6216. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के लिए तटदूर खदाई के संबंध में सहयोग के लिए भारत-फ्रांस तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत-फ्रांस अध्ययन दल ने तटदूर तेल के उपयोग में फ्रांस संगठनों से भारत द्वारा सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का हाल ही में मूल्यांकन किया है और यह महसूस किया कि व्यधन तथा उत्पादन प्लेटफार्मों के निर्णय में दोनों देशों के बीच सहयोग की गुंजाइश है।

दिल्ली मुख्य स्टेशन पर कोयला माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना

6217. **श्री हरि सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 फरवरी, 1975 को दिल्ली मुख्य स्टेशन पर कोयले के कुछ माल-डिब्बे पटरी से उतर गए थे और उसके परिणामस्वरूप यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) माल डिब्बों का पटरी से उतर जाने का कारण अधिक रफतार और एकदम ब्रेक का लगाया जाना था।

दिल्ली के कोटे से गाजियाबाद में गैस सिलेण्डरों की सप्लाई

6218. **श्री हरि सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल०पी०जी० रिफिल्ड सिलेण्डरों के दिल्ली के सप्लाई कोटे में गाजियाबाद क्षेत्र को शामिल करने के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) एंच०पी० सी०एल०, बर्मा-शैल, और काल्टैक्स, गाजियाबाद में ईंधन गैस का विपणन नहीं करते हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के लिये भरे हुए गैस सिलेंडरों की सप्लाइयां शकूरबस्ती के ईंधन गैस बौटलिंग प्लांट से की जाती है। दिल्ली या किसी अन्य कस्बे के लिये आई०ओ०सी० द्वारा भरे हुए गैस सिलैण्डरों के कोटे का आवंटन नहीं किया जाता है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हाथी समिति द्वारा विदेशी औषध कम्पनियों को सरकारी अधिकार में लेने के बारे में सिफारिश

6219. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाथी समिति ने भारत में औषध बनाने वाली कंपनियों से विदेशी साम्य पूंजी को सरकारी अधिकार में लेने की सिफारिश की है, यदि हां तो सरकारी अधिकार में लेने के पक्ष में क्या कारण बताये गये हैं और सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या विदेशी औषध निर्माताओं के पास 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी है, उन्होंने अपने मूल निवेश की तुलना में बहुत अधिक परिसंपत्तियां तथा लाभ जमा कर लिये हैं और यदि हां, तो उनके लाभों के संबंध में बातें क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये भारतीय क्षेत्र की कंपनियों को एक दशक के लिये खुली छूट देने का है जिस प्रकार से कि विदेशी कंपनियों के साथ किया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सरकार द्वारा, औषध और भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई थी और इसी पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

बम्बई के गहरे समुद्र में निकाले जाने वाले अशोधित तेल

6220. **श्री वसन्त साठे :**

श्री विजय पाल सिंह :

श्री सूरज पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18 मार्च, 1975 के 'टाइम्स आफ इंडिया" में बम्बई के गहरे समुद्र में निकाले जाने वाले अशोधित तेल के निर्यात का प्रश्न (केस फार एक्सपोर्टिंग बाम्बे हाई क्रुड) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त मामले के तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) व्यधन किये गये प्रथम 2 कूपों से प्राप्त कच्चे तेल का विश्लेषण करने पर उसके उच्च श्रेणी के होने के संकेत मिले हैं--जिसमें अंकलेश्वर कच्चे तेल के समान न्यून विशिष्ट गुरुत्व तथा गंधक का अंश कम मात्रा में पाया गया है । दूसरी ओर इस कच्चे तेल का पोर प्वाइंट भी ऊंचा है । इस कच्चे तेल के अभिलक्षण ऐसे हैं कि इसमें से हल्के और मध्यवर्ती आसुतों का उत्पादन बड़ी प्रतिशतता में होगा लेकिन बिटुमैन और लुब्रीकेंट तेलों का कम उत्पादन होगा । कच्चे तेल के ऊंचे पोर प्वाइंट के कारण इसके बहुत कम परिवेक्षी तापमान में परिवहन सम्बन्धी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ।

भारत की वर्तमान शोधनशालाओं में संयंत्रों में तुलनात्मक रूप से छोटे-मोटे परिवर्तन और सुधार करने से बम्बई हाई के कच्चे तेल को प्रक्रियान्वित किया जा सकता है । बम्बई हाई के कच्चे तेल की कम ल्यूब संभाव्यता के कारण उन शोधनशालाओं, जहां ल्यूब तेल का निर्माण किया जाता है, के सामने कच्चे तेल को प्रक्रियान्वित करने हेतु कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिये । यही बात बिटुमैन के उत्पादन के लिये भी है । तथापि उन शोधनशालाओं, जिनमें लुब्रिकेटिंग तेलों और बिटुमैन का उत्पादन किया जाता है, के लिये भी आयातित कच्चे तेल के प्रयोग से मिश्रण या ब्लाक परि-चालनों द्वारा बम्बई हाई के कच्चे तेल को प्रक्रियान्वित किया जा सकता है । वर्तमान में बम्बई हाई के कच्चे तेल के इष्टतम उपयोग के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । क्षेत्र की पूर्णरूप से रूप-रेखा बना लेने तथा कच्चे तेल के अन्य ब्यौरे प्राप्त होने से पूर्व इस प्रकार के निष्कर्ष जैसा कि निर्दिष्ट समाचार में कहा गया है निकालना असामयिक होगा ।

अधिक खपत वाली औषधियों का आयात तथा उनका उत्पादन

6221. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में मद-वार तथा वर्ष-वार अधिक खपत वाली औषधियों के आयात की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) देश में अधिक खपत की जाने वाली कौन-कौन सी औषधियों का उत्पादन किया जाता है उपरोक्त अवधि में उनका कितना उत्पादन किया गया और अधिक खपत की जाने वाली इन औषधियों के लिये आयात किया जाने वाला कितना कच्चा माल, मद-वार तथा वर्ष-वार आयात किया गया;

(ग) क्या उनका मंत्रालय तथाकथित आत्मनिर्भरता और विदेशी मुद्रा की कमी के नाम पर हमारे देश में बहुराष्ट्रीय फर्मों की सहायता करता है तथा उनके अनधिकृत अधिक उत्पादन/अनुमति पत्र सी० ओ० वी० लाइसेंसों को नियमित करार देता है; और

(घ) सरकार का विचार इस भारत-विरोधी रवैये को ठीक करने तथा औषध उद्योग में भारतीय क्षेत्र को सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयात की मद-वार मात्रा और मूल्य, औद्योगिक आसूचना एवं सांख्यकीय, कलकत्ता के महा-निदेशक रा प्रकाशित 'मंथली स्टेटिक्स आफ फोरेन ट्रेड आफ इंडिया--वोल्यूम 1 और 2 में प्रकाशित की जाती है, जिसकी प्रतियां संसदीय ग्रन्थागार में उपलब्ध हैं ।

(ख) वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान संगठित क्षेत्र के एककों द्वारा विभिन्न प्रपुंज औषधों के उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9431/75]** इन प्रपुंज औषधों के निर्माण के लिए अपेक्षित आयातित कच्चे माल की संख्या बहुत अधिक है और मदवार सांख्यकी नहीं रखी जाती है ।

(ग) और (घ) सरकार ने विदेशी कम्पनियों के विस्तार को नियमित करने और उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) निर्माण-योजना की स्वीकृति में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को वरीयता दी जाती है।

(2) सूत्र योगों के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस सामान्यता विदेशी फर्मों को नहीं दिये जाते, जब तक कि उसका संबंध प्रपुंज औषधों के उत्पादन से न हो।

(3) प्रपुंज औषधों की बढ़ती हुई संख्या का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से निर्माण करना ।

(4) उनको कहा गया है कि वे अधिक मूल स्तर से प्रपुंज औषधों का उत्पादन करें और अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन के एक उपयुक्त भाग को देश में गैर-संबद्ध सूत्र योग निर्माताओं को इस शर्त पर उपलब्ध करायें कि उनको क्षमता में विस्तार की अनुमति दी जा रही है अथवा वे नये कार्यकलापों को हाथ में ले रहे हैं । उपयुक्त निर्यात बंधन भी लगाये जाते हैं ।

(5) जब उनको अपने निर्माण कार्य-कलापों में विस्तार की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय शेयरधारिता में तदनुरूपी वृद्धि के साथ विदेशी साम्य साझेदारी में प्रगामी कमी लगायी जाती है ।

(6) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से और अधिक प्रपुंज औषधों के आयात को सरणीबद्ध करना ।

(7) 40% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों को अपने कार्य-कलापों को नियमित करने, नये कार्यकलाप आरम्भ करने, कारोबार के नये मार्ग अपनाने आदि के लिये, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता है ।

इस मंत्रालय द्वारा औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति ने औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्रस्तुत की । समिति की सिफारिशों की सम्पूर्णता के संदर्भ में, अति-उत्पादन/अनुमति/आशय पत्र/सी०ओ०बी० लाइसेंस आदि के प्रश्न सहित सरकार विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी ।

गुजरात तेल शोधक कारखाने का विस्तार

6222. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात तेल शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसकी कितनी क्षमता बढ़ाई जायेगी तथा कब तक बढ़ाई जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) से (ग) 28.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रतिवर्ष 3 मिलियन मी० टन तक गुजरात शोधनशाला के विस्तार के लिये एक प्रायोजना अगस्त 1973 में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी । प्रायोजना का कार्य प्रगति पर है और 1977 के मध्य में उसके पूरे होने की संभावना है । प्रायोजना की अनुमानित लागत, सामग्री आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण बढ़ जाने की संभावना है ।

प्रायोजना के विस्तार में, डैसलटर, वैक्यूम संयंत्र, विस्बेकिंग संयंत्र, बिटूमन संयंत्र, एलपीजी/ गैसोलेन/मिट्टी के तेल के लिये ट्रीटिंग संयंत्र, वर्तमान एटमास्फिरिक संयंत्र-II के परिवर्तन सहित नये आसवन की स्थापना शामिल है ताकि आयातित अशोधित तेल तथा अन्य संबंद्ध सुविधाओं की प्रक्रिया कर सके।

रेलवे स्टेशनों पर परिवारों द्वारा उपयोग में लाये गये प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम)

6223. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर रेलवे प्रतीक्षालयों को रिहायशी प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जा रहा है ;

(ख) क्या कुछ परिवार नई दिल्ली, दिल्ली-रेलवे स्टेशन पर तीन महीने से भी अधिक समय से रह रहे हैं ; और यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग इसकी अनुमति दे रहा है;

(ग) एक परिवार द्वारा एक समय में कितनी देर के लिये प्रतीक्षालय का उपयोग किया जा सकता है ;

(घ) क्या राज्यों में विभिन्न स्टेशनों पर अधिकतर प्रतीक्षालयों का यात्रियों द्वारा कई महीनों तक उपयोग किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में उनके मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री (बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं । लेकिन, नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में दो महिलाएं फरवरी 1975 के तीसरे सप्ताह से, अनधिकृत रूप से, रहती हुई पायी गयी हैं । इस मामले की सूचना रेलवे पुलिस को दे दी गयी है और पुलिस प्रतीक्षालय को उनसे खाली कराने के बारे में कार्रवाई कर रही है ।

(ग) सदाशयी यात्री उन गाड़ियों के चलने तक, जिनके लिये उनके पास टिकट होते हैं, प्रतीक्षालयों में ठहर सकते हैं । रात की गाड़ियों से आने वाले यात्री अपनी मेल लेने वाली गाड़ी पकड़ने के लिये अगले दिन प्रातःकाल तक अथवा और अधिक समय के लिये प्रतीक्षालय में रह सकते हैं।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

रुपसा-तलबन्ध सैक्शन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में बड़ी लाइन के लिये ज्ञापन

6224. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूरभज बनिक संघ के सदस्यों और जिले के रेलवे उपभोक्ताओं द्वारा उन्हें दक्षिण-पूर्व रेलवे के रुपसा-तलबन्ध-सैक्शन में बड़ी रेल लाईन बिछाने के बारे में हाल में कोई ज्ञापन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) ज्ञापन में निहित मांगों पर शीघ्र निर्णय करने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों के आधार पर रुपसा-तलबन्ध और (ग) मीटर लाइन खंड को बड़ी लाईन में बदलने के लिये 1971 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित आमान-परिवर्तन की अनुमानित लागत 3.79 करोड़ रुपये होगी और प्रतिफल की डी०सी०एफ० दर केवल 2.53 प्रतिशत होगी। इसलिये, यह आमान-परिवर्तन अत्यन्त अलाभप्रद होगा। लेकिन इस बदलाव के संबंध में अन्तिम विनिश्चय अभी किया जाना है।

टेंडर आमंत्रित किये बिना खान-पान ठकों का आबंटन

6225. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में टेंडर आमंत्रित किये बिना सरकार के आदेशाधीन डिवीजन-वार बिक्री और खान-पान के कितने ठेके आबंटित किये गये ; और

(ख) इस प्रकार ठेके देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) खान-पान/वेंडिंग के ठेके टेंडर मंगा कर नहीं दिये जाते।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

आसाम आयल कम्पनी द्वारा विदेश भेजी गई धनराशि

6226. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम आयल कंपनी डिगबोई ने 1970-71 से 1973-74 तक प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि विदेश भेजी;

(ख) क्या इस कंपनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध कदाचार के आरोप हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रहित में इस कंपनी को अपने अधिकार में लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) सूचना एकत्र की की जा रही है और सभा पटल पर यथा समय रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) असम आयल कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में डिगबोई यूथ एसोसिएशन के मंत्री से एक शिकायत मिली है। उसका निरीक्षण किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) पैट्रोलियम शोधनशालाओं और विपणन कम्पनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाली घोषित नीति के अनुसार असम आयल कंपनी को भी उपयुक्त समय पर सरकारी क्षेत्र में ले लिया जायेगा ।

लार्सेन एण्ड टूबरो कम्पनी

6227. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लार्सेन एण्ड टूबरो कम्पनी के निदेशक मण्डल के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) इसके मुख्य शेयरधारियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक के पास कितने तथा कितने मूल्य के शेयर हैं ;

(ग) इस कंपनी में अब भी कितने गैर-भारतीय निदेशक तथा एग्जीक्यूटिव अधिकारी काम कर रहे हैं;

(घ) उनमें से प्रत्येक को कितना वेतन उपलब्धियां और परिलब्धियां मिलती हैं; और

(ङ) यदि सरकार ने गैर-भारतीय निदेशकों तथा गैर-भारतीय एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के स्थान पर भारतीय निदेशक तथा भारतीय एग्जीक्यूटिव अधिकारी रखने के लिये कोई कार्यवाही की है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) लार्सेन एण्ड टोब्रो लिमिटेड के निदेशक मण्डल की संरचना विवरण-पत्र 1 के अनुसार है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9432/75]

(ख) प्रमुख हिस्सेधारियों के नाम एवं उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित हिस्सों की संख्या तथा मूल्य वितरण-पत्र 2 में दिये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया / देखिए संख्या। एल०टी०-9432/75]

(ग) इस कम्पनी में अभी तक केवल दो गैर-भारतीय निदेशक कार्य कर रहे हैं; यथा :—

(1) श्री एच० हाक-लार्जन, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, तथा

(2) श्री एस० के० टोब्रो, साधारण निदेशक।

जहां तक कम्पनी में कार्य कर रहे गैर-भारतीय कार्यकारियों का संबंध है, सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(घ) कम्पनी के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री एच० हाक लार्जन का वेतन कमीशन तथा परिलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

(1) **वेतन**:—10,000 रु० प्रति मास पर देय योग्य 3,500 रु० प्रति मास की अव-मूल्यन हानि पूर्ति सहित 1,200,00 रु० प्रति वर्ष।

(2) **कमीशन**:—45,000 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के आधार पर कम्पनी के शुद्ध लाभ का 0.3 प्रतिशत।

(3) **परिलब्धियां** :—विहित मार्गदर्शक नियमों के अनुसार। केवल श्री एस० के० टोब्रो साधारण निदेशक निदेशक बोर्ड की प्रति बैठक के लिये 250.00 रु० बैठक शुल्क प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) गैर-भारतीय निदेशकों एवं गैर-भारतीय कार्यकारियों की नियुक्ति के लिये, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

पांचवीं योजना के अन्त तक वैगनों की मांग

6228. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के अन्त तक लगभग 3000 लाख मीट्रिक टन माल को लाने ले जाने के लिये अनुमानतः कुल कितने वैगनों की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) रेलवे ने कुल कितने वैगनों के लिये क्रियादेश दिये और मंत्रालय ने अब तक कुल कितने वैगन सप्लाई किये;

(ग) क्या यह आशंका की जा रही है कि रेलवे विभाग वैगन उद्योग को पूरा काम देने की स्थिति में नहीं होगा और यदि रेलवे विभाग की पांचवीं योजना की अनुमानित आवश्यकताओं से कुछ संकेत मिल सकता है तो वैगन उद्योग को शीघ्रातिशीघ्र विदेशों में अपने लिये नये बाजारों को ढूंढ़ना होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जैसा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप से संबंधित प्रलेख में बताया गया है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में माल यातायात की मांग को पूरा करने के लिये रेलों को लगभग 1,00,000 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) खरीदने होंगे।

(ख) पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1974-75 में उद्योग द्वारा 9286.5 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) सप्लाई किये गये और 1-4-1975 को 24,104.5 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) की सप्लाई बकाया थी।

(ग) और (घ) 1975-76 में उद्योग से माल डिब्बे खरीदने के लिये निश्चित की गयी राशि केवल लगभग 5,000 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) खरीदने के लिये ही पर्याप्त होगी। माल डिब्बों की यह संख्या 1974-75 के उत्पादन की लगभग 50 प्रतिशत है ।

फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा क्षमता का विस्तार

6231. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को अपनी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लघुक्षेत्र ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (घ) शायद माननीय सदस्य जी एल०एम०लेम्प और फ्लोरीसेंट ट्यूब लेम्प के विनिर्माण में विस्तार के लिये फिलिप्स के प्रस्ताव का हवाला दे रहे हैं । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के इस प्रस्ताव को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को संदर्भित किया था जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी औषधि कम्पनियों को सरकारी नियंत्रण में लेने के बारे में हाथी समिति की सिफारिश

6232. **श्री भोगेंद्र झा :**

श्री एम० कत्तामतु :

श्री सोमचन्द्र सोलंकी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने देश में सभी विदेशी औषधि कम्पनियों के प्रबन्ध को सरकारी नियंत्रण में लेने के संबंध में सिफारिश करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या समिति के सभी सरकारी प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) औषध तथा भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट सरकार को 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हुई है, और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट कम्पनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध शिकायतें

6233. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पैटोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट कम्पनी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) इस कम्पनी के स्वामित्व को अपने अधिकार में लेने तथा इसे आई० डी० पी० एल० की सहायक कम्पनी के रूप में चलाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता को औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18ए के अन्तर्गत हाथ में लिया गया था और भारतीय औषध और भेषज लि० को प्रारम्भिक रूप में 4-5-1972 से 2 वर्षों की अवधि के लिये उक्त कम्पनी प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था और उक्त अवधि को 3 मई, 1976 (3 मई को शामिल करते हुए) तक बढ़ा दिया गया है। प्राधिकृत नियंत्रक (आई० डी० पी० एल०) इस यूनिट के पुनर्स्थापन के लिये जांच कर रहा है/कदम उठा रहा है। सरकार इस यूनिट की सुविज्ञता और इसके पास उपलब्ध विपणन संगठन से सचेत है और इस क्षेत्र में आवश्यक औषधों का उत्पादन करने में इस यूनिट की संदर्श भूमिका सक्रिय विचाराधीन है।

पेट्रोल पम्पों का आवंटन

6234. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन व्यक्तियों को किन-किन स्थानों पर पैट्रोल पम्प लगाने की इजाजत 1974 में दी गई और किस आधार पर दी गयी; और

(ख) राजस्थान राज्य के किन-किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र पैट्रोल पम्प लगाने के लिये सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं और वे कब से पड़े हैं तथा उन पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) फुटकर बिक्री केन्द्र (पैट्रोल पम्प) तेल कम्पनियों द्वारा वाणिज्यिक महत्व के आधार पर स्थापित किये जाते हैं। और किसी विशेष स्थान पर अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिये सरकार से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। 1974 के दौरान राजस्थान में आई० ओ० सी० के अतिरिक्त अन्य किसी तेल कम्पनी ने कोई पैट्रोल पम्प नहीं खोला। सरकार के अनुमोदन से निर्धारित अपनी नीति के अनुसार आई० ओ० सी० पैट्रोल पम्पों के लिये डीलरशिप देती है। स्थान और व्यक्ति जिन्होंने 1974 के दौरान राजस्थान में नये पैट्रोल पम्प खोले हैं, उनके नाम संलग्न हैं।

(ख) ऐसे कोई आवेदन सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

स्थान	डीलर का नाम
1. ग्रेत्री	भूतपूर्व सूबेदार महादेव प्रसाद
2. डोसा	भूतपूर्व कप्तान एम० एस० पुन्नु
3. सिकन्द्रा . . .	श्री त्रिभुवन प्रसाद भार्गवा
4. एन्टा	श्री किशनगोपाल
5. हिन्दोली	श्री रमेश चन्द्र सैनिक
6. कापासान	मैसर्स कपासान एफ०/स्टेशन
7. उदयपुर	मैसर्स ग्राटोमोटिव सर्वेस सेंटर
8. उदयपुर . . .	मैमर्स स्वास्तिक एफ०/स्टेशन ।

इनमें से मैंमर्स ग्राटोमोटिव एस०/सेंटर, उदयपुर एक 'क' स्थल है और अन्य सभी 'बी' स्थल हैं।

बिरला ग्रोरियन्ट पेपर मिल्स का तुलन-पत्र

6235. **श्री शरद यादव :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री बिरला ग्रोरियन्ट पेपर मिल्स के वित्तीय वर्ष, 1973-74 के नवीनतम तुलनपत्र के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निदेशक मण्डल प्रबन्ध निदेशक तथा सचिव, यदि कोई हैं तो उनके नाम क्या हैं;

(ख) भत्ते, ऋण, गारण्टी, कमीशन आदि सहित उनका वेतन कितना है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ये भुगतान अत्यधिक नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने के विचार हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुग्रा) : (क) मैसर्स ग्रोरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. श्री जी० पी० बिड़ला (अध्यक्ष)
2. श्री ए० एल० गोयन्का (उपाध्यक्ष)
3. श्री ग्रार० के० कन्हेरिया
4. श्री एस० ए० लाल
5. श्री जे० पी० पोद्दार
6. श्री जी० बसु, और
7. श्री एन० सुन्दरसन ।

श्री बी० के० व्यास कम्पनी के सचिव हैं । कम्पनी का कोई प्रबन्ध/या पूर्णकालिक निदेशक नहीं है ।

(ख) कम्पनी के निदेशकों को कम्पनी के संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद 74-क के अनुसार कम्पनी के शुद्ध लाभों पर 1 प्रतिशत कमीशन की दर से बैठक शुल्क के अलावा पारिश्रमिक दिया जा रहा है । यात्रा व्ययों के 70,153 रु० के अलावा कम्पनी के निदेशकों को 31 मार्च, 1974 की वर्ष समाप्ति का अवधि में 6,97,227 रु० दिये गये थे। 70,153 रु० की कथित राशि, चार निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने तथा कम्पनी के व्यापार हेतु उनके द्वारा की गई यात्रा में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है ।

(ग) तथा (घ) कम्पनी के निदेशकों को कम्पनी के शुद्ध लाभों पर 1 प्रतिशत कमीशन के रूप में पारिश्रमिक उनको 1943 से दिया जा रहा है, उस समय केन्द्रीय सरकार का इस मामले में अनुमोदन अपेक्षित नहीं था।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू होने के पश्चात् उसकी धारा 309 (4) (ख) द्वारा यथा अपेक्षित विशेष संकल्प पारित किया गया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति

6237. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करने के बारे में कोई प्रस्ताव है,; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : (क) और (ख) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है ।

तेल उत्पादन करने वाले देशों में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण

6238. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी भी तेल उत्पादक देश ने सरकार के सहयोग तथा आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जिससे वे अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकें ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : जी नहीं ।

फिरोजपुर डिवीज़न (उत्तर प्रदेश) में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थायी किया जाना

6239. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर रेलवे में फिरोजपुर डिवीजन के स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों को उनकी 15 से 20 वर्ष की सेवा के बावजूद अभी तक स्थायी नहीं किया गया ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सहायक स्टेशन मास्टरों से, जिनकी 10 वर्ष से अधिक सेवा हो गई है तथा जिनकी एस० आर० पी० एफ० की धनराशि हजारों रुपया हो गई, जमानत के रूप में 300 रुपया जमा कराने के लिये कहा जा रहा है जो नियुक्ति के समय जमा की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो डिवीज़न अधिकारियों को सही रास्ते पर लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फिरोजपुर मण्डल में जिन स्टेशन मास्टरों को स्थायी किया जाना था उन्हें स्थायी कर दिया गया है। 16-6-1955 के बाद 330-560 रुपये (सं० वे०) के पदक्रम में नियुक्त किये गये जिन सहायक स्टेशन मास्टरों ने नियमों और आदेशों के अधीन अपेक्षित 300 रुपये की प्रतिभूति की रकम जमा नहीं की है, उन्हें स्थायी नहीं किया जा सका।

(ख) जी हां। लेकिन इन व्यक्तियों ने नियुक्ति के समय से ही प्रतिभूति की रकम जमा नहीं की है।

(ग) जैसे ही ये कर्मचारी नियमों एवं आदेशों में निर्धारित शर्तों पर अमल करेंगे, उनमें से जो कर्मचारी स्थायी होने के पात्र होंगे, उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा।

राज्य व्यापार निगम के पास औषधियों का भण्डार

6240. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास बल्क औषधियों का भारी भंडार है, यदि हां, तो औषधियों संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी भंडार स्थिति क्या है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम उनके मंत्रालय के पदाधिकारियों की सहायता से देश में अनेक औषधियों की कमी पैदा करने के संबंध में सहयोग दे रहा है, यदि नहीं, तो तथ्यात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार कोई ऐसी कार्यवाही कर रही है ताकि राज्य व्यापार निगम के पास जो भंडार है उसे शत प्रतिशत भारतीय माध्यम तथा छोटे पैमाने के क्षेत्र के पक्ष में निर्मुक्त किया जा सके और देश में कमी पैदा न हो ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 31 मार्च, 1975 को राज्य व्यापार निगम के पास कथित उपलब्ध प्रपुंज औषधें और औषध मध्यवर्ती पदार्थों के स्टाक का मूल्य संलग्न विवरण पत्र **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 9433/75]** में से दिए गए ब्यौरे के अनुसार 492.12 लाख रुपये था। स्टाक को अपरिमित नहीं समझा जाता क्योंकि राज्य व्यापार निगम को उद्योग की आवश्यकता का एक चौथाई भाग अपने पास रखना होता है।

(ख) और (ग) राज्य व्यापार निगम/आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरित सभी सरणीबद्ध मदों का आंबटन, राज्य औषध नियंत्रकों/लाइसेंस देने वाले प्राधिकारियों की सिफारिशों से पिछली खपत/लाइसेंसीकृत क्षमता के आधार पर, औषध उद्योग के सभी क्षेत्रों को किया जाता है। लघु उद्योग क्षेत्र के एककों के मामले में विगत खपत से अधिक बढ़ते हुए कच्चे माल को भी अनुमति दी जा रही है।

औषधियों के मूल्य नियंत्रण का पुनरीक्षण

6241. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1974 में मूल्य नियंत्रण का पुनरीक्षण ओ० पी० पी० के कहने पर किया गया था तथा संगत अधिसूचनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या मैसर्स फाइजर के बिकोस्यूल्स को 23 प्रतिशत तक लाभ लेते रहने की अनुमति के साथ ऊंचा मूल्य तथा ऊंचा मार्क दिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मद के मूल्य का शीघ्र पुनरीक्षण करने का और जो अतिरिक्त लाभ फर्म ने अर्जित किया है उसे राष्ट्रीय निधि को लौटाने के लिए कहने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं, सूत्रयोगों के अन्तरिम मूल्य संशोधन के लिए मार्गदर्शन की एक प्रतिलिपि 18 फरवरी, 1973 को अतारांकित प्रश्न सं० 161 के भाग (ग) के उत्तर में लोकसभा पटल पर रख दी गई थी ।

(ख) मार्गदर्शन के अन्तर्गत मूल्यों के संशोधन के बाद और उससे पहले अनुमत वेकोसूल कैप्सूल्स तथा मार्कप के विभिन्न पैकों के मूल्य नीचे दिए गए है :—

1970 अनुमोदित मूल्य		1970 मार्कप	1974 अनुमोदित मूल्य	1974 मार्कप
20 कैप्सूल्स	9.91 रुपये	146%	11.42 रुपये	100%
109 कैप्सूल्स	39.61 रुपये	125%	48.03 रुपये	96%

कच्चे माल और पैकिंग सामग्री लागत में वृद्धि को निष्प्रभावित करने के लिए मूल्य में वृद्धि मंजूर की गई थी ।

तथापि, 20 कैप्सूल्स के बारे में मार्कप 146% से 100% तक और 100 कैप्सूल्स के बारे में 125% से 96% तक कम किया गया था ।

(ग) औषधों के मूल्य के बारे में हाथी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर मामले का पुनरीक्षण किया जाएगा ।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाले विदेशी औषधि निर्माताओं की मूल साम्य पूंजी

6242. **श्री खेम चन्द भाई चावड़ा :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाले विदेशी औषधि निर्माताओं की जिन्होंने पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किये थे मूल साम्य पूंजी कितनी थी पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका कितना

उत्पादन रहा, उक्त फर्मों के नाम क्या हैं, पंजीकरण के समय (ए) और (बी) फार्म में कितनी क्षमता का आवेदन किया था और उनका वर्तमान उत्पादन कितना है ;

(ख) उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं, जो चालू हो गई हैं और जिन्होंने औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये और उनके संबंध में उपर्युक्त भाग(क) में पूछा गया व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गैर-कानूनी अनुमति पत्रों, और सी० ओ० वी० लाइसेंसों के माध्यम से चालाकी से फार्मूलेशनों की बिक्री से भारत अर्जित लाभ की राशि से अधिकांश विदेशी फार्मों ने मुख्यतः अपनी पूंजी और रक्षित पूंजी इकट्ठा की हैं, यदि हां, तो इसकी मुख्य बातों का व्यौरा क्या है ; और

(घ) विदेशी औषधि-निर्माताओं को एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को रोकने और उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-9434/75] जिसमें उन कंपनियों के नाम दर्शाए गए है, जिनमें 26% से अधिक विदेशी साम्य-पूंजी लगी हुई है और जिन्होंने पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं ।

जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में फार्म 'क' या 'ख' के अंतर्गत आवेदित क्षमता तथा गत तीन वर्षों के उत्पादन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

(ख) विदेशी फर्मों सहित समस्त फर्मों के लिए स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के व्यौरे 'औद्योगिक लाइसेंसों', आयात लाइसेंसों और निर्यात लाइसेंसों की सप्ताहिक बुलैटीन' में प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद की लाइब्रेरी को भी भेजी जाती है ।

प्रश्न के भाग (क) में वर्णित कंपनियों के अतिरिक्त उन विदेशी कंपनियों के नाम जिन्होंने औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए हैं संलग्न विवरण-पत्र (अनुबन्ध-ख) में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-9434/75] क्योंकि प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्मित सूत्रयोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है इसलिए उनके मद-वार उत्पादन आंकड़ें नहीं रखे जाते है । तीन वर्षों के प्रपुंज औषधों के उत्पादन तथा सूत्रयोगों, जैसे गोलियां, कैपसूल्ज़ इन्जैक्शन, आदि की श्रेणी-वार उत्पादन संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

(ग) एक विवरण-पत्र (अनुबंध-ग) संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-9434/75] जिसमें 26 विदेशी कंपनियों की वर्तमान कुल प्रदत्त पूंजी के ढ़ांचे को दर्शाया गया है। शेष 7 कंपनियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अनमति पत्र तथा सी० ओ० वी० लाइसेंसों के प्रश्न सहित श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति द्वारा औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है । इस समिति द्वारा 6-4-75 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी जो सरकार के विचाराधीन है ।

23 LSS/75—9.

(घ) विदेशी फर्मों के एकाधिकार पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए है :—

(1) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय फर्मों को कुछ विदेशी मुद्रा की निर्धारित सीमा तक डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकृत होने की सुविधा है जब कि यह सुविधा विदेशी कंपनियों तथा एन० आर० टी० पी० एक्ट के भाग III के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों को उपलब्ध नहीं है।

(2) निर्माण कार्यक्रमों में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को वरीयता दी जाती है।

(3) सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्रपुंज औषधों का बढ़ती हुई संख्या में उत्पादन।

(4) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अधिक से अधिक प्रपुंज औषधों का आयात।

(5) विदेशी कंपनियों से अपने प्रपुंज औषधों का एक उपयुक्त भाग असंबद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को देने के लिए कहा जाता है।

(6) समस्त गैर-आवासियों, भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों तथा उन भारतीय कंपनियों जिनमें 40% से अधिक गैर-आवासियों के शेयर है, को नए तथा वर्तमान कार्य-कलापों आदि को चलाने के लिए नई शाखाओं को खोलने हेतु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुमति लेनी होती है।

Unions Recognised by Railways

6243. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of unions in the country recognised by the Railways and the total membership of each of them;

(b) whether any sort of facilities have been given by the Railways to the recognised unions and their office bearers; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) A statement is attached. [Placed in liberary. See No. L.T.-9435/75].

(b) Yes.

(c) The following facilities are being provided to the recognised unions and their office bearers:

1. Deputation of some railway servants as full time paid union worker, at the request of the recognised union.
2. Use of Railway premises by recognised unions for holding meetings, subject to permission being obtained.
3. Facility to collect subscriptions near the place of payment.
4. Facility of Railway telephones in the offices of recognised unions, where possible.
5. Licencing of railway buildings for housing the offices of recognised unions.
6. Allotment of notice boards in Railway premises for displaying notices by the recognised unions.

7. Facility of special casual leave and passes for attending Working Committee Meetings, General Council meetings and General Body Meetings/Annual conventions, subject to yardsticks prescribed.

8. Special Casual Leave and passes for attending the meetings under the P.N.M. Scheme at different levels, subject to yardsticks prescribed.

9. Facility of duty passes and daily allowance for attending the National Council and Departmental Council meetings as admissible under the J.C.M. Scheme.

10. Facility of Card Passes as per scales laid down.

11. Supply of unpriced publication to the recognised unions issued by the Railway Administrations.

Allotment of Petrol Pumps and Gas Agencies to Ex-servicemen and Educated Unemployed.

6244. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government had taken a decision some time back to allot petrol pumps and gas agencies to ex-servicemen and educated unemployed persons or unemployed engineers; and

(b) if so, the number of ex-servicemen and educated unemployed persons benefited by this scheme during the last one year?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi):

(a) In November, 1969, IOC introduced a scheme whereby its dealerships were awarded to unemployed engineers/graduates belonging to low income group families on a preferential basis. In December 1971, this scheme was kept in abeyance and with the approval of the Government, IOC introduced a scheme whereby its agencies were allotted on a preferential basis to the disabled defence personnel/widows and dependants of those killed or missing in war and ex-servicemen. Effective from 1-1-74, 25% of its agencies are earmarked for persons belonging to SC/ST.

(b) During 1974, total number of beneficiaries who were given retail outlets and gas agencies, under the defence scheme and including unemployed engineers/graduates was 100 out of which 39 were ex-servicemen and 10 were unemployed engineers/graduates.

विदेशी औषध कम्पनियों के सरकारीकरण के विरुद्ध औषध उत्पादक संघों द्वारा कार्यवाही

6245. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या विदेशी औषध उत्पादक संघों ने उनके सरकारीकरण अथवा उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखने अथवा नियमित करने के विरुद्ध भारतीय औषध निर्माण संगठन के द्वारा विरोध करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन विदेशी औषध उत्पादक संघों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध एवं भेषज उद्योग समिति ने विभिन्न उत्पादक यूनिटों, विनिमाताओं के संगठन, तथा अन्य सम्बन्धितों जिसमें भारत के भेषज उत्पादक संगठन सम्मिलित है, को एक प्रश्नावली जारी की है जिसमें औषध एवं भेषज उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर उनके सुझाव आंमत्रित किये है । समिति ने इन सुझावों पर विचार किया है तथा 6 अप्रैल, 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है । औषध उद्योग में विदेशी उत्पादक कम्पनियों के एकाधिकार को दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय उठाये हैं :—

(1) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विदेशी मुद्रा की सीमा पर तकनीकी विकास महानिदेशक के साथ पंजीकरण की सुविधा भारतीयों कम्पनियों तथा एम० आर० टी० पी० एक्ट, 1969 के भाग-III के अन्तर्गत दिये गये कम्पनियों को उपलब्ध नहीं है ।

(2) उत्पादक योजनाओं को स्वीकृति देने में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को तरजीह दी जाती है ।

(3) सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्रपुंज औषधों की बढ़ती संख्या का उत्पादन ।

(4) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अधिक से अधिक प्रपुंज औषधों का आयात ।

(5) विदेशी कम्पनियों से अपने प्रपुंज औषधों का एक उपयुक्त भाग असम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को देने के लिए कहा जाता है ।

(6) समस्त गैर आवासियों, भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों तथा उन भारतीय कम्पनियों जिनमें 40% से अधिक गैर आवासियों के शेयर है को नये तथा वर्तमान कार्य कलापों आदि को चलाने के लिए नई शाखाओं को खोलने हेतु रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुमति लेनी होती है ।

हाथी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन

6246. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री पी० गंगादेव :

श्री सोम चन्द सोलंकी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) इस समिति की इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ;

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या इस समिति में संसद सदस्यों ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सरकार को औषध और भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को मिली थी और उस पर सरकार विचार कर रही है ।

दानापुर स्थित रेलवे संस्थानों में हौसी (जुआ) खेला जाना

6247. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में दानापुर स्थित एन० सी० घोष इंस्टीट्यूट और बी० एन० शर्मा इंस्टीट्यूट नामक दो रेलवे संस्थानों में प्रति मास सप्ताह में दो बार हौसी (जुआ) खेला जाता है,

(ख) क्या यह सच है कि हौसी (जुआ) खेल की ओर बहुत से नवयुवक आकर्षित होते हैं, जिससे इन कठिन दिनों में उनके परिवारों को बहुत परेशानी हो रही है,

(ग) क्या यह सच है कि अल्प सूचना प्रश्न संख्या 65 के अनुसार दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को बिहार विधान परिषद् में उठाये गये मामले पर बिहार सरकार ने दानापुर टाउन क्लब और दानापुर छावनी बोर्ड में हौसी (जुआ) खेला जाना बन्द कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संस्थानों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित के लिये दानापुर स्थित इन दो रेलवे संस्थानों में हौसी (जुआ) खेल को बन्द कराने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पूर्व रेलवे के दानापुर स्थित दो रेलवे इंस्टीट्यूट अर्थात् एन० सी० घोष इंस्टीट्यूट और बी० एन० शर्मा इंस्टीट्यूट, में सप्ताह में केवल एक बार हौसी खेली जाती है।

(ख) से (घ) रामी अथवा ब्रिज की भांति, जिनमें कि पैसे का लेने-देन होने की संभावना रहती है, हौसी मनोविनोद का एक खेल है। अतः इसे जुए की संज्ञा देना सन्देहास्पद है। चूंकि रेलवे इंस्टीट्यूटों को बनाये रखने का मूल उद्देश्य और प्रयोजन रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों का मनोरंजन करना है, इसलिए इस खेल को बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन यह सत्य है कि बिहार सरकार ने दानापुर टाउन क्लब और दानापुर छावनी बोर्ड में हौसी का खेल बन्द कर दिया है।

पटना-गया सेक्शन और कियुल-गया सेक्शन (पूर्व रेलवे) के लिए दोहरी रेलवे लाइन

6248. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के पटना-गया सेक्शन और कियूल-गया सेक्शन में इकहरी रेलवे लाइन होने के कारण अप और डाउन रेलगाड़ियों को काफी समय तक रुकना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण अतिरिक्त ईंधन की खपत होती है ;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थानों में गया का स्थान होने से भाग (क) में उल्लिखित इकहरी रेलवे लाइन के कारण रेलगाड़ियों में भारी भीड़-भाड़ रहती है ; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) तथा (ग) का उत्तर 'हां' में है तो इस रेलवे लाइन को कब दोहरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं । कुछ गाड़ियों में मामूली भीड़-भाड़ रहती है जो इकहरी लाइन रेल पथ के कारण नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

निष्ठावान रेल कर्मचारियों को दी गई अतिरिक्त वृद्धियों का संचयी प्रभाव

6249. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में तथाकथित निष्ठावान कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन-वृद्धियां दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वेतन-वृद्धियों का संचयी प्रभाव है ; और

(ग) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में इन वेतन-वृद्धियों से कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जो निष्ठावान कर्मचारी डराने धमकाने तथा हिंसा का सामना करते हुए और अपने जीवन को खतरे में डाल कर काम करते रहे थे उन्हें 1-6-1974 से एक-एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी गयी है। उनके वेतनमान में आगे मिलने वाली वेतन वृद्धि सामान्य तारीख पर अर्थात् उसी तारीख पर दी जायेगी जिसपर उन्हें यदि अग्रिम वेतनवृद्धि न दी गयी होती जो तब देय होती, न कि अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के एक वर्ष बाद वाली उसी तारीख को।

(ग) अग्रिम वेतनवृद्धियां रेल कर्मचारियों को 1973-74 के वित्त वर्ष में नहीं दी गयी थी । दिसम्बर, 1974 तक लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। 1975-76 में इस पर लगभग आठ से नौ करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

ट्रेन एग्जामिनर के पदनाम को बदल कर कैरेज एण्ड वैगन चार्जमैन किया जाना

6250. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1973 में हुए चीफ मैकेनिकल इंजीनियरों के सम्मेलन में ट्रेन एग्जामिनर के पदनाम को बदल कर कैरेज एण्ड वैगन चार्जमैन रखने का निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यह सुझाव मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों के सम्मेलन में दिया गया था लेकिन एक और गाड़ी परीक्षकों और दूसरी ओर इंजन शेडों और यांत्रिक कारखानों में चार्जमैनों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के स्वरूप में अन्तर होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

Supply of Petrol and Mobil Oil to M.Ps at Concessional Rates.

6251. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government contemplate to supply petrol and mobil oil on concessional rates to the Members of Lok Sabha and Vidhan Sabha for making tours in their constituencies; and

(b) if so, the nature of the scheme in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Meeting of Political Parties to discuss Electoral Reforms

†6252. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to convene a meeting of various political parties in the last week of April to discuss electoral reforms;

(b) if so, the names of political parties proposed to be invited to the meeting; and

(c) the main aspects of the electoral reforms proposed to be discussed?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi): (a) 22nd April has been fixed as the date for holding discussions with the leaders of the political parties.

(b) Congress (O)

C.P.I. (M)

Socialist Party

Jan Sangh

D.M.K.

B.L.D.

R.S.P.

C.P.I.

U.I.P.G.

A.D.M.K.

Kerala Congress

Muslim League

Akali Dal

Republican Party

Congress Party

(c) The discussion will relate to the question of Electoral Laws, with particular emphasis on election expenses.

Book Stalls for Jobless Graduates

6253. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to grant licences to jobless graduates for running book stalls at major railway stations of various Railways;

(b) if so, whether Government propose to give an advertisement to this effect; and

(c) if so, by what time and for which stations?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The Government has decided to award bookstall contracts to unemployed graduates forming Cooperatives/Partnerships/Associations as also to individual unemployed graduates at stations having no bookstall at present but where bookstalls may be considered necessary and also at new stations which may be opened in future.

(b) & (c) The Railways have been advertising from time to time since introduction of the above scheme in 1973, inviting applications from unemployed graduates and have already awarded bookstalls for these categories at 19 stations. A list indicating the stations is attached. [Placed in Liberary. See No. L.T-9436/75].

राजकोट और अजमेर डिवीज़नों (पश्चिम रेलवे) में टिकट परीक्षकों/चल-टिकट परीक्षकों की पदोन्नतियों में समानता

6254. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राजकोट डिवीजन में कितने टिकट परीक्षकों/चल टिकट परीक्षकों की पदोन्नति की गई और उनमें से प्रत्येक की पदोन्नति कितनी सेवावधि के बाद की गई ;

(ख) इसी प्रकार अजमेर डिवीजन में गत वर्ष कितने टिकट परीक्षक/चल-टिकट परीक्षकों को पदोन्नत किया गया और प्रत्येक को कितनी सेवावधि के बाद पदोन्नत किया गया ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस मामले में दोनों डिवीजनों के बीच भेदभाव है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उस वर्ष के दौरान किसी को पदोन्नति नहीं किया गया । पदोन्नति की प्रतीक्षा में बैठा हुआ वरिष्ठतम टिकट कलेक्टर सेवा के ग्यारहवें वर्ष में है ।

(ख) छः टिकट कलेक्टरों को 4 वर्ष से 17 वर्ष तक सेवा करने के बाद वरिष्ठ टिकट कलेक्टरों के रूप में पदोन्नत किया गया था तथा एक चल टिकट परीक्षक को प्रधान टिकट कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था । इस से कम सेवा वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं जिन्हें आरक्षित कोटे में पदोन्नत किया गया था ।

(ग) प्रत्येक मण्डल में आवश्यकता के आधार पर पद मंजूर किये जाते हैं। यातायात के स्वरूप के कारण कुछ मण्डलों में दूसरे मण्डलों की अपेक्षा अधिक पद होंगे। चूंकि इस स्तर पर पदोन्नति मंडलवार की जाती है इस लिए मण्डल के नियंत्रण में रहने वाले पदों में पदोन्नति के अवसर अलग-अलग होंगे ।

अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को दी गई उपलब्धियों की राशि

6255. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में श्रेणी एक और श्रेणी दो के अधिकारियों की जोनवार संख्या क्या थी और यह संख्या वर्ष 1951 में कितनी न्यूनाधिक थी ;

(ख) वर्ष 1974 और 1951 में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या, जोनवार, कितनी-कितनी थी, और

(ग) वर्ष 1974 में और वर्ष 1951 में अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को जोनवार दी गई उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—9437/75]

Construction of Over-bridge at Ratlam Railway Crossing

†6256. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether road traffic remains blocked for hours at Ratlam railway crossing (Ajmer-Khandwa Section Metre gauge) at the time of crossing and shunting of trains;

(b) whether need for an over-bridge there has been felt and a survey therefor conducted; and

(c) if so, the steps taken towards the construction of the overbridge?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No. However, since the level crossing is situated in Ratlam M.G. Station yard, it has to be closed during shunting operations as also while passing through trains.

(b) The State Government of Madhya Pradesh has requested for replacement of this level crossing by a r oad over bridge. The Western Railway has asked the State Government to convey their acceptance of the terms and conditions, but no further communication has been received from the State Government so far. Survey for this work can be undertaken only after receipt of State Government's acceptance to the terms and conditions.

(c) Further action can be taken only after receipt of a firm proposal from the State Government together with their acceptance of the terms and conditions.

Govind Ram tody Sugar Mills, Mahidpur

†6257. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.3720 on the 18th March, 1975 regarding shares of Directors of Sugar Mills in Madhya Pradesh and state:

(a) whether Govind Ram Tody Sugar Mills, Mahidpur is an unregistered Company and if so since when it has been functioning and the capital amount of this Company;

(b) whether such a company is required to be registered under the Companies Act; and

(c) if so, the action taken by Government against the Company?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) Govind Ram Tody Sugar Mills, Mahidpur does not appear to be a company registered under the Companies Act. The required information is, therefore, not available.

(b) & (c) : Section 11(2) of the Companies Act 1956 lays down that "No company, association or partnership consisting of more than twenty persons shall be formed for the purpose of carrying on any other business that has for its object the acquisition of gain by the company, association or partnership, or by the individual members thereof, unless it is registered as a company under this Act, or is formed in pursuance of some other Indian Law". Unless there is evidence that this provision has been violated, no action is possible in the matter.

Shareholders of Sugar Mills in Madhya Pradesh

†6258. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.3845 on the 18th March, 1975 regarding share capital of Sugar Mills and state.

(a) the share holding of each Member of the Board of Directors of Jiwajirao Sugar Mills Limited, Dalauda and Jaora Sugar Mills Limited, Jaora in these Mills;

(b) the number of shareholders whose share holding is more than Rs. 5,000/-; and

(c) whether the same person is the Director and Manager of Jaora Sugar Mills Private Limited and Govindram Tody Sugar Mills, Mahidpur?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs: (Shri Bedabrata Barua): (a) The information regarding the names of Directors of Jiwajirao Sugar Company Limited, Dalauda and Jaora Sugar Mills Private Limited, Jaora and their shareholdings in these companies are as under:—

Jiwajirao Sugar Company Limited

Name of the Directors.	No. of Equity shares of Rs.100/- each. (as on 29-3-1974)
1. Shri Basudeo Prasad Agarwalla	50
2. Shri Mahavir Prasad Agrawal	85
3. Shri Naresh Chandra Sakseria	50
4. Shri Jehangir F. Shroff .	50
5. Shri Vijay Shanker Tripathi .	Nil
6. Shri Satchitananda M.Deo	Nil

Jaora Sugar Mills Private Limited

Name of the Directors.	No. of Equity shares of Rs.100/- each. (as on 30-4-1974)
1. Shri Bankatlal Nandlal Ji Tody (Mg. Director)	1,600
2. Shri Vishwanath Radhey Shyamji Tody	4,741
3. Smt. Banarasibai Nandlalji Tody	3,031
4. Shri V.R. Kanungo	Nil

(b) There are 6 shareholders holding shares of the value of more than Rs. 5,000 each as on 29-3-1974 in Jiwajirao Sugar Co. Limited and 13 shareholders as on 30-4-1974 in Jaora Sugar Mills Private Limited.

(c) Govindram Tody Sugar Mills, Mahidpur does not appear to be a company registered under the Companies act, 1956. The information whether Jaora Sugar Mills Private Limited and Govindram Tody Sugar Mills, Mahidpur have the same person as Director and Manager is, therefore, not available.

Air Conditioning of Two-Tier Second Class Sleeper Coaches

†6259. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to aircondition two-tier second class sleeper coaches on main railway routes;

(b) whether such coaches will be available in 1975; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No.

(b) & (c): Does not arise. However, Air-conditioned sleeper coaches having two-tier accommodation have been introduced on the Air-conditioned Expresses running on Madras-New Delhi and Bombay-New Delhi-Amritsar and Howrah-New Delhi-Amritsar routes with effect from 15-3-75. This coach provides accommodation for 48 passengers and the fare for travel in these coaches is equivalent to ordinary first class.

बम्बई हाई में तेल निक्षेपों के बारे में रूसी तेल विशेषज्ञ के विचार

6260. **श्री अरविन्द एम० पटेल:**

श्री डी० पी० जदेजा:

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० कालिमिन, एक रूसी तेल विशेषज्ञ ने 'बम्बई हाई परियोजना' का इस वर्ष में निरीक्षण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में तेल निक्षेपों के बारे में उनका क्या मत है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां उन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बम्बई हाई में जेकप ड्रलिंग रिग "सागर सम्राट" का दौरा किया ।

(ख) उन्होंने बम्बई हाई तथा उसके निकटतम संरचनाओं में तेल की संभावनाओं की आशा व्यक्त की ।

Jaipur Metals and Electricals, Jaipur

6261. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether profit of the Jaipur Metals and Electricals, Jaipur (Rajasthan) has gone down because of internal differences in the management;

(b) if so, the steps taken by Government for smooth working of the company; and

(c) the names of the Directors in Company's Board of Directors?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) Government is not aware that due to internal differences in the management the profits of the company have gone down, but the company incurred losses during the years 1972-73 and 1973-74.

(b) Does not arise.

(c) The names of the Directors on the company's Board of Directors are as follows:

1. Shri Rasik Ramji Kamani.
2. Shri Navinramji Kamani.
3. Shri Hasmukh Ramji Kamani.
4. Shri Navnit Ramji Kamani.
5. Shri Chandravadan Ramji Kamani.
6. Shri Rawal Madansinghji of Nawalgarh.
7. Shri Jagdish Kanailal Munshi.
8. Nawab Aminuddin Ahmed of Loharu.
9. Shri Prem Narain Mehrotra.

Arrangements for drinking water at stations between Delhi and Udaipur

6262. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to make proper arrangements for drinking water at all the stations between Delhi and Udaipur; and

(b) if so, the salient features of the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Arrangements for drinking water already exist at all the stations between Delhi and Udaipur.

(b) Does not arise.

Thefts Committed at Railway stations and workshops during the last three years

†6263. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the names of various railway stations in the country where thefts were committed during the last three years indicating the nature of thefts committed;

(b) whether the incidence of pilferage in the railway workshop is on the high side; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to check them?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) Some increase has been noticed in the incidence of thefts from workshops on the Central and Northern Railways.

(c) The following steps are being taken to check the incidence of thefts and pilferages in railway workshops:—

(1) Strict gate-pass checking at the gate for incoming and outgoing material.

(2) Patrolling by armed Railway Protection Force personnel along with Perimeter wall.

(3) Search at the gate of incoming and outgoing workmen and the contractor labour.

(4) Patrolling by dog squad.

(5) Surveillance on staff suspected to be indulging in pilferage of material.

(6) Raids over receivers of stolen property.

(7) Basic security arrangements are being improved.

(8) Vehicles passing through the gates are thoroughly checked.

औषधियों की दोहरी उत्पादन पद्धति

6264. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ औषधियों की दोहरी उत्पादन पद्धति अपनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षकता में गठित औषध और भेषज उद्योग समिति, औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और इसने अपनी रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्रस्तुत कर दी थी । यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

सामान्य जनता को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अनिवार्य औषध और आम घरेलू उपचारों की व्यवस्था करने के उपायों पर समिति की रिपोर्ट पहले प्राप्त हो गई थी और उसकी एक

प्रति 4 मार्च 1975 को सभा पटल पर रख दी गई थी। समिति ने 117 औषध सूत्रयोगों के उत्पादन का पता लगाया है। जिनको बड़े पैमाने पर हाथ में लेना चाहिए। इस समिति की रिपोर्ट भी पहले से ही विचाराधीन है।

इस बीच में सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र और इण्डियन मैडिकल एसोसियेशन के साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सस्ती औषधों और क्षमता को आरक्षण की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए बैठकें की गई है।

राजस्थान में रेलवे उपरि पुलों का निर्माण

6265. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार रेलवे की विकास निधि में कितनी धनराशि दे चुकी है;

(ख) क्या राज्य सरकार इस निधि का उपयोग रेलवे उपरि पुल बनाने के लिए कर सकती है; और

(ग) यदि हां, तो राजस्थान सरकार से जयपुर के लिए एक उपरि पुल सहित रेलवे के उपरि पुलों के निर्माण के लिये इस निधि के उपयोग हेतु अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कुछ नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इटली के विशेषज्ञ दल द्वारा दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के डिजाइन में दोष पाया जाना

6266. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त इटली के विशेषज्ञ दल ने दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र की योजना और डिजाइन में गम्भीर दोष पाये हैं ;

(ख) क्या उक्त विदेशी दल ने संयंत्र के डिजाइन को फिर से तैयार करने और कुछ भाग को पुनः लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो संयंत्र के डिजाइन तैयार करने और इसे लगाने का काम किसने किया था और क्या भारतीयों विशेषज्ञों और सरकार ने विदेशी दल द्वारा बताये गये दोषों को स्वीकार कर लिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) कुछ नाज़ुक उपकरणों, अधिकतर आयातित, में खराबी आने के कारण दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र, जिसने अक्तूबर, 1973 में उत्पादन प्रारम्भ किया, अभी तक संतोषपूर्ण स्तर तक उत्पादन स्थिर करने में समर्थ नहीं हुआ है । तथापि लगभग 40 से 50% की क्षमता तक उत्पादन को इस समय स्थिर किया जा रहा है ।

संतोषपूर्ण कार्यों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न यांत्रिक खराबियों तथा अन्य समस्याओं का पता लगाने तथा उन पर काबू पाने के लिए समय-समय पर यथाक्रम रूप में प्रयत्न किये गये है । कुछ मामलों में खराब पाये गये उपकरणों को बदलने के लिए दूसरे उपकरणों को प्राप्त किया गया है । चूंकि ये उपाय पूर्णरूप में सफल नहीं थे अतः मैसर्स टेकनीमेंट को समस्याओं का पता लगाने के लिए तथा लगभग निर्धारित क्षमता पर संयंत्र द्वारा उत्पादन प्राप्त करने तथा स्थिर करने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु एक पूर्ण विस्तृत सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में कहा गया था । सर्वेक्षण के पश्चात् परामर्शदाता ने विस्तृत रूप से निम्नलिखित सुधारों में अतिरिक्त बृद्धि का सुझाव दिया है :—

(1) सुव्यवस्थित डिजाइन के उपकरणों के साथ कुछ उपकरणों में परिवर्तन

(2) कुछ उपकरणों में परिवर्तन

(3) कुछ इंस्ट्रूमैन्टेशन में संशोधन एवं नियंत्रण वाल्व में परिवर्तन जिसने संतोषपूर्ण ढंग से कार्य नहीं किया ।

(4) क्षमता में वृद्धि तथा डिमिनिरलाइण्ड वाटर प्लांट का संचार ।

(5) जल को शीतल करने के लिए कुछ आयातित रसायनों की व्यवस्था ।

(6) सर्विस वायलरों के दहन नियंत्रण प्रक्रिया में संशोधन ।

(7) अधिक प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था इन सिफारिशों का कार्यान्वियन लगभग 18 से 24 महीनों में पूर्ण होने की आशा है ।

(ग) प्रसिद्ध विदेशी फर्मों द्वारा व्यवस्थित मूल डिजाइन तथा इंजीनियरिंग आंकड़ों के आधार पर भारतीय उर्वरक निगम के योजना एवं विकास प्रभाग तथा फैक्ट इंजीनिरिंग द्वारा प्रायोजना का विस्तृत इंजीनियरिंग एवं डिजाइन कार्य किया गया था । उपकरण एवं घटकों के आयातित मदों की खरीद अमोनिया प्लांट के सम्बन्ध में सोश्येता आइ एम पेन्टी इटालियना तथा यूरिया संयंत्र के सम्बन्ध में मान्टेडिसन जैसे विख्यात फर्मों के माध्यम से सप्लायर्स से सप्लायर्स ऋण के अन्तर्गत की गई थी जो न्योव पिगनोन (इटली) थर्मो-मेकासिक (इटली) लेन्टजेन रेकुपेरटर (पश्चिमी जर्मनी) जैसे अच्छे उत्पादक है । अनेक मामलों में उपकरण सप्लायरों देशीय एवं विदेशी दोनों प्रथम बार करों एवं अपेक्षित आकार के लिए उपकरणों के मदों का निर्माण कर रही थी। इस प्रकार इस प्रायोजना के कार्यान्वियन में अनेक पार्टियां लगी थी जो देशीय उपकरण तथा विशिष्टता के अधिकतम उपयोग पर आधारित देशीयकरण का प्रथम वृहत प्रयास था ।

मैसर्स टैकनीमोन्ट द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों/अतिरिक्तयों को स्वीकार कर लिया गया है तथा सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए पर्याप्त बजट सहायता की व्यवस्था की गई है ।

भद्रक—चान्दबाली रेलवे लाइन और रुपसा—बांकुरा पोसी लाइन को बदलने के बारे में निर्णय

6267. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलाभप्रद रेलों के (निर्मित की जाने वाली और कार्य कर रहीं सम्बन्धी) निष्कर्षों को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ख) सरकार का उड़ीसा में भद्रक—चांदवाली, रुपसा से बांकुरा पोसी तक नैरो गेज लाइन को मुख्य बम्बई लाइन से जोड़ते हुये ब्राड गेज लाइन में बदलने के बारे में कब तक निर्णय किये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रत्यक्षतः आशय उस अध्ययन से है जो अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 द्वारा किया गया था। इस समिति ने वर्तमान अलाभप्रद शाखा लाइनों के काम की जांच की थी। समिति पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है।

(ख) भद्रक से चांदवाली तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिये 1927 में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किये गये थे। इन से मालूम हुआ था कि यह परियोजना लाभप्रद नहीं होगी। इस लाइन के लिये हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किये गये। अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों के आधार पर रुपसा—बांगरी पोशी—तालबन्द छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिये 1971 में यातायात सर्वेक्षण किया गया था और उसकी रिपोर्ट की जांच कर ली गई है। इस आमान परिवर्तन के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

शा वालेस एण्ड कम्पनी

6268. **श्री सरजू पांडे:**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शा वालेस एंव कम्पनी की देश भर में कुल कितनी आस्तियां हैं;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनमें शा वालेस के शेयर हैं;

(ग) इस कम्पनी ने वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974–75 में भारत से कितना धन स्वदेश भेजा है; और

(घ) इस कम्पनी में एक सर्वोच्च कार्यकारी निदेशक को कितना वेतन मिलता है और निम्नतम कर्मचारी को कितना मिलता है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ): (क) शा वालेस एंड कम्पनी लिमिटेड की 31-12-1973 तक कुल परिसम्पत्ति 15.51 करोड़ रु० थी।

(ख) एक सूची संलग्न है।

(ग) 31-12-1973 तक बनाई गई नवीनतम वार्षिक विवरणी से दिखलाई दिया कि वर्ष 1973 की अवधि में विदेशी मुद्रा में भेजी गई यथा प्रदर्शित राशि निम्न प्रकार है :

1972 हेतु लाभांश	8,77,791 रु०
1973 हेतु अन्तरिम लाभांश	4,38,388 रु०

(घ) सर्वाधिक वेतन पाने वाला कार्यकारी, कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक है, जिसकी इस समय 10,000 रु० प्रति माह, इसके साथ कम्पनी के प्रबन्धक, पूर्णकालिक निदेशकों को उनके वेतन के अनुपात में देय कम्पनी के शुद्ध वार्षिक लाभों पर 5 प्रतिशत कमीशन में हिस्सा बशर्ते के वेतन और कमीशन के रूप में उनका पारिश्रमिक 1,75,000 रु० वार्षिक से अधिक नहीं होगा तथा परिलब्धियां। निम्नतम वेतन पाने वाले कर्मचारी के सम्बन्ध में विवरण तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखों में प्रगट करना अपेक्षित नहीं है।

विवरण

भारतीय कम्पनियों के नाम जिनमें शावालेप एंड कम्पनी लिमिटेड, 31-12-73 तक शेयर धारण करती थी।

(कम्पनी के नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार)

(क) नियंत्रणाधीन कम्पनियां :

1. क्रूइश्क शंक एंड कम्पनी लिमिटेड
2. दि न्यू शमनबाग टी कम्पनी लिमिटेड
3. शाखा लेक नोमिनीज लिमिटेड
4. तेजपुर टी कम्पनी लिमिटेड
5. दि हूगली फ्लौर मिल्स कम्पनी लिमिटेड
6. दि इंडियन यीस्ट कम्पनी लिमिटेड

(ख) अन्य कम्पनियां :

1. एसोसियेटेड इंडस्ट्रीज (असम) लिमिटेड
2. ग्लू प्रोडेक्टस लिमिटेड
3. हेवार्ड वाल्दाई रिफाइनरी लिमिटेड
4. इंडियन पोटाश लिमिटेड
5. मशपन बोसनक्यूट एंड कम्पनी लिमिटेड
6. नम्बूरमदी टी कम्पनी लिमिटेड
7. रीवा कोल फिडस लिमिटेड

23LSS/75—10

8. सेन्डोज (इंडिया) लिमिटेड

9. शा लेनर लिमिटेड

10. स्कोल ब्रेवरीज लिमिटेड

11. पार्क साइड (नीलगिरी हिल्स) एस्टेटस कम्पनी लिमिटेड

12. वालवुड प्लान्टेशन एंड एजेन्सी लिमिटेड

13. डलहोजी होल्डिंग्स लिमिटेड

(कम्पनी कुछ शेयर सरकारी क्षेत्र वित्तीय संस्थानों नामशः इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इन्वैस्टमेंट कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लिमिटेड में भी धारण करती है।)

ग्रौषध उद्योग के लिये कच्चे माल का निर्माण

6269. **श्री एस० ग्रार० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रौषध उद्योग के लिये ग्रधिकांश कच्चा माल सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा निर्मित किया जाता है ग्रौर गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखाने ग्रधिकांशतः लाभ कमाने के उद्देश्य से सूत्र (फार्म्युलेशनज) बनाने में लगे हैं;

(ख) क्या 'फार्म्लुलेशन्ज' के मूल्य सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा सप्लाई किये गये कच्चे माल के मूल्यों के ग्रनुपात से कहीं ग्रधिक हैं; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ग्रौर गैर-सरकारी कारखानों को ग्रधिक मूल-ग्रौषधियों का उत्पादन करने के लिये बाध्य न करने ग्रौर 'फार्म्लूलेशन्ज' के सन्तुलित उपभोक्ता मूल्य निर्धारित न करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) से (ग) देश में प्रपुंज ग्रौषधों के कुल वार्षिक उत्पादन की लगभग 35 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्मित किया जाता है ग्रौर शेष उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ग्रौषध सूत्रयोगों के निर्माण में सरकारी क्षेत्र का भाग लगभग 8 प्रतिशत है। यह ग्राशा की जाती है कि पांचवीं योजना के ग्रन्तर्गत सरकारी क्षेत्र ग्रौषध उद्योग में ग्रौर बड़ी भूमिका निभायेगा। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता तथा प्रपुंज ग्रौषधों के निर्माण की सार्थकता के ग्राधार पर, गैर-सरकारी एककों को भी प्रपुंज ग्रौषधों के निर्माण के लिये प्रोत्साहन/स्वीकृति दी जाती है।

ग्रौषध (मूल्य नियंत्रण) ग्रादेश 1970 एक विस्तृत दस्तावेज है ग्रौर उपरोक्त ग्रादेश के ग्रन्तर्गत ग्रौषधों के मूल्य नियंत्रित किये जाते हैं। 50 लाख से ऊपर की बिक्री करने वाले एककों को इससे छूट दे दी गई है। ग्रौषध (मूल्य नियंत्रण) ग्रादेश 1970 में की गई व्यवस्था तथा इस दिशा में बताये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के ग्राधार पर, ग्रौद्योगिक लागत ग्रौर मूल्य ब्यूरो द्वारा सूत्रयोगों के मूल्यों की जांच की जाती है। इसमें प्रपुंज ग्रौषधों के मूल्य नियंत्रण ग्रादेश के ग्रन्तर्गत निर्धारित किये गये मूल्य, भी ग्रा जाते हैं।

यह सत्य है कि सामान्यतया सूत्रयोगों का उत्पादन प्रपुंज औषधों के उत्पादन की तुलना में अधिक लाभप्रद होता है। सरकारी क्षेत्र एककों द्वारा औषधों के सूत्रयोग निर्माण कार्य को और अधिक बढ़ाया जायेगा। श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति द्वारा इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है तथा 6 अप्रैल, 1975 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। मूल्य निर्धारण योजना में किसी प्रकार के संशोधन करने के बारे में इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये विचार किया जायेगा।

फरीदाबाद माल गोदाम में गेहूं और मक्का का स्टाक जमा होना

6270. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद माल गोदाम में गेहूं और मक्का का भारी स्टाक जमा हो गया है जो रेलवे द्वारा ढोया जाना है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त होने वाली मात्रा तथा उसके गन्तव्य स्थान सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनाज को कितनी क्षति हुई और क्षति की पूर्ति कौन करेगा?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे लाइनों के निर्माण पर व्यय और उनके निर्माण की निर्धारित तिथि

6271. **श्री टुना उरांव** :

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में, राज्यवार, निर्माणाधीन नई रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) अब तक उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई और लाइनवार पूरा हुये कार्य की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) प्रत्येक लाइन के पूरा होने की निर्धारित तिथि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1975-76 में इन पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—9438/75]

Nomination to Zonal Railway Users' Consultative Committee

6272. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Gajanand Darolia of Mahabirji has been nominated to Zonal Railway Users' Consultative Committee by the Railways; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b) Yes. Shri Gajanand Deroliya was nominated to represent special interests on the Zonal Railway Users' Consultative Committee, Western Railway.

Death of Buffaloes loaded at Kota Goods Godown

†6273. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether buffaloes loaded in 3 wagons at Kota goods godown died overnight in the godown itself on 12th June, 1972;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the action taken by the Railways in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Out of sixty buffaloes loaded in 3 wagons on 12-6-72 booked from Kota to Khangsara, fiftyeight buffaloes were found dead on the afternoon of 13th June, 1972.

(b) & (c) The cause of death of these buffaloes has not been established conclusively.

उन कम्पनियों की वार्षिक ग्राम बैठकें जिनके शेयर ट्रस्ट के पास हैं

6274. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से 1974 के दौरान उन कम्पनियों की कितनी वार्षिक ग्राम बैठकें हुई जिनके शेयर ट्रस्ट के पास हैं ग्रौर ऐसी बैठकों की संख्या कितनी है; जिनमें उक्त ग्रवधि में कम्पनी ग्रधिनियम की धारा 153 के ग्रन्तर्गत नियुक्त सरकारी न्यासधारी ने भाग लिया;

(ख) ऐसी बैठकों की संख्या कितनी है जिनमें सरकारी न्यासधारी की ग्रोर से कम्पनी कार्य विभाग/कम्पनी विधि बोर्ड के ग्रन्य ग्रधिकारियों ने भाग लिया तथा इन बैठकों में सरकारी न्यासधारी के उपस्थित न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी न्यासधारी के पद के सम्बन्ध में कोई ग्रर्हता निर्धारित की है; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1971 से 1974 के दौरान सरकारी न्यासधारी के पद का दर्जा कितनी बार बढ़ाया ग्रथवा घटाया गया?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ): (क) तथा (ख) सूचना नीचे दी जाती है :—

	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
(1) सम्पन्न की गई साधारण सभाओं की संख्या ..	220	204	208	194
(2) लोक-न्यासी द्वारा साधारण सभाओं में भाग लिये जाने की संख्या	2	10	13	14
(3) लोक-न्यासी के निमित्त कम्पनी कार्य विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा सभाओं में भाग लिये जाने की संख्या	9	5	22	52

धारा 187 ख की उप-धारा (2) लोक-न्यासी को स्वयं कम्पनियों की साधारण सभाओं या प्रतिपत्नी द्वारा इस प्रकार की सभाओं में मतधिकारों को प्रयोग करने को समर्थ करती है। इस सम्बन्ध में स्थिति सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 3964 में दिनांक 10-12-1974 को स्पष्ट कर दी गई है।

(ग) भारत के राजपत्र के भाग 2 अनुभाग 3 (सा० का० नि० संख्या 983 के रूप में) दिनांक 15 सितम्बर, 1973 को प्रकाशित लोक-न्यासी के नियुक्ति करने के शासी नियमों की प्रति 11 दिसम्बर, 1973 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

(घ) 1971-74 की अवधि में लोक-न्यासी के पद का दरजा न बढ़ाया गया और घटाया गया।

मैसर्स गुलुकोनेट लिमिटेड में कुप्रबन्ध के कारण हानि

6275. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की एक विख्यात औषध कम्पनी, मैसर्स गुलुकोनेट लिमिटेड, को, जिसकी स्थापना स्वर्गवासी डा० बी. सी० राय ने की थी, कुप्रबन्ध के कारण बहुत अधिक हानि हो रही है;

(ख) क्या कम्पनी ने एक्शफलेवीन, यूफलेवीन, पैथेडीन प्रोफलेवीन तथा अन्य औषधियों का, जिनका अब विदेशों से आयात किया जाता है, उत्पादन बन्द कर दिया है अथवा इसमें भारी कमी कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी की वित्तीय स्थिति यदि आवश्यकता हो तो सार्वजनिक क्षेत्र में लेकर पुनः सुधार करने के उद्देश्य से कोई जांच की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी हां। वर्ष 1973 के अन्तर्गत कम्पनी ने 9.31 लाख रुपये की हानि उठाई।

(ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण कम्पनी उठाई गई हानियों और उसके परिणामस्वरूप अनेक दायित्वों से मैसर्स गुलूकोनेट लिमिटेड का विभिन्न उत्पादों का निर्माण कार्य धीरे-धीरे बन्द हो गया।

(ग) महत्वपूर्ण प्रपुंज ग्रौषधों ग्रर्थात् पैथीडीन ग्रादि के उत्पादन को बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ विचार विमर्श द्वारा जांच की जा रही है।

मई 1974 की हड़ताल के लिये दण्डित किये गये रेल कर्मचारियों के बारे में विभिन्न रेल जोनों को दिये गये निदेश

6276 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1975 में विभिन्न जोनल रेल प्रशासनों को निम्नलिखित के बारे में क्या निश्चित निदेश दिये गये थे :

(एक) मई, 1974 की हड़ताल के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमें को वापस लेना

(दो) मुग्रतली के मामले;

(तीन) सेवा से बर्खास्त किये गये स्थाई कर्मचारियों की बहाली; ग्रौर

(चार) ऐसे तथाकथित नैमितिक कर्मचारियों की बहाली, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी;

(ख) 15 ग्रप्रैल, 1975 तक उपरोक्त के बारे में जोनवार क्या प्रगति हुई; ग्रौर

(ग) क्या कट्टरपंथी (हार्डकोर) के नाम से वर्गीकृत एक नई श्रेणी के कर्मचारियों का पता लगा लिया गया है ग्रौर यदि हां, तो उसकी परिभाषा ग्रौर उसकी सार्थकता क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के मामले निपटाने के सम्बन्ध में सरकारी नीति संसद में बार-बार घोषित की जा चुकी है। उस नीति के ग्राधार पर रेलों से शीघ्र कार्रवाई करने के लिये कहा गया है। संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है :—

(i) बर्खास्त हटाये गये कर्मचारियों को फिर से बहाल करने के मामलों की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है जिससे ग्रधिक से ग्रधिक संख्या में कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया जा सके।

(ii) जिन कर्मचारियों के खिलाफ ग्रदालत में मुकदमें चल रहे हैं उनके मामले में, लेकिन उनको छोड़कर जिन पर गम्भीर ग्रपराधों के ग्रारोप हैं राज्य सरकारों से मुकदमें वापस लेने के लिये ग्रनुरोध किया गया है, राज्य सरकार के प्राधिकारियों से ग्राग्रह किया जा रहा है कि वे मुकदमे वापिस लेने में शीघ्रता करें।

(iii) जैसे-जैसे ग्रदालतों में चल रहे मुकदमों ग्रथवा उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई को ग्रन्तिम रूप से निपटारा होता जाता है निलम्बनाधीन कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लिया जा रहा हैं; ग्रौर

(iv) जैसे ग्रौर जब नये निर्माण कार्य उपलब्ध हों, नैमित्तिक मजदूरों को, नैमित्तिक मजदूर के रूप में उनकी सेवाविधि के ग्राधार पर, बारी-बारी से फिर नौकरी में रखा जाय।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी०-9439/75] जिसमें 5-4-1975 की जो स्थिति थी वह बतायी गई है।

(ग) जी नहीं।

भारतीय उर्वरक निगम के बरौनी डिवीज़न के कर्मचारियों को निर्माण भत्ता की श्रदायगी न करना

6277. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम श्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय उर्वरक निगम के बरोनी डिवीजन के कर्मचारियों की उनके पुनरीक्षित वेतनमानों पर वर्तमान प्रतिशत की दर पर निर्माण भत्ता की श्रदायगी न किये जाने के बारे में काफी समय से चली श्रा रही शिकायत के बारे में जानकारी हैं;

(ख) क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि भारतीय उर्वरक निगम के नामरूप डिविजन कर्मचारियों को यह लाभ 1 जनवरी, 1973 से स्वीकृत किया गया है; श्रौर

(ग) यदि हां, तो बरौनी डिवीज़न के कर्मचारियों के साज यह भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम श्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० श्रार० गणेश): (क) से (ग) : भारतीय उर्वरक निगम ने सूचित किया है कि 1-1-1973 से संशोधित वेतन मानों के वर्तमान दरों पर निर्माण भत्तों की श्रदायगी के लिये बरौनी प्रभाग के कर्मचारियों की मांग पर भारत सरकार के हाल ही के श्रादेशों, जिसमें, कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन होने पर ऐसे भत्तों की श्रदायगी के संशोधित दर दिये गये हैं, के सन्दर्भ में विचार हो रहा है।

निगम इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये श्रनुदेशों के श्रनुसार निर्माणाधीन प्रायोजनाश्रों में श्रपने कर्मचारियों को निर्माण भत्ता दे रहा है तथा प्रभागों के कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad) : I have given notice of an adjournment motion regarding death of five persons due to police firing in Orissa. The House should discuss this matter.

Mr. Speaker : This is a Law and Orders issue concerning the state.

Shri Janeshwar Mishra : We think that it should the discussed by the House.

Mr. Speaker : This is a state subject and I am not allowing it.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have been informed that Privilege Motion moved by me will not be admitted.

श्रध्यक्ष महोदय: में इसे श्रनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The House can discuss the question of levy which was decided upon by the National Development Council.

अध्यक्ष महोदय : यदि नीति सम्बन्धी चर्चा की जाती है तो इसे स्थगन प्रस्ताव द्वारा नहीं किया जा सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My Privilege Motion should be reconsidered because case against Shri Tulmohan Ram is being tried in the Session Court. We can not be silent spectators of what is going on in a Court of Law.

Mr. Speaker : That ruling is still there.

Shri Atal Bihari Vajpayee : They are not accepting that ruling .

Mr. Speaker : This is not a matter of privilege. This is about the conduct of the Minister.

Shri Atal Bihar Vajpayee : Your ruling is accetped even in the inter-parliamentary union. It is not proper if it is not accepted here in this Parliament.

Mr. Speaker : They also accept the ruling and want to discuss the issues, but it is not known as to when they are going to discuss it in the House.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री तुलमोहन राम, जो रामनाथ गोंयका तथा श्रीमती गायत्री देवी के विरुद्ध प्रथम दृष्टतया मामले सिद्ध हो चुके हैं? इन्हें निलम्बित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री 6 बजे शाम को श्री मोरारजी देसाई की भूख हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य देंगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 438 में प्रकाशित हुये थे। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 9416/75]

कुछ अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : मैं दिनांक 3 फरवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 43 (ङ) दिनांक 20 फरवरी, 1975 की* अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 52 (ङ) और 53 (ङ) तथा दिनांक 1 मार्च, 1975 की* अधिसूचना संख्या सा सा० नि० 137 (ङ) को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 9417/75]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार के नवादा जिले में हरिजनों के मकानों को जलाया जाना तथा उनके बच्चों की कथित हत्या

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"Reported burning of 60 houses of Harijans and murder of three children in Navada District of Bihar."

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सरकार ने 10 अप्रैल, 1975 के 'इंडियन नेशन' में प्रकाशित समाचार देखा है जिसमें कुछ अग्निकाण्ड का उल्लेख है जो पिछले कुछ दिनों में बिहार राज्य के कुछ गांवों में हुआ बताया जाता है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि गोबिन्दपुर थाने के क्षेत्र में भट्टिया गांव में दो महिलायें जिन्दा जल गई थीं।

2. बिहार सरकार से यह मालूम हुआ है कि 8 अप्रैल, 1975 को नवादा जिले में गोबिन्दपुर पुलिस थाने के भट्टिया गांव में एक हरिजन बस्ती में आग लग गई थी जिसमें दो हरिजन महिलायें मर गईं। पुलिस की जांच से पता चला है कि यह एक आकस्मिक अग्निकाण्ड था। आग से हुई क्षति के बारे में हम राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको सुझाव दिया गया है कि आग से पीड़ित लोगों को तुरन्त पर्याप्त राहत दी जाय। इस सम्बन्ध में और जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

Shri Shankar Dayal Singh : There is a contradiction between my calling attention motion and the reply given by the Hon. Minister. I pointed out that 60 houses were put to fire and three children were murdered. According to the Minister's reply these houses caught fire. It is stated that some youngmen put the houses of harijans on fire and threw three children in the fire. I have made it clear through my motion that these houses were put to fire. According to "Aryavart" News paper of Bihar, no relief works have so far been started.

The hon. Minister should tell us as to why the houses of Harijans and tribals only are put to fire.

The Government should also tell the amount of economic assistance given so far to the victims. Will the Government also state the number of houses destroyed due to such fire annually, in Bihar?

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह बात सच है कि इस दुर्घटना के बारे में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। हमारी सूचना तो यही है कि यह अग्निकाण्ड आकस्मिक था और आग जानबूझ कर नहीं लगाई गई।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने नवादा जिले के बारे पूछा है कि लेकिन आप किसी अन्य क्षेत्र के वारे सूचना दे रहे हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : पारित भी नवादा जिले में हैं।

बिहार सरकार ने हमें सूचना दी है कि यह अग्निकांड आकस्मिक ही था। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार दो हरिजन महिलाओं को जिन्दा जलाया गया था तथा तीन पशुओं को भी जलाया गया।

राहत के बारे में हमें पूरी सूचना नहीं मिली है। लेकिन इसके बारे में हम बिहार सरकार से पूछताछ कर रहे हैं।

Shri Ram Dhan (Lalganj) : I rise on a point of order. I am one of these members who never rise to speak.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया।

श्री एफ० एच० मोहसिन : 'नवभारत टाईम्स' तथा 'आर्यवर्त' में छपे समाचारों के बारे हम बिहार सरकार से पूछताछ करेंगे।

Shri Shankar Dayal Singh : The Government have not given clear replies to the points raised by me. No information about the relief works has also been given.

Shri Chandra Shailani (Hathrus) : The rape of a Harijan girl by a caste Hindu young-man and opposition by the harijans is the main cause of this tragedy. Three children were put to fire. As a result 200 persons were rendered homeless.

Such atrocities on Harijans are being committed in other parts of the country. It is sad that our Government has not so far investigated the causes of such atrocities. I should make it clear in this august House that reactionary and communal forces are behind these atrocities. These forces have geared up their drive. Government should find out whether some foreign forces are behind these atrocities ?

I want to know the amount of relief and other assistance given to the victims.

Government should also create a separate Ministry to look into the welfare of Harijans.

श्री एफ० एच० मोहसिन : बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नवादा जिले में हरिजनों पर कोई नियोजित ढंग के अत्याचार नहीं हुये हैं। माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों के बारे में जानकारी मंगाई जायेगी। यह ठीक है कि कुछ राज्यों में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनायें बढ़ रही हैं। ये घटनायें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश में बढ़ी हैं। हमारे लिये यह चिन्ता का विषय है सरकार ने अपराधियों को दण्ड दिलाने के बारे में कदम उठाये हैं।

हमने राज्य सरकारों से कहा है कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की जाये जो अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के बारे में सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करे। ऐसी समितियों का आंन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आसाम, तमिलनाडु, जम्मू तथा काश्मीर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोआ, दमन और दीव, त्रिपुरा पांडिचेरी और दादरा और नागर हवेली में गठन किया जा चुका है। विशेष समितियां अनुसूचित जातियों और जन जातियों की शिकायतों पर विचार करती है और उन्हें रोजगार दिलाने की स्थिति की समीक्षा करती हैं। कुछ राज्यों में पुलिस के उपमहानिरीक्षक के प्रभार में ऐसे अनुभाग स्थापित किये गये हैं इन जातियों के लोगों से प्राप्त शिकायतों की जांच करते हैं और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं।

अस्पृश्यता अपराध (संशोधन) विधेयक, संसद के समक्ष है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न घटना विशेष के बारे में था। अब आपने इस पर पूरी चर्चा आरम्भ कर दी है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : माननीय सदस्य अन्य अत्याचारों का उल्लेख कर रहे हैं।

Shri Hari Singh (Khurja) : Every day reports of grave atrocities on Harijans are reported. The Harijans who can retaliate do not do so because they do not want to tarnish the name of India. Now this incident has been reported in the 'Nav Bharat Times'. It can not be an accidental fire. This newspaper is published from Delhi. Its report should be taken as authentic and it should be considered serious.

In this regard I want to give certain suggestions. There should be one special I.G. of Police to look into the cases of atrocities upon weaker sections, scheduled castes and Tribes. The general police does not take adequate interest in such matters. The Central Governent should issue orders in this regard.

The Harijans should be given representation in services according to their population. If that is done, government will not be able to conceal facts.

The Harijans and Adivasis of the country are economic slaves. They are weak economically. They have to suffer indignities and difficulties.

If Government wants to improve the lot of Harijans it should chalk out a time-bound programme.

There should be a Harijan Committee in each district. It should have direct contact with the District Magistrate and the Superintendent of Police. The elected Harijan M.P's. and M.L.As. should be its members.

Government should implement these suggestions so that the Harijans may be able to lead a peaceful life.

श्री एफ० एच० मोहसिन : माननीय सदस्य के कुछ सुझावों से मैं सहमत हूं। कुछ राज्यों ने अनुसूचित जातियों के लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिये विशेष विभाग बना दिये हैं। जहां पर कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया है वहां उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। जहां तक अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रश्न है उसके लिये सभी को प्रयास करना होगा। यह केवल सरकार द्वारा या कानून पास करके नहीं किया जा सकता। मैं इस कार्य में सभी राजनीतिक दलों के सहयोग का स्वागत करता हूं।

बिहार सरकार से और जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को दे दी जायेगी।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF A MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ से प्राप्त दिनांक 14 अप्रैल, 1975 के एक बेतार सन्देश के बारे में सभा को सूचित करना है जिसमें बताया गया है कि श्री महादीपक सिंह शाक्य, सदस्य लोक सभा को, जिन्हें एडीशनल सिटी मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116(3) के अन्तर्गत 14-4-1975 को 18.32 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ में रखा गया, 26-4-1975 तक हिरासत में रखे जाने का आदेश दिया गया।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

70वां तथा 71वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक विकास मंत्रालय—औद्योगिक लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में समिति के 50वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 70 वां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य मंत्रालय (आन्तरिक व्यापार विभाग)—नागरिक आपूर्ति संगठन के बारे में समिति के 61 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 71वां प्रतिवेदन।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

15वां प्रतिवेदन

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के 15वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

20वां प्रतिवेदन

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I present the Twentieth Report of the Committee on Absence of Members from the sittings of the House.

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

143वां प्रतिवेदन

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार) पर लोक लेखा समिति के 122 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 143 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संघ राज्य-क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहिसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की और संशोधित करने तथा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 को भी संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

श्री केवोचुसा (नागालैण्ड) : मैं जिस मामले को उठा रहा हूं उसका सम्बन्ध नागालैंड से है। दो व्यक्ति जब वे सुरक्षा सेना की हिरासत में थे मारे गये हैं। पहला मेजोमा गांव का था। उसका नाम थेम्फुल्हेु था। उसकी मुख्यालय में पिटाई के कारण 16 मार्च को मृत्यु हो गई थी। दूसरा व्यक्ति चदेमा गांव का डोजहू था। उसे 4 अप्रैल को गिरफ्तार करके दीमापुर के निकट रंगा पहाड़ में सैनिक छावनी में रखा गया। 7 तारीख को पिटाई के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार के व्यवहार से लोगों और सरकार के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं किये जा सकते।

श्री एस एम० बनर्जी (कानपुर) : गृह मंत्री इस पर वक्तव्य दें। **(व्यवधान)** : मैंने पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का नोटिस दिया हुआ है। आप वित्त मंत्री से वक्तव्य देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे जब चाहें नहीं उठा सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी (वर्दवान) : में इसे इसलिये उठाना चाहता हूं क्योंकि समाचार छपे हैं कि प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि आपात स्थिति जारी रहेगी। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन राजनीतिक विरोधियों को बन्दी बनाये रखा जायेगा। अब सरकार अपने पास अधिक अधिकार बनाये रखेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे ऐसे नहीं उठा सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह मामला सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देगी। बन्दी बनाये गये व्यक्तियों की शीघ्र रिहाई की कोई संभावना नहीं है।

ये लोग कितने समय तक जेलों में सड़ते रहेंगे? प्रधान मंत्री शाम को अपना वक्तव्य देते समय इस पर प्रकाश डालें **(व्यवधान)** ।

अनुदानों की मांगें, 1975-76

DEMANDS FOR GRANTS—1975-76

कृषि और सिंचाई मंत्रालय — जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे । श्री विकल बोल रहे थे । उनके बाद में केवल दो और सदस्यों को अवसर दे सकूंगा, अधिक को नहीं । हमें कार्य समिति द्वारा निश्चित किए गए समय को ध्यान में रखना चाहिए । हम अनिश्चित काल के लिए समय को नहीं बढ़ाए जा सकते ।

श्री विकल उपस्थित नहीं हैं तथा विपक्ष आवंटित समय से अधिक समय ले चुका है । अब केवल दो कांग्रेसी सदस्यों को समय दिया जा सकता है ।

Shri Ram Gopal Tiwari (Bilaspur) : The problem of agriculture should be discussed along with the socio-economic constitutions of the farmers because it cannot be solved without solving the problems of farmers. Farmers are not organised and as such proper attention is not paid towards them. They are not provided with adequate drinking water, medical aid and facilities of education. In the absence of all these facilities, they remain backward their children are not able to develop their knowledge and their future is marred. So, if we actually want to improve their lot we will have to pay more attention to them.

Problems of the farmers are manifold. Rains have become arratic. Therefore it is necessary to make arrangements for irrigation. But we see that most of our projects are not coming up due to red-tape. As a result, our production is lagging behind. I will, therefore, request the minister to pay special attention towards this aspect.

Efforts should be made to eradicate the various diseases of crops. For improving the lot of the farmers, small industries should be started so that they may supplement their income.

A medium size Sugar Factory should be installed in Bilaspur, where sugar-cane is grown on about 10 to 12 thousand acres of land. An oil processing limit should be set up in the area covering Raiganj, Bilaspur, Sarguja and Bestar where oil-seeds are grown in abundance. A Fertilizer Plant should be installed in Durg near Bhilai.

A stable land policy is necessary for increasing agricultural production. The fixation of the price of food grains is very irrational. The prices of inputs have increased very much. Therefore, while fixing the price, these factors should be kept in mind.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : I would like to say something about the backwardness of Bihar. The agricultural backwardness of Bihar is mostly due to the step-motherly treatment of Central Government towards Bihar. The figures given in the report of Economic and Scientific Research Foundation, New Delhi, which conducted a study in regional economic disparity in relation to Bihar and Punjab, show that Bihar got much less in comparison to other states.

Bihar is also backward in irrigation. In the case of power also, Bihar is far behind. It is getting only 11.30 lakh KW of electricity while Punjab gets 12 times more than this. I do not object to giving more to other states, but I object to the fact that Bihar is getting this kind of treatment. I request the minister to go into these matters.

Proper arrangements for soil testing should be made so that the farmers may use the right type of fertilizer in right quantity.

Proper arrangement for rehabilitation should be made for the 3 lakh people living between the two dams of Kosi.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : गरीबी को दूर करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गांवों में रहने वाले किसानों की दशा को सुधारने को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

इस दिशा में आज तक हमने जो प्रयत्न किए हैं उनके उचित परिणाम नहीं निकल पाए हैं। अतः और अधिक प्रयत्न किया जाए तथा कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि फार्मों से सम्बद्ध किया जाए।

फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी अलीगढ़ आदि जिलों की आलू की उपज के परिवहन के लिए सरकार प्रबन्ध करे, क्योंकि इसके अभाव में वहाँ आलू सड़ रहा है।

यही स्थिति कपास की भी है। उसे कम मूल्य पर भी खरीदने वाला कोई नहीं है। अतः सरकार को निर्यात की अनुमति देनी चाहिए। इसके निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाना चहिए विश्व के बाजार में हमें अपनी लम्बे रेशे की कपास को लाना चाहिए तथा उसे अपना स्थान बनाने का अवसर देना जाना चाहिए।

कृषि वैज्ञानिकों को भी अन्य तकनीशियनों के समान ही वेतन दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भी देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

गेहूं का मूल्य 105 रु० तय करने पर किसान अप्रसन्न है। सरकार गायों की नस्ल सुधारने का कार्य हाथ में ले। यदि उर्वरकों की बहुतायत हैं तो आयात ठेके रद्द कर दिए जाएं। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती। रुई और जूट व्यापार को कृषि मंत्रालय अपने अधिकार में ले जिससे किसानों के साथ न्याय हो सके। भूमिहीन छोटे कारीगरों को सरकार जो विक्रय का कोई साधन प्रदान करे।

श्री डी० पी० जदेजा (जामनगर) : कृषि और सिंचाई मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार मत्स्य पालन को महत्व दे रही है। पांचवीं योजना में उसके लिए अलग से पैसा रखा गया है। नौवहन, वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों के उचित पारस्परिक सहयोग से इस उद्योग का विकास किया जाए। इसके लिए हम सबसे पहले मछली पकड़ने की समुद्री सीमा को बढ़ाएं। अन्य देशों ने भी अपनी यह सीमा बढ़ाई है। पाकिस्तान ने इसे बढ़ा कर 50 मील तथा अमरीका ने 200 मील कर दिया है। जेनेवा सम्मेलन में भी मैं समझता हूं 200 मील तक मछली पकड़ने की समद्री सीमा रखी गई है। इसे शीघ्र लागू किया जाए इस क्षेत्र में विदेशी फर्मों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक अच्छी नौकाएं, कुशल कर्मचारी रखे जाएं और मछुओं को नए साधनों से सम्पन्न किया जाए जिससे वे समुद्र से प्राप्त इस सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपयोग कर सकें।

समुद्री किनारों पर विस्तृत सर्वेक्षण किए जाते रहना चाहिए जिससे मछलियां इतनी अधिक न पकड़ी जाएं कि उन्हें बढ़ने का अवसर ही न मिले। छोटे किसानों और मछुओं को, जो समुद्र के किनारे

पर रहते हैं सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें। मछलियों के लिए बाजार ढूंढने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए।

अन्य देशों के समान हमारे देश में भी मछली पकड़ने के बन्दरगाह बनाए जाएं, यह देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

देश के सभी राज्यों में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, लागू किया जाए अन्यथा बहुत से दुर्लभ पशु समाप्त हो जाएंगे।

Shri Shrikrishna Aggarwal (Mahasamund) : I would like to draw the attention of the government towards the irrigation problems of Madhya Pradesh , which is the biggest state of India. This state has got only 8 per cent land under irrigation whereas India's average is 24. The water of our rivers is not being utilised properly due to inter-state disputes. Government should pay proper attention towards this and give sanction to all the irrigation projects of the state.

No progress has been made towards starting immediate return projects in Chhattisgarh region, which was selected for this purpose. This scheme should be implemented immediately. After independence this region has seen six famines. As such all sorts of loans of this region should be exempted from repayments.

At the time of reorganisation of states it was suggested that because Madhya Pradesh will be a big state and it will not be able to develop itself, adequate help will be provided by the Centre, but that has not been done. There are still many villages having a populabon of more than 1500, which are not connected by roads.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : गेहूं के बहुत कम मूल्य निश्चित करने के कारण ही मैं चर्चा में भाग ले रहा हूं। इस कारण हमारे क्षेत्र में बहुत असंतोष पैदा हो चुका है।

कहा जाता है कि कृषकों के लिये एक बोनस योजना सरकार के विचाराधीन है। बोनस कब और कितना देय है, इसका कोई पता नहीं है। पिछले वर्ष भी बोनस का 50 प्रतिशत भाग किसानों तक नहीं पहुंचा। मध्यस्थों ने ही सारा बोनस हड़प लिया। वसूली मूल्य में परिवर्तन किया जाना ज़रूरी है। यदि मूल्य यही रहा तो अगले वर्ष अधिक क्षेत्र में गेहूं की बजाय अन्य फसल कोई जाएगी और सरकार को फिर आयात पर निर्भर करना पड़ेगा। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

सरकार को एक स्थायी और उद्देश्यपूर्ण खाद्यनीति पर विचार करना चाहिये ताकि किसानों को पता चल सके कि सरकार उन्हें कितना मूल्य देगी।

सिंचाई की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। रावी नदी के जल का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जा रहा है। 1969 में अपने देश में रावी के जल का प्रयोग करने के लिए पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि पानी अब भी पाकिस्तान जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया है और पाकिस्तान इस जल से लाभ उठा रहा है। अतः समस्या का समाधान शीघ्र किया जाना चाहिये।

पंजाब को केवल 56 लाख हैक्टेयर फुट पानी मिल रहा है जबकि इसकी आवश्यकता 1 करोड़ 10 लाख हैक्टेर फुट पानी की है। इसमें से 30 प्रतिशत पानी रिस जाता है। 100 करोड़ रुपये

लगाकर हम इस पानी का भी उपयोग कर सकते हैं जिसे 17 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकेगी । पंजाब को 100 करोड़ रुपये देने से समस्या काफी हद तक हल हो सकेगी । भूमि सुधार भी किये जाने चाहियें और छोटे किसानों को सहायता दी जानी चाहिये ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों सम्बन्धी चर्चा में 81 सदस्यों ने भाग लिया, जिन्होंने अनेक मूल्यवान सुझाव दिये । चर्चा के दौरान अनेक विषयों को केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में भी सुझाव आये हैं । यह सम्भव नहीं है । देश में वर्ष 1937 से शुरू की गई काश्तकारी प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से पूरी हो चुकी है । यह कम उपलब्धि नहीं है । आज जब भी भूमि सुधार की बात की जाती है । उससे भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के बारे में अधिकांशतः उल्लेख होता है ।

लगभग सभी राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून पास कर दिए हैं । कुछ राज्यों के सामने यह कठिनाई है कि उनके पास अपेक्षित भूमि रिकार्ड नहीं है । हमारा दल भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालता रहा है ताकि जो भी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो सके, उसे भूमिहीनों के बीच बांट दिया जाय । यह स्वीकार किया जा सकता है कि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को लागू करने में हुए विलम्ब से अतिरिक्त भूमि की आशा कम हो गई है । फिर भी जोतों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है ।

जहां तक भूमि के विकास का सम्बन्ध है इसके लिये चकबंदी आवश्यक है समस्या यह है कि एक ही गांव में भूमि की समतुल्य दूसरी भूमि का किस प्रकार पता लगाया जाये । यह जटिल मामला राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया है । कुछ राज्यों में प्रशंसनीय प्रगति हुई है और कुछ राज्यों में शुरूआत कर दी गई है । हम राज्य सरकारों पर यह दबाव डाल रहे हैं कि चकबंदी का कार्य शीघ्र किया जाये ।

भूमि विकास तथा इससे सम्बन्धित योजना अत्यावश्यक है । इस सम्बन्ध में भी, कुछ राज्यों में काफी सन्तोषजनक प्रगति हुई है और विशेषकर आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में हुई है ।

मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं तथा मध्यम एवं लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचाई सम्भाव्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हम 27 प्रतिशत से 28 प्रतिशत क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र बनाने में समर्थ हो सके हैं । धन की कमी के कारण कई घाटी परियोजनायें पूरी नहीं हो सकी हैं, फिर भी मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये भी हम बातचीत कर रहे हैं ताकि बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को अगले दो तीन वर्षों के दौरान हम पूरा कर सकें। नलकूपों और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की दिशा में काफी प्रगति हुई है । हमारा विचार कुछ एजेन्सियां बनाने का है जो हमारी नदियों के बारे में पूरे आंकड़े एकत्र कर सके।

देश को बाढ़ की समस्या का सामना भी करना पड़ता है । वर्षा यहां ठीक मौसम में नहीं होती और नदियों का अधिकांश जल रोका नहीं जा सकता और वह समुद्र में चला जाता है । इस जल को समुद्र में जाने से रोकने तथा इसके संचयन के लिए साहसिक योजना पर विचार करना होगा । सम्भव है इस जल को समुद्र में जाने से रोकने के लिए जल को भूमि के नीचे जमा करना पड़े । इस योजना की भी जांच करनी पड़ेगी ।

हमारा प्रयत्न नदी घाटी परियोजनाओं अथवा मध्यम या लघु सिचाई परियोजनाओं को इस प्रकार विकसित करना है कि उन क्षेत्रों को जहां इस समय सिंचाई सम्भाव्यता बहुत कम है, एक अथवा अन्य प्रणाली इसे, चाहे स्थानीय जल उपलब्ध न हो, उपयुक्त प्रतिशतता मिल सके। यह सच है कि जल की कमी केवल अपने देश में ही नहीं है बल्कि सारे विश्व में है। अतः कृषि फसलों की रक्षा करने के लिए बिजली सप्लाई के समय आगे पीछे कर दिए जाते हैं ताकि हम कृषि क्षेत्रों में नलकूपों के लिए बिजली प्रदान कर सकें।

जहां तक उर्वरकों की अनुपलब्धता अथवा चोरबाजारी का सम्बन्ध है, इसके बारे में इस समय कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। रबी की इस वर्ष अच्छी फसल होने की सम्भावना है। मौनसून ठीक समय पर न आने के कारण कुछ राज्यों में स्थिति ठीक नहीं रही। तमिलनाडु में इस समय स्थिति गम्भीर है मध्य प्रदेश में चावल की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी हमने तमिलनाडु तथा उड़ीसा को भी 70,000 टन गेहूं सप्लाई किया है। गुजरात को भी हम सप्लाई करते रहे हैं। गुजरात में परीक्षण कार्य किये गये हैं। धनाभाव के कारण किसी राहत कार्य में बाधा नहीं पहुंचने दी गयी है। इसका खाद्यान्न के आबंटन पर प्रभाव पड़ा है और खरीफ फसल के उत्पादन की सम्भावना कम हो गई है। फिर भी यदि हम खाने की आदतों को बदल सकें तो हमारी कई समस्याएं हल हो सकती हैं। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है और इसकी कीमत घटी है। आलू का निर्यात भी सम्भव हुआ है और कुछ मात्रा निर्यात भी की गयी है।

मत्स्य उद्योग को भी हम महत्व दे रहे हैं। मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात करने की इच्छुक पार्टियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। दिए गए लाईसेन्सों अथवा परमिटों को काम में नहीं लाया गया है। हमें ये लाईसेंस नई पार्टियों को देने में कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक मत्स्य उद्योग का सम्बन्ध है हमारी नीति इसको प्रोत्साहित करने तथा मछुओं की सहकारी समितियों को मछली पकड़ने की आधुनिक नौकाएं उपलब्ध कराने की रही है। केरल तथा मद्रास में अच्छी प्रगति हुई है। हम अन्तर्देशीय मत्स्य उद्योग भी स्थापित तथा दृढ़ कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमने दूध का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। डेरी निगम की स्थापना की गई है और सरकार देश के कई भागों में बड़ी संख्या में डेरियां खोलने वाली है।

हम संकरण नस्ल वाले पशुओं की व्यवस्था कर रहे हैं जो अधिक दूध दे सकें। इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है और अगले तीन या चार वर्षों में देश के हर भाग की दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मांगों को पूरा किया जा सकेगा।

कृषि क्षेत्र में कपड़े जैसे बड़े-बड़े उद्योगों के लिये कच्चा माल तैयार होता है। इस वर्ष देश में लम्बे और बहुत लम्बे रेशे वाली कपास का अधिक उत्पादन हुआ है और इससे आयात की समस्या कम हो गई है। इसलिये हमने अधिक लम्बे रेशे वाली कपास का निर्यात करने का निर्णय किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि किसानों को पटसन के लाभकारी मूल्य मिल सकें, हमने पटसन निगमों द्वारा पटसन को खरीदने की व्यवस्था की है।

सुझाव दिया गया है कि हम गहरे समुद्र में मछली पकड़ें। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के साथ इस प्रश्न पर भी विचार किया गया है।

अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाओं, छोटी सिंचाई तथा टियूब वैलों के बारे में चर्चा की गयी है। मैं इन सब बातों पर विचार करूंगा। हमारा ध्यान हर प्रकार की सिंचाई की ओर गया है ताकि हम अधिक उत्पादन कर सकें।

कुछ महीने पहले जब मैंने इस मंत्रालय का भार संभाला था तो कुछ ऐसा वातावरण बन गया था कि देश में भुखमरी से असंख्य मौतें होंगी।

श्री नुरूल हुडा: (कछार): भुखमरी से बहुत सी मौतें हुई हैं।

श्री जगजीवन राम: ऐसा कह कर आप अभाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

श्री नुरूल हुडा: यह बात सच है कि अनेक लोग भुखमरी के शिकार हुये हैं।

श्री जगजीवन राम: मैं उनसे कहूंगा कि इस प्रकार मरे सौ व्यक्तियों के तिथी और पते सहित नाम बतायें और देखें कि उस समय क्या उस क्षेत्र में खाद्यान्न का स्टाक था अथवा नहीं (व्यवधान)।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): Question is whether the dying person had meals with him?

श्री जगजीवन राम: हमारा देश एक गरीब देश है। किसी समय कुछ लोगों को काम नहीं मिलता और पोषक आहार नहीं मिलता।

श्री नुरूल हुडा: इसके लिये सरकार ही जिम्मेवार है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा): आप भुखमरी की मौतों को नहीं मानते वास्तविकता यह है कि लोग भूख से मर रहे हैं।

श्री जगजीवन राम: मैं मानता हूं कि लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है लेकिन इन कठिनाईयों का कारण देश में पैदा किया गया कमी का वातावरण है सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं और देश में उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा किया है। विश्वास पैदा करने से संकट पर काबू पाने में काफी सहायता मिली है। मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं हमारा देश एक विशाल देश है। इस में लगभग 12 करोड़ परिवार हैं। यदि हर गृहणी संकट के दिनों के लिये 10 किलोग्राम खाद्यान्न भी जमाकर ले, तो इस प्रकार 12 लाख मीटरी टन खाद्यान्न बाजार से गायब हो जाता है। यदि यहीं 12 लाख मीटरी टन खाद्यान्न बाजार में आ जाये, तो कमी पूरी हो जाती है। अतः उपभोक्ताओं में से कमी की भावना को दूर करना आवश्यक है। राज्य सरकारों द्वारा जमाखोरों के विरुद्ध उठाये गये कदमों के आशाजनक परिणाम निकले हैं। शीतऋतु की वर्षा से, जो कि रबी की फसल के लिये लाभदायक है, स्थिति में काफी सुधार हुआ है। माल की उपलब्धता में सुधार हुआ है तथा मूल्यों में कमी हुई है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि स्थिति संतोषजनक है अथवा हम संतुष्ट हो जायें। हमें अपने प्रयत्न जारी रखने होंगें।

डा० हेनरी आस्टिन: (एरनाकुलम): कहा जाता है कि नागार्जुनसागर परियोजना पूरी हो गई है तथा जलाशय में काफी मात्रा में पानी है। वहां केवल नहरें ही नहीं हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कहा बताया जाता है कि यदि इस परियोजना के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि नियत की जाये, तो वह तमिलनाडु तथा केरल दोनों राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई कर सकते हैं।

23 LSS/75—12

श्री जगजीवन राम : क्या यह अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं है ? मैं कह रहा हूं कि जल विवाद रहे हैं तथा अभी जारी हैं । जल को केन्द्रीय विषय बनाने का सुझाव दिया गया है । परन्तु माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि राज्य सरकारों की सहमति से ही ऐसा हो सकता है । यदि राज्य सरकारों को इस बात के लिये सहमत किया जा सके, तो हमें बड़ी खुशी होगी । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बारे में प्रयास करें । यह एक संवैधानिक समस्या है । सिंचाई राज्य सूची में शामिल है तथा इसे केन्द्र का विषय बनाने के लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है एवं जब तक राज्य सरकारें सहमत न हों संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता । अतः मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि राज्य सरकारों के बीच चल रहे जल विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल किया जाये । मुझे आशा है कि अधिकांश मामलों में मैं अपने प्रयत्न में सफल हूंगा ।

जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, लम्बे समय से चली आ रही स्थिति को एक अथवा दो वर्ष की अवधि में समाप्त करना सम्भव नहीं है । परम्परा यह रही है कि किसान चीनी मिलों को गन्ना बेचते हैं और चीनी मिलों द्वारा चीनी के बेचे जाने के बाद उन्हें अदायगी की जाती है । यह मुझे ज्ञात नहीं कि यह परम्परा कैसे बनी, परन्तु हमेशा यही परम्परा रही है ।

चीनी मिलों को बैंकों द्वारा दी जा रही अतिरिक्त राशि गन्ने का मूल्य चुकाने के लिये पर्याप्त नहीं है । वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक के साथ इस विषय पर बातचीत की गई है । चीनी मिलों द्वारा आश्वस्त किये जाने पर रिज़र्व बैंक ने चीनी मिलों को सहायता देना स्वीकार कर लिया है । मैं समझता हूं कि अब वे बकाया राशि को चुकाने की स्थिति में हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थिति सन्तोषजनक नहीं हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री जगजीवन राम : यह एक अलग बात है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि यदि चीनी मिल गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं करतीं तो उनसे वह राशि भू-राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी ।

जहां तक गेहूं का प्रश्न है, इस वर्ष उत्पादन अधिक होने की सम्भावना है तथा स्थिति कुछ आशानुकूल है । गेहूं के मूल्य निर्धारण के प्रश्न के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग ने निर्धारण के अपेक्षित विभिन्न पहलुओं को विचाराधीन रखा है । इसके बाद ही उस ने मूल्यों की सिफारिश की है । सरकार ने 105 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य को नीति संगत समझा है । सभा इस बात से सहमत होगी कि जब मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति होगी और सरकार के लिये मूल्य स्फीति रोकना सम्भव होगा, मूल्यों में वृद्धि करना वांछनीय नहीं होगा । इसलिये हमने बोनस योजना आरम्भ की है । बोनस की राशि राज्य सरकारों को स्वतः विकासीय कार्यों में पूंजीनिवेश करने हेतु दी जानी है । कुछ क्षेत्रों में यह राशि किसानों को रियायती दरों पर बीज, खाद, उपकरण आदि खरीदने के लिये भी उपलब्ध की जा सकती है । इससे किसान तथा राज्य दोनों को ही लाभ होगा ।

यह आरोप निराधार है कि हमारी सरकार अथवा हमारा दल किसान विरोधी है । हमारा दल हमेशा किसानों के पक्ष में रहा है तथा हमारे दल का आधार किसान हैं । हमारे देश के किसान देशभक्त हैं तथा राष्ट्र सेवा में उन्होंने सदा अग्रणीय भूमिका अदा की है ।

मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई अधिकांश बातों का उत्तर दे दिया है। मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों के प्रति, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उनके सुझाव सरकार के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। मैं आशा करता हूं कि सभा अनुदानों की मांगों को पास कर देगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कृषि और सिंचाई मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखीं गईं और स्वीकृत हुईं।

The following demands in respect of Ministry of Agriculture and Irrigation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
1.	कृषि विभाग	1,51,61,000	—
2.	कृषि	47,35,50,000	9,24,29,96,000
3.	मीन उद्योग	6,75,42,000	1,14,78,000
4.	पशुपालन और डरी विकास	25,65,12,000	2,66,38,000
5.	वन	6,94,76,000	1,14,92,000
6.	खाद्य विभाग	2,58,22,62,000	7,79,61,000
7.	ग्रामीण विकास विभाग	48,61,46,000	5,00,25,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	8,63,000	—
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	32,79,99,000	—
10.	सिंचाई विभाग	10,59,31,000	3,71,35,000

विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय की वर्ष 1975-76 के अनुदानों की निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की गई:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
		रुपये	रुपये
30	विदेश मंत्रालय . . .	82,72,58,000	25,25,00,000

श्री नुरुल हुडा (कछार) : महोदय, जब तक कोई राष्ट्र आत्म-निर्भर न हो, जब तक उसकी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ न हो तथा जब तक उसका औद्योगिक विकास तेजी से न हुआ हो, तब तक वह साम्राज्यवाद-विरोधी तथा प्रगतिवादी विदेश नीति का पालन नहीं कर सकता ।

लेनिन द्वारा 70 वर्ष पूर्व साम्राज्यवाद की व्याख्या किये जाने के बाद तथा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के दौरान तथा वियतनाम और कम्बोडिया में जनता द्वारा साम्राज्यवाद के विरुद्ध किये जा रहे संघर्ष से यह स्पष्ट हो गया है कि साम्राज्यवादियों का मूल लक्ष्य अन्य लोगों को अपने अधीन करना तथा उनका शोषण करना होता है । यह आश्चर्य की बात है कि क्यूबा, गौतिमाला, चिल्ली, बंगला देश तथा पुर्तगाल में यह पर्दाफाश हो जाने के बाद भी कि सी०आई०ए० विभिन्न देशों के लोकप्रिय नेताओं की हत्या कराने का प्रयास कर रही है तथा वर्ष 1971 में बंगला देश संघर्ष के दौरान उसने सातवां बेड़ा भेजकर हम पर दबाव डालने का प्रयास किया था, हमारे विदेश मंत्री हमें इस बात पर विश्वास करने को कह रहे हैं कि भारत सरकार और अमरीकी सरकार के बीच कोई संघर्ष नहीं है । इस बारे में मैं विस्तारपूर्वक बाद में बताऊंगा, इस समय तो हम वियतनाम में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे एवं कम्बोडिया में मुक्ति मोर्चे की भारी विजय की पृष्ठभूमि में अपनी विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं ।

अमरीकी साम्राज्यवाद को राष्ट्रीय शक्तियों के हाथों करारी हार खानी पड़ रही है । वियतनाम तथा कम्बोडिया की जनता को शानदार सैनिक एवं राजनीतिक विजय प्राप्त हुई है । कम्बोडिया में लाननाल सरकार भाग चुकी है तथा दक्षिण वियतनाम में थियु शासन समाप्त हो रहा है और इस प्रकार साम्राज्यवाद के दिन इने गिने रह गये हैं ।

साम्राज्यवादियों द्वारा अपने आर्थिक संकट को अन्य आश्रित तथा अल्प-विकसित एवं कम-विकसित देशों के कन्धों पर डालने का विरोध करने के लिये अल्प-विकसित देशों में एकता की भावना बढ़ती जा रही है । अब भी अमरीकी साम्राज्यवाद ने इन लगातार पराजयों के बाद अन्य देशों पर नव-उपनिवेशवाद तथा उपनिवेशवाद थोपने की नीति नहीं छोड़ी है । वर्ष 1971 के अन्त में तथा वर्ष 1972 के आरम्भ में बंगला देश संघर्ष के दौरान हमने देखा है कि अमरीकी साम्राज्यवाद ने राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम को दबाने और कुचलने के लिये पूरा प्रयत्न किया । उसने हिन्द महासागर में सातवां बेड़ा भेज दिया, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन था ।

हाल में हमने देखा है कि अमरीका ने पश्चिमी एशियाई क्षेत्र तथा दियागो गार्शिया में अड्डे बनाने की युद्ध नीति के अनुसरण में पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ कर दी है । पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई तथा दियागो गार्शिया को सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किये जाने से एशिया तथा अफ्रीका की शान्ति को खतरा पैदा हो गया है । अमरीकी शस्त्र सप्लाई उन समाजवादी देशों के विरुद्ध की जा रही है, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। सभा को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई भारतीय उप-महाद्वीप में तनाव पैदा करने तथा बंगला देश और भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों को कटु बनाने की दृष्टि से की जा रही है । हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ करने सम्बन्धी अमरीकी निर्णय ने सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को भारी धक्का पहुंचाया है ।

यह तथ्य है कि अमरीकी साम्राज्यवादी हमें साम्राज्यवादी शिवर में शामिल होने तथा सोवियत संघ के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को कमज़ोर करने के लिये हमारी सरकार पर दबाव डालेंगे ।

जनवादी चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य करने में भी वे हमारे रास्ते में रुकावट डालेंगे । वे हमें इस बात के लिये भी बाध्य करेंगे कि हम पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज न उठायें । यह सम्भव भी है कि हम उनके दबाव में आ जायें, क्योंकि अब भी हम उनकी सहायता पर निर्भर हैं । यद्यपि हमारे विदेश मंत्री और हमारी प्रधान मंत्री ने बार-बार घोषणा की है कि हम साम्राज्यवाद और उसके दाव-पेंचों के विरुद्ध हैं, परन्तु वस्तुतः हम अभी तक अमरीकी साम्राज्यवाद पर ही अधिक निर्भर रहे हैं । आश्चर्य की बात है कि विश्व भर में अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा अपनी घृणित भूमिका निभाये जाने के बावजूद हमारे वर्तमान विदेश मंत्री और उनके पूर्वगामी अमरीका के साथ स्थिर और दृढ़ सम्बन्ध स्थापित करने की आशा कर रहे हैं ।

हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है । हमारा देश बड़ा होने के अतिरिक्त हमारे देश की गौरवमय परम्परायें हैं । परन्तु खेद है कि यह सब कुछ होते हुए भी हम साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में हम निर्णयाक भूमिका नहीं निभा रहे हैं । अमरीका द्वारा दियागो गार्शिया में सैनिक अड्डे स्थापित करने तथा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पुनः आरम्भ करने पर खेद प्रकट करना ही पर्याप्त नहीं है । मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार अपनी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां इस प्रकार निर्धारित करने की स्थिति में है जिससे कि अमरीकी सहायता लेने की आवश्यकता न पड़े । लेकिन यह सम्भव नहीं है ।

सितम्बर, 1973 में कम्बोडिया की राष्ट्रीय संघ सरकार तथा दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को पूर्ण मान्यता देने का निर्णय किया गया था । यद्यपि कम्बोडिया को अभी हाल में मान्यता दे दी गई है, परन्तु बड़े खेद की बात है कि दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को अभी तक पूर्णतः मान्यता नहीं दी गई है । प्रधान मंत्री को कठपुतली थियो सरकार के प्रतिनिधियों से हमारी भूमि छोड़ने के लिये कहना चाहिये और भारत सरकार को दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को तुरन्त मान्यता प्रदान करनी चाहिये ।

अमरीकी साम्राज्यवाद की दक्षिण कोरिया में क्या भूमिका रही है । वे कोरिया का विभाजन करने के लिये बड़ी बर्बरतापूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं और वहां तनाब पैदा कर रहे हैं । इन सभी बातों के बावजूद तथा दक्षिण कोरिया में दो पत्रकारों सहित आठ देशभक्तों को फाँसी दिये जाने के बावजूद भारत सरकार ने उसकी निन्दा नहीं की है ।

मध्यपूर्व में अमरीकी साम्राज्यवाद अभी तक अरब देशों पर दबाव डालने का षड़यंत्र कर रहा है । क्या इस्राइल अमरीका के इशारे के बिना संयुक्त राष्ट्रसंघ के संकल्प की अवज्ञा कर सकता है ?

मैं अपने दल की ओर से पूर्ण विनम्रता से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब तक हम अमरीकी सहायता और बहुराष्ट्रीय निगमों पर अपनी निर्भरता कम नहीं करेंगे, हमारी सरकार साम्राज्य-वाद-विरोधी नीति का सही ढंग से पालन नहीं कर पायेगी । सरकार को दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्रान्तिकारी सरकार को तुरन्त मान्यता देनी चाहिये तथा अमरीकियों को कहना चाहिये कि वे तुरन्त दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम और कम्बोडिया से अपनी सभी सेनायें हटा लें ।

विदेश मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
30	17.	श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-पूर्व)	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के साथ पूर्ण राजनायिक सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
30	18.	,,	अमरीकी भयादोहन और धमकी को, जिससे एशिया की शान्ति, स्वतन्त्रता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, निष्फल करने के मार्गोपाय ढूंढ़ निकालने में असफलता ।	,,
20	19.	,,	हिन्द महासागर के क्षेत्र में अमरीका की अपना प्रभुत्व जमाने वाली योजनाओं को विफल करने के ठोस उपाय करने की आवश्यकता ।	राशि में 100 रुपये घटा दिये जायें ।
30	20.	,,	फरखा जल, समुद्री सीमा-निर्धारण और अन्य मामलों को बंगला देश के साथ मित्रता-पूर्ण ढंग से शीघ्र तय करने की आवश्यकता ।	,,
30	21.	,,	ऐच्छिक व्यय में स्पष्टतः अनैतिक वृद्धि के कारण ।	,,
30	22.	,,	मंत्रालय में विदेश नीति सम्बन्धी आयोजना और कार्यान्वियन व्यवस्था में तेजी लाने की आवश्यकता ।	,,
30	23.	,,	बहु-राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से साम्राज्य-वादी कार्यसंचालन सम्बन्धी भारत की नीति ।	,,
30	24.	,,	एशियाई सुरक्षा तथा शान्ति की दिशा में ठोस उपायों की सम्भाव्यता ।	,,
30	25.	श्री रामावतार शास्त्री (पटना) :	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने में अनावश्यक विलम्ब ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
30	26.	,,	दक्षिण वियतनाम में अमरीका के हस्तक्षेप की निन्दा करने की आवश्यकता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
30	27.	श्री रामावतार शास्त्री (पटना) :	दक्षिण वियतनाम से 25,090 अमरीकी सैनिक सलाहकारों को वापस बुलाने की मांग करने और वहां की कठपुतली सरकार को अमरीकी हथियारों की सप्लाई रोकने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
30	28.	,,	डियगो गार्शिया पर अमरीकी अड्डे को हटाने के लिये समीपवर्ती देशों के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने की आवश्यकता ।	,,
30	29.	,,	संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को एक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने में असफलता ।	,,
30	30.	,,	विदेशों में हमारे मिशनों में ऐसे व्यक्तियों को लगाने की आवश्यकता जो हमारी विदेश नीति में दृढ़ आस्था रखते हैं ।	,,
30	31.	श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद)	एशिया के देशों में एकता और सौहार्द कायम रखने के लिये एक अच्छी, दृढ़ और विवेकपूर्ण नीति बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
30	32.	,,	विश्व भर में हमारे राजनयिक मिशनों की पद्धति और विभिन्न देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में आमूल और वास्तविक सुधार करने में असफलता ।	,,
30	33.	,,	एक ऐसी सूझ-बूझपूर्ण, साहसपूर्ण और सुदृढ़ विदेश नीति बनाने में असफलता जो वास्तव में भारत के हित में हो और जिसके द्वारा राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों और आदर्शों का संवर्धन होता हो ।	,,
30	34.	,,	विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में और सामान्य रूप से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में एक यथार्थतः तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने और इसी आशय के भाषण देने और कार्यवाही करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
30	35.	श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद)	संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों को विश्व निकाय में सभी शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी को एक अतिरिक्त भाषा के रूप में स्वीकार कराने के लिये मनाने हेतु सतत प्रयास करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
30	36.	,,	विदेशों में हमारे राजनयिक मिशनों के संचालन तथा वहां के कर्मचारीवृन्द पर होने वाले खर्च में बड़े पैमाने पर मितव्ययिता बनाने की आवश्यकता ।	,,
30	37.	,,	संयुक्त राष्ट्र और अन्य विश्व एजेंसियों की वार्षिक बैठकों तथा विशेष बैठकों में प्रबुद्ध, विद्वान और विचारशील लोगों को भेजने की आवश्यकता ।	,,
30	38.	,,	विदेशों में हमारे दूतावासों और मिशनों में विशेष रूप से वहां जाने वाले भारतीयों और पर्यटकों के साथ आवश्यक शिष्टाचार बरतने, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के बारे में कार्य-कुशलता और सेवा के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
30	39.	,,	अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील नये राष्ट्रों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
30	40.	,,	चीन-भारत सम्बन्धों में दीर्घकाल से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिये नयी, अर्थपूर्ण और साहसपूर्ण कार्यवाही करने के लिये पहल करने की आवश्यकता ।	,,
30	41.	,,	भारत और अमरीका के बीच सौहार्द और मित्रता कायम करने के लिये शीघ्र और अर्थपूर्ण कार्यवाही करने की आवश्यकता ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ हो सकें और दोनों देशों के प्रशासन एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
30	42.	श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद)	हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों के सैनिक, सामरिक तथा अन्य प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिये सतत सतर्कता तथा प्रयास की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।
30	43.	,,	विदेश कार्य मंत्रालय के कार्य संचालन में पूर्णरूपेण सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
30	44.	,,	स्वेच्छिक व्यय की मद में खर्च की जाने वाली राशि को कम करने की आवश्यकता ।	,,
30	45.	,,	राष्ट्र मण्डल को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत द्वारा बड़े पैमाने पर पहल और प्रयत्न करने की आवश्यकता ।	,,
30	46.	,,	अफ्रीका के विभिन्न नये स्वतन्त्र देशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रीकों की दशा सुधारने और उनकी अनिश्चितता को दूर करने की आवश्यकता ।	,,
30	47.	,,	विदेश मंत्रालय में आयोजना और अनुसंधान और अध्ययन प्रभागों में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
30	48.	,,	विश्व के विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्वागत करने के लिये निमंत्रण पत्रों और व्यवस्था के बारे में एक विवेकपूर्ण तथा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता ।	,,
30	49.	,,	समीपवर्ती पड़ौसियों जैसे बंगला देश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
30	50.	,,	तटस्थ राष्ट्रों में भारत की प्रभावी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता ।	,,

23 LSS/75—13.

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : यह हर्ष की बात है कि दो वर्षों के बाद सभा में भारत के विदेशों से सम्बन्धों पर चर्चा हो रही है ।

एशिया में स्वतन्त्रता का संग्राम, जो सौ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था अब समाप्त होने जा रहा है । अब इस बात पर ध्यान देना होगा कि अब यह महाद्वीप उठ रहा है । वियतनाम ने एक बड़ी शक्ति का सामना किया है और सफलता प्राप्त की है । मैं वियतनाम की साहसी जनता की सराहना करता हूं ।

एशिया के साथ-साथ हमने भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपना स्वतन्त्रता का संग्राम लड़ा था । अब यह सिद्ध हो चुका है कि विदेशी शक्तियां एशिया पर टिक नहीं सकतीं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के 138 सदस्य देशों में से 103 देश विकासशील हैं । इनमें से यदि समाजवादी देशों को निकाल दिया जाये तो विश्व के कुछ ही देशों ने समूचे विश्व की सम्पदा या सम्पत्ति पर अधिकार का पता चलेगा । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे एक वित्त मंत्री अब हमारे विदेश मंत्री हैं । इससे हमारे देश के विदेशी सम्बन्धों को आर्थिक आधार पर सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी । कुछ बड़े देशों ने सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और कभी सांस्कृतिक दाव-पेंचों से विश्व पर अधिकार जमाने का प्रयास किया है । हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के पास कच्चा माल प्रचुर मात्रा में है । हम एशिया को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं ।

हमें एशिया के विकास पर अधिक ध्यान देना होगा । हमारी विचारधारा पश्चिमी देशों पर ही आधारित है । उसमें कुछ परिवर्तन करना होगा । हम समुद्री सीमा के साथ हैं । हिन्द महासागर का एक बड़ा भाग हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है । एशिया के देशों का एक सामूहिक संगठन नहीं है । ऐसे संगठन के लिये इन देशों में भावना को पैदा किया जाना चाहिये । हमें इन देशों के परस्पर हितों में तालमेल लाना चाहिए । पश्चिमी एशिया के देशों को तेल प्राप्त आय को विकसित देश में लगाया जा रहा है । इस धन को विकासशील देशों में लगाया जाना चाहिये । मंत्री महोदय एशियाई सहकारी उद्यम स्थापित करने की पेशकश करनी चाहिये । अन्यथा पश्चिम एशिया के देश एशियाई मुख्य धारा से अलग हो जायेंगे ।

पहले जब कभी पश्चिम और दक्षिण-पूर्व एशिया में कोई घटना होती थी तो भारत का विशेष महत्व का स्थान होता था । अब वह उस स्थिति में नहीं है । हमें चीन या पाकिस्तान के रवैये की चिन्ता नहीं करनी चाहिये । हमें एशियाई एकता के काम में अपनी भूमिका निभानी होती । जो हमारे साथ सहमत नहीं हैं वे भी सहमत हो जायेंगे ।

विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ हमें अपने सम्बन्ध हितों के आधार पर स्थापित करने होंगे । रूस के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं । यह परस्पर बराबरी के आधार पर हैं । कुछ मामलों में इन दोनों देशों के समान हित हैं । कुछ एक मामलों में दोनों की भिन्न-भिन्न नीति होने के बावजूद अनेक मामलों में दोनों साथ-साथ हैं ।

अमरीका के साथ हमें अपनी विचारधारा और हितों के आधार पर स्थायी सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें । हमें अपने सम्बन्ध राजदूतों तक ही सीमित नहीं रखने चाहियें । मैं आशा करता हूं कि विदेश मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से इस विषय पर होने वाली चर्चा में भाग ले रहा हूं। हमारे देश की विदेश नीति सैद्धान्तिक रूप से असफल रही है। इस नीति को श्री जवाहर लाल नेहरू ने बनाया था। हमें इस मामले में नौकरशाही पर निर्भर करना पड़ता है। हमारी नीति पश्चिम समर्थक है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐच्छिक निधि की राशि इस वर्ष बढ़ाकर 23.69 करोड़ रुपये क्यों कर दी गयी है। मैं सरकार की कम्बोडिया सम्बन्धी नीति की सराहना करता हूं और इसे बधाई देता हूं।

हमें वियतनाम की सहायता में कुछ करना चाहिये। अब दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार का देश के तीन चौथाई भाग पर कब्जा हो गया है। हमारी सरकार को चाहिये कि उस देश की सरकार पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान करे। साथ हमें वहां सहायता भी पहुंचानी चाहिये ताकि वहां के पीड़ित लोगों को कुछ राहत मिले।

हनोई में इस समय हमारा उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि नहीं है। वहां पर तुरन्त राजनीतिक प्रतिनिधि भेजा जाना चाहिये। वहां से हमारे देश में बड़े-बड़े नेता आते रहे हैं। क्या हम होची मिन्ह की यात्रा को भूल गये हैं ? हमारे बड़े नेताओं को भी वियतनाम की यात्रा करनी चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि बंगला देश के साथ हमारी बातचीत हो रही है। मैं आशा करता हूं कि फरक्का बांध के बारे में शीघ्र ही समझौता हो जायेगा। और अन्य पारस्परिक मामलों के बारे में भी समझौता हो जायेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगलादेश के नेता हमारी कठिनाइयों का ध्यान करते हुए जैसे कलकत्ता पत्तन की समस्या के सन्दर्भ में ठीक रुख अपनायेंगे। दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत बढ़नी चाहिये।

हिन्द महासागर में सैनिक अड्डों, जो अमरीका बनाना चाहता है के बारे में कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। हमारे विदेश मंत्री श्री चव्हाण ने भी ऐसा कहा है। हवाना में हुए एक सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री के भाषण की मैं सराहना करता हूं।

क्यूबा की क्रान्ति विश्व के समाजवाद का एक अंग है। हमारी प्रधान राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भाग लेने के लिये जामैका जा रही हैं। क्यूबा भी वहीं पास ही है। वहां के नेता फाइडल कास्ट्रो भारत की यात्रा कर चुके हैं। हमारे उस देश के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं।

मुझे कल ही मिले समाचार के अनुसार चिली में 180 बन्दी व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया जाने वाला है और इनमें लूई कोरवालन भी हैं जो वहां के साम्यवादी दल के नेता हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार हस्तक्षेप करके इस हत्याकांड को न होने दे।

हाल ही में अमरीका को सभी स्थानों पर हार का मुंह देखना पड़ा है जिसका कारण वहां के तत्कालीन नेताओं का प्रतिक्रियावादी होना है।

पुर्तगाल में हाल ही में काफी परिवर्तन आया है और पुर्तगाल से फिलीपिन्स तक का चित्र बदल गया है यहां तक कि संसार का सबसे पुराना साम्राज्य इथियोपिया भी लोकतंत्र बन गया है।

थाइलैंड और अरब प्रदेशों में भी अमरीका की नहीं चल पा रही है और अब वह दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया के साथ व्यापार करना चाहता है ।

सब ओर से निराशा के बाद अब अमरीका की नजरें दक्षिण एशिया पर लगी हैं और वह पाकिस्तान को लैस कर रहा है । इसमें चीन भी उसका सहयोगी है ।

चीनी और पाकिस्तानी पागलपन तो दूर हो जाएगा परन्तु अमरीकी पागलपन से लड़ना होगा और उसे परास्त करना होगा । अमरीका चाहता है कि भारत में उत्थल-पुत्थल हो और उसके सहायक भारत में "सम्पूर्ण क्रान्तिकारी" के नाम से यह कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका उदाहरण सिक्किम की गतिविधियां हैं । हम चाहते हैं कि चोग्याल का पद जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ-साथ बना रहे परन्तु जनता की आकांक्षाएं सर्वोपरि हैं । जिन्होंने हमारी स्वाधीनता को माफ नहीं किया है वे हमारा तर्क कैसे मान सकते हैं ? फिर भी शेष संसार को हमें बताना होगा कि सिक्किम में हमने यह कार्यवाही क्यों की ।

हमने एशियाई सुरक्षा का समर्थन किया है क्योंकि इसी से एशिया की स्वाधीनता सुदृढ़ बनाई जा सकती है ।

बांडूगं सम्मलन के 20 वर्ष बाद भी हमें याद रखना है कि हम अफ्रीका और एशिया के लोग मिल कर साम्राज्यवाद के जुल्म सहते रहे हैं और उसके विरुद्ध लड़ते रहे हैं और हमें मिलकर सह-अस्तित्व के लिए लड़ना है क्योंकि यही ऐतिहासिक सत्य है । जैसा कि हमने सोवियत संघ, बंगला देश अफगानिस्तान, श्री लंका और बर्मा के साथ समझौते किए हैं, उसी प्रकार ईरान और अन्य देशों के साथ भी हम समझौते करके एशिया के देशों में यह वातावरण बना सकते हैं कि हम अब साम्रज्यवादी षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे । उनका खेल अब दक्षिण-पूर्व एशिया और हिन्दचीन में समाप्त हो चुका है और अरब देशों में खत्म होने वाला है, अतः अब उन्होंने हिन्द महासागर का रुख किया है ।

सोवियत संघ समाजवादी देश होने के नाते भारत जैसे देशों का सच्चा मित्र बन सकता है परन्तु अमरीका भौतिक रूप से समृद्ध होने के कारण ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह उसके हितों के विरुद्ध है । अतः हम अमरीका और रूस को एक ही श्रेणी में नहीं रख सकते। गुट–निर्पेक्ष देश मूलतः साम्राज्य-वाद-विरोधी हैं और यही हमारी शक्ति का स्रोत है ।

आज बांडूंग सम्मेलन के 20 वर्ष बाद, हमारे गणतंत्र के 25 वर्ष बाद और फाशिस्टवाद की हार के 30 वर्ष बाद हमें संकल्प करना चाहिये कि हम अधिक सुदृढ़, सिद्धांन्तवादी और समरूप नीति अपनाएंगे जिससे विश्व में हमें सम्मान मिले और अपनी जनता से सराहना और सहयोग मिलेगा ।

श्री बी० के० दास चौधरी : (कूचबिहार) : सभापति महोदय, प्रो० मुखर्जी ने, जो सभा के वरिष्ठ-तम सदस्यों में से हैं, आरंभ में सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है और अन्त में सराहना की है । उन्होंने सरकार की इस नीति को ढीली बताया है क्योंकि उनके अनुसार कांग्रेस ढीली-ढाली पार्टी है जबकि सभी जानते हैं कि यदि किसी देश की नीति समय पर खरी उतरी है और अर्थपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण रही है तो वह हमारी ही विदेश नीति है ।

अमरीका, चीन और सोवियत संघ जैसे देश भी हमारी नीति के महत्व और उपयोगिता को समझने लगे हैं और उसकी सराहना करते हैं ।

दक्षिण-पूर्व एशिया, विशेषकर वियतनाम और कोम्बोदिया की घटनाओं से सिद्ध हो गया है कि जब तक किसी देश के लोग स्वयं प्रयास न करें कोई विदेशी शक्ति उसे नहीं बचा सकती । देश का भाग्य उसकी जनता के हाथ में ही होता है । हिन्द-चीन क्षेत्र की घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है । हमें चाहिये कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों को जिन्होंने अभी-अभी स्वाधीनता प्राप्त की है अपने देशों के नव निर्माण में सहायता करें ताकि वे भी अपना सिर ऊंचा कर सकें और विश्व में अपना योगदान कर सकें । श्री दिनेश सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि इन देशों के प्रति अपनी नीति का हमें पुनर्मूल्यांकन करना होगा । यदि संभव हो तो हमें एशिया के विकासशील देशों का संगठन भी बनाना चाहिये जिससे उन्हें सम्मानपूर्वक विकास करने में हम अपने संसाधनों और तकनीकी ज्ञान का योगदान दे सकें ।

यह भी सच है कि विकासशील देशों की सभी अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का केन्द्र अब पश्चिम से हट कर एशिया में आ गया है जैसा कि भारत में ही हम विदेशों, विशेषकर अमरीका जैसे विकसित देशों पर निर्भर करने के बजाय अपने श्रम और संसाधनों पर अधिक निर्भर करने के प्रयास कर रहे हैं ।

पेट्रो-डालरों के साथ-साथ अरब देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए आगे आना भी स्वागत योग्य है । इसका विस्तार किया जाना चाहिये ।

हाल की घटनाओं से एक और बात सामने आई है कि 'गुट-निर्पेक्ष' का वास्तविक अर्थ क्या है ? हमारे जैसे देश में इस नीति का अर्थ समान न्याय और मानवीय मूल्यों का सम्मान करना होना चाहिये ताकि राष्ट्रों के संघ में ऐसे देश एक जुट होकर युद्ध, घृणा और कटुता को समाप्त कर सकें । इस संदर्भ में सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन और सुधार लाने की आवश्यकता है । भले ही सरकार इन नीतियों को गुप्त रखे परन्तु संसद, जनता के प्रबुद्ध व्यक्तियों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे मंचों पर चर्चा होती रहनी चाहिये ताकि नीति-निर्धारण में सरकार को सभी स्तरों पर सहायता, सुझाव और विचार उपलब्ध हो सकें ।

हमने अनेक द्विपक्षीय समझौते किए हैं और इस संदर्भ में हाल में बंगला देश के साथ हुए करार के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन भू-खंडों का आदान प्रदान किया गया है उससे 17 से 18 हज़ार लोगों में अनिश्चितता की भावना उत्पन्न हो गई है । खेद है कि इस मामले पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । इससे तो बहुत सी प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी ।

अमरीकी कांग्रेस में राहत कार्यों के नाम पर करोड़ों डालरों की मंजूरी लेकर अमरीकी फौजें तैनात की जाने वाली हैं । इससे नया तनाव पैदा होगा, अतः सरकार को रक्षा की दृष्टि से तैयार रहना चाहिये । दूसरे अमरीका ने पाकिस्तान को शस्त्र बेचने पर लगा प्रतिबन्ध भी हटा लिया है और तीसरे गत कुछ वर्षों से वह अनेक अड्डे बनाता आ रहा है । यदि इन अड्डों का अर्थ आतंक फैलाना है तो हमें भी तैयार रहना होगा । हमारी विदेश नीति तभी सफल होगी यदि हम खतरों के मुकाबले में सक्षम हों ।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : सभापति महोदय, विदेश नीति देश की उद्देश्यपूर्ति का साधन होती है ।

गत भारत-पाक युद्ध में भारत की विजय से देश दक्षिण एशिया का प्रमुख देश बन कर उभरा है, परन्तु समझौता वार्ताओं में विजित देश ही अधिक लाभ लेकर उठा है। त्रिपक्षीय समझौते में भारत ने पाकिस्तान की लगभग सभी मांगें घुटने टेक कर मान ली हैं। पाकिस्तान के साथ हुए सभी युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद भी जहां हमने पाकिस्तान की सभी मांगें मानी हैं, वहां हम पाकिस्तान से यह आश्वासन भी प्राप्त नहीं कर सके कि वह हमारे क्षेत्र लौटा दे।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की पुनः सप्लाई से भारत अमरीका संबंधों को और धक्का लगेगा। यह अच्छा नहीं है कि हम एक या दूसरी बड़ी शक्ति पर अधिक निर्भर करें, परन्तु अमरीका ने हमारे विकल्प को सीमित कर दिया है। हिन्द-चीन में अमरीकी नीति और सम्मान को धक्का पहुंचा है और यद्यपि उसकी नीति का असफल होना निश्चित है फिर भी इससे उस क्षेत्र की शान्ति और सुरक्षा को खतरा तो पहुंचता ही है।

श्री भुट्टो शस्त्रों की क्षतिपूर्ति ही नहीं करना चाहते, अपितु अधिक शक्तिशाली और आक्रामक बल तैयार करना चाहते हैं जो स्पष्टतया भारत के विरुद्ध ही है और मुझे भय है कि पाकिस्तान में आन्तरिक अशान्ति बढ़ जाने पर वह पुनः भारत पर आक्रमण न कर दें ताकि लोगों का ध्यान बंट जाए। इस परिस्थिति में हमें तैयार रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान के साथ यह हमारा अन्तिम युद्ध होगा।

इस उपमहाद्वीप में रूसी उपस्थिति बढ़ती दिखाई देती है और इससे मुझे हिटलर की 1930 की नीति की याद आती है जिससे उसने सहायता पाने वाले देशों पर शीघ्रता से प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था। हमें सोवियत संघ के साथ अपने संबंधों में अधिक व्यग्रता नहीं दिखानी चाहिये क्योंकि उसे हमारी अधिक आवश्यकता है। भौगोलिक दृष्टि से हिन्द महासागर का जितना बड़ा क्षेत्र हमारे पास है वह किसी के पास नहीं है और यहीं से वह चीन पर नज़र रख सकता है। अतः हमें आंखें मूंद कर रूसी प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर लेना चाहिये और उसके गैर-मित्रतापूर्ण कदमों का विरोध करना चाहिये जैसे रूबल-रुपये की विनिमय दर का सात बार एक पक्षीय आधार पर बदलना और समझौते में 'स्वर्ण' की धारा का शामिल किया जाना। पहले के परिवर्तन के कारण हमें 450 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

सोवियत संघ न केवल हमारे आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है बल्कि संयुक्त योजना आयोग बनने के बाद हमारे आन्तरिक मामलों में भी उसका हस्तक्षेप बढ़ गया है। भारत में ब्रेज़नेव ने कहा था कि वह भारत में किसी विपक्ष दल की आवश्यकता नहीं समझते। खेद है कि सरकार इन सभी बातों पर मौन है। क्या हम में कोई राष्ट्रीय गौरव नहीं बचा है। सरकार कैसे यह सब सहन कर रही है। इन्हीं बातों से अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा महत्व गिरता है।

1962 में चीन द्वारा हथियाए गए भारतीय क्षेत्र अभी तक उसी के पास हैं, और इससे एशिया में हमारे सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। चीन के साथ अपने संबंधों में विदेश मंत्री को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। चीन के साथ हम शक्ति प्राप्त कर के ही बात कर सकते हैं और यह तभी होगा जब हमारी अर्थ व्यवस्था ठोस आधार पर खड़ी हो और हमारी सेनाएं आणविक शस्त्रों से लैस हों।

परन्तु सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था बिखरी पड़ी है। मुद्रा स्फीति और बेकारी बढ़ रही है । अधिकांश सरकारी कारखाने घाटे पर चल रहे हैं । आन्तरिक स्थिति खराब होने से ही हमारी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति खराब होती है ।

परमाणु क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं । परमाणु भंडार का अर्थ परमाणु कल्ब के राष्ट्रों की राजनीतिक प्रतिष्ठा ही है। सामान्यतः ऐसे राष्ट्र गैर-परामाणु शक्ति वाले राष्ट्रों से अधिक प्रभावशाली समझे जाते हैं ।

सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए है, जिनसे मजबूती के बजाय उनकी कमजोरी का ही परिचय मिला है । कच्चा टिबु का क्या हुआ ? संतोष का अर्थ कमजोरी होता है और कमजोर का कभी आदर नहीं होता । किन्तु हमारी सरकार ने ताशकंद और शिमला समझौतों से भी कुछ नहीं सीखा । कच्चा टिबु का समझौता भी एक ऐसा समझौता है जिसे गौरवपूर्ण नहीं कहा जा सकता ।

हिन्द महासागर में भारत दृढ़ स्थिति में है क्योंकि हमारी जमीन बहुत दूर तक समुन्द्र में फैली है । भारत स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के आस पास के देशों और भविष्य में एशियाई साझा बाजार का केन्द्र बन जायेगा । इसे वास्तविक रूप देने तथा अपने हितों की रक्षा के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए । बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप के बगैर अफ्रीकी एशियाई सहयोग के आधार पर हमें हिन्द महासागर सुरक्षा प्रणाली का गठन करने के लिए पहल करनी चाहिए ।

पड़ौसी देशों के साथ भी हमारे सम्बन्धों का महत्व हैं । सिक्किम की घटनाओं के बारे में शंकाए दूर की जानी चाहिए । नेपाल के साथ हमारे ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं । इन सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं ।

वर्तमान नेपाल नरेश एक युवा नेता है, जिसके साथ हम अपने दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । उन्होंने नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने की अपील की है । इसीसे सिद्ध हो जाता है कि वे किस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहते हैं ।

आंतरिक मामलों को निपटाने में गतिशीलता तथा विश्वास का अभाव है । हमें अधिक कार्य करने की आवश्यकता है । इसके लिए हमें पहल करनी चाहिए । तभी हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं ।

श्री बी० एन० नायक (कनारा) : मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। 1973 में इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का मुझे अवसर मिला था । उस दिन मैंने जो कुछ कहा था उसके एक अंश को यहां पेश करना चाहता हूं. . . (**व्यवधान**)

अगले पांच अथवा दस वर्षों में एशिया महाद्वीप से अमरिकी सेनाए अवश्य हट जायेंगी। ऐसी स्थिति में अगले पांच अथवा दस वर्षों के लिए अपनी विदेश नीति बनाते हुए हमें श्री ब्रेजनेव के एशियाई सुरक्षा प्रस्ताव पर पुनः विचार करना होगा । कम्बोडिया तथा वियतनाम की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा ।

इंगलैंड के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ब्रिटेन के स्थायी हित हैं न कि स्थायी मित्र। हमारी नीतियां तो स्थायी हैं किन्तु हित तथा मित्र अस्थायी नहीं है। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति पिछले 25 वर्षों से चली आ रही है जो एक प्रकार से स्थायी बन गई है। हम इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने के इच्छुक नहीं हैं। हम अपनी इस नीति को इतना पवित्र क्यों बना रहे हैं। क्या इसे इसी तरह अछूता रखा जायेगा।

विदेश मंत्रालय के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि अन्य विकासशील देशों के साथ भारत को भी तेल के मूल्यों में वृद्धि से भारी संकट का सामना करना पड़ा है। इसके साथ-साथ भारत ने तेल पैदा करने वाले देशों के कच्चे माल के लिए इच्छित मूल्य प्राप्त करने सम्बन्धी अधिकारों का समर्थन भी किया है। अरब देशों के लिए हम क्षमा क्यों मांगे? हमें सही बात कहनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप उनके कच्चे माल के लिए उचित मूल्य का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय लोह-अयस्क का उचित मुल्य क्या है?

अब हम लोग पेट्रो-डालर की बातें कर रहे हैं। आज तक सभी मुद्राएं सोने पर निर्भर थी। फिर स्टालिंग तथा डालर जैसी दुर्लभ मुद्रा भी निर्भर रही। किन्तु आज विश्व की मुद्रा या उसका एक अंश एक कच्चे माल पर निर्भर है। हमें प्रयास करना चाहिए कि विश्व की मुद्रा लोहे पर निर्भर हो या गेहूं पर निर्भर हो। मेरे से पूर्व के वक्ता ने ठीक ही कहा कि किसी देश से घनिष्ठ सम्बन्ध बनावे में हित ही हैं। अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम सोवियत संघ की तरह अन्य देशों से भी ऐसे सम्बन्ध बना सकते हैं।

18 मई 1974 को हमने पहली बार परमाणु विस्फोट किया है और इस प्रकार हमारा नाम उन छः देशों की सूची में आ गया है जो कि परमाणु शक्ति प्राप्त देश कहलाते हैं। सोवियत संघ के साथ हमारा जो साथ होगा वह बराबरी का होगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह ब्रेजनेव सिद्धांत पर पुनः विचार करें।

श्री वी० मायावन (चिदाम्बरम्) : पंडित नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्री काल में हमारी विदेश नीति प्रमुखतः दो ही व्यक्तियों के इशारों पर चली है। हम श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान मंत्री अल्प काल को नजरन्दाज कर सकते हैं। मैंने दोनों प्रधान मंत्रियों का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि विदेश मंत्री चाहे श्री स्वर्णसिंह हों अथवा श्री चह्वाण, देश की विदेश नीति तैयार करने में दुर्भाग्य से इन्हें कोई अवसर नहीं मिलता। ये तो प्रधान मंत्री के आदेशानुसार कार्य करते हैं। पहले पंडित नेहरू काफी लम्बे समय तक विदेश मंत्री रहे। आज विदेशी तथा आंतरिक मामलों की कर्ताधर्ता श्रीमती इंदिरा गांधी ही है। पंडित नेहरू छोटे पड़ोसी देशों की उपेक्षा करते थे जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन देशों की यात्रा करके अपना सम्मान बढ़ाया है। नेहरू जी के प्रधान मंत्री काल में पी० एल० 480 के अधिकारी अमरीकी सहायता प्राधिकारी फोर्ड फाउंडेशन, आदि के अधिकारी हमारे देश में आया करते थे। आज यहां रूबल का शासन चल रहा है। हर दूसरे दिन सोवियत संघ का कोई न कोई शिष्ठ मंडल यहां पहुंचता है। सोवियत संघ जो कुछ वर्ष पूर्व हमारी ओर झांकता तक नहीं था आज हर प्रकार की तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार है।

विदेश मंत्री को विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों के पुनर्गठन की ओर ध्यान देना चाहिए। ज्ञात हुआ है कि अब अरब खाड़ी के देशों में हमारे दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित संख्या से कम हैं। उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए।

विदेश स्थित भारतीय दूतावास भारतीयों के लिए अतिथि गृह के रूप में होने चाहिए। जब कोई भारतीय विदेशों में जाये तो दूतावासों को उन्हे हर प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए। मंत्री महोदय को दूतावासों के पुनर्गठन की ओर ध्यान देना चाहिए।

हमारे विदेश मंत्री ने हवाना में हुए गृहनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लिया लेकिन क्या हम सचमुच गुट निरपेक्ष हैं ? हमने फिलस्तीनी मुक्ति मोर्चे को मान्यता दी है। हमने सिंहानुक के दल तथा उनकी सरकार को वैध माना है। हमने इजराइल की विजय की निन्दा की है और अरब देशों की विजय का स्वागत किया है। पूर्वी यूरोप तथा समाजवादी देशों के साथ हमने सर्वाधिक व्यापार किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ तथा समाजवादी देश भारत के समर्थक हैं। क्या हमें अपने आपको समाजवादी देश कहने में लज्जा आती है ? अगर हम अपने आपको गुट-निरपेक्ष देश कहते हैं तो यह एक प्रकार का पाखंड है।

विदेशों में स्थित हमारे दूतावास भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने में कोई रुचि नहीं लेते। तमिलनाडु के हजारों मस्लिम कम्बोडिया, दक्षिण वियतनाम तथा अन्य पूर्वी देशों में बसे हुए हैं। उन देशों में उन्हें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। बर्मा, श्रीलंका तथा उगांडा में हम अपने लोगों को नीचा दिखा ही चुके हैं। हमें विदेशों में स्थित भारतीयों के हितों की रक्षा करनी चाहिए

बहुत पहले से हम अरब देशों के हितों का समर्थन करते आ रहे हैं। भारत-पाक युद्ध के दौरान मध्य पूर्व के देश चुपचाप रहे। यहाँ पर हमारी विदेश नीति सफल नहीं रही सऊदी अरब के सम्राटों को भारत में पेट्रोल स्टेशन खोलने के लिए हम राजी नहीं कर सके। किन्तु पश्चिमी देशों में उन्होंने ऐसा किया है।

हमारी विदेश नीति में लेटिन अमरीका के लिए कोई स्थान नहीं। लेटिन अमरीका के देशों में हमारे दूतावास विदेश सेवा के कर्मचारियों के विश्राम तथा मनोरंजन गृह मात्र ही हैं।

भारतीय राजनयिक भारतीय दृष्टिकोण को विश्व सामने प्रभावशाली ढ़ंग से पेश करने योग्य होना चाहिए। इन राजनयिकों की असफलता का पता उस समय लगा जब बंगला देश की मुक्ति के समय केन्द्रीय मंत्रियों तथा जामा मस्जिद के इमाम सहित अन्य प्रतिष्ठित लोगों को हमें अपने दृष्टिकोण को पेश करने के लिए विदेशों को भेजना पड़ा।

भारतीय संस्कृति तथा दर्शन हमारी विदेश नीति के आधार नहीं रहे। अब तो देश की गरीबी तथा पड़ोसी देशों के साथ झगड़े ही हमारी विदेश नीति रह गई है। इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

दक्षिण वियतनाम अरब साम्यवादी हो गया है। इसका अगला लक्ष्य थाइलैंड है। हमारा पड़ोसी देश बर्मा जिसमें आधी जनसंख्या साम्यवादी है, धीरे-धीरे साम्यवादी हो रहा है। हमें इन पहलुओं को ध्यान में रखना चहिए।

विदेश मंत्रालय को आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए । विदेशी मामलों में में आर्थिक और औद्योगिक शक्ति ही अधिक साथ देती है ।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

दक्षिण एशिया में विदेश नीति ने नया रूख लिया है । अमरीकी प्रशासन ने अपनी गत असफलताओं और गलतियों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है । अमरीका को यहां की वास्तविकता समझनी चाहिए और एशियाई राष्ट्रों को प्रतिनिधि राय से सहमत होना चाहिए । लेकिन यह पुनरुत्थानशील एशिया की वास्तविक भावना को समझने में भी असफल रहा है । और यह केवल ग्रह प्रयोग की भाषा ही समझता है । इससे इस क्षेत्र के राष्ट्रों पर भारी दबाव पड़ा है ।

हमें अमरीकी प्रशासन को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत में संतुलन बनाने की उसकी पुरानी नीति अब मान्य नहीं है । मैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री, श्री भुट्टो से अनुरोध करता हूं कि वह उपमहाद्वीप में शस्त्रों की होड़ की व्यर्थता को समझें ।

उपमहाद्वीप के तीन राष्ट्रों के संदर्भ में विजेता-विजित के सिद्धांत को मैं समझ नहीं पाया हूं । जब तक 19वीं शती या इससे पूर्व विद्यमान विजेता और विजित के सिद्धांत को नहीं त्यागेंगे तब तक हम पाकिस्तान के साथ स्थायी संबंध नहीं बना सकेंगे । मेरे विचार में अब भी इतनी देर नहीं हुई है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को शिमला समझौते की वास्तविक भावना को समझना चाहिए, क्योंकि इसी से दोनों देशों के बीच स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं ।

दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी देशों के साथ हमारे संबंधों के बारे में हमें अपनी नीति बनानी चाहिए । संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत हो गई है। इसके लिए सर्वप्रथम बड़ी ताकतों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए । यदि ये बड़ी शक्तियां विवादों को हल कर सकें और संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता के बिना तनाव कम कर सकें तो यह अच्छी बात होगी । लेकिन इस प्रक्रिया में इस संस्था की, जिसने देशों की आंतरिक शांति और सहयोग बढ़ाने के लिए काफी योगदान दिया है, महत्ता कम नहीं की जानी चाहिए । सुरक्षा परिषद् को जो संयुक्त राष्ट्र का राजनीतिक अंग है, प्रभावकारी बनाना चाहिए । इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए कम से कम इसे लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए । 'वीटो' और स्थायी सदस्यता का सिद्धांत समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा भारत सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए ।

गत वर्ष नागपुर में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में की गई इस मांग की और विदेश मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाना चाहिए । सदन में अब आश्वासन दिया गया है कि भारत सरकार इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ से बातचीत करने का विचार कर रही है । मुझे आशा है कि इस वर्ष कोई ठोस कदम उठाये जायेंगे और इसका कोई परिणाम अवश्य निकलेगा ।

हमारी विदेश नीति की मुख्य कमजोरी हमारी भौगोलिक राजनीतिक स्थिति के आकार के अनुरूप ठोस आर्थिक आधार का न होना है । इस आर्थिक आधार की वजह से हम अपने हित तथा

एशिया और अफ्रीका के विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा नहीं कर पाये हैं । अतः यह अनिवार्य है कि विश्वकार्यों में अपनी वास्तविक भूमिका निभाने के लिए आंतरिक आर्थिक आधार बनाया जाये जो विकासशील राष्ट्रों की आवश्यकताओं के लिए लाभदायक हो सकें ।

अन्त में मैं विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बारे में कहना चाहता हूं । भारत सरकार विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्तियां देकर तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में अच्छा कार्य कर रही है । लेकिन दक्षिण-पूर्व एशियाई या अफ्रीकी देशों, उदाहरणार्थ मारीशस या वैस्टइण्डीज में बसने वाले भारतीयों को दी जानेवाली छात्रवृत्तियां पर्याप्त नहीं हैं । अतः इन देशों में छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी ।

इन शब्दों के साथ में विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री पी० जी० मावलंकर: (अहमदाबाद) अन्य आन्तरिक तथा राष्ट्रीय मामलों की तुलना में विदेश मंत्रालय चर्चा के लिए कम समय मिलता है । विदेश नीति का सार बातचीत है, कानून नहीं । अतः विदेशी मामलों में संसदीय नियंत्रण अथवा संसदीय जांच पड़ताल की गुंजाइश अनिवार्यता सीमित ही होती है ।

मंत्रालय का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन तथ्यपूर्ण विवरण है । इसमें सरकार तथा विश्व के अन्य देशों के बीच सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तरों पर स्थापित सम्पर्कों का उल्लेख है । इसमें हमारे देश का दौरा करने वाले राज्याध्यक्षों तथा विदेशों का दौरा करने वाले हमारे अपने राज्याध्यक्ष का उल्लेख किया गया है ।

मैं अनुभव करता हूं कि यद्यपि हम ऐसे दौर में हैं जहां खुली कूटनीति, शिखर कुटनीति तथा उच्चस्तर पर वैयक्तिक कूटनीति लगभग स्थायी हो गई है फिर भी विदेशी नीति और कूटनीति लोकतांत्रिक माध्यमों से गुप्त वार्ता, चर्चा, विचार विमर्श एवं संचार का विषय है । हमारी विदेश नीति का नए विदेश मंत्री श्री चव्हाण द्वारा पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष से अधिक से हमारी विदेश निति एक प्रकार से व्यापक सैद्धान्तिक प्रस्तावों वाली रही है । हमारी विदेश नीति तभी सफल हो सकती है यदि उसमें आदेशों एवं आदर्शवाद के साथ साथ व्यवहारिक, आशाजनक एवं वास्तविक दृष्टिकोण भी हो, चाहे अन्य देश हमारी सराहना करें या नहीं । हम चाहते है कि हमारे देश की बेहतर आर्थिक दर्जा मिले, बेहतर राष्ट्रीय सुरक्षा मिले तथा राष्ट्रों के बीच भारत की प्रतिष्ठा मिले लेकिन गत 25 वर्ष या इससे भी अधिक वर्षों में भारत के विकास को देखते हुए हमारी विदेश नीति ऐसा वातावरण उत्पन्न नही कर पाई है । लेकिन हमें अपनी विदेश नीति को सफल बनाने के लिए अपनी भावनाओं, अपने आदर्शों के अनुसार सतत प्रयास करना चाहिए और इसमें विदेशों का सम्बन्ध नहीं लेना चाहिए ।

दो बड़ी शक्तियों-सोवियत संघ और अमरिका के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । इसके अन्त में अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों में बिगाड़ होने के बारे में उल्लेख किया गया है भारत सरकर को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम भारत सरकार तथा अमरीका प्रशासन के बीच और भारतीय लोगों एवं अमरीकी लोगों के बीच सही भेद नहीं कर पाये हैं । भारत-अमरीका

सम्बन्धों के गहन संकट काल में भी अमरीका के पदाधिकारियों, नेताओं, सीनेट सदस्यों, कांग्रेस के सदस्यों, जन नेताओं, बद्धिजीवियों, विश्वविद्यालय प्राध्यापकों और साधारण लोगों के मन में एशिया की भूमिका में भारत की स्थिति का स्थान है बल्कि उन्होंने कई बार अपने प्रशासन की कटु आलोचना भी की है। मैं गुट निरपेक्षता की नीति में गहन विश्वास करता हूं । इसके साथ हमें दोनों महान शक्तियों सोवियत संघ और अमरीका के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने चाहिएं । लेकिन हमारे सम्बन्ध अमरीका की तुलना में सोवियत संघ के साथ अधिक अच्छे हैं और सामन्य से कूछ उपर हैं कई देश विशेषकर पश्चिमी प्रजातान्त्रिक देशों की नजर में भारत की गुट निरपेक्षता को सन्देहास्पद बनाने के संदर्भ में ये सम्बन्ध सामान्य से अधिक रहे हैं । अतः यह हो सकता है कि रूस ने यह अच्छा समझा हो कि जब भारत के सोवियत संघ के साथ अच्छे सम्बन्ध हो जायें तो भारत अमरीकी लोगों और अमरीकी प्रशासन के साथ-सार्थक बातचीत कर सके और सम्बन्ध स्थापित कर सकें ।

चीन से सम्बन्धों के बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत ने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की नीति जारी रखी है लेकिन चीन का रवैया प्रतिकूल और अमैत्रीपूर्ण रहा है । यही बात भारत और पाकिस्तान के बारे में लागू होती है। जब तक चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सामान्य नहीं हो जाते मुझे इस बात की पूर्ण आशंका है कि हमारी विदेश नीति को चुनौती का हर समय सामना करना होगा। लेकिन हम इन देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए क्या कर रहे हैं ? इसमें केवल हमारा ही दोष नहीं है । विदेश एवं विदेश नीति के मामलों में हम यह नहीं कह सकते कि हमने अपनी भूमिका निभा दी हैं और अब दूसरे अपनी भूमिका निभायें । उसके बाद हम फिर वही कार्य करेंगे । अन्ततः हमें स्थिति की निरन्तर समीक्षा करनी होगी । ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना होगा जहां वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बातचीत सम्भव हो ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत अफ्रीकी देशों में अधिकाधिक रूचि ले रहा है अफ्रीका के देशों से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करना अच्छी बात हैं क्योंकि इससे वहां के देशों में रहने वाले तथा वहां से निकाले गए विवश भारतीय राष्ट्रिकों का प्रश्न जुड़ा हुआ है । लेकिन खेद यह है फिर हम पश्चिम उन्मुखी तथा शक्ति उन्मुखी हो गए है । और विकास शील देशों के प्रति हमारा रुझान नहीं है ।

गत दो दशकों से अधिक अवधि से राजदूतों और उच्चायक्तों का चयन संतोषजनक रहा है। ऐसा भी समय था जब 6 महीने या एक वर्ष की अवधि से अधिक समय तक हमारे महत्वपूर्ण मिशन या दूतावास बिना राजदूतों या उच्चायुक्तों के रहे हैं । यह उचित नहीं है तथा प्रत्येक देश में भारतीय मिशन या दूतावास, राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक मिशन स्थापित करने का कोई उपयोग नहीं । अन्ततः हमें इस बारे में चयनशील होना चाहिए । भारत निर्धन देश है और हम विलासिता की वस्तुओं पर अधिक व्यय नहीं कर सकते । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उन क्षेत्रों में अधिक समय और धन लगाना चाहिए जहां से हमें लाभांश वापस मिल सके और यह भी संभव है जब सरकार राजनयिक सेना एवं जन जीवन की क्षेत्र से राजदूतों एवं राजनयिकों की नियुक्ति करें ।

हमारा यह अनुभव है कि हमारे दूतावासों में सौम्यता एवं सहयोग नहीं है । इस समस्या का सामना भारतीय राष्ट्रिकों को ही नहीं अपितु भारतीय पर्यटकों को भी करना पड़ता है । अशोभनीय बात है कि हमारे अपने ही लोगों के साथ भेद-भाव किया जाता है । गत वर्ष, जब पैरिस में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 300 व्यक्ति मारे गये और जिनमें दो भारतीय भी थे , मंत्री महोदय को इस दुखद घटना की जानकारी प्राप्त करने और अपने लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में बड़ा समय लगा था । नये मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि विदेशों में हमारे दूतावास कुशल हों, सेवा प्रधान रवैया अपनाएं और अर्थव्यवस्था के संबंध में सही मार्ग पर चलें। इस बात की जांच करने के लिए एक सैल (कक्ष) स्थापित किया जाना चाहिए कि विश्व के प्रत्येक देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की आवश्यकता है अथवा नहीं । बड़े-बड़े देशों के भी कम दूतावास हैं जबकि भारत के बड़ी संख्या में ऐसे दूतावास हैं जो कार्य कुशल नहीं हैं । ऐसी विकृत स्थिति समाप्त की जानी चाहिए । विदेश में प्रचार एवं पारपत्र सेवा के प्रश्न पर विदेश मंत्रालय द्वारा और अधिक प्रभावशाली ढंग से विचार किया जाना चाहिए ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : आंतरिक नीति विदेश नीति पर अपना प्रतिबिम्ब डालती है । हम अपनी आंतरिक नीति को रूढ़ीवादी तथा विदेश नीति को अधिक उदार नहीं बना सकते । लेकिन हमारी प्रधान मंत्री के नेतृत्व में यदि गृह नीति क्रांतिकारी हैं तो विदेश नीति का क्रांतिकारी होना भी आवश्यक है । हमें समाजवादी देशों को अपना सहयोग देना है । क्रांतिकारी राष्ट्र ऊपर उठे हैं । सरकार को विदेशों में क्रांतियों का समर्थन करना पड़ा है । इसीलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्राज्यवाद के विरूद्ध क्रांतिकारी रवैया अपनाया था ।

भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति पंडित नेहरू के नेतृत्व से चली आ रही है । विभिन्न देशों के नेताओं ने इस नीति का समर्थन किया है । 1971 में बंगला देश का उदय हुआ था । तभी से हमने अपने राष्ट्र को सुदृढ़ तथा महान बनाने की नीति अपनाई है । इसीलिए हम यह महसूस करते हैं कि यदि भारत को अपनी आवाज बुलन्द करनी है इसे साम्राज्यवाद के विरूद्ध तटस्थ राष्ट्रों तथा एशियाई राष्ट्रों का नेतृत्व करना होगा ।

भारत की नीति अत्यन्त सुदृढ़ है । परन्तु यह समय-समय पर परिवर्तित होती रही है । एक समय था जब सोवियत संघ और चीन का आंतरिक नीति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था । जब पंडित नेहरू वहां गये तो उन्हें पता चला कि साम्यवाद नितांत भिन्नवाद है । चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं । वह भारत की आलोचना करता है । तथा भारत विरोधी प्रचार करता है । हमें इसके प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए । भारत ने 1950 तथा 1953 में तिब्बत पर चीनी अधिराज्य स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती की थी । अब समय आ गया है जब एशियाई राष्ट्रों के एक नेता देश होने के नाते भारत तिब्बत की मानवीय अधिकार संबंधी समस्याओं का मामला उठाये । यदि भारत एक समय पर दिए गए अपने ही तर्क को हम चुनौती नहीं दे दें तो कम से कम तिब्बत वासियों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में तो उठा ही सकता है ।

हमें अपना ध्यान भारतीय-उप-महाद्वीपों की समस्याओं की ओर केन्द्रित करना होगा। भारत ने बंगला देश की समस्या हल की है । लेकिन इस बात की आलोचना की जा रही है कि भारत ने बंगला देश में एक दलीय प्रणाली एवं राष्ट्रपति सरकार का समर्थन किया है । मैं कहना चाहता हूं

कि शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बंगला देश सरकार अन्य समाजवादी देशों की तुलना में अधिक प्रजातांत्रिक है । 40 लाख लोगों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया । निहित स्वार्थ अब भी वहां पाकिस्तान के साथ मिलकर तोड़-फोड़ की कार्यवाही तथा षड़यंत्र कर रहे हैं । विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं जिसने इतने थोड़े समय में समाजवाद स्थापित कर लिया हो ।

समाजवादी देशों के प्रति हमारा रवैया थोड़ा भिन्न होना चाहिए । दक्षिण कोरिया में अब भी 50,000 अमरीकी सैनिक हैं जो जन-आन्दोलनों को कुचल रहे हैं और बुद्धिजीवियों को मौत के घाट उतार रहे हैं । उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम इल सुंग दक्षिणी कोरिया में भी जनप्रिय है । इस लिए हमको दक्षिणी कोरिया सरकार का समर्थन करना चाहिए ।

मध्य पूर्व के देशों के प्रति भी हमारे रवैये में परिवर्तन होना चाहिए । ईराक के साथ हमारे सबंध और दृढ़ होने चाहिए । यही एक देश है जिसने बंगला देश की स्वतन्त्रता का समर्थन किया था और बंगला देश को पहले मान्यता दी थी ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों में नियुक्ति उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो संस्कृति और इतिहास से परिचित हो और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने की बौद्धिक क्षमता रखता हो । यदि यह मानदंड नहीं अपनाया जाता तो विदेशों में भारतीय प्रतिष्ठा कम होती जाएगी ।

हमारी नीति आत्म-निर्भर बनने की है । हमें इस नीति का सही रूप से पालन करना चाहिए, ताकि हमारा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

गुजरात में चुनाव, आपातकालीन स्थिति तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : GUJARAT ELECTIONS, EMERGENCY AND MISA

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सदन को ज्ञात है कि सदन के एक प्रतिष्ठित सदस्य श्री मोरार जी देसाई ने अनशन समाप्त कर दिया है । गुजरात में वर्षा काल के बाद चुनाव करवाने का निश्चय राज्य के अधिकांश भाग में सूखे की स्थिति को ध्यान में रख कर किया गया । इसके अतिरिक्त यह परम्परा भी रही है कि आम चुनाव अधिक गर्मियों या वर्षा के मौसम में नहीं कराए जाते ताकि लोगों को वोट देने में कम से कम असुविधा हो । यह निर्णय किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया गया । हमने केवल गुजरात की जनता के हितों को ध्यान में रखा था ।

गुजरात सरकार सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए अथक प्रयास कर रही है । यदि अब चुनाव करवाए गए तो इससे प्रशासन का ध्यान दूसरी ओर चला जाएगा । राहत कार्यों में लगे लोगों को चुनाव कार्यों में लगाना गुजरात की जनता के हित में नहीं है ।

मैं प्रतिष्ठा पर नहीं अड़ी हुई। फिर भी मैं अनुभव करती हूं कि राजनीतिक दबाव में शुरु किए गए अनशन अनुचित हैं। यह अफवाह भी फैलाई गई है कि हम चुनावों को स्थगित कर रहे हैं। यह अफवाह सत्य नहीं है। हमारे उद्देश्यों और चिन्ताओं को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। मैं श्री मोरार जी देसाई को यह बता चुकी हूं और संसद् में भी यह स्पष्ट कर दिया है कि मानसून के बाद शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराए जाएंगे।

इसके बावजूद श्री मोरार जी देसाई ने अनशन रखा। इस समय उनकी हालत चिंताजनक है। हम उन्हें मरने देना नहीं चाहते और इसलिए मैंने और मेरे साथियों ने यह निर्णय किया है कि 7 जून के आस-पास गुजरात में चुनाव कराए जांए। सही तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित की जाएगी। गर्मी की वजह से लोगों को कठिनाई अवश्य होगी। लेकिन हमें आशा है कि गुजरात के लोग शीघ्र चुनाव करवाने के कारणों को समझेंगे।

इस समय न केवल भूमि सीमा बल्कि समुद्री सीमा पर खतरा बना हुआ है। आपातकालीन स्थिति समाप्त करने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य समाज-विरोधी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों से निपटने के लिए राष्ट्र के हाथ मजबूत करना है। इसका उद्देश्य वैध राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाना कदापि नहीं है। यदि इस अधिनियम के दुरूपयोग के बारे में आरोप लगाए जाएंगे तो हम संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से ऐसी शिकायतों की जांच करेंगे।

श्री मधु लिमये: यह निरर्थक वक्तव्य है **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा 16 अप्रैल, 1975/26 चैत्र, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, April 16, 1975/ Chaitra 26, 1897 (Saka)

MGIPRRND—Sec. VIII—23 LSS/75—28-8-75—200.